भाग ... 1 ...

सूचना के अधिकार

अधिनियम 2005

धारा 4(i)ख के अन्तर्गत

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स
एवं
नागरिक सुरक्षा मुख्यालय

लोक प्राधिकारी	–	डॉ0 पी0वी0के0 प्रसाद, (दिनांकः 03.08.2024 से)
कार्यालय का पता	–	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा, रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड, फोन नं0 –0135–2784473

मैनुअल 1 से 4
व 6 से 17 तक

अद्यावधिक / अपडेट दिनांक जून, 2025

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य सृजित होने के बाद होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा का कार्य विषम परिस्थितियों में संसाधनों एवं कर्मचारियों की अत्यन्त कमी होने पर पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड से प्रारम्भ किया गया। शनैः–शनैः होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी होती गयी। तत्पश्चात अथक परिश्रम व विशेष प्रयासों से होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा का ढांचा वर्ष 2004 में शासन से स्वीकृत कराया गया। जुलाई 2005 में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग पृथक से स्थापित किया गया, जहां से विधिवत कार्यों का प्रारम्भ किया गया। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय दिनांकः 12 फरवरी 2016 को अपने नवनिर्मित भवन ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, रायपुर, देहरादून में स्थापित हुआ। मुख्यालय में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश अवधि के कई शासनादेशों विभागीय परिपत्रों व नियमों को एकत्रित कर मैनुअल्स को बनवाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।

होमगार्ड्स विभाग की भावी चुनौतियों के दृष्टिगत दायित्वों में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। शासन तथा प्रशासन द्वारा दी गयी राष्ट्रीय/राज्य स्तर की समस्त प्रकार की ड्यूटियों के कर्त्तव्यनिष्ठ व सराहनीय सेवाओं में होमगार्ड्स विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बहुमूल्य योगदान हैं, विभाग की समस्त उपलब्धियों में विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हैं।

प्राक्कथन (होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग)

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयं सेवी संगठन है जिसका आधार निष्काम सेवा एवं राष्ट्र प्रेम है। यह संगठन उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में स्थापित है, जिसमें होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की कुल स्वीकृत संख्या–6411 है, जो आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्यरत रहते है। प्रदेश में होमगार्ड्स के कार्यकलापों की गौरवशाली परम्परा रही है। शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने में इस संगठन द्वारा शासन/प्रशासन को अत्यंत उपयोगी सहयोग प्रदान किया जाता है। कानून व्यवस्था की अक्षुण्णता हेतु होमगार्ड्स द्वारा व्यवस्था के साथ–साथ यातायात, मेले, विभिन्न परीक्षाओं, सचिवालय, विधान सभा, आपदा, विभिन्न चुनाव, यात्रा–सीजन, मा0 उच्च न्यायालय, अन्य संस्थानों, निगमों, उपक्रमों आदि पर शांति व्यवस्था आदि के कार्यों को अत्यन्त कुशलता से सम्पादित किया जाता है। इन अवसरों पर औसतन 5300 से अधिक होमगार्ड्स प्रतिदिन ड्यूटियों पर नियोजित रहते हैं।

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित कार्यों नियमावलियों, विभागीय अधिनियमों व शासनादेशों का संग्रह करते हुये उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' के 17 मैनुअल जून, 2025 तक अद्यतन कर तैयार किये गये है।

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का अद्यावधिक मैनुअल–2023 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा तथा जनता को निःशुल्क विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी होती रहेगी।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अत्यन्त कमी के फलस्वरूप निदेशालय के कार्यों में पूर्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने पर होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय के पृथक से सृजित कराने पर अपना अनमोल व अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो अत्यन्त सराहनीय है, जिसकी भूरि–भूरि प्रशंसा की जाती है।

मुझे आशा है कि विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा होमगार्ड्स पूर्व की भांति अत्यन्त मेहनत, लगन व पारदर्शिता से कार्य करेंगे और विभाग की छवि शासन व प्रशासन में अच्छी बनाये रखेंगे।

डॉ0 पी0वी0के0 प्रसाद
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स एवं
निदेशक, नागरिक सुरक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून

अनुक्रमणिका

मैनुअल–1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य।	1–79
मैनुअल–2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।	81–89
मैनुअल–3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।	91–99
मैनुअल–4	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	101–109
मैनुअल–6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।	111–149
मैनुअल–7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।	151–159
मैनुअल–8	ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।	161–169
मैनुअल–9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	171–181
मैनुअल–10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	183–195
मैनुअल–11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	197–210
मैनुअल–12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	211–219
मैनुअल–13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।	221–229
मैनुअल–14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।	231–239
मैनुअल–15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	241–249
मैनुअल–16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	251–261
मैनुअल–17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय।	263–271

मैनुअल–1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

होमगार्ड्स

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

होमगार्ड्स के कर्तव्य एवं कृत्य :–

होमगार्ड्स अधिनियम की धारा–4 के अनुसार होमगार्ड्स के निम्न कर्तव्य है:–

(क) वे पुलिस दल के सहायक के रूप में कार्य करेंगें और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे।

(ख) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक–समाज की सहायता करेंगे।

(ग) वे ऐसे विशिष्ट कार्यो के लिये, जो नियत किये जायें, आपातकालीन दल के रूप में कार्य करेंगे।

(घ) वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिये कार्यात्मक इकाइयों की व्यवस्था करेंगे।

(ड.) वे लोक–कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जाये।

विशिष्टियां :–

उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व होमगार्ड्स विभाग उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ के अधीन कार्य करता रहा। होमगार्ड्स स्वयं सेवकों ने शांति व्यवस्था बनाये रखने में जहां पुलिस के सहायक के रूप में मुख्य भूमिका निभाई है वहीं देवी आपदाओं, विभिन्न विभागों के हड़ताल एवं आन्दोलनों के अवसर पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

सन् 1971 में भारत–पाक युद्ध के अवसर पर होमगार्ड्स स्वयं सेवकों ने सीमा सुरक्षा बल के साथ बंग्लादेश की लड़ाई में भाग लिया। होमगार्ड्स स्वंय सेवकों ने आतंकवाद ग्रस्त पंजाब तथा तमिलनाडु के विधान सभा निर्वाचनों में अपनी ड्यूटियों का निर्वहन किया तथा चुनाव ड्यूटियों को सम्पन्न कराने में भी विशेष योगदान दिया है।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद उत्तराखण्ड में पुलिस बल की अत्याधिक कमी की प्रतिपूर्ति के लिये होमगार्ड्स स्वयं सेवकों ने उत्तराखण्ड के विभिन्न थाना एवं पुलिस चौकियों में अपनी ड्यूटियों के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाये रखने में अहम भूमिका निभाई है। सुदूर ग्रामीण पर्वतीय अंचलों में राजस्व पुलिस के साथ भी होमगार्ड्स स्वयं सेवक शांति व्यवस्था बनाये रखने में प्रशासन को विशेष योगदान प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में विधान सभा एवं सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था में भी होमगार्ड्स अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। विभिन्न शहरों में होमगार्ड्स स्वयं सेवक यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने में अपनी ड्यूटियों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। अन्य विभागों एवं प्रतिष्ठानों में जहां कार्मिकों एवं सुरक्षा व्यवस्था की कमी है वहां पर होमगार्ड्स स्वयं सेवक अपने ड्यूटियों के माध्यम से राजकीय कार्यों को सम्पन्न कराने में अपना योगदान दे रहे हैं।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–459 / गृह–3–06 / हो0गा0 / 2003 दिंनाक 05–03–2004 द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय का ढांचा स्वीकृत हुआ, जिसमें होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा का संयुक्त निदेशालय के साथ–साथ केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय कमाण्डेंट कार्यालय, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीनगर व हल्द्वानी एवं सभी 13 जनपदों में जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स कार्यालय व जनपद देहरादून में नागरिक सुरक्षा कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियतन स्वीकृत किया गया। राज्य में होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का 6,411 स्वीकृत नियतन है। जनपदवार होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का स्वीकृत नियतन एवं माह जून 2025 में उपलब्ध संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	नाम जनपद	स्वीकृत होमगार्ड्स संख्या	उपलब्ध
1	उत्तरकाशी	297	248
2	टिहरी	429	393
3	चमोली	414	370
4	रूद्रप्रयाग	165	143
5	पौड़ी	510	445
6	देहरादून	1187	1021
7	हरिद्वार	1030	808
8	अल्मोड़ा	462	429
9	बागेश्वर	132	112
10	पिथौरागढ़	353	331
11	चम्पावत	142	131
12	नैनीताल	676	511
13	ऊधमसिंह नगर	614	521
योग		**6411**	**5463**

होमगार्ड्स संगठन कम्पनी / प्लाटूनों में गठित है। एक कम्पनी में एक अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, एक सहायक कम्पनी कमाण्डर, तीन अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर तथा शेष होमगार्ड्स होते है। एक कम्पनी में अवैतनिक अधिकारियों सहित कुल 103 की संख्या होती है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में प्लाटूनों तथा मैदानी जनपदों में कम्पनियों के आधार पर होमगार्ड्स की संरचना है।

होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के गठन, प्रशिक्षण व कार्य संचालन हेतु होमगार्ड्स विभाग में राजपत्रित व अराजपत्रित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। उत्तराखण्ड में कुल 301 स्वीकृत पदों के सापेक्ष माह जून 2025 में 105 कार्मिक उपलब्ध हैं।

मुख्यालय एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय कमाण्डेन्ट, जिला कमाण्डेन्ट तथा कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु स्वीकृत तथा उपलब्ध कार्मिकों का विवरण निम्न प्रकार है :–

होमगार्ड्स मुख्यालय :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	कमाण्डेन्ट जनरल	1	1	0
2.	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल	2	2	0
3.	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी	2	2	0
3.	स्टाफ अधिकारी	1	1	0
4.	सहायक डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स	2	1	1
5.	वैयक्तिक सहायक	1	0	1
6.	आशुलिपिक	2	0	2
7.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
8.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
9.	प्रधान सहायक	3	0	3
10	वरिष्ठ सहायक	3	3	0
11.	कनिष्ठ सहायक	3	2	1
12.	चालक	2	2	0
13.	चतुर्थ श्रेणी	4	1	3
कुल योग		**28**	**16**	**12**

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान , थानों, देहरादून :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	कमाण्डेन्ट, सी0टी0आई0	1	0	1
2.	डिप्टी कमाण्डेन्ट, नागरिक सुरक्षा, सी0टी0आई0	1	0	1
3.	सहायक समादेष्टा, मिनीस्ट्रीयल सी0टी0आई0	1	0	1
4.	चिकित्साधिकारी	1	0	1
5.	प्रशासनिक निरीक्षक	1	1	0
6.	वैतनिक निरीक्षक / कम्पनी कमाण्डर	2	2	0
7.	क्वाटर मास्टर	1	1	0
8.	आरमोरर	1	0	1
9.	हवलदार प्रशिक्षक	1	0	1
10.	फार्मसिस्ट	1	0	1
11.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
12.	प्रधान सहायक / मुख्य सहायक	1	1	0
13.	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
14.	कनिष्ठ सहायक	2	0	2
15.	चालक (संविदा)	4	4	0
16.	आशुलिपिक	1	0	1
17.	चतुर्थ श्रेणी (संविदा)	4	3	1
कुल योग		25	12	13

मण्डलीय कार्यालय, हल्द्वानी :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	मण्डलीय कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वरिष्ठ सहायक	0	1	–1
3.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
4.	चालक	1	0	1
5.	आशुलिपिक	1	0	1
6.	चतुर्थ श्रेणी	1	1	0
कुल योग		**5**	**3**	**3**

मण्डलीय कार्यालय, श्रीनगर :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	मण्डलीय कमाण्डेन्ट	1	1	0
2.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
3.	चालक	1	0	1
4.	आशुलिपिक	1	1	0
5.	चतुर्थ श्रेणी	1	0	1
कुल योग		**5**	**3**	**2**

जिला प्रशिक्षण केन्द्र, ऊधमसिंहनगर :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	2	0	2
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	3	0	3
4.	हवलदार प्रशिक्षक	17	4	13
5.	प्रधान सहायक	1	1	0
6.	वरिष्ठ सहायक	0	1	–1
7.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
8.	चालक	1	1	0
9.	चतुर्थ श्रेणी	19	1	18
कुल योग		45	9	37

जनपद कार्यालय बागेश्वर :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	1	0
2.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	2	0
3.	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
4.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
5.	चालक	1	0	1
6.	चतुर्थ श्रेणी	1	0	1
कुल योग		**7**	**5**	**2**

जिला प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीनगर :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	प्रशासकीय निरीक्षक	1	1	0
3.	क्वाटर मास्टर	1	0	1
4.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	3	0	3
5.	हवलदार प्रशिक्षक	17	4	13
6.	प्रधान सहायक	1	0	1
7.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
8.	चालक	1	0	1
9.	चतुर्थ श्रेणी	19	0	19
कुल योग		45	6	39

जनपद कार्यालय नैनीताल :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	1	1	0
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	0	2
4.	ब्लॉक आर्गनाईजर	2	2	0
5.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
6.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
7.	प्रधान सहायक	1	0	1
8.	चालक	1	1	0
9.	चतुर्थ श्रेणी	5	1	4
कुल योग		**15**	**6**	**9**

जनपद कार्यालय ऊधमसिंहनगर :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	1	1	0
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	1	1
4.	ब्लॉक आर्गनाईजर	4	2	2
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
6.	प्रधान सहायक	0	1	–1
7.	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
8.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
9.	चालक	1	0	1
10.	चतुर्थ श्रेणी	7	0	7
कुल योग		**19**	**7**	**13**

जनपद कार्यालय अल्मोड़ा :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	0	1	–1
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	0	2
4.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
5.	प्रधान सहायक	1	0	1
6.	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
7.	चालक	1	1	0
8.	चतुर्थ श्रेणी	2	0	2
कुल योग		9	3	7

जनपद कार्यालय पिथौरागढ़ :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	0	1	–1
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	1	1
4.	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
5.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
6.	चालक	1	0	1
7.	चतुर्थ श्रेणी	2	1	1
कुल योग		8	5	4

जनपद कार्यालय पौड़ी :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	1	1	0
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	2	0
4.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
5.	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
6.	कनिष्ठ सहायक	1	0	1
7.	चालक	1	0	1
8.	चतुर्थ श्रेणी	2	0	2
कुल योग		10	4	6

जनपद कार्यालय टिहरी :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	0	1	–1
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	1	1
4.	प्रधान सहायक	1	0	1
5.	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
6.	चालक	1	0	1
7.	चतुर्थ श्रेणी	2	1	1
कुल योग		8	3	6

जनपद कार्यालय देहरादून :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	1	0
2.	वैतनिक निरीक्षक	1	1	0
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	1	0	1
4.	ब्लॉक आर्गनाईजर	2	1	1
5.	हवलदार प्रशिक्षक	2	1	1
6.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
7.	प्रधान सहायक	1	0	1
8.	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
9.	चालक	1	0	1
10.	चतुर्थ श्रेणी	7	0	7
कुल योग		18	5	13

जनपद कार्यालय हरिद्वार :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	1	0	1
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	4	1	3
4.	ब्लॉक आर्गनाईजर	5	2	3
5.	हवलदार प्रशिक्षक	2	2	0
6.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
7.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
8.	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
9.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
10.	चालक	1	1	0
11.	चतुर्थ श्रेणी	10	2	8
कुल योग		28	11	17

जनपद कार्यालय उत्तरकाशी :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	0	1	–1
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	2	0
4.	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
5.	कनिष्ठ सहायक	1	0	1
6.	चालक	1	0	1
7.	चतुर्थ श्रेणी	2	0	2
कुल योग		8	3	6

जनपद कार्यालय चमोली :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	0	1	–1
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	1	1
4.	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
5.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
6.	चालक	1	1	0
7.	चतुर्थ श्रेणी	2	0	2
कुल योग		8	4	5

जनपद कार्यालय रूद्रप्रयाग :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक निरीक्षक	0	1	–1
3.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	1	1	0
4.	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
5.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0
6.	चालक	1	0	1
7.	चतुर्थ श्रेणी	1	1	0
कुल योग		6	5	2

जनपद कार्यालय चम्पावत :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	जिला कमाण्डेन्ट	1	0	1
2.	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	2	1	1
3.	वरिष्ठ सहायक	1	1	0
4.	कनिष्ठ सहायक	1	0	1
5.	चालक	1	0	1
6.	चतुर्थ श्रेणी	1	0	1
कुल योग		7	2	5

विभागीय ढांचा :–

उत्तरांचल शासन,

गृह अनुभाग–3,

संख्या – 459 / गृह–3–06 / हो0गा0 / 2003

देहरादून : दिनांकः 05 : मार्च , 2004

अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कानून एवं व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में पुलिस को सहायता प्रदान करने के उद्देशय से, सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय प्रदेश में एक स्वतंत्र होमगार्ड्स / नागरिक सुरक्षा निदेशालय, जो कि गृह विभाग के नियंत्रण में राज्य की राजधानी में स्थापित होगा, की स्थापना की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– महामहिम राज्यपाल महोदय निदेशालय के मुख्यालय हेतु अनुलग्नक–1 मण्डलीय कार्यालय हेतु अनुलग्नक–2, जनपदीय कार्यालयों के लिये अनुलग्नक–3, नवसृजित जनपद (रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत) में होमगार्ड्स कार्यालय की स्थापना हेतु अनुलग्नक–4, होमगार्ड्स प्रशिक्षण केन्द्र श्रीनगर गढ़वाल एवं हल्द्वानी हेतु अनुलग्नक–5, नागरिक सुरक्षा हेतु अनुलग्नक–6 में उल्लिखित कुल 283 स्थायी / अस्थायी पदों को, उसके सम्मुख निर्दिष्ट वेतनमानों में सृजित किये जाने की स्वीकृति उत्तरांचल राज्य गठन के दिनांक से प्रदान करते हैं। स्वीकृत पदों के धारकों को अपने पद के वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई व अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3– कम्पनी कमाण्डेन्ट, सहायक कम्पनी कमाण्डेन्ट, प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का स्वीकृत नियतन अनुलग्नक–7 में उल्लिखित है।

4– महासमादेष्टा, होमगार्ड्स / नागरिक सुरक्षा, उत्तरांचल का पद विभागाध्यक्ष स्तर का पद होगा और उन्हें वह सभी प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे जो सामान्यतः एक विभागाध्यक्ष में प्रतिनिहित होते हैं। इस पद पर भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

5– महासमादेष्टा, होमगार्ड्स / नागरिक सुरक्षा, उत्तरांचल के पद पर नियुक्ति अधिकारी सीधे गृह विभाग के अधीन होगें तथा पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

6– उप महासमादेष्टा तथा स्टाफ अधिकारी के पदों पर नियुक्ति विभागीय पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

7– मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स का अपने मण्डल के जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स पर नियंत्रण रखेंगे तथा समय–समय पर उनके कार्य दायित्वों का निरीक्षण करेंगे। जनपद में प्रत्येक जनपद स्तरीय होमगार्ड्स कार्यालय के नियंत्रक अधिकारी जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स होंगे। मण्डलीय कमाण्डेन्ट तथा जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स एवं अन्य सहवर्ती स्टाफ के कर्तव्यों एवं दायित्व सुनिश्चित सेवा नियमावली के अधीन होंगे।

8– नागरिक सुरक्षा की एक मात्र इकाई देहरादून में स्थापित है, जिसके नियंत्रक अधिकारी उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा होंगे तथा महासमादेष्टा, होमगार्ड्स के अधीन रहेंगें।

9– होमगार्ड्स/नागरिक सुरक्षा निदेशालय की स्थापना, अधिकारी/कर्मचारी वर्ग के वेतन भत्तों आदि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–106–सिविल रक्षा एवं 107–होमगार्ड्स अधिष्ठान की सुसंगत इकाईयों के आय–व्ययक से व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष अतिरिक्त धनराशि या अन्य प्रस्तावों पर प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग से की जायेगी।

10– साज–सज्जा उपकरण, फर्नीचर, स्टाफ कार/वाहन आदि का क्रय महासमादेष्टा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं भण्डार क्रय नियमावली के नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय/उपयोग की गयी वस्तुओं/धनराशि के विवरण से शासन को यथासमय अवगत कराया जायेगा तथा उसका विधिवत् लेखांकन किया जायेगा।

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव ।

संख्या–459/1/गृह–3–06/हो0गा0/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तरांचल शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
6 अपर महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उत्तरांचल, देहरादून।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की, जनपद हरिद्वार।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
13. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, श्रीनगर गढ़वाल।
14. उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, देहरादून।
15. गोपन (मंत्रि परिषद्) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एस0के0 लाम्बा)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–1

<u>होमगार्ड्स/नागरिक सुरक्षा मुख्यालय हेतु प्रस्तावित पदों का विवरण।</u>

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	प्रस्तावित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	महासमादेष्टा	अपने संवर्ग के अनुसार	01	वरिष्ठ आई0पी0एस0 संवर्ग से।
2.	उप महासमादेष्टा	14,300–18,300/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	स्टाफ अधिकारी	8,000–13,500/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	वैयक्तिक सहायक	5,500–9,000/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
5.	अधीक्षक	5,000–8,000/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
6.	आशुलिपिक	4,500–7,000/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
7.	वरिष्ठ लिपिक	4,000–6,000/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
8.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590/–	04	सीधी भर्ती द्वारा
9.	चालक	3,050–4,590/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
10.	चपरासी	2,550–3,200/–	04	सीधी भर्ती द्वारा
योग			19 पद	

शासनादेश संख्या – 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003 दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–2

होमगार्ड्स हेतु मण्डल स्तर के पूर्व सृजित पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	मण्डलीय कमाण्डेन्ट	10,000–15,200/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
2.	आशुलिपिक	4,000–6,000/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
3.	चालक	3,050–4,590/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
4.	चतुर्थ श्रेणी	2,550–3,200/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
योग :–			08 पद	

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–3

होमगार्ड्स हेतु जिला स्तर के पूर्व से सृजित पदों का विवरण।

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	जिला कमाण्डेन्ट	8,000–13,500/–	10	सीधी भर्ती द्वारा
2.	जिला कमाण्डेन्ट के सहायक	4,500–7,000/–	10	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	प्लाटून कमाण्डर	4,500–7,000/–	11	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	ब्लाक आर्गनाईजर	3,200–4,900/–	13	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
5.	वरिष्ठ लिपिक	4,000–6,000/–	04	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
6.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590/–	21	सीधी भर्ती द्वारा
7.	हवलदार प्रशिक्षक	3,050–4,590/–	04	सीधी भर्ती द्वारा
8.	चालक	3,050–4,590/–	10	सीधी भर्ती द्वारा
9.	चतुर्थ श्रेणी	2,550–3,200/–	41	सीधी भर्ती द्वारा
		योग :–	124 पद	

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–4

<u>नव सृजित जनपद (रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत) में होमगार्ड्स के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु प्रस्तावित पदों का विवरण।</u>

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	जिला कमाण्डेन्ट	8,000–13,500/–	03	सीधी भर्ती द्वारा
2.	जिला कमाण्डेन्ट के सहायक	4,500–7,000/–	03	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	प्लाटून कमाण्डर	4,500–7,000/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590/–	03	सीधी भर्ती द्वारा
5.	चालक	3,050–4,590/–	03	सीधी भर्ती द्वारा
6.	चतुर्थ श्रेणी	2,550–3,200/–	03	सीधी भर्ती द्वारा
		योग :–	17 पद	

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–5

<u>होमगार्ड्स प्रशिक्षण केन्द्र श्रीनगर गढ़वाल एवं हल्द्वानी हेतु पूर्व से सृजित पदों का विवरण।</u>

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	कमाण्डेन्ट	8,000–13,500/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
2.	प्रशासकीय निरीक्षक	5,000–8,000/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	क्वाटर मास्टर	5,000–8,000/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	प्लाटून कमाण्डर	4,500–7,000/–	06	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
5.	हवलदार प्रशिक्षक	3,050–4,590/–	34	सीधी भर्ती द्वारा
6.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590/–	08	सीधी भर्ती द्वारा
7.	चालक	3,050–4,590/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
8.	चतुर्थ श्रेणी	2,550–3,200/–	38	सीधी भर्ती द्वारा
		योग :–	94 पद	

शासनादेश संख्या – 459 / गृह–3–06 / हो0गा0 / 2003 दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–6

नागरिक सुरक्षा हेतु पूर्व से सृजित पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	उप नियंत्रक	8,000–13,500 / –	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
2.	सहायक उप नियंत्रक (वरिष्ठ वेतनमान में)	5,000–8,000 / –	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	सहायक उप नियंत्रक	4,500–7,250 / –	03	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	स्टोर अधीक्षक	4,000–6,000 / –	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
5.	वायरलेस आपरेटर	3,200–4,900 / –	01	सीधी भर्ती द्वारा
6.	आशुलिपिक	4,000–6,000 / –	01	सीधी भर्ती द्वारा
7.	लेखा लिपिक	3,050–4,590 / –	01	सीधी भर्ती द्वारा
8.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590 / –	03	सीधी भर्ती द्वारा
9.	स्टोरमैन	3,050–4,590 / –	02	सीधी भर्ती द्वारा
10.	चालक	3,050–4,590 / –	01	सीधी भर्ती द्वारा
11.	डिस्पेच राईडर	3,050–4,590 / –	01	सीधी भर्ती द्वारा
12.	अर्दली	2,550–3,200 / –	01	सीधी भर्ती द्वारा
13.	चौकीदार	2,550–3,200 / –	02	सीधी भर्ती द्वारा
14.	संदेशवाहक	2,550–3,200 / –	02	सीधी भर्ती द्वारा
योग :–			21 पद	

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–7

<u>होमगार्ड्स हेतु जिला स्तर के पूर्व से सृजित अवैतनिक पदों का विवरण।</u>

क्र.सं.	जनपद इकाई का नाम	कम्पनी कमाण्डर	सहायक कम्पनी कमाण्डर	प्लाटून कमाण्डर	होमगार्ड्स स्वयं सेवक	योग
1.	हरिद्वार	10	10	30	980	1030
2.	देहरादून	08	08	32	1040	1088
3.	पौड़ी	0	0	19	608	627
4.	चमोली + रूद्रप्रयाग	0	0	15	480	495
5.	टिहरी	0	0	14	448	462
6.	उत्तरकाशी	0	0	07	224	231
7.	नैनीताल	04	04	22	712	742
8.	उधमसिंहनगर	05	05	18	586	614
9.	अल्मोड़ा + बागेश्वर	0	0	20	640	660
10.	पिथौरागढ़ + चम्पावत	0	0	14	448	462
योग		**27**	**27**	**191**	**6166**	**6411**

शासनादेश संख्या– 03 / XX(5) / 17–20(ना0सु0) / 2010, दिनांकः 03 जनवरी, 2017 का संलग्नक

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के नये सृजित पदों का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	सृजित पदों की संख्या		वेतनमान	अभ्युक्ति
		हो0गा0	ना0सु0		
01.	कमाण्डेन्ट	01	–	(रू0 37400–67000 ग्रेड पे–8700)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
02.	डिप्टी कमाण्डेन्ट, नागरिक सुरक्षा	–	01	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–6600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
03.	सहायक समादेष्टा (मिनिस्ट्रीयल)	01	–	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
04.	चिकित्सा अधिकारी	01	–	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	सेवा स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति
05.	फार्मासिस्ट	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4600)	सेवा स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति
06.	प्रशासकीय निरीक्षक	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
07.	वैतनिक निरीक्षक / कम्पनी कमाण्डर	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
08.	क्वार्टर मास्टर	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
09.	वरिष्ठ प्रशिक्षक	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
10.	कनिष्ठ प्रशिक्षक	02	–	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
11.	हवलदार प्रशिक्षक	01	–	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
12.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	–	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
13.	मुख्य सहायक	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
14.	वरिष्ठ सहायक	01	–	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2800)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
15.	कनिष्ठ सहायक / स्टोर कीपर	02	01	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
16.	वैयक्तिक सहायक	01	–	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2800)	सीधी भर्ती
17.	आरमोरर / वायरलेस ऑपरेटर	01	01	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
18.	ड्राईवर (हल्की गाड़ी व भारी गाड़ी)	02	02	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती
19.	माली, धोबी, नाई, कारपेन्टर, जमादार, वाटरमैन, कुक–2	02	02	–	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती

शासनादेश संख्या– 238868/XX–2/2024–20(ना0सु0)/2010, दिनांकः 10 सितम्बर, 2024 का संलग्नक

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के नये सृजित पदों का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	सृजित पदों की संख्या		वेतनमान	अभ्युक्ति
		हो0गा0	ना0सु0		
01.	कमाण्डेन्ट	01	–	(रू0 37400–67000 ग्रेड पे–8700)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
02.	डिप्टी कमाण्डेन्ट, नागरिक सुरक्षा	–	01	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–6600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
03.	सहायक समादेष्टा (मिनिस्ट्रीयल)	01	–	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
04.	चिकित्सा अधिकारी	01	–	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति
05.	फार्मासिस्ट	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4600)	सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति
06.	प्रशासकीय निरीक्षक	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
07.	वैतनिक निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर	02	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
08.	क्वार्टर मास्टर	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
09.	हवलदार प्रशिक्षक	03	–	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
10.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	–	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
11.	मुख्य सहायक	01	–	(रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
12.	वरिष्ठ सहायक	01	–	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2800)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
13.	कनिष्ठ सहायक/स्टोर कीपर	02	01	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
14.	वैयक्तिक सहायक	01	–	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2800)	सीधी भर्ती
15.	आरमोरर/वायरलेस ऑपरेटर	01	01	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
16.	ड्राईवर (हल्की गाड़ी व भारी गाड़ी)	02	02	(रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती
17.	माली, धोबी, नाई, कारपेन्टर, जमादार, वाटरमैन, कुक–2	02	02	–	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती

शासनादेश संख्या–499 / XX(5) / 20–48(हो0गा0) / 2005, दिनांकः 18 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के उपरान्त पदों का विवरण।

(1) मुख्यालय / केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान कैडर

क्र0 सं0	पदनाम	शासनादेश दि0 03.01.2017, 21.08.2015 एवं दि0 03.03.2004 द्वारा स्वीकृत पद	वेतनमान	कार्मिक विभाग के शासनादेश दि0– 26.07.2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत स्वीकृत पद
1.	2.	3.	4.	5.
01.	कनिष्ठ सहायक	06	21700–69100 लेवल–3	05
02.	वरिष्ठ सहायक	03	29200–92300 लेवल–5	04
03.	प्रधान सहायक	01	35400–112400 लेवल–6	03
04.	प्रशासनिक अधिकारी	02	44900–142400 लेवल–7	01
05.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	47600–151100 लेवल–8	01
06.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	56100–177500 लेवल–10	01
योग		15		15

(2) जिला कार्यालय मण्डल एवं जिला प्रशिक्षण संस्थान कैडर

क्र0 सं0	पदनाम	शासनादेश दि0 03.01.2017, 21.08.2015 एवं दि0 03.03.2004 द्वारा स्वीकृत पद	वेतनमान	कार्मिक विभाग के शासनादेश दि0– 26.07.2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत स्वीकृत पद
1.	2.	3.	4.	5.
01.	कनिष्ठ सहायक	34	21700–69100 लेवल–3	13
02.	वरिष्ठ सहायक	06	29200–92300 लेवल–5	12
03.	प्रधान सहायक	–	35400–112400 लेवल–6	07
04.	प्रशासनिक अधिकारी	–	44900–142400 लेवल–7	03
05.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	–	47600–151100 लेवल–8	03
06.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	–	56100–177500 लेवल–10	02
योग		40		40

शासनादेश संख्या– 438/XX(5)/08–25–होगा0/2008 दिनांकः 29–08–2008 के द्वारा होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का अलग से ढांचा स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात शासनादेश संख्या–199/XX(5)/10–08–(हो0गा0)/2010 दिनांकः 24–06–2010 के द्वारा ढांचे में स्वीकृत पदों में स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुये पद स्वीकृत किये गयेः–

संख्या 438 /XX(5)/08–25–होगा0/2008

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 29 अगस्त, 2008

विषयः होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के ढ़ांचें के पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव–सीजी–40/होगा/2004/303, दिनांक 02 जुलाई, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल होमगार्डस प्रबन्ध निदेशालय के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के ढ़ाचें 32 पदों का विभाजन निम्नानुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	स्वीकृत पद	अब मात्राकृत पद
1	मुख्य सहायक	4500–7000	–	08
2	प्रवर सहायक	4000–6000	09	14
3	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	32	19
	योग		41	41

2– उपरोक्तानुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्वीकृत ग्रेड़ों के पदों के नाम, वेतनमान एवं संख्या का उल्लेख संबंधित सेवा नियमों में भी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या 1300/XXVII(7)/2008, दिनांक 28, अगस्त, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /XX(5)/08–25–होगा0/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– संबंधित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
3– समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
4– जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
5– गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

महावीर सिंह चौहान
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 183/XXX(2)/2010
देहरादूनः दिनांकः 11 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्टीरियल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्रीराज्यपाल निम्नवत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क.सं.	पदनाम	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1.	कनिष्ठ सहायक	35 %	32 %
2.	प्रवर सहायक	30 %	30 %
3.	मुख्य सहायक	25 %	18 %
4.	प्रशासनिक अधिकारी	10 %	20 %

2– जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्टीरियल कर्मी हों, वहाँ पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जायेगा तथा पूर्व से सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाप्त नहीं किया जायेगा। इस प्रकार से अनुमन्य लाभ दिनांक 1 जनवरी 2010 से नोशनल रूप से दिया जायेगा।

3– कृपया समस्त विभाग के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों के संबंध में उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए विभागीय संरचनाओं का पुनर्गठन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(शत्रुघ्न सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या 183(1)/XXX(2)/2010 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड पत्रावली।

संख्या 1७७/XX(5)10–08/हो0गा0/2010

प्रेषक,

जे0पी0जोशी
संयुक्त सचिव।
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस,
एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक २५ जून, 2010

विषयः– होमगार्ड्स विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग हेतु संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या सीजी–11/होम0गा0/2007/160 दिनांक 11–05–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183/XXX(2) दिनांक 2–10–2010 में किये गये प्राविधानानुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के ढ़ांचे में कुल 42 पदों का विभाजन निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क0सं0	पदनाम	मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में पूर्व में स्वीकृत पद	कार्मिक विभाग के शासनादेशानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	कर्मिक विभाग के शासनादेशानुसार स्टाफिंग पेटर्न लागू करने के उपरान्त पद
01	कनिष्ठ सहायक	19	32%	13
02	प्रवर सहायक	14	30%	13
03	मुख्य सहायक	08	18%	08
04	प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय अधीक्षक)	01	20%	08
	योग	42		42

2– विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के सम्बंध में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए उपरोक्तानुसार नियमावली में संशोधन किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया सुनिश्चित करें

3– यह आदेश कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः–1ᱫᱫ(01)/XX(5)10–08 हो0गा0/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

3– वित्त अनुभाग–1/5

4– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान,)
अनुसचिव,

निदेशालय होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या : सीजी–40/होगा/2004/328 — दिनांकः जून 29, 2010

1– जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी/उत्तरकाशी/चमोली/पौड़ी/रूद्रप्रयाग/
अल्मोड़ा/बागेश्वर/चम्पावत/नैनीताल/पिथौरागढ़/ऊधम सिंह नगर।

2– कमाण्डेन्ट,
जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स
श्रीनगर/हल्द्वानी।

कृपया शासन के गृह अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 199/XX(5)/10-08/होगा/2010 दिनांक 24–06–2010 के क्रम में होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का विभाजन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क. स.	जनपद/इकाई	गृह अनुभाग के शासनादेश संख्या 199/XX(5)/10-08/होगा/2010 दिनांक 24–06–2010 लागू करने के उपरान्त स्वीकृत पदों का विभाजन				कुल स्वीकृत
		प्रशासनिक अधिकारी स्वीकृत	मुख्य सहायक स्वीकृत	प्रवर सहायक स्वीकृत	कनिष्ठ सहायक स्वीकृत	
1	होमगार्ड्स निदेशालय	2	2	2	2	8
2	नैनीताल	1	1	1	1	4
3	ऊधमसिंहनगर	1	1	1	0	3
4	अल्मोड़ा	1	0	1	0	2
5	पिथौरागढ	0	0	1	1	2
6	जि0 प्र0 के0 हल्द्वानी	0	1	0	1	2
7	पौडी गढ़वाल	1	0	1	0	2
8	टिहरी	0	0	1	1	2
9	देहरादून	1	1	1	1	4
10	हरिद्वार	1	1	1	1	4
11	उत्तरकाशी	0	0	1	1	2
12	चमोली	0	0	1	1	2
13	रूद्रप्रयाग	0	0	1	0	1
14	बागेश्वर	0	0	0	1	1
15	चम्पावत	0	0	0	1	1
16	जि0 प्र0 के0 श्रीनगर	0	1	0	1	2
	योग	8	8	13	13	42

(राकेश मित्तल)
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स श्रीनगर/हल्द्वानी।

2– मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी/उत्तरकाशी/चमोली/पौड़ी/रूद्रप्रयाग/अल्मोड़ा/बागेश्वर/चम्पावत/नैनीताल/पिथौरागढ़/ऊधम सिंह नगर।

(राकेश मित्तल)
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्याः 373/XXVII(7)27(2)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 16 जनवरी, 2013

विषयः– उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3		4
1	कनिष्ठ सहायक	₹ 5200–20200 ग्रेड पे ₹1900	कनिष्ठ सहायक	₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2000
2	प्रवर सहायक	₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2400	वरिष्ठ सहायक	₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800
3	मुख्य सहायक	₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800	प्रधान सहायक	₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200
4	प्रशासनिक अधिकारी	₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹4600
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4800
6	–	–	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	₹15600–39100 ग्रेड पे ₹5400

2– कलेक्ट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय, तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान ₹67000–3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर–79000 के स्तर के पद हैं, वहां लिपिकीय संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड ₹15600–39100 एवं ग्रेड वेतन ₹5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से पद रखा जायेगा।

3– लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं तथा पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की अर्हता के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से नियमों में संशोधन किये जायेंगे।

4– उक्तानुसार संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01–04–2013 से अनुमन्य होगा।

HU Sec

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– (1)/ xxvii(7)27(2)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

संख्याः 737 / XXvii(7) / 2010

देहरादून, दिनांकः27 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्याः–सा–4–392 / दस–99–203–86 दिनांक 4 जुलाई,1999 द्वारा कुल उपार्जित अवकाश 300 दिन निर्धारित किया गया है ।

2– इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात् भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को क्रमशः16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश का प्रथम छमाही के अंतिम माह 30 जून एवं द्वितीय छमाही के अंतिम माह 31 दिसम्बर, तक उपभोग कर सकते है। उक्त अर्जित किये गये अवकाश को पूर्व में अर्जित कुल 300 दिनों के अवकाश में से घटाया नहीं जाएगा। कलैण्डर वर्ष के 01 जनवरी से 30 जून तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक अनुमन्य 16 दिन एवं 15 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग संबंधित छमाही में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जाएगा अर्थात प्रत्येक छः माह में माहवार अर्जित अवकाश का उपभोग संगत छमाही में ही किया जा सकेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

3. संबंधित अवकाश नियमों मे आवश्यक संशोधन यथा समय पृथक से किया जाएगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संख्या : 737 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. सचिव,राज्य सम्पत्ति विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव ।

संख्या– 64 / XX(5) / 12–49(हो0गा0) / 2005

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 02 मार्च, 2012

विषयः–होमगार्ड्स विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्टॉफ को प्रारम्भिक वर्दी / वर्दी धुलाई भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सी0जी0 / 40 / हो0गा0 / 2004 / 675 दिनांक 21.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वैतनिक अराजपत्रित अधिकारियों को पुलिस संवर्ग के अराजपत्रित अधिकारियों के समान प्रारम्भिक वर्दी भत्ता रू0–500 / –(रूपये पांच सौ मात्र) प्रति पांच वर्ष तथा वर्दी अनुरक्षण भत्ता रू0 20 / –(रूपये बीस मात्र) प्रतिमाह की दर से तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2012–13 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107–होमगार्डस–00–आयोजनेत्तर, 04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) के अन्तर्गत–06 अन्य भत्ते की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– व्यय के निर्धारित अंश की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से नियमित रूप से प्राप्त की जाती रहेगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–01/XXVII(7)/2011-12, दिनांक 27 फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
अपर सचिव।

संख्या– /XX(5)/12–49(हो0गा0)/2005, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

2–उप महानिदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–VI–21021/1/2008–DGCD(HG) दिनांक 02.12.2008 के संदर्भ में।

3–निदेशक, लेखा एवं हकदारी लक्ष्मी रोड़ देहरादून।

4–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

5–महानिदेशक, सर्तकता/अभियोजन/सी0बी0सी0आई0डी0, उत्तराखण्ड देहरादून।

6–महानिदेशक, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड देहरादून।

7–अपर पुलिस महानिदेशक, इण्ट मुख्यालय, देहरादून।

8–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

9–वित्त अधिकारी, 23–लक्ष्मी रोड़ देहरादून।

10–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।

11–मण्डलीय कमाण्डेन्ट, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।

12–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

13–समस्त जिला कमाण्डेन्ट, उत्तराखण्ड।

14–जिला प्रशिक्षण कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

15–वित्त अनुभाग–7/5/1

16–एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर।

17–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)
अनुसचिव।

फैक्स / आवश्यक

93

निदेशालय होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून

दून हिल्स कालोनी, रिंग रोड, देहरादून।

पत्र संख्या : सीजी–40 / होगा / 2004 / 1255 दिनांकः मार्च 03, 2012

1– जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स,देहरादून / हरिद्वार / टिहरी / उत्तरकाशी / चमोली / पौड़ी / रूद्रप्रयाग / अल्मोड़ा / बागेश्वर / चम्पावत / नैनीताल / पिथौरागढ़ / उधमसिंहनगर।

2– कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र,
होमगार्ड्स, श्रीनगर / हल्द्वानी।

3– मण्डलीय कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, श्रीनगर / हल्द्वानी।

कृपया शासनादेश संख्याः 64 / XX(5)/12-49(होगा) / 2005 दिनांकः 02–03–2012 द्वारा होमगार्ड्स विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को प्रारम्भिक वर्दी भत्ता रू0 500 / – प्रति 05 वर्ष तथा वर्दी अनुरक्षण भत्ता रू0 20 / – प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है, जो संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

संलग्न–यथोपरि।

3/3

(बी0एस0 सिद्धू)
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रतिलिपि स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, निदेशालय को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Cama-1706/11
19/8/16

संख्याः– 746 /XX(5)/16–14(हो0गा0)/2016

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 19 अगस्त, 2016

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक–06.12.2015 को की गयी घोषणा संख्या–80/2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, होमगार्ड्स विभाग के चतुर्थ श्रेणी, बी0ओ0 हवलदार प्रशिक्षक, मिनिस्ट्रीयल सवंर्ग तथा चालक एवं वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक, जिला कमाण्डेन्ट, मण्डलीय कमाण्डेन्ट अथवा समकक्ष पदधारकों का पौष्टिक आहार भत्ता निम्नवत् लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–चतुर्थ श्रेणी	–रू0 1350/–प्रतिमाह
2–बी0ओ0/हवलदार प्रशिक्षक/मिनिस्ट्रीयल संवर्ग तथा चालक	–रू0 1500/–प्रतिमाह
3–वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक, जिला कमाण्डेन्ट, मण्डलीय कमाण्डेन्ट अथवा समकक्ष पदधारक	–रू0 1275/–प्रतिमाह

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) के अन्तर्गत–06 अन्य भत्ते की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–99NP/XXVII(5)/2016, दिनांक–19.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

HGS Sec.

भवदीय,

(विनोद शर्मा) 19.8.2016
सचिव।

क्रमशः–2

संख्याः–747/XX(5)/16–16(हो0गा0)/2016

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 19 अगस्त, 2016

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक–06.12.2015 को की गयी घोषणा संख्या–81/2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्ता एवं अनुरक्षण भत्ता निम्नवत् पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	राजपत्रित अधिकारी		अराजपत्रित अधिकारी	
	वदी भत्ता प्रति 03 वर्ष	अनुरक्षण भत्ता प्रति माह	वर्दी भत्ता प्रति 03 वर्ष	अनुरक्षण भत्ता प्रतिमाह
1	3750/–रू0	120/–रू0	3000/–रू0	150/–रू0

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) के अन्तर्गत–06 अन्य भत्ते की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–93NP/XXVII(5)/2016, दिनांक–19.08..2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
19.8.2016
(विनोद शर्मा)
सचिव।

H.G. Sec

क्रमशः-

CGHG- 399/15
14/5/015

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या: 153/XXX(2)/2015–3(2)2010
देहरादून: दिनांक 9 अप्रैल, 2015

अधिसूचना संख्या– 153/XXX(2)/2015–3(2)2010, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
10. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
11. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नक:–यथोक्त।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

HA

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–153/XXX(2)/2015–3(2)2010
देहरादून: 9 अप्रैल, 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओ के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओ के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3(ङ) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदो पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 के नियम 3(ङ) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(ङ) "अधीनस्थ पदों" से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।	3(ङ) "अधीनस्थ पदों" से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

नियम 4 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा–

Ministerial Promotion Rul Amendment 2014.doc

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारणः–	4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारणः–
	4(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4(1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	4(2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4(2) प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	4(3) प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4(3) मुख्य सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनरथ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	4(4) प्रधान सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनरथ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4(4) प्रवर सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त	4(5) वरिष्ठ सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त

ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

नियम 5 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. पदनाम परिवर्तन– नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ–जहाँ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/ प्रधान लिपिक/ मुख्य लिपिक–1/प्रशासनिक अधिकारी एव वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ–वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।	5. पदनाम परिवर्तन– नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ–जहाँ पदनाम कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ–वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

(पी0एस0 जंगपांगी),
सचिव।

Ministerial Promotion Rule Amendment-2011.doc

प्रेषक, संख्या 471/XX(5)/07–हो0गा0/2008

जे0पी0 जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5

देहरादून : दिनांक 24 सितम्बर, 2008

विषय होमगार्ड्स स्वंयसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की अधिवर्षता आयु का परिसीमन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–14/छःना0सु0–07–273हो0गा0/91, दिनांक 01.01.2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की अधिवर्षता आयु के संबंध में पूर्व निर्गत सभी आदेशों को तात्कालिक प्रभाव से अतिकमित करते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार ड्यूटी पर लगाने की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय से किसी प्रकार की नियमित सेवा की वचनबद्वता नहीं होगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 471/XX(5)/07–हो0गा0/2008, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मडलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
5– गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

CGHG-478
27/12/2

संख्याः–1173 /XX(5)/19–11(रिट)/2018 (96)

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5

देहरादून : दिनांक 24 दिसम्बर, 2019

विषयः–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक–30.07.2019 के अनुपालन में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय/ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–31956, 31955, 31954 तथा 31953/2018 में पारित आदेश दिनांक–30.07.2019 के अनुक्रम में दिनांक–25.04.2017 से होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिकों के न्यूनतन वेतन रू0 18,000/– को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन रू0 600/– अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को दिनांक–25.04.2017 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक के ड्यूटी भत्ते के एरियर का भुगतान आगामी दो वर्षों में चार किश्तों में किया जायेगा।

3– उक्त का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–259/XXVII(6)/2011, दिनांक–05.07.2011 का अनुपालन भी सुनिश्चित् किया जायेगा।

4– होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना पृथक से तैयार की जायेगी।

5– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के 02–मजदूरी मद के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–744/XXVII(7)/2019, दिनांक–23.12.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

ACDYCG(Admin)
26/12

कमशः–

C.G. Rawat—letter—2019—doc

HG SCC-2

HLDYCG(Admin)

CS Scanned with CamScanner

संख्याः-1173 /XX(5)/19-11(रिट)/2018, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

ननूर खेड़ा, तपोवन रोड़, रायपुर, देहरादून-फोन नं0-0135-2784473

पत्र संख्या : सीजी-8/हो.गा./2014/4805 दिनांकः दिसम्बर 27, 2019

1- प्रभारी कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, थानों देहरादून।

2- मण्डलीय कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी।

3- जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी/उत्तरकाशी/चमोली/पौड़ी/रूद्रप्रयाग/अल्मोड़ा/बागेश्वर/चम्पावत/नैनीताल/पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।

4- कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र,
होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी।

शासनादेश संख्याः 1173/XX(5)/19-11(रिट)/2018 दिनांकः 24-12-2019 द्वारा होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का ड्यूटी भत्ता रू0 450/- प्रतिदिन प्रति होमगार्ड से बढ़ाकर रू0 600/- प्रतिदिन प्रति होमगार्ड किया गया है, जो दिनांकः 25-12-2019 से देय होगा। उक्त के कम में सार्वजनिक संस्थानों, निगमों, उपक्रमों पर तैनात होमगार्ड्स हेतु दिनांकः 25-12-2019 से ड्यूटी भत्ता रू0 600/- में रू0 15/- बढ़ाकर रू0 615/- प्रतिदिन प्रति होमगार्ड की दर से देय होगा।

अतः उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

27/12

(पुष्पक ज्योति)
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तराखण्ड, देहरादून।

112

C:\A_Current\All District New 2019

Rawat——letter—2019——doc

Scanned with CamScanner

संख्या:– 199 /XX-2/2022-02(16)/2021

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्डस उत्तराखण्ड,
देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2022

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06.12.2021 को जनपद देहरादून में की गयी घोषणा संख्या 1706/2021 "कोविड ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को रू0 6000/– (रूपये छह हजार मात्र) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सीजी–206/हो.गा./2015/1425, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 को जनपद देहरादून में की गयी घोषणा संख्या 1706/2021 "कोविड ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को रू0 6000/– (रूपये छह हजार मात्र) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी" के क्रियान्वयन हेतु राज्य में कोविड डूयटी करने वाले कुल 5518 होमगार्डस को रू0 6000/–' प्रति होमागार्डस की दर से प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में होमगार्डस विभाग के अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107–होमगार्डस–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद–02 मजदूरी में अवशेष रही धनराशि के सापेक्ष कुल आगणित धनराशि रू० 33108000/– (रूपये तीन करोड़ इकत्तीस लाख आठ हजार मात्र) वहन किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–423/9(150)2019/XXVII(1)/2021, दिनांक 31.03.2021 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत मानक मद में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने वाले पूर्व शासनादेशों में प्रदत्त/वर्णित दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 पत्र संख्या–503/XXVII(5)/ 2021, दिनांक 16 मार्च, 2022 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– ( ) /XX-2/2022-02(16)/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–5), उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
उप सचिव।

संख्या–1033 /XX–2/2022–5(5)/2022

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 10 जून, 2022

विषय– होमगार्ड स्वयंसेवकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–31954, 31955, 31956 में मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1173/XX(5)/19–11(रिट)/2018, दिनांक 24.12.2019 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर रू0 600/– (रू0 छः सौ मात्र) प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का पूर्णत अनुपालन न किये जाने के सम्बंध में मा0 उच्चतम न्ययालय, नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या 125/2022 विरेन्द्र सिंह रावत बनाम श्री सुखबीर संधू व अन्य में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त् मा0 उच्चतम् न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालनार्थ होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को दिनांक 25.04.2017 से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को शासनादेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा अनुमन्य ड्यूटी भत्ता रू0 600/– (रू0 छः सौ मात्र) के साथ दिनांक 25.04.2017 से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने एवं दिनांक 25.04.2017 से वर्तमान तक समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते के अनुसार एरियर का भुगतान करते हुए भविष्य में राज्य सरकार द्वारा डी0ए0 में अग्रेत्तर वृद्धि के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के डी0ए0 में भी वृद्धि किये जाने की निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के समादर में राज्य के राजकीय कार्मिक को समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन की गणना करते हुए तद्नुसार मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

2–यातयात/यात्रा सीजन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की मांग पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की जो ड्यूटी लगाई जाय, वह अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की संस्तुति पर लगाई जायेगी।

3–नये होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग के उपरान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल पर ड्यूटी देने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी। कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने स्तर से होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी आवंटित की जायेगी।

4–सार्वजनिक/राजकीय अवकाश के दिनों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी नहीं लगायी जायेगी। मात्र कानून व्यवस्था/दैवीय आपदा/यात्रा सीजन एवं सुरक्षा

सम्बन्धी कार्यो हेतु जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर ही ड्यूटी लगायी जायेगी।

5–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की यह वैयक्तिक जिम्मेदारी होगी कि वे होमगार्ड्स स्वयंसेवक द्वारा सम्पादित वास्तविक ड्यूटी अवधि का ही सत्यापन/भुगतान करेंगे।

6–कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभागीय बजटीय सीमा के अन्तर्गत ही होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर रखा जाय। ड्यूटी वेतन के सम्बन्ध में किसी भी वित्तीय वर्ष की देयताएं आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

7–होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को होमगार्ड्स अधिनियम में वर्णित कार्य/आपातकालीन ड्यूटी/कानून व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/यातायात/दैवीय आपदा से इतर ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा। उक्त कार्यो से इतर कार्यो में सम्बद्ध होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को हटाया जायेगा। नियमों से इतर ड्यूटी दिये जाने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 02–मजदूरी के नाम डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या–I/41973/2022, दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या– /XX–2/2022–5(5)/2022, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, उत्तराखण्ड।
7– बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधान निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
8– साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संख्या– 1102 /XX–2/2022–5(5)/2022

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 28 जून, 2022

विषय– होमगार्ड स्वयंसेवकों को धुलाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–31954, 31955, 31956 में मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1173/XX(5)/19–11(रिट)/2018, दिनांक 24.12.2019 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर रू0 600/– (रू0 छः सौ मात्र) प्रतिदिन मात्र ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किये जाने के अनुक्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या 125/2022 विरेन्द्र सिंह रावत बनाम डा0 सुखबीर सिंह संधू व अन्य में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त् मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को दिनांक 25.04.2017 से धुलाई भत्ता भी अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2017 के अनुक्रम में दिनांक 25 अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2019 तक वर्दी धुलाई भत्ता रू0 150/– एवं दिनांक 08 नवम्बर, 2019 से पुनरीक्षित धुलाई भत्ता रू0 200/– प्रतिमाह ड्यूटी दिवस के अनुपात में अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 02–मजदूरी के नाम डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या–I/45822/2022 2022, दिनांक 27 जून, 2022 में प्रदत्त सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– /XX–2/2022–5(5)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, उत्तराखण्ड।
7– बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधान निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
8– साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव

संख्याः102806/XX(2)/23-02(05)/2023

प्रेषक,

रिधिम अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक फरवरी, 2023

विषयः–होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अवैतनिक अधिकारियों (प्लाटून कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं कम्पनी कमाण्डर) प्रतिमाह देय मानदेय के पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–04/2023 **"अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का मानदेय रू0 1,000/– से रू0 1,500/– प्रतिमाह, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर कमाण्डर का मानदेय रू0 1,200/– से रू0 1,700/– प्रतिमाह एवं अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रू0 1,500/– से रू0 2,000/– प्रतिमाह किया जायेगा"** के सम्बंध में होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्या–सीजी–206/हो0गा0/2015/5632 दिनांक–26.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त् मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा के कियान्वयन हेतु होमगार्ड्स विभाग के अवैतनिक अधिकारियों का प्रतिमाह मानदेय निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क0सं0	पदनाम	पुनरीक्षित मानदेय (रू0 में)
1.	अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	1,500/–
2.	अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर	1,700/–
3.	अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	2,000/–

2– इस सम्बंध में होने वाला आय–व्ययक के अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3– उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक–01.03.2023 से प्रभावी होंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के उपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Ridhim Aggarwal
Date: 27-02-2023 15:36:09

भवदीया,

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 27/02/2023 04:18 PM

I/189503/2024

संख्याः 189503 / XX(2) / 24–02(06) / 2023

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 15 फरवरी, 2024

विषयः– होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को भोजन भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–02 / 2023 का कियान्वयन किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को वर्तमान में भोजन भत्ता स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–88984 / XX–2 / 2 / 4 / 2022–2(हो0गा0) / 2012, दिनांक–06.01.2023 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–36 / XX–2 / 2023–2(हो0गा0) / 2012, दिनांक–18..01.2023 को अधिकमित करते हुये भविष्य में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को उत्तराखण्ड राज्य में अर्न्तजनपदीय, राज्य की सीमा के अन्तर्गत निर्वाचन, विभिन्न मेलों एवं रैतिक परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को भोजन भत्ता रू0 100/– प्रतिदिन प्रति होमगार्ड्स की दर से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) उक्त भत्ता प्रदान किये जाने की स्थिति में अन्य किसी प्रकार का भत्ता राज्य सरकार से प्राप्त नही होगा।

(2) अन्य स्रोत से किसी प्रकार का भत्ता/प्रोत्साहन राशि भोजन भत्ता उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त होने पर यह भत्ता प्रदान नही किया जायेगा।

2– उक्तानुसार होने वाला व्यय अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 02–मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुकम में निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

Signed by Atar Singh
Date: 15-02-2024 12:33:20

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

1

/236530/2024

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग—2
संख्या 236530/XX(2)24—13(हो0गा0)/2002
देहरादून: दिनांकः 04 सितम्बर 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, "उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात् :—

उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ	1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2024 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 3 का संशोधन	2. उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली—2002 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये नियम 3 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
3 (क) होमगार्डस संगठन के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से किया गया दान।	3 (क) कोष को चलाये रखने हेतु होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के वेतन/मानदेय से रू0 30/— एवं अराजपत्रित कर्मचारियों एवं होमगार्ड्स स्वयंसेवकों से प्रति माह रू0 10/— की कटौती की जायेगी।

नियम 4 का संशोधन	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये नियम, 4 के विद्यमान खण्ड (क) 3 तथा खण्ड (ग) 1, (ग) 2, (ग) 3 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 (विद्यमान खण्ड)		स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)	
4(क) कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना :—		4(क) होमगार्ड्स संगठन के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना :—	
4(क)3 सामान्य ड्यूटी के समय ड्यूटी स्थल पर आने जाने के 24 घंटे के अन्तर्गत मृत्यु होने पर (दुघटना बीमा से आच्छादित न हो)	रू0 200000/—	4(क—3) सामान्य ड्यूटी/प्रशिक्षण के समय ड्यूटी स्थल पर आने जाने के 24 घंटे के अन्तर्गत मृत्यु/दुर्घटना से मृत्यु होने पर एवं ड्यूटी/प्रशिक्षण से सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने पर ईलाज के दौरान मृत्यु/दुर्घटना से मृत्यु होने पर।	रू0 200000/—
4(ग)1 हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से योग्यता के आधार पर 05 छात्रों का चयन कर रू0 250/— प्रति छात्र प्रति माह की दर से वर्ष में एक बार एक—मुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी।	रू0 3000/— प्रति वर्ष	4(ग—1) हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से योग्यता के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में से 30 छात्रों का चयन कर एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी:— प्रतिशत: 80% से अधिक; धनराशि: रू0 3,000/— प्रति छात्र प्रति वर्ष	

1

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 03/09/2024 05:13 PM

'237498/2024

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–2
संख्या237498/XX-(2)24–13(हो0गा0)/2002
देहरादून: दिनांक: 05 सितम्बर,2024

अधिसूचना संख्याः 236530/ XX-(2)24–13(हो0गा0)/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली ,2024" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4. कमाण्डेंट जनरल,होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
7. समस्त मण्डलीय कमाण्डेंट होमगार्ड्स एवं जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, रूड़की हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां गृह अनुभाग–02 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से

Signed by Chandra Bahadur
Date: 04-09-2024 18:27:20

(चन्द्र बहादुर)
उप सचिव

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 05/09/2024 02:03 PM

'236530/2024

प्रतिशत	धनराशि
70% से अधिक तथा 80% तक	रू0 2,500/– प्रति छात्र प्रति वर्ष
60% से अधिक तथा 70% तक	रू0 2,000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष

4(ग)2 ऐसे छात्र जो इन्टरमिडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक कक्षा अध्ययन करेगें, उनमें से योग्यता के आधार पर 05 छात्रों का चयन कर रू0 1000/– प्रति छात्र प्रति माह की दर से वर्ष में एक बार एक–मुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी। — रू0 5000/– प्रति वर्ष

4(ग–2) ऐसे छात्र जो इन्टरमिडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक कक्षा में अध्ययन करेगें, उनमें से योग्यता के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में से 30 छात्रों का चयन कर एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी:–

प्रतिशत	धनराशि
80% से अधिक	रू0 12,000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष
70% से अधिक तथा 80% तक	रू0 10,000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष
60% से अधिक तथा 70% तक	रू0 8,000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष

4(ग)3 ऐसे छात्र जो एमबीबीएस या इन्जीनियरिंग कॉलेज जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी सम्मीलित होगा, अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यकम में प्रवेश लेंगे को रू0 2000/– प्रति माह की दर से वर्ष में एक बार एक मुश्त छात्रवृत्ति देना। छात्रवृत्ति आगे तभी दी जायेगी जब छात्र प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहें अन्यथा अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति वर्ष में दो बार देय होगी। प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या का चयन कोष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर होगा। — रू0 10000/– प्रति वर्ष

4(ग–3) ऐसे 20 छात्र जो एमबीबीएस या इन्जीनियरिंग कॉलेज जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी सम्मिलित होगा, अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यकम में प्रवेश लेंगे को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी।

प्रतिशत	धनराशि
80% से अधिक	रू0 24,000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष
70% से अधिक तथा 80% तक	रू0 22,000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष
60% से अधिक तथा 70% तक	रू0 20,000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष

छात्रवृत्ति आगे तभी दी जायेगी जब छात्र प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहे अन्यथा छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या का चयन कल्याण कोष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर होगा:–

नियम 5 का संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम, 5 के विद्यमान खण्ड 'ख' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
5(ख) राज्य सरकार द्वारा कोष हेतु एक मुश्त प्राविधानित धनराशि दस लाख रू0 (रू0 1000000/–) मात्र को राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि योजना अथवा सरकारी प्रतिभूतियों अथवा डाकघर की जो सबसे लाभकारी योजना हो, में प्रबन्ध समिति द्वारा निवेश किया जायेगा तथा उक्त निवेश से होने वाली आय से व्यय करते हुए मूलधन को सुरक्षित रखा जायेगा। प्रबन्ध समिति नियमावली में निर्धारित	5(ख) प्रबन्ध समिति राज्य सरकार द्वारा कोष हेतु प्रदान की गयी धनराशि एक करोड़ रू0 (रू0 10000000/–) मात्र को राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि योजना अथवा सरकारी प्रतिभूतियों अथवा डाकघर की जो सबसे लाभकारी योजना हो, में निवेश करेगी। उक्त निवेश से होने वाली आय से लाभार्थियों के छात्रवृत्ति के प्रकरण निस्तारित करते हुए न्यूनतम मूलधन एक करोड़ रू0 (रू0 10000000/–) मात्र को सुरक्षित रखा जायेगा। कोष की निरन्तरता बनाये रखने हेतु राज्य सरकार प्रति वर्ष

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 03/09/2024 05:13 PM

/236530/2024

सीमा के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगी। परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में सीमा से अधिक सहायता भी स्वीकृत की जा सकेगी। अन्य मामले जहाँ नियम नहीं बने हैं का निस्तारण प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

एकमुश्त धनराशि अनुदान देती रहेगी, इस अनुदान से मृतक, सेवापृथक, बीमार तथा घायल लाभार्थियों के प्रकरण निस्तारित किये जायेंगे। प्रबन्ध समिति निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगी :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में सीमा से अधिक आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की जा सकेगी। अन्य मामले जहाँ नियम नहीं बने हैं का निस्तारण प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 02-09-2024 09:51:08

(शैलेश बगौली)
सचिव, गृह

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 03/09/2024 05:13 PM

NO -236530/XX-2/2024 - 13(HG)/2002
DATED - 04 SEP /2024

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.--------------/--------- Dated for General information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
HOME SECTION - 2

NOTIFICATION

The Governor, with a view to further amend the "Uttarakhand Homeguards Benevolent Fund Rules, 2002" makes the following rules, namely. :-

THE UTTARAKHAND HOMEGUARDS BENEVOLENT FUND (AMENDMENT) RULES, 2024

Short title and commencement	1- (1) These rules may be called the Uttarakhand Homeguards Benevolent Fund (Amendment) Rules, 2024. (2) They shall come into force at once.
Amendment of rule 3	2- In the Uttarakhand Benevolent Fund Rules, 2002 (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing clause (a) of rule 3 set out in column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted namely :-

Column-1 Existing Clause		Column-2 Clause as hereby substituted	
3(a)	Voluntary Donation by members of the Home Guards Organization.	3(a)	A sum of Rs 30/- per month will be deducted from salary/honorarium of the gazetted Officers and Rs. 10 from non-gazetted employees and Home Guards Volunteers of the Home Guards Department for the maintenance of the fund .

Amendment of rule 4	In the principal rules, for the existing clause (a)3 and (c)1, (c)2 & (c)3 of rule 4 set out in column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted namely :-

Column-1 Existing Clause			Column-2 Clause as hereby substituted		
4(a) to provide financial assistance for following objectives to the members of the fund			4(a) to provide financial assistance for following objectives to the members of the fund		
4(a)3	Death during normal duty with in the 24 hours from his duty point (which is not covered under accidental insurance)	Rs. 200000/-	4(a-3)	Death/Accidental death within 24 hours of arrival & departure to the duty place during general duty/training and in case of death/accidental death during treatment while being admitted to hospital directly from Duty/training.	Rs. 200000/-
4(c)1	High school first grade passed student shall be given stipend of rupees per year	Rs. 3000/-	4(c-1)	Among the students who passed the high school examination in first division, 30 students will be selected from the following	

1

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 03/09/2024 05:06 PM

'236529/2024

	Existing			Substituted
	250/- per student per month by selecting 05 students on the basis of merit. This lump sum stipend given one time in a year.			categories on the basis of merit and will be given one time lump sum scholarship :- **Percentage** — **Amount** above 80 % — Rs. 3,000/- per student per year above 70 % upto 80% — Rs. 2,500/- per student per year above 60 % upto 70% — Rs. 2,000/- per student per year
4(c)2	Among such students who passed intermediate examination in first grade and will go for graduation will be provided a stipend of Rs. 1000/- per student per year to 05 students on the basis of merit. This lump sum stipend will be given one time in a year.	Rs. 5000/- per year.	4(c-2)	Among such students who passed intermediate examination in first division and study in graduation classes shall be given scholarship by selecting 30 students from the following categories on the basis of merit, and will be given one time lump sum scholarship :- **Percentage** — **Amount** above 80 % — Rs. 12,000/- per student per year above 70 % upto 80% — Rs. 10,000/- per student per year above 60 % upto 70% — Rs. 8,000/- per student per year
4(c)3	Such students who shall take admission in MBBS or engineering college in which a diploma course will be included or other equivalent technical or professional courses will be given a stipend Rs. 2000/- per month. This lump sum stipend is given once in year. This stipend will be given next year only when he passes the exam of the academic year otherwise stipend will be stopped. The selection of the students will be done on the basis of the availability of funds of the benevolent fund.	Rs. 10000/- per year.	4(c-3)	20 such students who take admission in MBBS or engineering college, including a diploma course or other equivalent technical or professional courses/will be given scholarship in the following categories :- **Percentage** — **Amount** above 80 % — Rs. 24,000/- per student per year above 70 % upto 80% — Rs. 22,000/- per student per year above 60 % upto 70% — Rs. 20,000/- per student per year This scholarship shall be given further only when student passes the exam every year, otherwise scholarship shall be cancelled. The selection of the students shall be done on the basis of the availability of funds in the benevolent fund.

Amendment of rule 5

In the principal rules, for the existing clause (b) of rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely :-

	Column-1 Existing Clause		Column-2 Clause as hereby substituted
5(b)	The management committee shall invest Rupees Ten lacs (Rs. 1000000/-) provisioned amount by the State	5(b)	The management committee shall invest rupees one crore (Rs. 10000000/-), the amount provided by the State Government in the fixed deposits of nationalised bank or in Government

236529/2024

Government in fixed diposit of nationalised bank or in Government Securities or in most beneficial plans of post office. The principal amount shall be kept safe after spending the income raised from such investment. The management committee shall determine the amount of financial assistance according to the Rules with in the fixed limit. But the State Government can permit and raise the limit of the financial assistance in special circumstances. In other cases where the rules have not been made, the settlement shall be done by the management committee.

securities or in most beneficial plans of the post office. The minimum provisioned amount i.e. Rs. one crore (10000000/-) only, shall be kept safe after spending raised income from such investment towards the beneficiaries of the scholarship. For the continuity of the fund, the State Government shall provide every year a lump sum amount as Grant in Aid. Such Grant in Aid shall be used for the death, removed from service, sick and injured beneficiaries of the fund. The management committee shall determine the amount of financial assistance within the fixed limit:

Provided that, in special circumstance the financial assistance beyond the limit may also be sanctioned by the State Government. other cases where rules have not been framed, shall be settled/disposed by the management committee.

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 02-09-2024 09:50:38

(Shailesh Bagauli)
Secretary Home

संख्या–238868/XX–2/2024–20(ना0सु0)/2010

प्रेषक,

रिधिम अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 10 सितम्बर, 2024

विषय– होमागार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु सृजित पदों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–03/xx(5)/17–20 (ना0सु0)/2010, दिनांक 03 जनवरी, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन सम्बंधी शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 में सृजित कतिपय पदों का वेतनमान, विभागीय ढॉचे में सम्मिलित समकक्ष पदों से उच्चीकृत होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पदों के सृजन सम्बंधी शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 को अतिक्रमित करते हुए, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के ढॉचें में पूर्व में अधिसूचना सं0–459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांक 05 मार्च, 2004 एवं शासनादेश सं0–666/XX(5)/15–06(हो0गा0)/2003, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा सृजित पदों के अतिरिक्त, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु निम्न विवरणानुसार पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.स.	पदनाम	सृजित पदों की संख्या		वेतनमान	अभ्युक्ति
		हो0गा0	ना0सु0		
1.	कमाण्डेण्ट	01	–	(रू0 37400–67000 ग्रेड पे–8700)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
2	डिप्टी कमाण्डेण्ट, नागरिक सुरक्षा	–	01	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–6600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 04:45 PM

'238868/2024

3.	सहायक सभादेष्टा (मिनिस्ट्रीयल)	01		(रू0 15600—39100 ग्रेड पे—5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
4.	चिकित्सा अधिकारी	01		—(रू0 15600—39100 ग्रेड पे—5400)	सेवा स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति
5.	फार्मासिस्ट	01		(रू0—9300—34800 ग्रेड पे—4600)	सेवा स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति
6.	प्रशासनिक निरीक्षक	01		(रू0—9300—34800 ग्रेड पे—4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
7.	वैतनिक निरीक्षक / कम्पनी कमाण्डर	02		(रू0—9300—34800 ग्रेड पे—4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
8.	क्वार्टर मास्टर	01		(रू0—9300—34800 ग्रेड पे—4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
9.	हवलदार प्रशिक्षक	03		(रू0—5200—20200 ग्रेड पे—2000)	सीधी भर्ती
10.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01		(रू0—15600—39100 ग्रेड पे—5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
11.	मुख्य सहायक	01		(रू0—9300—34800 ग्रेड पे—4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
12.	वरिष्ठ सहायक	01		(रू0—5200—20200 ग्रेड पे—2800)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
13.	कनिष्ठ सहायक / स्टोर कीपर	02	01	(रू0—5200—20200 ग्रेड पे—2000)	सीधी भर्ती
14.	वैयक्तिक सहायक	01		(रू0—5200—20200 ग्रेड पे—2800)	सीधी भर्ती
15.	आरमोरर / वायरलेस आपरेटर	01	01	(रू0—5200—20200 ग्रेड पे—2000)	सीधी भर्ती
16.	ड्राईवर (हल्की गाड़ी व भारी गाड़ी)	02	02	(रू0—5200—20200 ग्रेड पे—2000)	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती
17.	माली, धोबी, नाई, कारपेन्टर, जमादार, वाटर मैन, कुक—2	02	02	—	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 04:45 PM

'238868/2024

3— संस्थान में अग्निशमन से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु केवल प्रशिक्षण अवधि के लिए अग्निशमन अधिकारी के कार्य सक्षम स्तर से कराये जाने सुनिश्चित किये जायेंगे।

4— वर्णित पदों पर यथा विहित नियमावली के अनुरूप नियुक्ति की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या—06 व 07 के सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

Signed by Ridhim Aggarwal
Date: 10-09-2024 14:22:35

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव

पृ0सं0 238868/XX—2/2024—20(ना0सु0)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग—5।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Chandra Bahadur
Date: 10-09-2024 14:36:38
(चन्द्र बहादुर)
उप सचिव

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 04:45 PM

'238851/2024

संख्याः238851 /XX(2)/24-02(13)/2023-E-66978

प्रेषक,

रिधिम अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक : 10 सितम्बर, 2024

विषयः- 'होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को वर्षभर में 12 आकस्मिक अवकाश (भुगतान सहित) प्रदान किया जाना।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-631/2023 **"होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को वर्षभर में 12 आकस्मिक अवकाश दिए जाएगें"** के कियान्वयन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को वर्ष भर में 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए अवकाश स्वीकृति हेतु निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) निर्धारित की जाती है:-

1. उक्त आकस्मिक अवकाश होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को "सशुल्क विश्राम अवकाश (Paid Rest)" के रूप में देय होगा।
2. किसी माह में न्यूनतम 20 दिवस की ड्यूटी उपस्थिति पर विभाग/जिले के Immediate Officer, प्लाटून कमाण्डर/कम्पनी कमाण्डर द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवक को 01 आकस्मिक अवकाश उस माह में स्वीकृत किया जा सकेगा।
3. किसी माह में आकस्मिक अवकाश को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।
4. होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 12 आकस्मिक अवकाश दिये जायेंगे।
5. किसी होमगार्ड्स स्वयंसेवक के ड्यूटी/परेड से प्रतिबन्धित होने के दौरान आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. आकस्मिक अवकाश का अंकन सम्बन्धित होमगार्ड्स की व्यक्तिगत पत्रावली में चस्पा किया जायेगा।
7. किसी कंपनी/प्लाटून में एक साथ अधिकतम 10 जवानों को ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 05:12 PM

'238851/2024

8. होमगार्ड्स स्वयंसेवक के अवकाश स्वीकृति हेतु अनुरोध पत्र के आधार पर अनुमन्य किया जायेगा।
9. महत्वपूर्ण अवसरों जैसे–चुनाव, कुम्भ मेला, रैतिक परेड आदि पर अपरिहार्य परिस्थितियों में ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जायेगें।
10. आकस्मिकता की स्थिति अथवा विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किये जा सकेंगें।
11. आकस्मिक अवकाश को चिकित्सीय अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकेगा। आकस्मिक अवकाश के ठीक उपरान्त यदि चिकित्सीय अवकाश लिया जाता है तो उसे ड्यूटी से अनुपस्थित मानते हुये चिकित्सीय अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा।
12. होमगार्ड्स स्वयंसेवक के किसी माह अनुपस्थित/ड्यूटी ब्रेक होने पर आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
13. होमगार्ड्स स्वयंसेवक को आकस्मिक अवकाश के दिन के दैनिक वेतन/भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Signed by Ridhim Aggarwal
Date: 10-09-2024 13:57:02

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या:238851/XX(2)/24–02(13)/2023– E–66978, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–5 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
5. उप सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उनके सन्दर्भ संख्या–869(1)/XXXV-4 घो0/2023, दिनांक–22.12.2023 के क्रम में।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Monika Garbyal
Date: 10-09-2024 15:46:54
(मोनिका गर्ब्याल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 05:12 PM

संख्याः– 293137 / XX(2)/25–2(14)/2023–67444

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–2 	देहरादूनः दिनांकः 29 अप्रैल, 2025

विषय– 9000 फिट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को रू0 200/– प्रतिदिन प्रति जवान अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 9000 फिट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी अवधि में दिये जा रहे प्रति दिवस मानदेय के अतिरिक्त रू0 200/– प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–06–लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान–02–मजदूरी की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश 01 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के कम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 28-04-2025
18:03:53

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः– /XX(2)25–02(14)/2023–67444, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
3— समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
4— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
7— गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Chandra Bahadur
Date: 29-04-2025
10:24:43

आज्ञा से,

(चन्द्र बहादुर)
उप सचिव।

संख्या–1/297414/ XXVII-7/ E-65846/2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–7 **देहरादून : दिनांक 14 मई, 2025**

विषय–सरकारी सेवकों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों / बिन्दुओं में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सुविधा को पुनःस्थापित किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–1115 / वि0अनु0–03 / 2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003, सपठित शासनादेश संख्या–330 / xxvii / (3)अ.या.सु. / 2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 एवं इसी कम में शासनादेश संख्या–67/xxvii(7)5(1)/2011 दिनांक 08 जून, 2011 द्वारा कतिपय प्रावधानों के संबंध में निर्गत स्पष्टीकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– बदलते परिदृश्य में सरकारी सेवकों की जरूरतों के अनुसार उन्हें बेहतर अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के उददेश्य से सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में शासनादेश संख्या–330 / xxvii / (3)अ.या.सु. / 2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 एवं शासनादेश संख्या–67/xxvii(7)5(1)/2011 दिनांक 08 जून, 2011 को अधिकमित करते हुए शासनादेश संख्या–1115 / वि0अनु0–03 / 2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 एवं शासनादेश संख्या–330 / xxvii / (3)अ.या.सु. / 2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा हेतु निर्धारित व्यवस्था के बिन्दु संख्या–9, 10, 11 एवं 12 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(I) **बिन्दु संख्या– 9 अवकाश की प्रकृति–** इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 05 दिन अथवा वास्तविक यात्रा अवधि, जो अधिक हो, का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा।

(II) **बिन्दु संख्या– 10 सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए अधिकृत श्रेणी–** सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्य सरकारी सेवक के 'धारित पद' के वेतन स्तर के सापेक्ष निम्नलिखित तालिकानुसार वायुयान / रेल यात्रा के लिए अधिकृत होंगे:–

क.सं.	वेतन स्तर	अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1.	लेवल–14 एवं उससे उच्च	बिजनेस क्लास / ए0सी0 प्रथम श्रेणी रेल यात्रा एवं एक्जीक्यूटिव क्लास कुर्सीयान
2.	लेवल–10 से लेवल–13 (क) तक	इकोनॉमी श्रेणी वायुयान यात्रा / वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल यात्रा / एक्जीक्यूटिव क्लॉस कुर्सीयान
3.	लेवल–6 से 9 तक	वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा / वातानुकूलित कुर्सीयान
4.	लेवल–1 से 5 तक	वातानुकूलित तृतीय श्रेणी रेल यात्रा / वातानुकूलित कुर्सीयान

सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल यात्रा की सुविधा डायनमिक –फ्लैक्सी फेयर के साथ भी अनुमन्य होगी। रेल की यात्रा भारत में चलने वाली समस्त प्रकार की ट्रेनों के लिए अनुमन्य होगी, सिवाय भारत में चलने वाली विशेष पर्यटक ट्रेनों यथा 'पैलेस ऑन व्हील्स', गोल्डन चैरियट आदि को छोड़कर। साथ ही धार्मिक यात्राओं के लिए प्रायोजित ट्रेनों के लिए भी रेल यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

वायुयान यात्रा के लिए न्यूनतम 15 दिन पूर्व टिकट लेना अनिवार्य होगा। यह अवधि 15 दिन से कम होने पर सरकारी सेवक को अनुमन्य रेल यात्रा की श्रेणी के अनुसार ही यात्रा भत्ता दावों में देय होगा। बिजनेस क्लास में वायुयान यात्रा किये जाने की स्थिति में देय वायुयान यात्रा भत्ता उस दूरी के लिए समान्य श्रेणी की ट्रेनों के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा के किराये से 06 गुना से अधिक नहीं होगा वहीं इकोनॉमी श्रेणी में वायुयान यात्रा किये जाने की स्थिति में देय वायुयान यात्रा भत्ता उस दूरी के लिए समान्य श्रेणी की ट्रेनों के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा के किराये से 03 गुना से अधिक नहीं होगा।

(III) **बिन्दु संख्या– 11 वायु मार्ग/रेल मार्ग के अतिरिक्त यात्रा–** ऐसे स्थान जो वायुमार्ग/रेल से न जुड़े हों, वहाँ राजकीय सेवक सड़क मार्ग/जलयान/नौका वाहन से यात्रा कर सकते हैं।

सड़क मार्ग से यात्रा करने पर कर्मचारी को अधिकतम ए0सी0/वोल्बो बस से यात्रा की अनुमन्यता होगी। सड़क मार्ग से यात्रा ऐसे स्थानों के लिए जो रेल मार्ग से न जुड़े हों अथवा केवल निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक। तत्पश्चात रेल मार्ग से गन्तव्य स्थान (यदि गतन्वय स्थान रेल मार्ग से न जुड़ा हो) के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक, संबंधित राज्य के परिवहन निगम या विभाग/प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियमित बस सेवा, जो निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर संचालित होती हो, से अनुमन्य होगी।

जलमार्ग से यात्रा किए जाने पर उक्त बिन्दु संख्या–10 की तालिकानुसार अनुमन्य रेल की श्रेणी के समतुल्य श्रेणी के अनुसार यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। यदि जलयान में मात्र दो श्रेणियां हैं तो लेवल–1 से 9 तक लोअर क्लास की अनुमन्यता होगी। इस हेतु कार्मिक द्वारा संबंधित क्षेत्र की सरकार/संस्था द्वारा निर्धारित जलयान की श्रेणी का विवरण उपलब्ध कराया जाना होगा।

वायुमार्ग/रेलमार्ग से भिन्न माध्यम से यात्रा करने की स्थिति में सम्बन्धित सरकारी सेवक के द्वारा लिखित रूप में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वहाँ वायुयान /रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है और अमुक सुविधा ही उपलब्ध थी।

(IV) **बिन्दु संख्या– 12 उच्चतर/निम्नतर श्रेणी में यात्रा–** यदि यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की जाती है तो उस स्थिति में सरकारी सेवक को अनुमन्य/अधिकृत श्रेणी का किराया/यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति देय होगी।

3– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1115/वि0अनु0–03/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर–7 के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सरकारी सेवक भारत वर्ष में यात्रा अवकाश सुविधा लेता है तब उसे यात्रा के स्थान से गन्तव्य स्थान तक आने–जाने के लिए न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी तथा गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसका परिवार रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रूकते है अथवा अवरथान करते हैं तब भी उन्हें किराया निर्धारित दूरी के सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

4– शासनादेश संख्या–1115 / वि0अनु0–03 / 2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त शासनादेश के शेष प्रावधान / शर्तें यथावत् बने रहेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 14-05-2025
12:2(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या– / XXVII-7/E-65846/2023 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी।
7. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 14-05-2025
13:30:25
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

नागरिक सुरक्षा

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

{1} परिचयः—(संक्षिप्त इतिहास):—

द्वितीय विश्व युद्ध के समय ''एयररेड प्रीकोशन'' नामक संस्था कार्यरत थी जिसे भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सेल के रूप में रखते हुए मृत प्रायः रखा गया। किन्तु 1962 में चीन के आक्रमण के पश्चात नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स) का प्रादुर्भाव वर्तमान स्वरूप में हुआ। वर्ष—1999 की नवीनतम सूची में भारत वर्ष के कुल—225 नगरों में नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी। उत्तराखण्ड में मात्र देहरादून नगर ही नागरिक सुरक्षा के श्रेणीबद्ध नगरों की सूची में है जो वर्ष 1970 से कार्यरत है।

नागरिक सुरक्षा विभाग को वैधानिकता प्रदान करने के लिये भारत की संसद में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968(27)वां अधिनियम पारित किया। जिसने भारत रक्षा अधिनियम 1962(51)वां स्थान लिया यह अधिनियम समस्त भारत में प्रवर्त हुआ।

{2} संगठन :—

(अ) केन्द्रीय स्तर पर :—

यह विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है।

1— नागरिक सुरक्षा की एडवाईजरी कमेटी :—

इस कमेटी के अध्यक्ष गृह मंत्री भारत सरकार होते हैं तथा वित्त, रक्षा, कृषि, गृह राज्यमंत्री, नागरिक सुरक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस के महानिदेशक, निदेशक नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर, इसके सदस्य होते हैं तथा महानिदेशक नागरिक सुरक्षा सदस्य सचिव होते हैं।

2— सिविल डिफेन्स कमेटीः—

इस कमेटी के सदस्य अन्य मंत्रालयों के सचिव होते हैं जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव भारत सरकार करते हैं।

3— सिविल डिफेन्स ज्वाईन्ट प्लानिंग स्टाफः—

इसके अध्यक्ष महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा तथा विभिन्न मंत्रालयों के उप सचिव स्तर के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

4— महानिदेशक नागरिक सुरक्षा :—

महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड्स तथा अग्निशमन सेवा के कार्यों को देखते हैं।

(ब) राज्य स्तर परः—

यह विभाग राज्य स्तर पर भी गृह मंत्रालय राज्य सरकार के अधीन रहता है तथा गृह मंत्री स्वयं विभागीय मंत्री होते हैं या अलग से भी नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स मंत्री नियुक्त किये जाते हैं। पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी को निदेशक नागरिक सुरक्षा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार का काम विभिन्न जिले में नागरिक सुरक्षा इकाइयों की स्थापना करना, नागरिक सुरक्षा का साहित्य तैयार करना, धन की व्यवस्था करना, जनशक्ति की व्यवस्था करना, एवं आवश्यक साज—सज्जा एवं उपकरणों को उपलब्ध कर विभिन्न इकाइयों को वितरित करना तथा सामान्य प्रशासन।

(स) नगर स्तर परः—

नागरिक सुरक्षा का तृतीय स्तर जिला स्तर का न होकर नगर स्तर है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी को नियंत्रक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। जिसके मार्ग दर्शन पर उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा का कार्य, सम्पादित करते हैं।

''भारत में नागरिक सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत'' नामक हस्त पुस्तिका तथा कम्पेडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ऑन सिविल डिफेन्स'' 2004 के अनुसार नागरिक सुरक्षा सम्बन्धित कार्यों की जिम्मेदारी उन समस्त विभागों पर डालने के निर्देश हैं जो सामान्यतः शक्तिकाल में वैसा ही कार्य करते हैं। अर्थात युद्ध काल में उनके कार्य उनके शान्तिकालीन कार्यों का ही विस्तार है। नागरिक सुरक्षा की बारह सेवायें गठित की जाती हैं। जो निम्न प्रकार हैं:—

1— मुख्यालय सेवा :—

जिलाधिकारी एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा इस सेवा के आफिसर कमांडिग होते हैं। उनके अधीन एक पूर्णकालीन अधिकारी उपनियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। इस सेवा का कार्य शरीर में मस्तिष्क के समान है। जो समस्त संगठन का संचालन एवं नियंत्रण करता है।

2— संचार सेवा :—

यह सेवा शरीर में तंत्रिका तंत्र के समान ही कार्य करती है। इस सेवा का कार्य युद्ध में सीमा से वाहय चेतावनी प्रणाली के अन्तर्गत हवाई हमले की सूचना प्राप्त करना तथा आन्तरिक चेतावनी प्रणाली के अन्तर्गत हवाई हमला प्राप्त संदेश को नागरिकों में प्रसारित करना है। बम्बिंग के पश्चात दुर्घटना स्थल से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आकलन करना तथा नियंत्रक के आदेश एवं विभिन्न सहायता दलों को घटना स्थल पर भेजना।

उक्त कार्यों के संचालन हेतु वाहय चेतावनी प्रणाली के अन्तर्गत एच.एफ.सेट तथा लाईन टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है तथा आन्तरिक चेतावनी प्रणाली के अन्तर्गत हवाई हमले की सूचना प्रसारित करने के लिये विद्युत सायरनों का प्रयोग किया जाता है। जिनको प्रचलित करने की एक केन्द्रीय व्यवस्था भारत संचार निगम लि0 के सहायोग से की जाती है।

3— वार्डन सेवा :—

मुख्य वार्डन (पूरे नगर का एक)

उप मुख्य वार्डन (पूरे नगर का एक)

प्रभाग (दो लाख जनसंख्या) | 2 प्रभाग | 3 प्रभाग

प्रभागीय वार्डन एक

उप प्रभागीय वार्डन एक

वार्डन पोस्ट 20 हजार की आबादी | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

पोस्ट वार्डन एक

उप पोस्ट वार्डन

एक सेक्टर (4 हजार संख्या) सेक्टर वार्डन—दो | 2 | 3 | 4 | 5

वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा का मेरूदण्ड है यह पूर्णरूपेण स्वयं सेवकों को भर्ती करते हुये गठित की जाती है। इसे प्रशासन के आंख व कान तथा जनता के मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक भी कहते हैं। इसके कार्य निम्न प्रकार हैंः–

1– अपने–अपने क्षेत्रों में अपने अधीनस्थ वार्डनों की भर्ती करना।

2– नागरिक सुरक्षा की अन्य सेवाओं में भर्ती में सहयोग देना।

3– सभी भर्ती स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना।

4– गृह विवरण पंजिकाओं को पूर्ण करना।

5– हवाई हमले से बचाव के प्रदर्शन में भाग लेना।

6– आपात काल में ब्लेक आऊट को प्रभावी बनाना।

7– यदि हवाई आक्रमण होता है तो छोटी–छोटी आगों को बुझाना, घायलों को प्राथमिक सहायता देना तथा नियंत्रण कक्ष को सूचित करना, जनता का मनोबल बनाये रखना।

8– बेघर–बार लोगो के लिये रहने व खाने की अस्थाई व्यवस्था करना।

आपात काल के अतिरिक्त शान्ति काल में भी वार्डन सेवा के सदस्य बराबर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों में भाग लेते रहते हैं।

9– शांति काल में वार्डन सेवा के सदस्य जिला प्रशासन को विभिन्न कार्यों में निःशुल्क सहायोग प्रदान करते हैं। यथा–वृक्षारोपण, राष्ट्रीय बचत, पल्स पोलियो अभियान, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस को सक्रिय सहयोग, इसी सम्बन्ध में विभिन्न स्कूलो और कालेजो में गोष्ठियों का आयोजन, स्वच्छता अभियान में योगदान, कुष्ठ निवारण हेतु रोगियों की पहचान इत्यादि अनेक कार्यों में वार्डन सेवा के सदस्य अपनी सेवायें अर्पित करते हैं जो उनके द्वारा युद्ध कालीन परिस्थितियों में दी जाने वाली सेवाओं से सर्वथा भिन्न है।

4– हताहत सेवा :–

इस सेवा का मुख्य कार्य बम्बिंग के पश्चात घायल हुये नागरिकों को चिकित्सकीय सहायता देना है। मुख्य चिकित्साधिकारी को इस सेवा का समादेष्टाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आपातकाल में हवाई आक्रमण के फलस्वरूप हताहतों की संख्या काफी हो सकती है। इसलिये विद्यमान अस्पतालों को ही आपातकालीन अस्पताल के रूप में चिन्हित किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा स्वयं सेवकों को प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रशिक्षण का उपयोग कर सकें। इस सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाईयां गठित की जाती है।

(अ) आपातकालीन अस्पताल।

(ब) प्राथमिक सहायता दल।

(स) स्थिर प्राथमिक चिकित्सा चौकीः–

प्रथम 2 लाख की आबादी पर प्रत्येक 20 हजार की आबादी के लिये एक प्राथमिक चौकी स्थापित की जाती है। तत्पश्चात प्रत्येक 40 हजार की आबादी के लिये प्राथमिक चिकित्सा चौकी की स्थापना की जाती है। इन चौकियों पर डॉक्टर, प्राथमिक चिकित्सा सहायक, नर्स, क्लर्क, संदेश वाहक तथा सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं।

(द) एम्बुलैन्स :–

रोगी वाहनों की व्यवस्था 2 रोगी वाहन प्रति 5 स्थिर प्राथमिक चौकी के हिसाब से की जाती है। इसके अलावा एक रोगी वाहन प्रति 3 प्राथमिक सहायता दल के लिये अलग से की जाती है।

(य) सचल प्राथमिक चिकित्सा चौकीः—

घटना स्थल पर तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये एक सचल प्राथमिक चिकित्सा चौकी की व्यवस्था की जाती है, जो प्रति 6 लाख पर एक होती है।

(र) सचल शल्य चिकित्सा चौकी :—

घटना स्थल पर ही शल्य चिकित्सा उपलब्ध हो इस हेतु प्रति 6 लाख से 10 लाख की आबादी के लिये एक ऐसी चौकी को गठित किये जाने का प्रावधान है।

5— अग्नि शमन सेवा :—

अग्नि बमों के कारण लगने वाली आगों तथा स्वयं अग्नि बमों को बुझाने के लिये अग्नि शमन सेवा का गठन किया गया है।

1— गृह अग्नि शमन दलः—

प्रत्येक एक हजार की आबादी के लिये 4 सदस्यों का अग्नि शमन दल गठित किया जाता है। जो छोटी—छोटी आगों को बुझाने का काम करेंगे।

2— ट्रेलर पम्प पार्टी :—

प्रत्येक 50 हजार की आबादी के हिसाब से 6 सदस्यों का एक दल गठित किया जाता है। यह सदस्य होमगार्ड्स से लिये जाते हैं।

अग्नि शमन सेवा का समादेष्टाधिकारी मुख्य अग्नि शमन अधिकारी को बनाया गया है।

6— प्रशिक्षण सेवा :—

इस सेवा के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा से सम्बन्धित सभी सेवाओं का प्रशिक्षण स्वयं सेवकों, एन0सी0सी0 कैडेट्स, स्कूल कॉलेजों के छात्रों तथा राजकीय विभागों के कर्मचारियों को दिया जाता है। सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त सेवाओं के विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाते हैं। मुख्य रूप से वार्डन सेवा, अग्नि शमन सेवा, प्राथमिक सहायता तथा बचाव सेवा के प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

7— बचाव सेवा :—

इस सेवा को अभियंत्रण सेवा भी कहते हैं। इस सेवा का मुख्य कार्य बम्बिंग के पश्चात धराशायी भवनों में फंसे व्यक्तियों को निकालना है। इस सेवा का आफिसर कमांण्डिंग अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को इसलिये बनाया जाता है कि वे भवन निर्माण को देखते हुये आसानी से बचाव कार्य करा सकें। इस सेवा में 50 हजार की आबादी पर 8 सदस्यों का एक बचाव दल गठित किया जाता है। जिसमें अवर अभियन्ता—लीडर, होमगार्ड के 6 सदस्य तथा 1 ड्राईवर सम्मिलित होगा। इस सेवा का कार्य घायलों को मलवे से निकालना ही नहीं अपितु भवनों को अस्थाई आधार देना तथा खतरनाक स्थिति में जो भवन हों उन्हें गिरा देना भी है।

8— डिपों तथा परिवहन सेवा :—

आपातकाल में विभिन्न सहायता दलों को घटना स्थल पर पहुंचाने के लिये गाड़ियों की आवश्यकता होगी इस हेतु विभिन्न प्रकार के वाहनों की व्यवस्था करने के लिये संभागीय परिवहन अधिकारी जो इस सेवा का समादेष्टाधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा शान्तिकाल में ही ऐसे वाहनों को चिन्हित कर नागरिक सुरक्षा योजना में सम्मिलित कराने हेतु सूची उपलब्ध करा दी जाती है जिस का प्रति वर्ष सत्यापन भी किया जाता है।

9– कल्याणकारी सेवा :–

युद्धकाल में हवाई आक्रमण के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में लोग बेघर–बार हो सकते हैं क्योंकि या तो उनके भवन क्षतिग्रस्त हो चुके होंगे अथवा क्षेत्र मं यू0एक्स0बी0 (अविस्पोटित बम) पड़ा हो सकता है। जिसका निस्तारण सेना का बम्ब निरोधी दस्ता ही कर सकेगा। ऐसी अवस्था में नागरिकों को कई अन्यत्र अस्थाई शरण देने की व्यवस्था की जानी होगी। तब तक के लिये उनके रहने व खाने, कपड़ों तथा मनोरंजन इत्यादि की व्यवस्था कल्याणकारी सेवा का ही दायित्व होगा।

10– पूर्ति सेवा :–

उक्त वर्णित कल्याणकारी सेवा को शरण गृहों में विस्थापितों के लिये समस्त खाद्यान एवं आवश्यक उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने का दायित्व पूर्ति सेवा का होगा।

11– उद्वार सेवा :–

यह भी सम्भावना हो सकती है कि बम वर्षा के कारण कोई भवन पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाये और उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाये अथवा उस भवन में उस समय ऐसे भवन का स्वामी परिवार सहित कहीं अन्यत्र गया हो ऐसी दश में बचाव दल द्वारा जो भी सामान निकाला जाये उसकी सूची बनाकर सुरक्षित रखा जाये और भवन के स्वामी अथवा वैधानिक उत्तराधिकारी के आने के पश्चात उसको सौप दिया जाये।

12– शव निस्तारण सेवाः–

इस सेवा का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि ताकि युद्ध के समय ऐसे मृतक व्यक्तियों का अन्तिम संस्कार उनके धर्मानुसार किया जाये जो लावारिस हों। साथ ही मृतक पशुओं का निस्तारण भी यथा समय किया जा सके ताकि बीमारियां न फैलें।

{3} <u>परिभाषा</u> :–

नागरिक सुरक्षा उन समस्त उपायों को कहते हैं जो युद्ध काल में दुश्मन द्वारा हवाई हमले के द्वारा जन–धन पर डाले गये कुप्रभावों को प्रशासन व जनता के द्वारा मिलकर किये जाते हैं। ताकि सीमा पर युद्धरत सेना विजय प्राप्त कर सके। वास्तव में यह संगठन जनता की रक्षा के लिये जनता का संगठन है।

{4} <u>उद्देश्य</u> :–

1– जीवन रक्षा करना।

2– सम्पत्ति की रक्षा।

3– उत्पादन की निरन्तरता बनाये रखना।

4– जनता का मनोबल बनाये रखना।

{5} <u>सिद्धान्त</u> :–

1– स्वयं सेवी स्वरूप।

2– स्वयं सहायता।

3– आत्म निर्भरता

4– पारस्परिक सहयोग।

5– समन्वय।

6– तात्कालिक व्यवस्था।

7– आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण

8– राजकीय तथा अर्द्धराजकीय विभागों एवं उनके कर्मचारियों का योगदान।

9– अराजनैतिक मंच।

10– पूर्व योजना एवं पूर्व तैयारी।

11– जनता का मनोबल।

12– समय का महत्व।

13– मानव जीवन का मूल्य।

{6} **नागरिक सुरक्षा के उपाय** :–

1– रक्षात्मक उपाय :–

नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयों का प्रशिक्षण, हवाई हमले से बचाव के अभ्यास एवं प्रदर्शन, ब्लैक आउट, अभ्यास, खाइयों का खोदना तथा शरण गृहों का निर्माण।

2– नियंत्रण का उपाय :–

छोटी–छोटी आगों को बुझाना, घायलों को प्राथमिक सहायता देना, गम्भीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना, मृतकों का धर्मानुसार अंतिम संस्कार कराना, घायलों को मलवे से निकालना।

3– पुनः स्थापना :–

इसके अर्न्तगत तमाम नागरिक गतिविधियों को पूर्व अवस्था में लाना, यथा–औद्योगिक धन्धों को चालू करना, आवश्यक सेवाओं को बहाल करना, बेघर बार हुये लोगों को शरण देना इत्यादि, अर्थात युद्ध पूर्व की अवस्था ले आना।

नागरिक सुरक्षा कार्यालय देहरादून में स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपलब्ध कार्मिकों का विवरण निम्न प्रकार है :–

वैतनिक स्टॉफ का विवरण :–

क्र0स0	पद नाम	स्वीकृत पद	उपलब्ध पद	रिक्त
1.	उपनियन्त्रक	1	0	1
2.	सहायक उपनियन्त्रक(वरिष्ठ वेतनमान)	1	0	1
3.	सहायक उपनियन्त्रक	3	2	1
4.	स्टोर अधीक्षक	1	0	1
5.	वायरलेस आपरेटर	1	0	1
6.	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक	1	1	0
7.	लेखालिपिक	1	0	1
8.	कनिष्ठ लिपिक	3	2	1
9.	स्टोरमेन	2	2	0
10.	डिस्पैच राइडर	1	0	1
11.	अर्दली	1	1	0
12.	चौकीदार	2	0	2
13.	संदेशवाहक	2	0	2
14.	चालक	1	0	1
योग		**21**	**8**	**13**

नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों का विवरण :–

क0स0	सेवा का नाम	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त
1.	2.	3.	4.	5.
1.	मुख्यालय सेवा	4	4	0
2.	वार्डन सेवा	402	283	119
3.	क – ट्रेलर पम्प पार्टी	100	100	0
	ख – घरेलू अग्निशमन दल	2200	80	2120
4.	प्राथमिक चिकित्सा सेवा	520	0	520
5.	संचार सेवा	53	53	0
6.	बचाव सेवा	95	48	47
7.	कल्याण सेवा	157	120	37
8.	पूर्तिसेवा	15	11	4
9.	डिपो तथा परिवहन सेवा	35	20	15
10.	प्रशिक्षण सेवा	10	7	3
11.	साल्वेज सेवा	21	15	6
12.	शव निस्तारण सेवा	16	8	8
13.	रैकी पार्टी	06	06	0
योग		3634	755	2879

मैनुअल–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

होमगार्ड्स

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

(क) प्रशासनिक शक्तियां :–

मुख्यालय स्तर :–

मुख्यालय स्तर पर विभागाध्यक्ष के रूप में कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा उत्तराखण्ड तैनात हैं जो वरिष्ठ आई0पी0एस0 कैडर के अधिकारी होते हैं इनका कर्तव्य सम्पूर्ण राज्य में होमगार्ड्स के विभिन्न क्रिया कलापों को नियंत्रण, भर्ती, प्रशिक्षण एवं उनके कल्याण की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वैतनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पूर्ति हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त करना है साथ ही कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा मामलो का भी निस्तारण करना है। विभाग के लिये आवश्यक साज–सज्जा किये जाने की स्वीकृति प्रदान करना इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करना विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों की पैरवी करवाना, विभिन्न इकाईयों का निरीक्षण करवाना आदि है।

डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल :–

यह विभागीय अधिकारी होते हैं जो विभागाध्यक्ष को उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोग करते हैं तथा उनके अवकाश के समय समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं।

उपमहासमादेष्टा होमगार्ड्स निरीक्षक, वैतनिक प्लाटून कमाण्डर व ब्लॉक आर्गनाईजर के नियुक्ति प्राधिकारी भी होते हैं।

स्टाफ अधिकारी :–

यह विभागीय पद है जो विभागाध्यक्ष तथा उप महासमादेष्टा के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं।

अन्य स्टाफ :–

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर 1 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, 2 प्रशासनिक अधिकारी, 1 प्रधान सहायक, 2 आशुलिपिक, 3 वरिष्ठ सहायक, 5 कनिष्ठ सहायक, 2 ड्राईवर तथा 4 चतुर्थ श्रेणी के कर्मिकों के पद स्वीकृत हैं जो होमगार्ड्स विभाग के कार्यों को सम्पन्न कराने में कमाण्डेन्ट जनरल, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल तथा स्टाफ अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं।

मण्डल स्तर :–

मण्डलीय कमाण्डेन्ट :–

होमगार्ड्स विभाग में 2 मण्डलीय कमाण्डेन्ट के पद क्रमशः गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में स्वीकृत हैं। यह अधिकारी अपने अधीनस्थ जिला कमाण्डेन्ट तथा कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करते हैं।

जनपद स्तर :–

जिला कमाण्डेन्ट :–

उत्तराखण्ड में जिला कमाण्डेन्ट संवर्ग के अधिकारियों के 13 पद शासन से स्वीकृत हैं। जिला कमाण्डेन्ट अपने जनपद के होमगार्ड्स के नियुक्ति प्राधिकारी हैं। ये होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को भर्ती कराने, प्रशिक्षण दिलाने, नियमानुसार ड्यूटी पर तैनात कराने तथा उनके ड्यूटी भत्ते के भुगतान दिलाने के लिये उत्तरदायित्व होते हैं। ये अपने जनपद के लिपिक संवर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी भी हैं।

कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र :–

एक–एक पद कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल में स्वीकृत है। कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र अपने मण्डल के जनपदों के होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को बेसिक प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रशिक्षण, अग्रिम शस्त्र प्रशिक्षण आदि विभिन्न प्रशिक्षण दिलाने के लिये उत्तरदायी होते हैं। ये अपने प्रशिक्षण केन्द्र के लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के नियुक्ति प्राधिकारी भी होते हैं।

(ख) वित्तीय शक्तियां :–

शासन से होमगार्ड्स विभाग के लिये बजट प्राविधान कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स उत्तराखण्ड द्वारा कराया जाता है। निदेशालय स्तर से अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों को बजट वितरण का कार्य किया जाता है। निदेशालय स्तर पर स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स आहरण–वितरण का कार्य करते हैं।

अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों के आहरण–वितरण अधिकारी जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

(ग) पद की शक्तियों से सम्बन्धित नियम/शासनादेश :–

शासकीय अधिसूचना संख्या 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003 दिनांकः 05–03–2004 द्वारा महासमादेष्टा का पद होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा में सृजित किया गया। शासनादेश संख्या 943/XX(1)/IPS/2004 दिनांकः 16–06–2004 द्वारा कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स के पद पर तैनात किया गया तथा शासनादेश संख्या 373/गृह–1/143/आई0पी0एस0/2003 दिनांकः 30–08–2003 के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। शासनादेश संख्या 1326/XX(1)/275/आईपीएस/2004 दिनांकः 24–08–2004 द्वारा श्री राकेश मित्तल आई0पी0एस0 अपर पुलिस महानिदेशक को महासमादेष्टा, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा पदनाम घोषित किया गया था।

शासनादेश संख्या 505/XX(3)/04–17ना0सु0/2004 दिनांकः 15–10–2004 द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा उत्तराखण्ड हेतु 2579 डी0डी0ओ0 कोड आवंटित किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या बी–1–4739/दस–1998 दिनांक 28 अक्टूबर, 1988 एवं होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या –2040/लेखा/दस–184/1992 दिनांकः 30–10–1998 के अनुसार जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स का डी0डी0ओ0 कोड नम्बर 2571 आवंटित है।

नागरिक सुरक्षा

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य :–

प्रदेश में स्थापित नागरिक सुरक्षा नगरों में प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिये नागरिक सुरक्षा निदेशालय की स्थापना की जाती है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को निदेशक,नागरिक सुरक्षा नियुक्त किया जाता है। कमाण्डेन्ट जनरल एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा महोदय के परिवेक्षण में उत्तराखण्ड राज्य में कार्यों का संचालन किया जाता है। निदेशक, नागरिक सुरक्षा को नागरिक सुरक्षा नगरों में उपनियंत्रक, सहायक उपनियंत्रक, भण्डार अधीक्षक, वायरलेस आपरेटर आदि की नियुक्ति करने एवं प्रदेश के समस्त नागरिक सुरक्षा नगरों में प्रभावी नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व होता है। नागरिक सुरक्षा नगरों में नागरिक सुरक्षा के समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु जिला मजिस्ट्रेट को नागरिक सुरक्षा का नियंत्रक नामित किया गया है। उनको शासन द्वारा प्रचुर अधिकार प्रदान किये गये हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में शासन द्वारा और अधिक अधिकार प्रदान कर दिये जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट/नियंत्रक नागरिक सुरक्षा को नगर में स्थित कार्यालय के लिये आवश्यक तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके आवकाश आदि स्वीकृति करना, अनुशासनहीनता पर दण्ड देना या सेवा से पृथक करना, नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित करना व वार्डन सेवा में अवैतनिक स्वयं सेवकों की भर्ती/नियुक्ति/पद से पृथक करने का अधिकार है। जिला मजिस्ट्रेट/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा को नागरिक सुरक्षा के कार्यों के अतिरिक्त जिले में अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन भी करना होता है, जिस कारण वे अपना पूरा समय नागरिक सुरक्षा को नहीं दे पाते। अतः उनकी सहायता के लिये उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा होते हैं उनको जिला मजिस्ट्रेट/नियंत्रक द्वारा अपने अधिकार हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं। जिनके द्वारा नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के समस्त कार्य का निष्पादन किया जाता हैं। उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा की सहायता हेतु प्रति दो लाख की आबादी पर दो सहायक उपनियंत्रक नियुक्त होते हैं जो नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आम जनता को हवाई हमले से उत्पन्न समस्या को कम करने के उपायों की जानकारी प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण (यथा प्राथमिक चिकित्सा, घरेलू अग्निशमन, बचाव आदि) देने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सेवाओं में आवश्यक जनशक्ति को लक्ष्य के अनुरूप भर्ती करना, प्रशिक्षित करना एवं उनका समय–समय पर भौतिक सत्यापन करना और संगठन में रूचि न रखने वाले स्वयं सेवकों को सेवा से पृथक कर नये स्वयं सेवकों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करना भी सहायक उपनियंत्रक का दायित्व होता है। उपनियंत्रक, सहायक उपनियंत्रकों की संस्तुति पर ही उपरोक्त कार्यों का निष्पादन करते हैं। सहायक उपनियंत्रक उपरोक्त प्रशिक्षणों को आयोजित करने हेतु प्रदेश एवं भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किये होते है।

मैनुअल—3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

होमगार्ड्स

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

(क) ड्यूटियां :–

शासनादेश के अनुसार आपातकाल एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस/जिला प्रशासन सम्बन्धित जनपद के जिला कमाण्डेन्ट से होमगार्ड्स की मांग करते है जिसके लिये जिला कमाण्डेन्ट पुलिस/जिला प्रशासन को होमगार्ड्स उपलब्ध कराते है। होमगार्ड्स की ड्यूटियों के लिये एक निर्धारित संख्या के अन्तर्गत जिलाधिकारी स्वीकृताधिकारी है। अतिरिक्त ड्यूटियों की स्वीकृति के लिये मण्डलायुक्त, महासमादेष्टा होमगार्ड्स तथा शासन स्वीकृताधिकारी है।

सभी होमगार्ड्स को ड्यूटियों पर समान रूप से लगाने के लिये रोस्टर से ड्यूटी पर लगाने का प्रावधान है।

होमगार्ड्स स्वयं सेवको का माह जून 2025 तक के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों में डयूटी का विवरण

क्र. सं.	नाम जनपद	स्वीकृत होमगार्ड्स	उपलब्ध	जिलाधिकारी कोटा	आयुक्त/मण्डल कोटा	वर्ष भर	विभागीय कार्यालय सुरक्षा आदि ड्यूटी	महत्वपूर्ण स्थलों, मुख्यालय द्वारा दी गयी शांति व्यवस्था ड्यूटी (जिलाधिकारी)	यातायात/मेला/यात्रा सीजन/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन (वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक)	हेल्प डेस्क	अन्य संस्थान, सचिवालय, बी0एच0ई0एल0, जल संस्थान, व्यापार कर, खाद्य निगम/जेल	कुल ड्यूटी रत
1.	उत्तरकाशी	297	249	72	20	92	6	10	135	6	0	249
2.	टिहरी	429	395	75	25	100	5	10	277	3	0	395
3.	चमोली	414	371	45	15	60	7	10	286	8	0	371
4.	रूद्रप्रयाग	165	143	30	10	40	6	14	77	4	0	141
5.	पौड़ी	510	447	75	25	100	24	16	285	4	0	429
6.	देहरादून	1187	1021	192	108	300	100	136	214	0	241	991
7.	हरिद्वार	1030	813	200	100	300	7	393	107	6	0	813
8.	अल्मोड़ा	462	429	45	15	60	7	0	328	0	0	395
9.	बागेश्वर	132	112	30	10	40	6	0	65	0	0	111
10.	चम्पावत	142	132	30	10	40	6	20	65	0	0	131
11.	पिथौरागढ़	353	331	38	11	49	6	109	155	0	0	319
12.	नैनीताल	676	513	100	100	200	8	25	264	0	0	497
13.	उधमसिंह नगर	614	523	100	47	147	20	57	287	0	0	511
	योग	**6411**	**5479**	**1032**	**496**	**1528**	**208**	**800**	**2545**	**31**	**241**	**5353**

(ख) होमगार्ड्स की भर्तीः–

होमगार्ड्स की भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जाती है जिसमें सम्बन्धित जनपद के जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी व वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी चयन समिति के सदस्य होते है।

भर्ती हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाती है निर्धारित नियमों के अनुसार निम्नलिखित संलग्नकों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैंः–

1– जन्म तिथि प्रमाण पत्र
2– शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
3– मूल निवास प्रमाण पत्र
4– फोटो (पास पोर्ट साईज)

भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को कक्षा 10वीं पास होना अत्यन्त आवश्यक है। अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिये, अभ्यर्थी का अपना स्वरोजगार हो, अभ्यर्थी किसी कालेज व स्कूल का विद्यार्थी न हो तथा किसी अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत न हो। भर्ती तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिये। अभ्यर्थी की शारीरिक अहर्ता अन्य वर्दी धारी बलों के अनुरूप ही होनी चाहिये। अभ्यर्थी को भर्ती के समय शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भर्ती उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसके अनुसार वह उक्त होमगार्ड्स अधिनियम के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करेगा।

(ग) प्रशिक्षण :–

भर्ती उपरान्त ग्रामीण कम्पनी/प्लाटून क्षेत्र के होमगार्ड्स को 42 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण केन्द्र पर करना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रशिक्षणों के अन्तर्गत होमगार्ड्स को समय–समय पर जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में 10 दिवसीय व 13 दिवसीय रिफ्रेसर प्रशिक्षण तथा 28, 30 दिवसीय निःशस्त्र प्रशिक्षण व सशस्त्र प्रशिक्षण भी जिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर कराया जाता है।

नागरिक सुरक्षा

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैंः–

नागरिक सुरक्षा के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने एवं कार्यों के सम्पादन में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिये नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 बनाया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा के सामान्य सिद्धान्त नागरिक सुरक्षा माहयोजना एवं कम्पैडियम ऑफ इन्सट्रक्शन्स ऑन सिविल डिफैन्स नामक अभिलेख उपलब्ध है। जिनमें दिये गये निर्देशों के अनुसार नागरिक सुरक्षा के कार्यों को सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार भी कार्यों को सम्पादित किया जाता है।

''भारत में नागरिक सुरक्षा के सामान्य सिद्धान्त'' नामक हस्त पुस्तिका के तथा कम्पैडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन सिविल डिफेन्स'' 2011 के अनुसार नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यो की जिम्मेदारी उन समस्त विभागों पर डालने के निर्देश हैं जो सामान्यतः शान्तिकाल में वैसा ही कार्य करते हैं अर्थात युद्धकाल में उनके कार्य उनके शान्तिकालीन कार्यों का ही विस्तार हैं।

भारत की संसद ने नागरिक सुरक्षा संगठन के वैधानिकता प्रदान करने के लिये 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (1968 का 27वां) अधिनियम पारित किया, जो 10 जुलाई 1968 को समस्त भारत में लागू हो गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है।

(अ) धारा 4(1) के अनुसार जिलाधिकारी को नियंत्रक नागरिक सुरक्षा नामित किया गया है।

(ब) धारा 12(5)(1) के अनुसार किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को नियंत्रक नागरिक सुरक्षा द्वारा कोर सदस्य नियुक्त किया जाता है।

(स) धारा 6 के अनुसार नियंत्रक नागरिक सुरक्षा किसी भी अनुपयुक्त एवं अवांछनीय सदस्य को सदस्यता से पृथक कर सकते हैं।

(द) अधिनियम के नियम 20 के अन्तर्गत कोई भी सदस्य जो नियमों का पालन न करे उनको दण्ड स्वरूप रू0 500/– जुर्माना या तीन साल का कारावास अथवा दोनो दिये जा सकते हैं।

मैनुअल—4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

होमगार्ड्स

<u>कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमानः–</u>

कृत्यों के निर्वहन के लिये पृथक से कोई मापमान नहीं है तथापि होमगार्ड्स अधिनियम के अनुसार प्रशासनिक मांग के अनुरूप होमगार्ड्स की संख्या बल को पूर्ण करने तथा निर्धारित समय में अपनी ड्यूटी को सही अन्जाम दिलाने के लिये जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स उत्तरदायी होता है।

जनपद / जिला प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर कार्मिकों के उत्तरदायित्व तथा कार्यों को सम्पादित कराने का उत्तरदायित्व जिला कमाण्डेन्ट / कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स का होता हैं। जिला कमाण्डेन्ट / कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स अपने अधीनस्थ कार्मिकों एवं होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के कार्यों का निर्धारण करते हैं। जनपद / जिला प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर वे पूर्णरूपेण सुपरविजन / निर्णय लेने का कार्य करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स तथा कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स से मार्ग दर्शन लेते हैं।

मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स अपने मण्डल के अधीन कार्यरत जिला कमाण्डेन्ट / कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं तथा अपने मण्डल के कार्यालयों का उत्तरदायित्व, सुपरविजन पर बराबर निरीक्षण करते हैं।

कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स अपने प्रदेश में होमगार्ड्स विभाग के विभागाध्यक्ष है, वे होमगार्ड्स विभाग के प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। होमगार्ड्स विभाग की अधीनस्थ इकाईयों में उनका पूर्ण रूपेण नियंत्रण होता है।

नागरिक सुरक्षा

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमानः–

नागरिक सुरक्षा संगठन में वार्डन सेवा पूर्ण रूपेण स्वयं सेवी स्वरूप की सेवा है जिसमें नगर के सम्मानित व समाज सेवी प्रवृत्ति के नागरिकों को भर्ती किया जाता है जो समय–समय पर प्रशासन को अनेक अवसरों पर वैचारिक एवं व्यावहारिक सहयोग प्रदान करते हैं। इन्हें नियंत्रक नागरिक सुरक्षा द्वारा नियुक्त किया जाता है।

मैनुअल–6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

होमगार्ड्स

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

(क) **रजिस्टर** :– निदेशालय पर निम्नलिखित रजिस्टरों का रख–रखाव किया जा रहा है :–

रजिस्टरों का रजिस्टर।

1– वेतन बिल रजिस्टर।

2– कंट्रिजेन्सी रजिस्टर।

3– स्टॉक बुक रजिस्टर।

4– 47–ए रजिस्टर।

5– कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टाक रजिस्टर।

6– स्टॉक रजिस्टर आतिथ्य व्यय।

7– कार्यालय व्यय स्टॉक रजिस्टर। (स्टॉक)

8– टेलीफोन रजिस्टर।

9– पुस्तकालय रजिस्टर।

10– लेखन सामग्री रजिस्टर।

11– रोस्टर रजिस्टर।

12– बिल रजिस्टर–2004–2005।

13– 11–सी रजिस्टर।

14– ट्रेजरी रजिस्टर।

15– स्टॉक रजिस्टर (नव सृजित जनपद) (29–01–2005)।

16– कार्यालय व्यय सम्बन्धी रजिस्टर।

17– ड्यूटी रजिस्टर।

18– आधुनिकीकरण सम्बन्धी रजिस्टर।

19– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर 2005–06।

20– बजट डिस्पेच रजिस्टर।

21– एस0एस0ओ0 टी0ए0 बिल रजिस्टर।

22– परिचय पत्र रजिस्टर।

23– मण्डलीय कमाण्डेन्ट टी0ए0 बिल रजिस्टर।

24– जनपद में नियुक्त कार्मिकों का रजिस्टर।

25– अवकाश रजिस्टर।

26– ड्यूटी रजिस्टर।

27– मासिक व्यय रजिस्टर।

28– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर–2004 (वित्तीय वर्ष 2004–05)

29– बजट नियंत्रण/डिस्पेच रजिस्टर वर्ष 2003–04।

30– हाजरी रजिस्टर (होमगार्डस एवं संविदा कर्मी)।

31– हाजरी रजिस्टर (वैतनिक कर्मी)।

32– फैक्स रजिस्टर।

33– फोटो स्टेट रजिस्टर।

34– एस0पी0एस0 रजिस्टर।

35– लोकल डाक रजिस्टर।

36– वर्दी क्रय किये जाने हेतु सेम्पल का रजिस्टर।

37– डाक डिस्पेच रजिस्टर।

38– बजट रजिस्टर। 2012–13

39– साईकिल रजिस्टर।

40– लेखन सामग्री स्टॉक रजिस्टर । 2005–2013 तक।

41– पत्रावली इन्डेक्स रजिस्टर।

42– जी0पी0एफ0 रजिस्टर (स्थाई/अस्थाई)।

43– जिला कमाण्डेन्ट संविदा, हवलदार एवं लिपिक की भर्ती के आवेदन पत्र का रजिस्टर।

44– कल्याण कोष का रजिस्टर।

45– बीमा का रजिस्टर।

46– डिस्पैच रजिस्टर। 2009–12

47– मोटर साईकिल का रजिस्टर।

48– कैश बुक।

49– सूचना अधिकार प्रथम।

50– सूचना अधिकार द्वितीय।

51– सूचना अधिकार तृतीय।

52– कल्याण कोष कैश बुक रजिस्टर।

53– ड्यूटी गार्ड रजिस्टर (ड्यूटी पुलिस गार्द)।

54– टेन्डर फार्म विक्रय रजिस्टर।

55– कैश बुक–2।

56– टी0ए0 बिल–(2005–11)।

57– अवकाश रजिस्टर जिला कमाण्डेन्ट।

58– अखबार से सम्बंधित रजिस्टर।

59– जनरेटर के डीजल का रजिस्टर। 2005 से 2010 तक।

60– फोटोस्टेट मशीन का रजिस्टर (रिको)।

61– कैश बुक नं0–3 वित्तीय (दि0 19.02.2008)।

62– मण्डलीय कमाण्डेन्ट कार्यालय (डिस्पैच एण्ड इंण्डेक्स रजिस्टर)–(दि0 30.10.2006)वर्ष 2007–10।

63– उपनियंत्रक संवर्ग रजिस्टर–(दि0 10–07–2006)।

64– टी0ए0 कन्टीजेन्सी रजिस्टर–(दि0 24–03–2005–2007)।

65– बजट रजिस्टर (2006–07)।

66– बजट रजिस्टर (2007–08)।

67– सीधी भर्ती में आरक्षण नीति का रजिस्टर।

68– मण्डलीय माण्डेन्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल/कुमायूं द्वारा अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों में किये गये निरीक्षण का रजिस्टर।

69– अन्य संस्थान ड्यूटी का रजिस्टर।

70– डाक प्राप्ति रजिस्टर।

71– फोटो स्टेट रजिस्टर–1

72– टी0ए0 प्रतिहस्ताक्षर रजिस्टर (मण्डलीय कमाण्डेन्ट श्रीनगर/हल्द्वानी)।

73– मूवमेन्ट रजिस्टर।

74– आदेश रजिस्टर।

75– बजट रजिस्टर–4 (2008–09)।

76– बिल रजिस्टर–2 (2006–07)।

78– बिल रजिस्टर–3 (2007–08)।

79– बिल रजिस्टर–4 (2008–09)।

80– वर्दी सम्बन्धी सामग्री का रजिस्टर।

81– प्रीऑडिट बिलों की सम्प्रेक्षा का रजिस्टर।

82– कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री का रजिस्टर।

83– नीलामी की वस्तुओं का रजिस्टर।

84– कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री से सम्बन्धित रजिस्टर।

85– बिल रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2009–10

86– बिल रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2010–11

87– वेतन बिल रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2010–11

88– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर वर्ष 2009–10

89– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर वर्ष 2010–11

90– होमगार्ड विभाग के भवनों का रजिस्टर।

91– निदेशालय स्तर पर अपील के अनुरोधों का पंजीकरण का रजिस्टर।

92– अभिलेखों के निर्दान का रजिस्टर।

93– रजिस्टर ऑफ रजिस्टर।

94– मास्टर रजिस्टर।

95– कैश बुक नं0–4

96– महालेखाकार द्वारा किये गये ऑडिट का रजिस्टर।

97– आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा किये गये ऑडिट का रजिस्टर।

98– उपस्थिति रजिस्टर (स्थापना)।

99– उपस्थिति रजिस्टर (होमगार्ड्स एवं संविदा)।

100– अवकाश का रजिस्टर – 2011

101– स्टॉक बुक रजिस्टर (कार्यालय)।

102– राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण का रजिस्टर।

103– मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर (पेन्शन रजिस्टर) वर्ष 2010–11।

104– चैक रजिस्टर (पेन्शन रजिस्टर)।

105– प्रशस्ति पत्र रजिस्टर (पेन्शन रजिस्टर)।

106– फैक्स रजिस्टर।

107– डाक टिकट रजिस्टर।

108– उपस्थिति रजिस्टर (स्थापना)–2012

109– उपस्थिति रजिस्टर (होमगार्ड्स / संविदा)–2012

110– अवकाश का रजिस्टर–2012

111– कंटिजेन्सी रजिस्टर–2012–13

112– 11–सी (2012–13)।

113– कोषागार रजिस्टर। वर्ष 2012–13।

114– डिस्पैच रजिस्टर (2012–13)।

115– वेतन रजिस्टर (2012–13)।

116– कर्मचारियों का स्थानान्तरण रजिस्टर।

117– अधिकारियों का स्थानान्तरण रजिस्टर।

118– भ्रमण कार्यक्रम रजिस्टर (2012–13)।

119– अन्य संस्थान की ड्यूटी सम्बन्धी रजिस्टर।

120– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर (2012–13)।

121– भारत सरकार से प्राप्त (आधुनिकीकरण) रजिस्टर।

122– भारत सरकार से प्राप्त (रिवैम्पिंग ऑफ सिविलडिफैन्स) रजिस्टर।

123– यात्रा भत्ता बिल रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2012–13।

124– बजट कंट्रोल रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2012–13 (106 सिविल रक्षा)।

125– जनपदवार निकाले गये व बहाल किये होमगार्ड्स की छमाही रिपोर्ट का विवरण।

126– वेतन वृद्धि रजिस्टर। 2012–13।

127– उपस्थिति पंजिका सफाई कर्मी।

128– टी0ए0 चैक रजिस्टर।

129– जी0पी0एफ0 लेजर रजिस्टर।

130– बैंक कैश बुक रजिस्टर (नं0–1)।

131– जनरेटर का रजिस्टर।

132– हाजरी रजिस्टर–2012 (स्थापना)।

133– हाजरी रजिस्टर–2012 (संविदा कर्मी)।

134– हाजरी रजिस्टर–2012 (होमगार्ड्स स्वयं सेवक)।

135– अवकाश का रजिस्टर –2012।

136– डाक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों का विवरण।

137– फैक्स प्राप्ति एवं प्रेषण रजिस्टर।

138–हिमाचल प्रदेश विधान सभा निर्वाचन–'2012 के सप्लीमेन्ट्री केश बुक दिनांकः 30–10–2012।

139– टेण्डर फार्म विक्रय रजिस्टर (2012–13) –(1)।

140– टेण्डर फार्म विक्रय रजिस्टर (2012–13) –(2)।

141– टेण्डर फार्म विक्रय रजिस्टर (2012–13) –(3)।

142– कम्प्यूटर व कम्प्यूटर की सामग्री का रजिस्टर – 2013।

143– डाक प्रेषित रजिस्टर–2013।

144– बजट रजिस्टर (2013–14)।

145– कंटिजेन्सी रजिस्टर (2013–14)।

146– 11–C रजिस्टर (2013–14)।

147– ट्रेजरी रजिस्टर (2013–14)।

148– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर (2013–14) डिप्टी सीजी – 03– सामान्य अधिष्ठान।

149– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर (2013–14) डिप्टी सीजी–04–भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति।

150– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर (2013–14) डिप्टी सीजी–106–सिविल रक्षा–03– स्थापना।

151– पे–बिल रजिस्टर (2013–14)।

152– लेखन सामग्री रजिस्टर (2013–14)।

153– टी0ए0 बिल रजिस्टर (2013–14)।

154– हाजरी/उपस्थिति रजिस्टर 2014 (स्थापना)।

155– हाजरी/उपस्थिति रजिस्टर 2014(उपनल)।

156– हाजरी/उपस्थिति रजिस्टर 2014(होमगार्ड्स)।

157– एस0पी0एस0 रजिस्टर 2014।

158– अवकाश रजिस्टर 2014।

159– डिस्पैच रजिस्टर 2014–15।

160– डाक प्राप्ति रजिस्टर 2014–15।

161– बैंक ड्राफ्ट/चैक/पोस्टल आर्डर प्राप्ति एवं प्रेषण पंजिका वर्ष 2014–15।

162– पे–बिल रजिस्टर (2013–14–2015)।

163– बजट रजिस्टर (2014–15)।

164– ट्रेजरी रजिस्टर (2014–15)।

165– सीधी भर्ती में आरक्षण नीति लागू करने हेतु रोस्टर। 2001–

166– कंटिजेन्सी बिल रजिस्टर (2014–15)।

167– 11–C रजिस्टर (2014–15)।

168– T.A Bill रजिस्टर (2014–15)।

169– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर मुख्यालय (2014–15)।

170– डाक प्रेषित रजिस्टर– 2014।

171– जनरेटर का रजिस्टर– 2014।

172– स्टॉक रजिस्टर कार्यालय व्यय।

173– उपस्थिति रजिस्टर स्थापना– 2014–15– दि0 01–01–2014 से 31–12–2014 तक।

174–उपस्थिति रजिस्टर उपनल संविदा–2015–15 दि0 01–01–2014 से 31–12–2014 तक।

175–उपस्थिति रजिस्टर होमगार्ड्स– 2014–15– दि0 01–01–2014 से 31–12–2014 तक।

176–उपस्थिति रजिस्टर रात्रि ड्यूटी होमगार्ड्स व सफाई कर्मी–2014–15 दि0 01–01–2014 से 31–12–2014 तक।

177– पत्रावलियों का रजिस्टर– 2015 से।

178– टेण्डर फीस रजिस्टर– 2014–15।

179– डिस्पेच रजिस्टर नं0 2– 2014–15।

180– संविदा कर्मियों का वर्दी स्टॉक रजिस्टर।

181– वित्तीय वर्ष 2015–16 का डिस्पेच रजिस्टर।

182– वित्तीय वर्ष 2015–16 का डाक प्राप्ति रजिस्टर।

183– S.P.S रजिस्टर – 2015–16

184– ट्रेजरी रजिस्टर – 2015–16

185– 11 सी–रजिस्टर – 2015–16

186– वेतन बिल रजिस्टर – 2015–16

187– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर निदेशालय – समस्त इकाई–2015–16

188– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर– इकाई निदेशालय

189– कंटिजेन्सी रजिस्टर – 2015–16

190– निदेशालय में तैनात लिपिकों को डाक हस्तगत कराने सम्बन्धी रजिस्टर। 2015–16।

191– शांति व्यवस्था एवं ड्यूटियाँ जिसका भुगतान विभागीय बजट से होता है से सम्बन्धी रजिस्टर – 2015–16।

192– कन्टीजेन्ट बिल रजिस्टर – 2011–12।

193–यात्रा भत्ता बिल रजिस्टर – 2008–09–2009–10–2010–11 (दि0 01–04–2008 से 31–03–2011 तक)।

194–यात्रा भत्ता बिल रजिस्टर वर्ष–2011–12 (दि0 01–04–2011 से 31–03–2012 तक)।

195– वर्दी भत्ता स्वीकृत रजिस्टर अधिकारी स्टाफ।

196–कोषागार बिल प्रेषण पंजिका 2005–06–2006–07 (दि0 29–01–2005 से 31–03–2007 तक)।

197– कोषागार बिल प्रेषण पंजिका – 2010–11

198– कोषागार बिल प्रेषण पंजिका – 2011–15

199– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर उत्तराखण्ड राज्य हो0गा0 वर्ष 2011–12

200– डिस्पेच रजिस्टर निदेशालय वर्ष 2010 से 2012 तक (दि0 17–02–2010 से 20–01–2012 तक)।

201– डाक प्राप्ति रजिस्टर वर्ष 2011–12 (दि0 04–01–2011 से 30–12–2011 तक)।

202— डाक प्राप्ति रजिस्टर वर्ष 2012—13 (दि0 01—08—2012 से 30—03—2013 तक)।

203— डाक प्राप्ति रजिस्टर वर्ष 2013—13

204— रात्रि ड्यूटी रजिस्टर होमगार्ड्स वर्ष 2011—12 (दि0 01—07—2011 से 31—08—2012 तक)।

205— रात्रि ड्यूटी रजिस्टर होमगार्ड्स वर्ष 2011—12 (दि0 01—07—2011 से 31—08—2012 तक)।

206— रात्रि ड्यूटी रजिस्टर होमगार्ड्स वर्ष 2014— (दि0 01—11—2014 से 31—12—2014 तक)।

207— उपस्थिति रजिस्टर हो0गा0 एवं संविदा कर्मचारी (01—01—2008 से 31—12—10) वर्ष 2008,2009, 2010

208— उपस्थिति रजिस्टर हो0गा0 एवं संविदा कर्मचारी (01—10—2005 से 31—12—07 तक)

209— उपस्थिति रजिस्टर (वैतनिक स्टाफ 2008 से 2010 तक) (दि0 01—06—2008 से 31—12—2010 तक)।

210— आगन्तुक रजिस्टर (चेक पोस्ट) निदेशालय। (दि0 01—11—2013 से 04—07—2015 तक)।

211— गार्ड/सन्तरी ड्यूटी रजिस्टर—(26—09—2009 से 18—12—2009 तक)।

212— गार्ड/सन्तरी ड्यूटी रजिस्टर — (02—01—2010 से 04—4—2010 तक)।

213— गार्ड/सन्तरी ड्यूटी रजिस्टर — (07—04—2010 से 20—07—10 तक)।

214— गार्ड/सन्तरी ड्यूटी रजिस्टर— (22—07—2010 से 19—10—2010)।

215— गार्ड/सन्तरी ड्यूटी रजिस्टर चेंकिग रजिस्टर (19—8—2009 से 08—10—2010 तक)।

216— डाकरनर बुक — (11—08—2008 से 21—12—2009 तक)।

217— डाकरनर बुक — (12—08—2008 से 25—11—2009 तक)।

218— डाकरनर बुक — (21—02—2008 से 27—02—2013 तक)।

219— डाकरनर बुक — (02—02—2009 से 08—03—2011 तक)।

220— डाकरनर बुक — (21—02—2009 से 12—01—2009 तक)।

221— डाकरनर बुक — (09—02—2011 से 15—10—2011 तक)।

222— डाकरनर बुक — (07—10—2011 से 07—03—2013 तक)।

223— डाकरनर बुक — (01—06—2012 से 01—11—2012 तक)।

224— डाकरनर बुक — (21—02—2013 से 27—02—2013 तक)।

225— डाकरनर बुक — (12—03—2013 से 14—11—2014 तक)।

226— लागबुक बुलेरो UVJ—5977 — (14—05—2001 से 31—12—2004 तक)।

227— लागबुक UA—07—R—1001— (16—03—2005 से 01—01—2006 तक)।

228—लागबुक एम्बेस्डर कार UA—07—R—1100— (05—04—2005 से 08—02—2009 तक)।

229— लागबुक जिप्सी UA—07—K—2900— (17—05—2005 से 29—11—2008 तक)।

230— लागबुक जिप्सी UA—07—K—3828— (17—05—2005 से 31—07—2007 तक)।

231— लागबुक बुलेरो (LX)UA-07—K—1192— (19—09—2006 से 31—10—2007 तक)।

232– लागबुक स्टाफ कार–1001–UA–07R– (01–02–2006 से 31–05–2007 तक)।

233–लागबुक मोटरसाईकिल–UA–07–07N–0973–(19–04–2006 से 30–04–2008 तक)

234– लागबुक बुलेरो– UA–07N–1010– (25–05–2006 से 20–06–2009 तक)।

235– लागबुक जीप– UVJ–5977– (21–04–2007 से 22–04–2007 तक)।

236– लागबुक एम्बेस्डर कार UA–07–S–6767– (30–05–2007 से 06–08–2009 तक)।

237– लागबुक स्टाफ कार–UA–07–R 1001– (01–06–2007 से 31–01–2011 तक)।

238– लागबुक जिप्सी UA–07–K–3828– (01–08–2007 से 30–12–2008 तक)।

239– लागबुक मोटरसाईकिल–UA07–N–0973– (01–05–2008 से 30–04–2009 तक)।

240– लागबुक बुलेरो– UK–07 GA–0090– (15–05–2008 से 28–10–2009 तक)।

241– लागबुक बुलेरो– UK–04 GA–0014– (20–05–2008 से 30–06–2011 तक)।

242– लागबुक जीप मारूती– UA–07K–2900– (01–12–2008 से 30–11–2009 तक)।

243– लागबुक जिप्सी UA–07–K–3828– (01–01–2009 से 31–07–2011 तक)।

244–लागबुक एम्बेस्डर कार UA–07–R–1100– (02–03–2009 से 31–12–2011 तक)।

245– लागबुक मोटरसाईकिल–UA07–N–0973– (01–05–2009 से 31–08–2010 तक)।

246– लागबुक बुलेरो–UA07–N–1010– (01–07–2009 से 23–11–2010 तक)।

247–लागबुक जीप्सी मारूती– UA–07K–2900– (01–12–2009 से 31–05–2011 तक)।

248– लागबुक एम्बेस्डर कार UA–075–6767– (22–12–2009 से 15–03–2021 तक)।

249– लागबुक बुलेरो– (SLX) UK–07 GA–0089– (02–01–2010 से 19–05–2012 तक)।

250– लागबुक मोटरसाईकिल–UA07–N–973– (01–06–2010 से 30–11–2011 तक)।

251– लागबुक बुलेरो–UA07–N–1010– (22–12–2010 से 30–04–2012 तक)।

252– लागबुक बुलेरो–UA007–K–0738– (02–05–2011 से 31–08–2013 तक)।

253– लागबुक जिप्सी UA–07–K–2900– (01–06–2011 से 26–05–2014 तक)।

254– लागबुक बुलेरो–UK04–GA–0014– (01–07–2011 से 30–04–2013 तक)।

255– लागबुक जिप्सी UA–07–K–3828– (01–08–2011 से 31–08–2013 तक)।

256–लागबुक एम्बेस्डर कार UK07–GB–0003– (14–12–2011 से 27–06–2013 तक)।

257– लागबुक एम्बेस्डर कार UK075–6767– (17–03–2012 से 28–08–2012 तक)।

258– लागबुक बुलेरो– (SLX) UK–07 GA–0089– (20–05–2012 से 02–02–2015 तक)।

259– लागबुक मोटरसाईकिल– (09–07–2012 से 14–03–2013 तक)।

260– लागबुक मोटरसाईकिल–UK07–GA–1015– (15–03–2013 से 31–07–2013 तक)।

261– लागबुक बुलेरो–UK07–N–1010– (01–04–2013 से 22–02–2014 तक)।

262–लागबुक मोटरसाईकिल–UK07–GA–1015– (01–08–2013 से 08–10–2014 तक)।

263– लागबुक जिप्सी कार UA–07–K–3828– (02–09–2013 से 24–09–2014 तक)।

264– लागबुक बुलेरो–UK07–K–0738– (02–09–2013 से 30–04–2015 तक)।

265– उपस्थिति रजिस्टर स्थापना।

266– उपस्थिति रजिस्टर संविदा कर्मी।

267– उपस्थिति रजिस्टर होमगार्ड।

268– उपस्थिति रजिस्टर रात्रि होमगार्ड।

269– अर्द्वकुम्भ मेला स्टॉक रजिस्टर।

270– डाक रजिस्टर – 2015–16 (IInd).

271– वेतन बिल रजिस्टर वर्ष 2016–17।

272– शहरी विकास अर्द्धकुम्भ स्टॉफ रजिस्टर वर्ष 2015–16।

273– 11सी रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2016–17।

274– कन्टीजैन्सी बिल रजिस्टर वर्ष 2016–17।

275– ट्रेजरी रजिस्टर वर्ष 2016–17।

276– डिस्पेच रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2016–17।

277– डाक प्राप्ति रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2016–17।

278– सूचना अधिकार से प्राप्त धनराशि का विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर वर्ष 2016–17।

279– अर्द्धकुम्भ मेला 2015–16 जनरेटर रजिस्टर।

280– रैतिक परेड स्टॉफ रजिस्टर।

281– अर्द्धकुम्भ मेला 2015–16 कन्टीजैन्सी रजिस्टर।

282– कम्प्यूटर व कम्प्यूटर की सामग्री का रजिस्टर 2016।

283– कन्टीजैन्सी रजिस्टर (विधानसभा निर्वाचन 2016–17)।

284– उपस्थिति रजिस्टर स्थापना।

285– उपस्थिति रजिस्टर संविदा कर्मी।

286– उपस्थिति रजिस्टर होमगार्ड्स प्रथम।

287– आकस्मिक/निर्बन्धित अवकाश रजिस्टर।

288– मुख्यालय में तैनात लिपिकों को डाक हस्तगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

289– कार्यालय/लेखन सामग्री का स्टॉक रजिस्टर।

290– पत्र प्रेषित रजिस्टर (डिस्पेच रजिस्टर)।

291– पत्र प्राप्ति रजिस्टर (रिलीव रजिस्टर)।

292– डाक रजिस्टर्ड (शासकीय डाक टिकट)।

293— अन्य प्रतिष्ठान की ड्यूटी से सम्बन्धित रजिस्टर।

294— शान्ति व्यवस्था/यातायात/यात्रा सीजन एवं अन्य ड्यूटीयों से सम्बन्धित रजिस्टर।

295— उपस्थिति रजिस्टर होमगार्ड्स द्वितीय पाली।

296— कन्टीजैन्सी बिल रजिस्टर वर्ष 2017—18।

297— 11सी रजिस्टर वर्ष 2017—18।

298— ट्रेजरी रजिस्टर वर्ष 2017—18।

299— उपनल कर्मियों के रोस्टर का रजिस्टर।

300— टी0ए0 बिल रजिस्टर वर्ष 2017—18।

301— कार्यालय सामग्री स्टॉक रजिस्टर 2017—18।

302— विद्युत मीटर रीडिंग रजिस्टर।

303— मुख्यालय बजट कन्ट्रोल रजिस्टर।

304— कम्प्यूटर व कम्प्यूटर सामग्री का रजिस्टर।

305— दैनिक सामग्री मांग पंजिका।

306— रैतिक परेड़ स्टॉक रजिस्टर—2017।

307— डाक रिसीव रजिस्टर (2) वर्ष 2017—18।

308— डाक डिस्पैच रजिस्टर (2) वर्ष 2017—18।

309—जनरेटर का रजिस्टर 2017—18।

310— वर्दी का रजिस्टर 2018—19।

311— डाक डिस्पैच एवं डाक रिसीव रजिस्टर वर्ष 2018—19।

312— बजट कन्ट्रोल रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2018—19।

313— वेतन वृद्धि रजिस्टर मुख्यालय वर्ष 2017—18।

314— डाक प्रेषण तथा डिस्पैच रजिस्टर वर्ष 2019—20।

315— टी0ए0 बिल रजिस्टर वर्ष 2019।

316— शासकीय डाक टिकट रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2020—21।

317— सन्देश वाहक तथा अन्य कर्मियो हेतु मूवमेन्ट रजिस्टर वर्ष 2020—21।

318— डाक डिस्पैच एवं डाक रिसीव रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2020—21।

319— कन्टीजैन्सी बिल रजिस्टर वर्ष 2020—21।

320— 11सी रजिस्टर वर्ष 2019—20।

321— टी0ए0 बिल रजिस्टर वर्ष 2020—21।

322— बजट कन्ट्रोल रजिस्टर वर्ष 2020—21।

323— ट्रेजरी रजिस्टर वर्ष 2020—21।

324— 11सी रजिस्टर वर्ष 2020—21।

325— पे—बिल रजिस्टर वर्ष 2020—21।

326— 25 के0बी0 जनरेटर रजिस्टर।

327— कोविड—19 से संक्रमित हो0गा0 की सूचनाओं से सम्बन्धित।

328– बजट कन्ट्रोल रजिस्टर (HOD) (2020–21) व (2022–2023)।

329– डिस्पैच रजिस्टर 2021 (माह अप्रैल 2021 से)।

330– होमगार्ड्स उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2021।

331– संविदा उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2021।

332– वैतनिक उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2021।

333– पत्रावली रजिस्टर 2022–23।

334– पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण पंजिका (डिस्पेच रजिस्टर) 2022–23।

335– मुख्यालय बजट कन्ट्रोल रजिस्टर (2021–22)।

336– ट्रेजरी रजिस्टर (2021–22)।

337– यात्रा भत्ता (TA) रजिस्टर (2021–22)।

338– कंटीजेन्सी रजिस्टर (2021–22)।

339– मुख्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्तियों का विवरण (2021–22)।

340– ट्रेजरी रजिस्टर (2022–23)।

341– मुख्यालय बजट कन्ट्रोल रजिस्टर (2022–23)।

342– कंटीजेन्सी रजिस्टर (2022–23)।

343– 11सी0 रजिस्टर (2022–23)।

344– होमगार्ड्स उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2022।

345– संविदा उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2022।

346– वैतनिक उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2022।

347– अवकाश रजिस्टर उपनल वर्ष 2022, वर्ष 2023।

348– अवकाश रजिस्टर वैतनिक वर्ष 2022, वर्ष 2023।

349– कंटीजेन्सी रजिस्टर (2023–24)।

350– मुख्यालय बजट कन्ट्रोल रजिस्टर (2023–24)।

351– डिस्पैच रजिस्टर (2023–24)।

352– होमगार्ड्स उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2023।

353– संविदा उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2023।

354– वैतनिक उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2023।

355– वित्तीय वर्ष 2023–24 डॉक डिस्पैच व रिसिव रजिस्टर।

356– वित्तीय वर्ष 2023–24 डॉक डिस्पैच व रिसिव रजिस्टर (पार्ट–3)।

357– वित्तीय वर्ष 2024–25 डॉक डिस्पैच व रिसिव रजिस्टर।

358– होमगार्ड्स उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2024।

359– संविदा उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2024।

360– वैतनिक उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2024।

361– अवकाश रजिस्टर उपनल वर्ष 2024।

362– अवकाश रजिस्टर वैतनिक वर्ष 2024।

363– ट्रेजरी बिल रजिस्टर (2024–25)।

364– कंटीजेन्ट रजिस्टर (2024–25)।

365– 11–C रजिस्टर (2024–25)।

366– अवकाश रजिस्टर (2025)।

367– अवकाश रजिस्टर (2025)।

368– पत्रावली खोलने का रजिस्टर (2025 से)।

369– कंटीजेन्ट रजिस्टर (2025–26)।

370– 11–C रजिस्टर (2025–26)।

371– ट्रेजरी बिल रजिस्टर (2025–26)।

उपरोक्त रजिस्टरों के अतिरिक्त मुख्यालय पर तैनात श्री राजीव बलोनी, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, श्री अमिताभ श्रीवास्तव, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, सुश्री एकता उनियाल, वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी, श्री राहुल सचान, स्टॉफ अधिकारी, श्रीमती प्रतिमा, सहायक उपमहासमादेष्टा, श्री श्यामेन्द्र कुमार साहू, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्री शुभम राना, वरिष्ठ सहायक, श्री कबीन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक, श्री नरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक, श्री उदित सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक, कु0 सुमन रावत, कनिष्ठ सहायक, श्री दशरथ सिंह, चतुर्थ श्रेणी, श्री प्रीतम सिंह, प्रशासकीय निरीक्षक, श्री तारा चन्द, श्री मनोज कुमार गैरोला, वाहन चालक के सर्विस बुक तथा जी0पी0एफ0, एन0पी0एस0 पास बुकों का रख–रखाव किया जा रहा है।

(ख) पत्रावलियां:– मुख्यालय पर वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में निम्नलिखित पत्रावलियों का रख–रखाव किया जा रहा है :–

<u>वित्तीय वर्ष 2024–25</u>

क्र०स०	पत्रावली संख्या	पत्रावली का विवरण
1.	सीजी–1 / हो.गा. / 2024	विभागीय वाहनों के अनुरक्षण के संबंध में।
2.	सीजी–2 / हो.गा. / 2024	राजकीय कार्मिकों व उनके परिवार के उपचार के संबंध में।
3.	सीजी–3 / हो.गा. / 2024	प्रकीर्ण व्यय।
4.	सीजी–4 / हो.गा. / 2024	अधिकारी / कार्मिकों का वेतन सम्बन्धित पत्रावली।
5.	सीजी–5 / हो.गा. / 2024	मृतक होमगार्ड श्री कमल सिंह 4463 जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
6.	सीजी–6 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक होमगार्ड श्री जोतीराम 4282 जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
7.	सीजी–7 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक होमगार्ड श्री हरपाल सिंह पी०सी० ग्रामीण कम्पनी जिला ऊधमसिंह नगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
8.	सीजी–8 / हो.गा. / 2024	पसारा के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु होमगार्ड्स विभाग को अधीकृत किये जाने के संबंध में।(प्राइवेट निजी सुरक्षा एजेन्सी)
9.	सीजी–9 / हो.गा. / 2024	भारत सरकार को होमगार्ड्स विभाग की छमाही रिर्पोट भेजे जाने के संबंध में।
10.	सीजी–10 / हो.गा. / 2024	संविदा / होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की उपस्थिति एवं भुगतान के सम्बन्ध में। (वित्तीय वर्ष 2024–2025)

11.	सीजी–11 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के संबंध में (वर्ष 2024 से)।
12.	सीजी–12 / हो.गा. / 2024	मृतक होमगार्ड शिवराज सिंह 1368 जनपद अल्मोड़ा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
13.	सीजी–13 / हो.गा. / 2024	मृतक होमगार्ड स्व श्री सतेन्द्र कुमार 1569 जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
14.	सीजी–14 / हो.गा. / 2024	मृतक होमगार्ड स्व श्री अर्जुन 1410 जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
15.	सीजी–15 / हो.गा. / 2024	मृतक होमगार्ड स्व श्री चन्द्रपाल 1075 जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
16.	सीजी–16 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ श्री वीर सिंह 2049 जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
17.	सीजी–17 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ श्रीमती लक्ष्मी थापा 1615 जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
18.	सीजी–18 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत ए॰सी॰ क्रय किए जाने के संबंध में।
19.	सीजी–19 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 01 जनरेटर क्रय किए जाने के संबंध में।
20.	सीजी–20 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 01–All in one desktop i5 क्रय किए जाने के संबंध में।
21.	सीजी–21 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कार्यालय हेतु अलमारी क्रय किये जाने के संबंध में।
22.	सीजी–22 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी कार्यों हेतु 02 –All in one desktop क्रय किए जाने के संबंध में।
23.	सीजी–23 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत प्रोजेक्टर स्क्रीन क्रय किए जाने के संबंध में।
24.	सीजी–24 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पेपर श्रेडर (Paper Shredder) क्रय किए जाने के संबंध में।
25.	सीजी–25 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलर फोटो स्टेट मशीन क्रय किये जाने के संबंध में।
26.	सीजी–26 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 01–Printer (Print Scan Copier) क्रय किये जाने के संबंध में।
27.	सीजी–27 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत V.C. Setup क्रय किए जाने के संबंध में।
28.	सीजी–28 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत टी॰वी॰ क्रय किए जाने के संबंध में।
29.	सीजी–29 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत साउण्ड़ सिस्टम क्रय किये जाने के संबंध में।
30.	सीजी–30 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत सिल्वर स्क्रीन क्रय किये जाने के संबंध में।
31.	सीजी–31 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत टैन्ट किराय पर लिये जाने के संबंध में।
32.	सीजी–32 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत सामग्री क्रय किए जाने के संबंध में।

33.	सीजी–33 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत सामग्री क्रय किए जाने के संबंध में।
34.	सीजी–34 / हो.गा. / 2024	सिविल मिस रिट पिटिशन संख्या 679(5 / 5) 2024 छतरापाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में।
35.	सीजी–35 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत ट्रैकसूट तथा जंगल सूज क्रय किये जाने के संबंध में।
36.	सीजी–36 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत हो॰स्वयंसेवकों हेतु पहचान पत्र बनाये जाने के संबंध में।
37.	सीजी–37 / हो.गा. / 2024	वित्तीय वर्ष 2024–2025 के एच॰ओ॰डी॰ बजट समर्पण के संबंध में।
38.	सीजी–38 / हो.गा. / 2024	————————————————————————
39.	सीजी–39 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ श्री चन्द्रमोहन 1127 जनपद पौड़ी गढ़वाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
40.	सीजी–40 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ श्री दिनेश मोहन 1608 जनपद पौड़ी गढ़वाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
41.	सीजी–41 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ श्री महिपाल सिंह 1074 जनपद पौड़ी गढ़वाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
42.	सीजी–42 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ श्री हयात सिंह 1248 जनपद रुद्रप्रयाग को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
43.	सीजी–43 / हो.गा. / 2024	सिविल मिस रिट पिटिशन संख्या 619 (5 / 5) 2024 सादर सिंह नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में।
44.	सीजी–44 / हो.गा. / 2024	निर्वाचन के दृष्टिगत विभागिय वाहनों में ईंधन व अनुरक्षण संबंधी कार्य कराये जाने के संबंध में।
45.	सीजी–45 / हो.गा. / 2024	विभागीय बनाये जाने के संबंध में।
46.	सीजी–46 / हो.गा. / 2024	वित्तीय वर्ष 2024–2025 में हो॰ स्वयंसेवकों की डयूटी संबंधी सूचना के संबंध में।
47.	सीजी–47 / हो.गा. / 2024	B.M.-08
48.	सीजी–48 / हो.गा. / 2024	मतदाता जागरुकता रैली के दृष्टिगत टेन्ट, स्टेज तथा सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।
49.	सीजी–49 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स विभाग जनपद–हरिद्वार में स्थित ट्रान्जिट कैम्प कार्यालय में अनुरक्षण संबंधी कार्य करये जाने के संबंध में।
50.	सीजी–50 / हो.गा. / 2024	चार धाम हेल्पडेस्क कॉफी टेविल बुक छपवाये जाने के संबंध में।
51.	सीजी–51 / हो.गा. / 2024	कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
52.	सीजी–52 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक श्री मॉगेराम हो॰गा॰ 4899 जनपद हरिद्वार को क्लयाण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
53.	सीजी–53 / हो.गा. / 2024	सी॰एम॰डैशबोर्ड दर्पण 2.0 में विभीगीय के॰पी॰आई॰डाटा फीड किये जाने के संबंध में।
54.	सीजी–54 / हो.गा. / 2024	चारधाम हेतु हेल्पडेस्क के प्रसार हेतु होर्डिंग लगाये जाने के संबंध में।
55.	सीजी–55 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ श्री प्रताप सिंह 4172 जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
56.	सीजी–56 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक अवै॰पी॰सी॰ श्री राजेन्द्र कुमार जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

57.	सीजी–57 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ शुक्रू लाल 1175 जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
58.	सीजी–58 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ यशपाल लाल 1271 जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
59.	सीजी–59 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ श्री मणेशमणी जनपद पौड़ी गढ़वाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
60.	सीजी–60 / हो.गा. / 2024	B.M. 12
61.	सीजी–61 / हो.गा. / 2024	B.M. 13
62.	सीजी–62 / हो.गा. / 2024	जनपदो से प्राप्त होमगार्ड्स की मासिक ड्यूटी (Urban Road) रिर्पोट सम्बान्धित पत्रावली।
63.	सीजी–63 / हो.गा. / 2024	अवै॰ स्थापना के अन्तर्गत होमगार्ड्स व अवै॰ अधिकारी का स्वीकृति नियतन उपलब्धता सम्बन्धित।
64.	सीजी–64 / हो.गा. / 2024	वैतनिक स्टाफ का स्वीकृत नियतन उपलब्धता एवं रिक्तियों के संबंध में।
65.	सीजी–65 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्ते के माहवार भुगतान की रिक्तियों के संबंध में।
66.	सीजी–66 / हो.गा. / 2024	अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त विलिय वर्ष 2024–2025 में भारत सरकार को भेजे जाने वाली ड्यूटी की मासिक रिर्पोट के संबंध में।
67.	सीजी–67 / हो.गा. / 2024	शासन को भेजे जाने वाले विशिष्ट उपलाब्धियों की एम॰डी॰ओ॰ की प्राप्ती रिर्पोट।
68.	सीजी–68 / हो.गा. / 2024	विभागीय बस वाहन संख्या UK07 GD7777 में टायर डलवाये जाने के संबंध में।
69.	सीजी–69 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कार्यालय फर्नीचर सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
70.	सीजी–70 / हो.गा. / 2024	निर्वाचन के दृष्टिगत हार्ड डिस्क क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
71.	सीजी–71 / हो.गा. / 2024	विभागीय ''मस्का'' बाजा बैण्ड हेतु सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
72.	सीजी–72 / हो.गा. / 2024	लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत यू॰पी॰सए॰ क्रय किये जाने के संबंध में।
73.	सीजी–73 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा के कैम्प कार्यालय में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य कराये जाने के संबंध में।
74.	सीजी–74 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स विभाग के जनपद हरिद्वार में स्थित ट्रान्जिट कैम्प कार्यालय में कार्य कराये जाने के संबंध में।
75.	सीजी–75 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के कार्यालय में पुताई तथा मरम्मत आदि का कार्य कराये जाने के संबंध में।
76.	सीजी–76 / हो.गा. / 2024	नागरिक सुरक्षा विभाग की महत्वपूर्ण कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।
77.	सीजी–77 / हो.गा. / 2024	नागरिक सुरक्षा के वार्डन सेवा व अग्निशमन में स्वयं सेवकों की मासिक प्रगति रिपोर्ट।
78.	सीजी–78 / हो.गा. / 2024	भारत सरकार को भेजे जाने वाली नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था की द्विमासिक रिपोर्ट के संबंध में।
79.	सीजी–79 / हो.गा. / 2024	सिविल मिस रिट पिटिशन संख्या 800(5 / 5) 2024 इस्लाम अहमद बनाम राज्य के संबंध में।

80.	सीजी–80 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय की सूचना के अधिकार की मासिक रिपोर्ट।
81.	सीजी–81 / हो.गा. / 2024	सूचना आयोग को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।
82.	सीजी–82 / हो.गा. / 2024	मुख्यालय की बैंक प्राप्तियों के चालान की मासिक सूचना।
83.	सीजी–83 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा के कैम्प कार्यालय में रंगाई पुताई तथा मरम्मत का कार्य कराये जाने के संबंध में।
84.	सीजी–84 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स मुख्यालय में प्लम्बिग का कार्य किये जाने के संबंध में।
85.	सीजी–85 / हो.गा. / 2024	कार्यालय प्रायोगार्थ स्टेशनरी / स्टेशनरी सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
86.	सीजी–86 / हो.गा. / 2024	गाड़ियों के अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
87.	सीजी–87 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ श्री मदन लाल 1008 जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
88.	सीजी–88 / हो.गा. / 2024	अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त बैंक चालान प्राप्तियों की मासिक रिर्पोट।
89.	सीजी–89 / हो.गा. / 2024	अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कवरिंग लेटर से संबंधित पत्रावली।
90.	सीजी–90 / हो.गा. / 2024	विभागीय वाहनों से सम्बन्धित मासिक रिर्पोट वर्ष 2024–2025।
91.	सीजी–91 / हो.गा. / 2024	विभागीय कार्मिकों होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के आश्रित की सूचना से सम्बन्धित विवरण वर्ष 2024–2025।
92.	सीजी–92 / हो.गा. / 2024	अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त सूचना अधिकार की मासिक रिर्पोट के सम्बन्ध में वर्ष 2024–2025।
93.	सीजी–93 / हो.गा. / 2024	जनपद चमोली एंव हरिद्वार में विधानसभा उप निर्वाचन के संबंध में।
94.	सीजी–94 / हो.गा. / 2024	ई॰टेन्डर के संबंध में।
95.	सीजी–95 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ 1624 श्री राम प्रसाद जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
96.	सीजी–96 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक पी॰सी॰ श्री नरेश कुमार जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
97.	सीजी–97 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ 2332 श्री कुँवरपाल जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
98.	सीजी–98 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ 1431 श्री नन्द किशोर जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
99.	सीजी–99 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ 1234 श्री भगीरथ जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
100.	सीजी–100 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ 1019 श्री कमल सिंह जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
101.	सीजी–101 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो॰गा॰ 2415 श्री बाबूराम जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
102.	सीजी–102 / हो.गा. / 2024	कैम्प कार्यालय में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
103.	सीजी–103 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स मुख्यालय में उपलब्ध टिन शैड में बैम्बू चिक लगाये जाने के संबंध में।

104.	सीजी–104 / हो.गा. / 2024	विभागीय चार धाम के प्रचार–प्रसार हेतु फलैक्स बनाये जाने के संबंध में।
105.	सीजी–105 / हो.गा. / 2024	चार धाम कपाट खुलने के अवसर पर मस्का बाजा बैण्ड के प्रशिक्षण हेतु टैन्ट, भोजन आदि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।
106.	सीजी–106 / हो.गा. / 2024	चार धाम कपाट खुलने के दृष्टिगत बस किराये पर लिये जाने के संबंध में।
107.	सीजी–107 / हो.गा. / 2024	मुख्यालय के उपलब्ध योगध्यान केन्द्र ''कन्दरा'' हेतु रैलिंग का कार्य कराये जाने के संबंध में।
108.	सीजी–108 / हो.गा. / 2024	हो॰मुख्यालय में नवनिर्मित योगधान केन्द्र हेतु बुद्धा की मूर्ति लगाये जाने के संबंध में।
109.	सीजी–109 / हो.गा. / 2024	योगध्यान केन्द्र ''कन्दरा'' हेतु गमले क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
110.	सीजी–110 / हो.गा. / 2024	कार्यालय प्रयोगार्थ साफ–सफाई कि सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
111.	सीजी–111 / हो.गा. / 2024	ई॰टेन्डर से सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
112.	सीजी–112 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1008 श्री सुरेश लाल जनपद पौडी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
113.	सीजी–113 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1716 श्री गोपाल दत्त जनपद पौडी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
114.	सीजी–114 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3615 श्री चौकट प्रसाद जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
115.	सीजी–115 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1482 श्री दर्शन सिंह जनपद रुद्रप्रयाग को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
116.	सीजी–116 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3622 श्री. रामजी सिंह जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
117.	सीजी–117 / हो.गा. / 2024	A.G मिलान 2024–25।
118.	सीजी–118 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2286 श्रीमती पुष्पा देवी जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
119.	सीजी–119 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4003 श्री शीशराम जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
120.	सीजी–120 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4017 श्री सुरेन्द्र कुमार जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
121.	सीजी–121 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2017 श्री नईम अहमद जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
122.	सीजी–122 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4178 श्री विनोद कुमार जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
123.	सीजी–123 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2099 श्री अनित कुमार शर्मा जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
124.	सीजी–124 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1783 श्री महेश चन्द्र जनपद पौड़ी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
125.	सीजी–125 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1056 ची विक्रम सिंह जनपद पौडी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

126.	सीजी–126 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1353 श्री रमेश चन्द्र जनपद अल्मोडा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
127.	सीजी–127 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3686 श्री बलवीर सिंह जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
128.	सीजी–128 / हो.गा. / 2024	विभागीय महिला आर्केस्टा बैण्ड जुगनिया हेतु आर्केस्टा सामग्री क्रय किये किये जाने के संबंध में।
129.	सीजी–129 / हो.गा. / 2024	विभागीय महिला आर्केस्टा बैण्ड जुगनिया हेतु आर्केस्टा सामग्री क्रय किये किये जाने के संबंध में।
130.	सीजी–130 / हो.गा. / 2024	विभागीय महिला आर्केस्टा बैण्ड जुगनिया हेतु आर्केस्टा सामग्री क्रय किये किये जाने के संबंध में।
131.	सीजी–131 / हो.गा. / 2024	कार्यालय प्रयोगार्थ ए0सी0 क्रय किये जाने के संबंध में।
132.	सीजी–132 / हो.गा. / 2024	होमगार्डस मुख्यालय के कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
133.	सीजी–133 / हो.गा. / 2024	विभागीय महिला आर्केस्टा बैण्ड जुगनिया हेतु आर्केस्टा सामग्री (टॉप स्पीकर)क्रय किये किये जाने के संबंध में।
134.	सीजी–134 / हो.गा. / 2024	विभागीय महिला आर्केस्टा बैण्ड जुगनिया हेतु स्पीकर क्रय किये किये जाने के संबंध में।
135.	सीजी–135 / हो.गा. / 2024	कार्यालय प्रयोगार्थ एल0ई0डी0 स्मार्ट टी०वी० क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
136.	सीजी–136 / हो.गा. / 2024	कार्यालय प्रयोमार्थ मोबाईल फोन क्रय किये जाने के संबंध में।
137.	सीजी–137 / हो.गा. / 2024	विभागीय महिला आर्केस्टा बैण्ड जुगनिया हेतु आर्केस्टा सामग्री क्रय किये किये जाने के संबंध में।
138.	सीजी–138 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नामरिक सुरक्षा मुख्यालय में कमाण्डेन्ट जनरल महोदय के कक्ष हेतु सामग्री क्रय किय जाने के संबंध में।
139.	सीजी–139 / हो.गा. / 2024	कमाण्डेन्ट जनरल महोदय के कार्यालय कक्ष में अनुरक्षण कार्य कराये जाने के संबंध में।
140.	सीजी–140 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स मुख्यालय में उपलब्ध लैन में लेवलिंग का कार्य करवाये जाने विषयक।
141.	सीजी–141 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स मुख्यालय स्थित पार्किग एरिया मे पीछे की दीवार बनवाये एव पेन्ट व प्लासटर का कार्य के संबंध में।
142.	सीजी–142 / हो.गा. / 2024	नवनिर्मित योगध्यान केन्द्र (कन्दरा) के लैन में पौधे लगाये जाने के संबंध में।
143.	सीजी–143 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नामरिक सुरक्षा मुख्यालय में योगध्यान केन्द्र (कन्दरा) हेतु चबुतरा बनवाए जाने के संबंध में।
144.	सीजी–144 / हो.गा. / 2024	होमगाईस सुख्यालय में पुश्ते का निर्माण कराये जाने के संबंध में।
145.	सीजी–145 / हो.गा. / 2024	विभागीय अन आर्म्ड काम्बेट हेतु सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध मे।
146.	सीजी–146 / हो.गा. / 2024	कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
147.	सीजी–147 / हो.गा. / 2024	जनपद–उत्तरकाशी में पर्वतारोहण कार्यक्रम के दृष्टिगत सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

148.	सीजी–148 / हो.गा. / 2024	होमगार्डस विभाग में विभागीय पर्वतारोहण कार्यक्रम के दृष्टिगत सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
149.	सीजी–149 / हो.गा. / 2024	होमगार्डस विभाग हेतु मोमेन्टो क्रय किये जाने के संबंध में।
150.	सीजी–150 / हो.गा. / 2024	सूचना का अधिकार के अन्तर्गत अपील के सम्बन्ध में। (2024–25)
151.	सीजी–151 / हो.गा. / 2024	नागरिक सुरक्षा विभाग के वैतनिक स्टॉफ की स्थिति की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट।
152.	सीजी–152 / हो.गा. / 2024	नागरिक सुरक्षा विभाग की अर्द्धवार्षिक ट्रेनिंग रिपोर्ट से सम्बन्धित पत्रावली।
153.	सीजी–153 / हो.गा. / 2024	नागरिक सुरक्षा विभाग की 74 बिन्दुओं पर प्रातिरिपोर्ट के सम्बन्ध में।
154.	सीजी–154 / हो.गा. / 2024	सूचना का अधिकार। (2024–25)
155.	सीजी–155 / हो.गा. / 2024	ई टेन्डर से समग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
156.	सीजी–156 / हो.गा. / 2024	होमगार्डस मुख्यालय में उपलब्ध विभागीय बस वाहन संख्या– UK 07 GA 1815 में अनुरक्षण संबन्धी कार्य करवाये जाने सम्बन्ध में।
157.	सीजी–157 / हो.गा. / 2024	होमगार्डस मुख्यालय में उपलब्ध नवीन स्कॉरपियो वाहन सं0– UK 07 GF 0005 में साज–सज्जा का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
158.	सीजी–158 / हो.गा. / 2024	होगा मुख्यालय में लॉन एरिया में रैलिंग सम्बन्धी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
159.	सीजी–159 / हो.गा. / 2024	निर्वाचन के दृष्टिगत S.D.R.F. से प्राप्त 20 बुलट वाहनों में सर्विस व अनुरक्षण का कार्य कराये जाने के संबंध में।
160.	सीजी–160 / हो.गा. / 2024	होगा. मुख्यालय परिसर में टाईल संबंधी कार्य कराये जाने के संबंध में।
161.	सीजी–161 / हो.गा. / 2024	होगा. मुख्यालय परिसर में Granite stone red colour fixing संबंधी कार्य कराये जाने के संबंध में।
162.	सीजी–162 / हो.गा. / 2024	होगा. मुख्यालय परिसर में लॉन एरिया की बाउन्ड्री में ईंट संबंधी कार्य कराये जाने के संबंध में।
163.	सीजी–163 / हो.गा. / 2024	होमगाईस मुख्यालय में पार्किंग एरिया में पानी की निकासी हेतु नाली बनाये जाने के संबंध में।
164.	सीजी–164 / हो.गा. / 2024	होमगाईस मुख्यालय परिसर में टिन शेड लगाये जाने संबंधी कार्य कराये जाने के संबंध में।
165.	सीजी–165 / हो.गा. / 2024	होमगाईस मुख्यालय में आउटर लेडीज टॉयलेट में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।
166.	सीजी–166 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नामरिक सुरक्षा मुख्यालय में प्लास्टर तथा पी०सी०सी. संबधी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
167.	सीजी–167 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नामरिक सुरक्षा मुख्यालय पॉन्ड बनाये जाने तथा उसमें पाईप लाईन संबंधी कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध थे।
168.	सीजी–168 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नामरिक सुरक्षा मुख्यालय में पार्किंग एरिया में पानी की निकासी देतु बनायी गई नाली के ऊपर लोहे की जाली लगाये जाने का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ।

169.	सीजी–169 / हो.गा. / 2024	कैम्प कार्यालय में वाटर फाउन्टेन संबधी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध मे।
170.	सीजी–170 / हो.गा. / 2024	मुख्यालय परिसर में बने आउटर लेडीज टॉयलेट के सामने टाईल लगाये जाने के सम्बन्ध में।
171.	सीजी–171 / हो.गा. / 2024	विभागीय परेड़ निरीक्षण वाहन (जिप्सी) में कार्य करवाये जाने के संबंध में।
172.	सीजी–172 / हो.गा. / 2024	योगध्यान केन्द्र (कन्दरा) के उद्घाटन समारोह के दृष्टिगत टेन्ट आदि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।
173.	सीजी–173 / हो.गा. / 2024	योगध्यान केन्द्र कन्दरा के उद्घाटन समारोह के दृष्टिगत खाने की व्यवस्था कराये कराये जाने के संबंध में।
174.	सीजी–174 / हो.गा. / 2024	होमगार्डस मुख्यालय में उपलब्ध लॉन हेतु सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
175.	सीजी–175 / हो.गा. / 2024	होमगार्ईन्स विभाग में तैनात वैतनिक कार्मिकों को प्रदान किये जाने वाले वेतन एवं अन्य भत्तों के सम्बन्ध में,
176.	सीजी–176 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3001 श्री कल्लू सिंह जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
177.	सीजी–177 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2455 जयवीर सिंह जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
178.	सीजी–178 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक सी.क्यू.एम. राम किशोर जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
179.	सीजी–179 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2007 श्री हरीश कुमार जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
180.	सीजी–180 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1874 श्री चरण सिंह जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
181.	सीजी–181 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1044 श्री. दिनेश कुमार जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
182.	सीजी–182 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2843 सोहन लाल जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
183.	सीजी–183 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1222 श्री दान सिंह जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
184.	सीजी–184 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3284 श्री गोकुल राम जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
185.	सीजी–185 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. श्री 1154 श्री सूरतचन्द जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
186.	सीजी–186 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1148 श्री प्यार सिंह जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
187.	सीजी–187 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1264 पी.एस विरेन्द्र सिंह जनपद रुद्रप्रयाग को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
188.	सीजी–188 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2510 श्री सेठपाल जनपद दूरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
189.	सीजी–189 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2274 श्री मुन्ना सिंह जनपद दूरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
190.	सीजी–190 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2508 श्री नेगपाल सिंह जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

191.	सीजी–191 / हो.गा. / 2024	कमाण्डेन्ट जनरल महोदय के कक्ष हेतु फर्निचर क्रय किये जाने के संबंध में।
192.	सीजी–192 / हो.गा. / 2024	DPR / भवन निर्माण अन्य कार्यों के सम्बधित शासनादेशों से सम्बन्धित।
193.	सीजी–193 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड़ 2024 स्मारिका 2024 के संम्बन्ध में।
194.	सीजी–194 / हो.गा. / 2024	रिट पिटिशन संख्या 1667 / 2024 / (s/s) रघुनाथ प्रसाद मांझी बनाम उत्तराखण राज्य के सम्बन्ध में।
195.	सीजी–195 / हो.गा. / 2024	ESI Scheme के संबंध में।
196.	सीजी–196 / हो.गा. / 2024	P.F के संबंध में।
197.	सीजी–197 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1003 श्री हुकम सिंह जनपद टिहरी गढवाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
198.	सीजी–198 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3442 श्री. राम कुमार जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
199.	सीजी–199 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक प्लाटून कमाण्डर नगर कम्पनी काशीपूर श्री राजेन्द्र सिंह जूनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
200.	सीजी–200 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1731 श्री भुवनेश्वर जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
201.	सीजी–201 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2284 कमला देवी जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
202.	सीजी–202 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1479 प्रताप सिंह जनपद अल्योग को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
203.	सीजी–203 / हो.गा. / 2024	माह अगस्त 2024 से सेवापृथक–मृतक होमगाईस की सूचना सम्बन्ध में।
204.	सीजी–204 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. अवै सहायक कम्पनी कमाण्डर श्री भोला सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह जनपद–हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
205.	सीजी–205 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक अवै. प्ला. कमा. श्री विजयपाल जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
206.	सीजी–206 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4046 श्री रामपाल जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
207.	सीजी–207 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2587 श्री राजेन्द्र सिंह जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
208.	सीजी–208 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4430 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री विद्याप्रसाद जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
209.	सीजी–209 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. सी.क्यू. एम. श्री जिले सिंह पुत्र श्री पिताम्बर सिंह जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
210.	सीजी–210 / हो.गा. / 2024	होमगाईस विभाग के लम्बित विभागीय वादों के संबंध में।
211.	सीजी–211 / हो.गा. / 2024	होममाईस विभाग समूह क ख सेवा नियमावली 2016 में संशोधन के सम्बन्ध में।

212.	सीजी–212 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1834 श्री गंगा प्रसाद पन्त पुत्र श्री दीनानाथ पन्त, जनपद पिथौरागढ़ को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
213.	सीजी–213 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स विभाग में लेखा संवर्ग के पदों के, सजृन विषयक।
214.	सीजी–214 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1323 श्री कमल सिंह जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
215.	सीजी–215 / हो.गा. / 2024	मुख्यालय में सामग्री क्रय संबंधी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
216.	सीजी–216 / हो.गा. / 2024	हो0गा0 एवं नागरिक सुरुक्षा विभाग में वर्ष–2025 मे राष्ट्रपति गृह रक्षक पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
217.	सीजी–217 / हो.गा. / 2024	हो0गा0 एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में सी०पी०आर ट्रेनिंग के संबध में।
218.	सीजी–218 / हो.गा. / 2024	हो0गा0 के आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी पत्रावली।
219.	सीजी–219 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स मुख्यालय की 25% त्रैमासिक रिपोर्ट।
220.	सीजी–220 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा की 25% त्रैमासिक रिपोर्ट।
221.	सीजी–221 / हो.गा. / 2024	भारत सरकार को भेजे वाली ड्यूरी। ट्रेनिंग सम्बन्धी पत्रावली। वर्ष 2024–25
222.	सीजी–222 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2275, श्रीमती देवा पाण्डे, जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
223.	सीजी–223 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2403 श्री नेतराम सिंह जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
224.	सीजी–224 / हो.गा. / 2024	मृतक होगा –2622, स्व श्री भुवन चन्द्र जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
225.	सीजी–225 / हो.गा. / 2024	प्राकृतिक आपदा, भूकम्प, महामारी के सम्बन्ध में।
226.	सीजी–226 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4019 श्री बाबूराम पुत्र श्री घरपाल जनपद–हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
227.	सीजी–227 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभास की त्रैमासिक रिपोर्ट के संबंध में।
228.	सीजी–228 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड / उद्गम – 2024 में कार्मिकों को सबद्ध, कार्य आवंटन एवं अतमुक्त पतावली वर्ष–2024।
229.	सीजी–229 / हो.गा. / 2024	रिट याचिका संख्या. 1980(S / S) 2024, " गोपी राम व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्यू व अन्य" के संबंध में।
230.	सीजी–230 / हो.गा. / 2024	मृतक होगा 1366 दिगम्बर सिंह जनपद अलमोडा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
231.	सीजी–231 / हो.गा. / 2024	उपनल के सम्बन्ध में (वर्ष 2024 से)
232.	सीजी–232 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड 2024 हेतु सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
233.	सीजी–233 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2164 मो. शकील अख्तर जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

234.	सीजी–234 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3223 श्री इन्द्र सिंह जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
235.	सीजी–235 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1924 श्री अमर सिंह जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
236.	सीजी–236 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3005 श्री हरपाल सिंह जनपद अधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
237.	सीजी–237 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3444 श्री रामपाल सिंह जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
238.	सीजी–238 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड 2024 के दृष्टिगत 500 विभागीय कैलेण्डर छपवाये जाने के सम्बन्ध में।
239.	सीजी–239 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड 2024 के दृष्टिगत होमगाईस स्थापना दिवस निमंत्रण. कार्ड छपवाय जाने के सम्बन्ध में।
240.	सीजी–240 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड–2024 के दृष्टिगत 500 स्मारिका छपवाने जाने के सम्बन्ध में।
241.	सीजी–241 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स स्थापना दिवस पर अयोजित उद्गम कार्यक्रम हेतु निमंत्रण कार्ड छपवाये जाने के संबंध में।
242.	सीजी–242 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2539 श्री नीतराम जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
243.	सीजी–243 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2206 श्रीमती मंजू शर्मा जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
244.	सीजी–244 / हो.गा. / 2024	कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
245.	सीजी–245 / हो.गा. / 2024	वित्तीप वर्ष 2025–26 हेतु जनपद / अधिनस्थ ईकाइयो से बजट की मांग के सम्बन्ध में।
246.	सीजी–246 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड–2024 के दृष्टिगत अंगोला शर्ट, पेन्ट व ट्रैक सूट क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
247.	सीजी–247 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड–2024 के दृष्टिगत जंगल शू, हैट बैज, कलगी, झण्डे, सफेद ग्लब्स तथा सिलिंग क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
248.	सीजी–248 / हो.गा. / 2024	उद्गम कार्यक्रम के दृष्टिगत सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
249.	सीजी–249 / हो.गा. / 2024	उद्गम कार्यक्रम के दृष्टिगत फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, साउण्ड सिस्टम तथा एल0ई0डी0 स्क्रीन सिस्टम लगाये जाने के सम्बन्ध में।
250.	सीजी–250 / हो.गा. / 2024	दि0 04.12.2025 ग्रान्ड रिहर्सल तथा 06.12.2024 को होमगार्ड्स स्थापना दिवस के अवसर पर रैतिक परेड–2024 के दृष्टिगत फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, साउण्ड सिस्टम लगाये जाने के सम्बन्ध में।
251.	सीजी–251 / हो.गा. / 2024	होमगाईस स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित फ्लैक्स / बैनर होर्डिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में।
252.	सीजी–252 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड–2024 के दृष्टिगत गीजर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

253.	सीजी–253 / हो.गा. / 2024	होमगाईस स्वयंसेवको हेतु वर्दी सिलाई जाने के सम्बन्ध में।
254.	सीजी–254 / हो.गा. / 2024	मृतक होगा 1347 स्व. श्री रविन्द्रा प्रसाद सेमवाल जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
255.	सीजी–255 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1917 श्री कन्हैया सिंह जनपद पौड़ी गढ़वाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
256.	सीजी–256 / हो.गा. / 2024	दि0 06 / 12 / 2024 तथा 07 / 12 / 2024 को क्रोकरी / फूड स्टॉल / हीटर / कॉफी टेबल की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।
257.	सीजी–257 / हो.गा. / 2024	दि 04 व 06 / 12 / 2024 के दृष्टिगत जर्मन हैगर लगाये जाने के सम्बन्ध में।
258.	सीजी–258 / हो.गा. / 2024	दि 07 / 12 / 2024 के दृष्टिगत जर्मन हैगर लगाये जाने के सम्बन्ध में।
259.	सीजी–259 / हो.गा. / 2024	दि 04 / 06 / 07 को स्टेज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बध में।
260.	सीजी–260 / हो.गा. / 2024	दि0 04 / 06 / 07 को टेन्ट की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
261.	सीजी–261 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1429 श्री खिलानन्द जनपद टिहरी गढ़वाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
262.	सीजी–262 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. पी.सी. श्री आनन्द प्रकाश जनपद अल्मोडाको कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
263.	सीजी–263 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1900 बिशन राम जनपद अल्मोड़ा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
264.	सीजी–264 / हो.गा. / 2024	दि 08 / 12 / 2024 को उद्गम कार्यक्रम के दृष्टिगत 350 विशिष्ट अतिथियों हेतु रात्रि भोजन की व्यवस्था के संबन्ध में।
265.	सीजी–265 / हो.गा. / 2024	दि० 05.12.2024 की अयोजित ग्रैण्ड रिहर्सल के दृष्टिगत 600 व्यक्तियों हेतु सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था के सबन्ध में।
266.	सीजी–266 / हो.गा. / 2024	दि0 07.12.2024 को रैतिक परेड 2024 के दृष्टिगत स्नैक्स तथा दि0 08.12.202 को उद्गम के दृष्टिगत स्नैक्स की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।
267.	सीजी–267 / हो.गा. / 2024	दि० 08.12.2024 को स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित उद्गम कार्यक्रम के दृष्टियान 550 सामान्य जन हेतु रात्रि योजन की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।
268.	सीजी–268 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड 2024 के दृष्टिगत साज–सज्जा सामग्री क्रय ।
269.	सीजी–269 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड 2024 के दृष्टिगत नवोदय विद्यालय परिसर में प्लम्बिंग व अन्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
270.	सीजी–270 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड 2024 के अवसर पर हो0 के रूकने के स्थान नवोदय विद्यालय में एल्यूमिनियम पार्टीशन व पेन्ट का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
271.	सीजी–271 / हो.गा. / 2024	महिला आर्केस्टा बैण्ड जुगनिया हेतु बैण्ड सामग्री क्रय किये किये जाने के संबंध में।
272.	सीजी–272 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड व उत्सव कार्यक्रम के दृष्टिगत फूलो की सजावट व –सज्या सामग्री क्रय अन्य साज–सज्या किये जाने के सम्बन्ध में।

273.	सीजी–273 / हो.गा. / 2024	रैतिक परेड – 2024 के दृष्टिगत दि0 07.12.2024 को सांय खाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
274.	सीजी–274 / हो.गा. / 2024	वित्तीय वर्ष –2025–26 हेतु बजट माँग।
275.	सीजी–275 / हो.गा. / 2024	वित्तीय वर्ष 2025–26 के विभागी आय–व्यय तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।
276.	सीजी–276 / हो.गा. / 2024	दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के सम्बध में।
277.	सीजी–277 / हो.गा. / 2024	अवकाश से सम्बधित पत्रावली (राजपत्रित) वर्ष –2025
278.	सीजी–278 / हो.गा. / 2024	अवकाश से सम्बधित पत्रावली (अराजपत्रित) वर्ष –2025
279.	सीजी–279 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2227 कल्पना चौहान जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
280.	सीजी–280 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3048 सोमपाल जनपद ऊ०सि.न. को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
281.	सीजी–281 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1098 रणजीत लाल जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
282.	सीजी–282 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1432 सुरेन्द्र सिंह जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
283.	सीजी–283 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1425 बलवन्त सिंह जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
284.	सीजी–284 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1476 दलीप सिंह जनपद पौडी गढ़वाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
285.	सीजी–285 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1221 देवेन्द्र सिंह जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
286.	सीजी–286 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1059 श्री जगमोहन सिंहू जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
287.	सीजी–287 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1144 श्री पुलम सिंह जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
288.	सीजी–288 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1909 श्री मोहन सिंह जनपद अल्मोडा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
289.	सीजी–289 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1232 पदम बहादुर जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
290.	सीजी–290 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1884 मोहन सिंह जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
291.	सीजी–291 / हो.गा. / 2024	नागरिक सुरक्षा की विविध पत्रावली ।
292.	सीजी–292 / हो.गा. / 2024	अधीनस्थ जनपद एवं इकाईयों को होमगाईस मुख्यालय से दिये जाने वाली सामग्री के संबंध में।
293.	सीजी–293 / हो.गा. / 2024	होगा0अवै0 अधिकारियों की भर्ती के संबंध में।
294.	सीजी–294 / हो.गा. / 2024	आयकर कटौति संबंधी पत्रावली 2025–26।
295.	सीजी–295 / हो.गा. / 2024	आंचल, पुत्री श्री मोहन सिंह पंवार को कल्याण कोष से छात्रवृति प्रदान किये जाने के संबंध में।
296.	सीजी–296 / हो.गा. / 2024	हो.गा. 2821 राम सिंह के आश्रितों को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
297.	सीजी–297 / हो.गा. / 2024	मृतक होगा. सी.एस. कम. नारायण राय के आश्रितों को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

298.	सीजी–298 / हो.गा. / 2024	मृतक होगा 3618– काका सिंह के आश्रितों को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
299.	सीजी–299 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1179, विशन सिंह जनपद–उत्तरकारी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
300.	सीजी–300 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1120, श्री मूर्ति लाल जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
301.	सीजी–301 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2116 श्री विद्यासागर जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
302.	सीजी–302 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1239 सत्यप्रकाश जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
303.	सीजी–303 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1825 इन्द्रमणी जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
304.	सीजी–304 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. होगा – 1116 बलदेव राज, जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
305.	सीजी–305 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1400 शिवप्रसाद जनपद टिहरी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
306.	सीजी–306 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1455 इन्द्र लाल जनपद अल्मोड़ा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
307.	सीजी–307 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1957 श्री आनन्द सिंह जनपद अल्मोड़ा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
308.	सीजी–308 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3446 श्री सोहन लाल जुनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
309.	सीजी–309 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2854 अफसर अली जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
310.	सीजी–310 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2487 अशोक कुमार जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
311.	सीजी–311 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1713 सुभाष चून्द्र शर्मा जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
312.	सीजी–312 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3208 श्री भूपेन्द्र प्रकाश जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
313.	सीजी–313 / हो.गा. / 2024	मृतक होगा. 1966 स्व भी पूरन सिंह जनपद अल्मोड़ा के आश्रितों को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
314.	सीजी–314 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1550 श्री मोहन सिंह जनपद बागेश्वर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
315.	सीजी–315 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1557 श्री पनी राम जनपद बागेश्वर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
316.	सीजी–316 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1558 चन्द्र राम जनपद बागेश्वर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
317.	सीजी–317 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1628 मोहन राम जनपद बागेश्वर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
318.	सीजी–318 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स कल्याण कोप नियमावली संशोधन के सम्बन्ध में।
319.	सीजी–319 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1870 श्री गीताराम जनपद पौडी गढ़वाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

320.	सीजी–320 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को सशस्त्र ड्यूटी पर लगाये जाने के संबंध में।
321.	सीजी–321 / हो.गा. / 2024	जनपद / इकाईयो के मांग के सम्बंध में।
322.	सीजी–322 / हो.गा. / 2024	श्री श्रेयश कुशवाह, पुत्र श्री सुरेश कुमार कुशवाह, प्रशासनिक निरीक्षक, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीनगर को कल्याण कोष से छात्रवृति के सम्बन्ध में।
323.	सीजी–323 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक अवै. पी.सी धर्मवीर शर्मा जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
324.	सीजी–324 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4320 सुरेन्द्र सिंह जनपद–हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
325.	सीजी–325 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2226 जोगेन्द्र कौर जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
326.	सीजी–326 / हो.गा. / 2024	Audit के संबंध में।
327.	सीजी–327 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2457 श्री सुरेश कुमार जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
328.	सीजी–328 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4456 श्री. अमरपाल जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
329.	सीजी–329 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4906 नरेश कुमार जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
330.	सीजी–330 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2141 श्री मदन राम जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
331.	सीजी–331 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1074 श्री प्रद्युमन सिंह पुत्र श्री बचन सिंह को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
332.	सीजी–332 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1048 कमलमोहन सिंह पुत्र श्री मातबर सिंह जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
333.	सीजी–333 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1207 श्री जबर सिंह पुत्र श्री सैंपाल सिंह जूनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
334.	सीजी–334 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1811 श्री नवीन चन्द्र पन्त पुत्र श्री देवकीनन्दन पन्त जनपद पिथौरागढ़ को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
335.	सीजी–335 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स मुख्यालय हेतु Acrylic Sheet क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
336.	सीजी–336 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स मुख्यालय में अवस्थित तार की जाली का सुद्धीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
337.	सीजी–337 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1475 श्री ललित प्रसाद जनपद अल्मोडा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
338.	सीजी–338 / हो.गा. / 2024	होमगार्ड्स सम्मेलन / समीक्षा रिपोर्ट।
339.	सीजी–339 / हो.गा. / 2024	कल्याण कोष हेतु कटौती की माहवार सूचना।
340.	सीजी–340 / हो.गा. / 2024	श्री हिम्मत सिंह चतुर्थ श्रेणी, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।
341.	सीजी–341 / हो.गा. / 2024	writ Petition (SB) No- 45 of 2025 मदन मोहन पाठक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

342.	सीजी–342 / हो.गा. / 2024	श्री शुभम राना वरिष्ठ सहायक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।
343.	सीजी–343 / हो.गा. / 2024	श्री श्यामेन्द्र कुमार साहू उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा, देहरादून के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।
344.	सीजी–344 / हो.गा. / 2024	आगामी कुम्भ / अर्धकुम्भ मेला, 2027 हेतु होमगार्ड्स के लिये काम्पलेक्स निर्माण। / आर्केस्ट्रा बैण्ड सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
345.	सीजी–345 / हो.गा. / 2024	आर्केस्ट्रा बैण्ड सामग्री हेतु कवर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
346.	सीजी–346 / हो.गा. / 2024	वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष–2025–26 हेतु अधीनस्थ कार्यलय तथा मुख्यालय की कार्यालय ड्यूटी / हैल्पडेस्क के संबंध में।
347.	सीजी–347 / हो.गा. / 2024	वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष–2025–26 में यातायात / शान्ती व्यवस्था ड्यूटी के संबंध में।
348.	सीजी–348 / हो.गा. / 2024	वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष–2025–26 में अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी के संबंध में।
349.	सीजी–349 / हो.गा. / 2024	कार्टेज क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
350.	सीजी–350 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर श्री राजपाल सिंह जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
351.	सीजी–351 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1342 श्याम लाल जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
352.	सीजी–352 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1195 श्री रणवीर सिंह जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
353.	सीजी–353 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1180 श्री प्रेम लाल जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
354.	सीजी–354 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1177 श्री राजेन्द्र प्रसाद जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
355.	सीजी–355 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1563 श्री गोपाल राम जनपद – बागेश्वर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
356.	सीजी–356 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4382 श्री गोपीचन्द जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
357.	सीजी–357 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2589 श्री महेन्द्र सिंह जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
358.	सीजी–358 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2520 अरविन्द कुमार जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
359.	सीजी–359 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2549 कुवरपाल जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
360.	सीजी–360 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4004 श्री पवन कुमार जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
361.	सीजी–361 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 4280 श्री विरेशपाल जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
362.	सीजी–362 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3242 श्री रोहताश सिंह जनपद नैनीताल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
363.	सीजी–363 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 3475 श्री छेदा लाल जूनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

364.	सीजी–364 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1359 श्री गोबर सिंह जनपद अल्मोड़ा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
365.	सीजी–365 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1341 श्री बलकत बलवन्त सिंह जनपद चमोली को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
366.	सीजी–366 / हो.गा. / 2024	अधीनाथ जनपद / इकाई हेतु कम्प्यूटर सैट क्रय किये जाने के संबंध में।
367.	सीजी–367 / हो.गा. / 2024	वार्षिक स्थानान्तरण साल 2025–26।
368.	सीजी–368 / हो.गा. / 2024	कार्यालय फर्नीचर सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
369.	सीजी–369 / हो.गा. / 2024	कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
370.	सीजी–370 / हो.गा. / 2024	मृतक होगा० 1101 श्री अजय सिंह जनपद पिथौरागढ़ को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
371.	सीजी–371 / हो.गा. / 2024	अन आर्म्ड काम्बैट हेतु सामुग्री किये किये जाने के सम्बन्ध में।
372.	सीजी–372 / हो.गा. / 2024	के0प्र0सं0 थानों हेतु फर्नीचर सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
373.	सीजी–373 / हो.गा. / 2024	लेपटॉप क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
374.	सीजी–374 / हो.गा. / 2024	मृतक हो.गा. 1506 श्री सुरेन्द्र लाल जनपद रुद्रप्रयाग को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
375.	सीजी–375 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1592 श्रीमती अनिता रानी पत्नी श्री सुरेश चन्द जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
376.	सीजी–376 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1376 श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री संतेश्वर प्रसाद जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
377.	सीजी–377 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1039 श्री विजय प्रसाद बहुगुणा पुत्र श्री कल्पेश्वर प्रसाद बहुगुणा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
378.	सीजी–378 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1957 राजपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
379.	सीजी–379 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक सीक्यूएम सलीम अहमद पुत्र श्री सराजदीन जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
380.	सीजी–380 / हो.गा. / 202	सेवापृथक हो.गा. 2581 सोमपाल पुत्र श्री चौदल सिंह जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
381.	सीजी–381 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2513 श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
382.	सीजी–382 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2195 श्रीमती पवन चौहान पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
383.	सीजी–383 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2094 श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री तुगूल सिंह जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

384.	सीजी–384 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 2475 श्री रामशेर अली पुत्र श्री दीन मोहम्मद जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
385.	सीजी–385 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1662 श्री लक्ष्मी प्रसाद जनपद बागेश्वर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
386.	सीजी–386 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1179 श्री भगवती प्रसाद जनपद पौडी गढ़ वाल को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
387.	सीजी–387 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1228 श्री जगदीश चन्द्र जनपद अल्मोडा को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
388.	सीजी–388 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1921 श्री गजेन्द्र दत्त रतूडी जनपद–देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
389.	सीजी–389 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1485 श्री रूस्तम सिंह जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
390.	सीजी–390 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1945 श्री राधेश्याम जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
391.	सीजी–391 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1599 श्रीमती राजवत्ती पत्नी श्री राम सिंह जनपद देहरादून को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
392.	सीजी–392 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. अवै. पीसी श्रीमती उषा धीमान जनपद हरिद्वार को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
393.	सीजी–393 / हो.गा. / 2024	मृतक होमगाईस 1556 नवीन चंद्र जनपद बगेश्वर के आश्रितों को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
394.	सीजी–394 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1485 पी एस. भगवान सिंह जनपद रुद्रप्रयाग को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
395.	सीजी–395 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1819 नरेन्द्र कुमार जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
396.	सीजी–396 / हो.गा. / 2024	मृतक हो.गा. – 4898 श्री नारायणदास जनपद हरिद्वार के आश्रितों को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
397.	सीजी–397 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1235 श्री, जयवीर सिंह जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
398.	सीजी–398 / हो.गा. / 2024	सेवापृथक हो.गा. 1226 श्री राजेन्द्र प्रसाद, जनपद उत्तरकाशी को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2025–26

क्र०स०	पत्रावली संख्या	पत्रावली का विवरण
1.	सीजी–1 / हो.गा. / 2025	शिथलीकरण प्रदान करने विषयक (वर्ष– 2025 से)
2.	सीजी–2 / हो.गा. / 2025	T.A Bill संबंधी पत्रावली 2025–26।
3.	सीजी–3 / हो.गा. / 2025	विभागीय वाहनों के अनुरक्षण के संबंध में।
4.	सीजी–4 / हो.गा. / 2025	वर्दी सामग्री मांग के संबंध में।
5.	सीजी–5 / हो.गा. / 2025	कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
6.	सीजी–6 / हो.गा. / 2025	स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) के अवसर पर राष्ट्रपति का गृह रक्षक पदक प्रदान किये जाने के संबंध में।
7.	सीजी–7 / हो.गा. / 2025	सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 हेतु अनुरोध पत्रों के संबंध में।
8.	सीजी–8 / हो.गा. / 2025	अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन से सम्बन्धित पत्रावली।
9.	सीजी–9 / हो.गा. / 2025	होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।(2025)
10.	सीजी–10 / हो.गा / 2025	होमगार्ड्स मुख्यालय का राज्य आडिट कराये जाने के संबंध में।
11.	सीजी–11 / हो.गा. / 2025	प्रकीर्ण व्यय के सम्बन्ध में।
12.	सीजी–12 / हो.गा. / 2025	संविदा / हो0गा0 स्वयंसेवकों की उपस्थिति एवं भुगतान के सम्बन्ध में।
13.	सीजी–13 / हो.गा. / 2025	बायोमेट्रिक सम्बन्धी पत्रावली।
14.	सीजी–14 / हो.गा. / 2025	होमगार्ड्स मुख्यालय प्रयोगार्थ सामग्री क्रय एवं अन्य कार्य कराये जाने सम्बन्धी पत्रावली।
15.	सीजी–15 / हो.गा. / 2025	B.M-08 वित्तीय वर्ष 2025–26 के सम्बन्ध में।
16.	सीजी–16 / हो.गा. / 2025	B.M-12 वित्तीय वर्ष 2025–26 के सम्बन्ध में।
17.	सीजी–17 / हो.गा. / 2025	B.M-13 वित्तीय वर्ष 2025–26 के सम्बन्ध में।
18.	सीजी–18 / हो.गा. / 2025	कैम्प कार्यालय से सामग्री प्राप्त किये जाने क संबंध में।
19.	सीजी–19 / हो.गा. / 2025	राज्य योजना आयोग की मासिक रिपोर्ट–वित्तीय वर्ष 2025–26 के संबंध में।
20.	सीजी–20 / हो.गा. / 2025	मुख्यालय की बैंक प्राप्तीयों की चालान की मासिक सूचना।
21.	सीजी–21 / हो.गा. / 2025	मुख्यालय की सूचना अधिकार की मासिक रिपोर्ट।
22.	सीजी–22 / हो.गा. / 2025	प्रशिक्षण में नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
23.	सीजी–23 / हो.गा. / 2025	नगरिक सूरक्षा की 05 इकाईयों खोले जाने के संबंध में।
24.	सीजी–24 / हो.गा. / 2025	नगरिक सुरक्षा की विविध पत्रावली।
25.	सीजी–25 / हो.गा. / 2025	सूचना आयोग को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट विषयक।
26.	सीजी–26 / हो.गा. / 2025	सूचना अधिकारा के अर्न्तगत अपील के संबंध में। 2025–26
27.	सीजी–27 / हो.गा. / 2025	नगरिक सुरक्षा को अनुमन्य SDRF फण्ड से सामग्री क्रय विषयक।
28.	सीजी–28 / हो.गा. / 2025	भारत सरकार को भेजे जाने वाली ड्यूटी प्रतिशत मासिक रिपोर्ट।
29.	सीजी–29 / हो.गा. / 2025	शासन को भेजे जाने वाली विशिष्ट उपलब्धियों की MDO प्रगति रिपोर्ट।
30.	सीजी–30 / हो.गा. / 2025	नगरिक सुरक्षा विभाग की महत्वपूर्ण कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट।

31.	सीजी–31 / हो.गा. / 2025	रिट पिटिशन संख्या– 852 / 2025(S/S) आकाश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।
32.	सीजी–32 / हो.गा. / 2025	श्री उदित सिंह नेगी, कनिष्ठ सहायक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।
33.	सीजी–33 / हो.गा. / 2025	कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स देहरादून को आवंटित भूति पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की जॉच के सम्बन्ध में।
34.	सीजी–34 / हो.गा. / 2025	मुख्यालय से वाहन आवंटन सम्बद्धीकरण / ईधन आधि के सम्बन्ध में।
35.	सीजी–35 / हो.गा. / 2025	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सतस्त कार्मिकों द्वारा चल–अचल समपत्ति से संबंधित पत्रावली।
36.	सीजी–36 / हो.गा. / 2025	शासन एवं भारत सरकार में लम्बित प्रस्ताव का विवरण।
37.	सीजी–37 / हो.गा. / 2025	A.G मिलांन 2025–26।
38.	सीजी–38 / हो.गा. / 2025	सेवापृथक हो.गा. 2472 श्री भरत सिंह जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
39.	सीजी–39 / हो.गा. / 2025	सेवापृथक हो.गा. 3096 श्री गुरनाम सिंह जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
40.	सीजी–40 / हो.गा. / 2025	सेवापृथक हो.गा. 2846 श्री अब्दुल हमीद जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
41.	सीजी–41 / हो.गा. / 2025	सेवापृथक हो.गा. 2440 श्री सुन्दर लाल जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
42.	सीजी–42 / हो.गा. / 2025	सेवापृथक हो.गा. 2803 श्री याकुब जनपद ऊधमसिंहनगर को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।
43.	सीजी–43 / हो.गा. / 2025	रिट पिटिशन संख्या– 947 / (S/S)2025 श्री विनय कुमार त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।
44.	सीजी–44 / हो.गा. / 2025	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
45.	सीजी–45 / हो.गा. / 2025	वित्तीय वर्ष 2024–25 में हो0गा0 स्वयं सेवकों की ड्यूटी सम्बन्धी सूचना के सम्बन्ध में।
46.	सीजी–46 / हो.गा. / 2025	Border wing Homeguards के सम्बन्ध में।
47.	सीजी–47 / हो.गा. / 2025	श्री नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ सहायक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।

नागरिक सुरक्षा

<u>ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण</u>

1— नागरिक सुरक्षा के सामान्य सिद्धान्त।

2— नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968।

3— कम्पेडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ऑन सिविल डिफैन्स।

मैनुअल—7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है

होमगार्ड्स

<u>किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैः—</u>

होमगार्ड्स विभाग निष्काम सेवी विभाग है। इसका मुख्य कार्य पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करना है जो सीधे जनता से नहीं जुड़े हैं।

होमगार्ड्स स्वयं सेवक सामान्यतः गरीब वर्ग से सम्बन्धित है। इनके कार्यो एवं उपलब्धियों की केवल जनता से प्रशंसा की अपेक्षा है।

होमगार्ड्स विभाग में होमगार्ड्स सदस्यों के कल्याणार्थ धनराशि रू0 1,08,01,127/—मात्र की एफ0डी0 बैंक में जमा है, जिसके ब्याज से एवं समय—समय पर शासन से प्राप्त धनराशि से मृतक/घायल व मेधावी छात्रों को कल्याण कोष से शासनादेशानुसार निर्धारित समिति द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नागरिक सुरक्षा

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैः–

नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के कार्यो एवं उपलब्धियों की जनता से प्रशंसा की अपेक्षा है।

मैनुअल–8

ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी

होमगार्ड्स

ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगीः—

होमगार्ड्स विभाग का कार्य सीधे जनता से नहीं जुड़ा है। होमगार्ड्स विभाग में इस प्रकार की बैठक आयोजित नहीं होती है। अस्तु बैठक की कार्यवृत्तियां आम जनता को सुलभ कराना अपेक्षित नहीं है।

नागरिक सुरक्षा

ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगीः—

नागरिक सुरक्षा का कार्य सीधे जनता से जुड़ा है। नागरिक सुरक्षा विभाग में इस प्रकार की बैठक समय—समय पर आयोजित होती हैं।

मैनुअल–9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

होमगार्ड्स

अधिकारियों की निर्देशिकाः—

होमगार्ड्स विभाग के अधिकारियों की पृथक से कोई निर्देशिनी नहीं है तथापि विभागीय अधिकारियों के टेलीफोन एवं फैक्स नम्बर निम्नवत हैः—

होमगार्ड्स विभाग के अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

क्र. सं.	नाम / पद	कोड नं0	कार्यालय फोन नं0	आवास फोन नं0	मोबाईल नं0	फैक्स नं0
1	डॉ पी0वी0के0 प्रसाद, कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0135	2784471	—	9027020188	2784471
2	श्री अमिताभ श्रीवास्तव, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	0135	2784473	—	9917790009	2784473
3	श्री राजीव बलोनी डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	0135	2784472	2131575	9411111994	2784473
4	सुश्री एकता उनियाल, वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी, होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	0135	2784473	—	9411500494	2784473
5	श्री ललित मोहन जोशी, वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी, होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	0135	2784473	—	9412969511	220491
6	श्री राहुल सचान, स्टॉफ अधिकारी, होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	0135	2784473	—	9415262010	2784473
7	श्रीमती प्रतिमा, सहायक उपमहासमादेष्टा, होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	0135	2784473	—	9415343751	2784473
8	सुश्री एकता उनियाल, (अतिरिक्त प्रभार) कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, थानों, देहरादून।	0135	2784473	—	9411500494	2784473
9	श्री गौतम कुमार, मण्डलीय कमाण्डेन्ट, गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर।	01346	244137	—	9457585300	244137
10	श्री निर्मल जोशी, जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, देहरादून।	0135	2668922	—	8826881525	2668922

11	श्री चन्द्रकान्त सिंह बिष्ट, प्रभारी जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, टिहरी।	01378	227270	—	9412127922	227270
12	श्री गौतम कुमार, (अतिरिक्त प्रभार), जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, हरिद्वार।	01334	225637	—	9457585300	225637
13	श्री गौतम कुमार, (अतिरिक्त प्रभार), जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, पौड़ी।	01368	222458	—	9457585300	—
14	श्री सुरेन्द्र दत्त डंगवाल, प्रभारी जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, रूद्रप्रयाग।	01364	233064	—	9411143432	—
15	श्री दीपक कुमार भट्ट, प्रभारी जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, चमोली।	01372	252231	—	9412151246	252231
16	श्री विजयपाल, प्रभारी जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तरकाशी।	01374	222318	—	9997240574	222318
17	श्री गौतम कुमार, (अतिरिक्त प्रभार), कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीनगर।	01346	244612	—	9457585300	244612
18	श्री ललित मोहन जोशी, (अतिरिक्त प्रभार), मण्डलीय कमाण्डेन्ट, कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी।	05946	220491	—	9412969511	220491
19	श्रीमती प्रतिमा, (अतिरिक्त प्रभार) जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, नैनीताल।	05946	284034	—	9415343751	284034
20	श्री जुगल किशोर भट्ट, प्रभारी जिला कमाण्डेन्ट, उधमसिंहनगर।	05946	225540	—	9411785647	225540
21	श्री रविन्द्र प्रसाद, प्रभारी जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, पिथौरागढ़।	05964	225540	—	9412910991	225540
22	श्रीमती प्रतिमा, (अतिरिक्त प्रभार) होमगार्ड्स, चम्पावत।	05965	231033	—	9415343751	231033
23	श्री नितिन काकेरवाल, जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, बागेश्वर।	05963	220083	—	7838109294	220083

24	श्री नितिन काकेरवाल, (अतिरिक्त प्रभार) जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, अल्मोड़ा।	05962	234375	—	7838109294	234375
25	श्रीमती प्रतिमा, (अतिरिक्त प्रभार) कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्रपुर।	05944	250124	—	9415343751	250124

नागरिक सुरक्षा

अधिकारियों की निर्देशिकाः–

नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की पृथक से कोई निदर्शिनी नहीं है तथापि विभागीय अधिकारियों के टेलीफोन एवं फैक्स नं0 निम्नवत हैः–

क्र. सं.	नाम / पद	कोड	दूरभाष		मोबाईल नं0	फैक्स नं0
			कार्यालय	आवास		
1	डॉ पी0वी0के0 प्रसाद, निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उत्तराखण्ड।	0135	2784471	–	9027020188	2784471
2	श्री सविन बंसल, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी / नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, देहरादून।	0135	2622389	2659975	–	2720025
3	श्री श्यामेन्द्र कुमार साहू, उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, देहरादून।	0135	2532105	2532088	9412972120	2532105

मैनुअल—10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

होमगार्ड्स

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है:–

(क) विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार निम्न प्रकार है:–

1	कमाण्डेन्ट जनरल	:	वेतनमान रू0 131100–216600/–	13ए
2–	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल	:	वेतनमान रू0 123100–215900/–	13
3–	कमाण्डेन्ट सी0टी0आई0	:	वेतनमान रू0 118500–214100/–	13
4–	वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी	:	वेतनमान रू0 78800–209200/–	12
5–	स्टॉफ अधिकारी	:	वेतनमान रू0 67700–208700/–	11
6–	सहायक उपमहासमादेष्टा	:	वेतनमान रू0 67700–208700/–	11
7–	मण्डलीय कमाण्डेन्ट	:	वेतनमान रू0 67700–208700/–	11
8–	जिला कमाण्डेन्ट/कमाण्डेन्ट	:	वेतनमान रू0 65100–177500/–	10
9–	कमाण्डेन्ट जि0प्र0 केन्द्र	:	वेतनमान रू0 65100–177500/–	10
10–	चिकित्सा अधिकारी	:	वेतनमान रू0 65100–177500/–	10
11–	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	:	वेतनमान रू0 65100–177500/–	10
12–	सहायक कमाण्डेन्ट सी0टी0आई0	:	वेतनमान रू0 65100–177500/–	10
13–	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	:	वेतनमान रू0 47600–151100/–	8
14–	प्रशासनिक अधिकारी	:	वेतनमान रू0 44900–142400/–	7
15–	फार्मासिस्ट	:	वेतनमान रू0 44900–142400/–	7
16–	प्रशासकीय निरीक्षक	:	वेतनमान रू0 35400–112400/–	6
17–	क्वाटर मास्टर	:	वेतनमान रू0 35400–112400/–	6
18–	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	:	वेतनमान रू0 35400–112400/–	6
19–	निरीक्षक	:	वेतनमान रू0 35400–112400/–	6
20–	प्रधान सहायक	:	वेतनमान रू0 35400–112400/–	6
21–	वैयक्तिक सहायक	:	वेतनमान रू0 29200–92300/–	5
22–	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	:	वेतनमान रू0 29200–92300/–	5
23–	वरिष्ठ सहायक	:	वेतनमान रू0 29200–92300/–	5
24–	कनिष्ठ सहायक	:	वेतनमान रू0 21700–69100/–	3
25–	ब्लाक ऑर्गनाईजर	:	वेतनमान रू0 21700–69100/–	3
26–	आरमोरर	:	वेतनमान रू0 21700–69100/–	3
27–	हवलदार प्रशिक्षक	:	वेतनमान रू0 19900–63200/–	2
28–	चालक	:	वेतनमान रू0 19900–63200/–	2
29–	चतुर्थ श्रेणी	:	वेतनमान रू0 18000–56900/–	1

(ख) अवैतनिक पदाधिकारियों का मानदेय :–

अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	–	रू0 2000/– प्रति माह
अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर	–	रू0 1700/– प्रति माह
अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	–	रू0 1500/– प्रति माह

(ग) होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का दैनिक भत्ता (मजदूरी) –

– रू0 600/– प्रति दिन

– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता।

– राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य धुलाई भत्ता।

(घ) अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनमान

1–होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

क्र.सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार	लेवल
1.	डॉ पी0वी0के0 प्रसाद	कमाण्डेन्ट जनरल	131100–216600	13ए
2.	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल	123100–215900	13
3.	श्री राजीव बलोनी	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल	123100–215900	13
4.	सुश्री एकता उनियाल	वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी	78800–209200	12
5.	श्री ललित मोहन जोशी	वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी	78800–209200	12
6.	श्रीमती प्रतिमा	सहायक उपमहासमादेष्टा	67700–208700	11
7.	श्री राहुल सचान	स्टॉफ अधिकारी	67700–208700	11
8.	श्री श्यामेन्द्र कुमार साहू	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500	10
9.	श्री प्रीतम सिंह	प्रशासकीय निरीक्षक	35400–112400	6
10.	श्री शुभम राना	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	5
11.	श्री कबीन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	5
12.	श्री नरेन्द्र कुमार	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	5
13.	श्री उदित सिंह नेगी	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3
14.	कु0 सुमन रावत	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3
15.	श्री तारा चन्द	वाहन चालक	44900–142400	7
16.	श्री मनोज कुमार गैरोला	वाहन चालक	19900–63200	2
17.	श्री दशरथ सिंह	चतुर्थ श्रेणी	18000–56900	1

2–केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान थानों देहरादून।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार	लेवल
1.	श्री प्रदीप सिंह	क्वाटर मास्टर	35400–112400	6
2.	श्री मोहन सिंह पंवार	प्रधान सहायक	35400–112400	6

3–मण्डलीय कार्यालय, कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार	लेवल
1.	कु0 रेनू भट्ट	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	5
2.	कु0 रेनू जोशी	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3
3.	श्री हिम्मत सिंह	चतुर्थ श्रेणी	18000–56900	1

4–मण्डलीय कार्यालय, गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार	लेवल
1.	श्री गौतम कुमार	मण्डलीय कमाण्डेन्ट	67700–208700	11
2.	श्री राजबीर	आशुलिपिक	25500–81100	4
3.	कु0 विशाखा कौशिक	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3

5–जिला प्रशिक्षण केन्द्र, ऊधमसिंहनगर।

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्रीमती मधु पन्त	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	5
2.	श्री गोपाल सिंह चौहान	प्रधान सहायक	35400–112400	6
3.	श्री सतनाम	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3
4.	श्रीमती सुनीता चौहान	हवलदार प्रशिक्षक	19900–63200	2
5.	श्री कमल कुमार	हवलदार प्रशिक्षक	19900–63200	2
6.	श्रीमती बबीता पुनेड़ा	हवलदार प्रशिक्षक	19900–63200	2
7.	श्री उमाशकंर	हवलदार प्रशिक्षक	19900–63200	2
8.	संजय कुमार शैली	वाहन चालक	21700–69100	3
9.	श्री दीपांकुर चौहान	चतुर्थ श्रेणी	18000–56900	1
10.	श्री ललित खाती	चतुर्थ श्रेणी	18000–56900	1

6–जिला प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीनगर।

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री सुरेश कुमार कुशवाहा	प्रशासकीय निरीक्षक	35400–112400	6
2.	कु0 दीक्षा रावत	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3
3.	सुश्री स्वाति	हवलदार प्रशिक्षक	19900–63200	2
4.	श्री मनीष दनौसी	हवलदार प्रशिक्षक	19900–63200	2
5.	प्रदीप कुमार	हवलदार प्रशिक्षक	19900–63200	2
6.	श्रीमती नेहा चन्द	हवलदार प्रशिक्षक	21700–63200	2

7–जनपद कार्यालय नैनीतालः–

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्रीमती रेखा पाण्डे	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100	8
2.	चेतन मैठानी	वैतनिक निरीक्षक	35400–112400	6
3.	श्रीमती शशि बोरा	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200–92300	5
4.	श्री सोनू	ब्लॉक ऑर्गनाईजर	21700–69100	3
5.	श्री ओमवीर	ब्लॉक ऑर्गनाईजर	21700–69100	3
6.	श्री विक्रम सिंह	वाहन चालक	21700–69100	3
7.	श्री दीवान सिंह	चतुर्थ श्रेणी	29200–92300	5

8–जनपद कार्यालय ऊधमसिंहनगरः–

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री रविशंकर यादव	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100	8
2.	श्री जुगल किशोर भट्ट	वैतनिक निरीक्षक	35400–112400	6
3.	श्री मोहन सिंह खाती	प्रधान सहायक	35400–112400	6
4.	अजीत कौर	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200–92300	5
5.	श्री सोहन सिंह	ब्लॉक ऑर्गनाईजर	21700–69100	3
6.	श्री कवि	ब्लॉक ऑर्गनाईजर	21700–69100	3
7.	श्रीमती प्रेमलता टम्टा	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3

9–जनपद कार्यालय अल्मोड़ाः–

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री अरूण कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400	7
2.	श्री जितेन्द्र सिंह	वैतनिक निरीक्षक	35400–112400	6
3.	दिवस कुकरेती	वाहन चालक	21700–69100	3

10–जनपद कार्यालय पिथौरागढ़ः–

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री रविन्द्र प्रसाद	वैतनिक निरीक्षक	35400–112400	6
2.	श्री मनोज कुमार लोहुमी	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200–92300	5
3.	रोजी वर्मा	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	5
4.	श्री संजय सिंह बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3
5.	श्री शेर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	25500–81100	4

11—जनपद कार्यालय पौड़ीः—

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्रीमती संगीता माथुर	प्रशासनिक अधिकारी	44900—142400	7
2.	श्री विनोद सिंह	वैतनिक निरीक्षक	35400—112400	6
3.	श्रीमती बबीता रावत	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	5
4.	सुमन बिष्ट	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	5

12—जनपद कार्यालय टिहरीः—

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री विजयपाल	वैतनिक निरीक्षक	35400—112400	6
2.	श्री सचिन कुमार	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	5
3.	श्री रमेश सिंह बिष्ट	चतुर्थ श्रेणी	25500—81100	4

13—जनपद कार्यालय देहरादूनः—

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री निर्मल जोशी	जिला कमाण्डेन्ट	56100—177500	10
2.	श्री विनय कुमार त्यागी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600—151100	8
3.	श्री वीरेन्द्र सैनी	वैतनिक निरीक्षक	35400—112400	6
4.	श्री विनोद कुमार	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	5
5.	मौ0 अरशद	ब्लॉक ऑर्गनाईजर	21700—69100	3
6.	सुश्री आशा	हवलदार प्रशिक्षक	19900—63200	2

14—जनपद कार्यालय उत्तरकाशीः—

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री सुरेन्द्र दत्त डंगवाल	वैतनिक निरीक्षक	35400—112400	06
2.	श्री तरूण कुमार	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	5
3.	श्री इलयास अहमद	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	5

15— जनपद कार्यालय चम्पावतः—

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री संजय कोठारी	वरिष्ठ सहायक	29200—92300	05
2.	सुश्री सुनीता	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	05

16—जनपद कार्यालय हरिद्वारः—

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री कमरूज्जमाँ	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100—177500	10
2.	श्री चन्द्रकान्त सिंह	वैतनिक निरीक्षक	35400—112400	6
3.	कु0 गीता	वरिष्ठ सहायक	29200—92300	5
4.	श्री विनोद सिंह	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	5
5.	श्री गम्भीर सिंह बिष्ट	ब्लॉक ऑर्गनाईजर	21700—69100	3
6.	श्री जितेन्द्र कैन्तुरा	ब्लॉक ऑर्गनाईजर	21700—69100	3
7.	मो0 इंजमाम	कनिष्ठ सहायक	21700—69100	3
8.	श्री शमशेर सिंह	हवलदार प्रशिक्षक	19900—63200	2
9.	श्रीमती पूजा मेहरा	हवलदार प्रशिक्षक	19900—63200	2
10.	श्री सेवाराम	वाहन चालक	5200—20200—1900	—
11.	श्री राजेन्द्र झां	चतुर्थ श्रेणी	25500—81100	04
12.	श्री चेतन स्वरूप	चतुर्थ श्रेणी	18000—56900	01

17—जनपद कार्यालय चमोलीः—

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री दीपक कुमार भट्ट	वैतनिक निरीक्षक	35400—112400	6
2.	श्री विजय सिंह	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	5
3.	श्री अंकित कुमार	कनिष्ठ सहायक	21700—69100	3
4.	श्री उमेश कुमार	वाहन चालक	21700—69100	3
5.	श्री गिरिराज सिंह बिष्ट	चतुर्थ श्रेणी	25500—81100	4

18—जनपद कार्यालय रूद्रप्रयागः—

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री मुकुल राठी	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	5
2.	श्री विनोद प्रसाद कोठारी	वरिष्ठ सहायक	29200—92300	5
3.	श्री कुलदीप कुमार	कनिष्ठ सहायक	21700—69100	3
4.	श्री गोपाल दत्त कोटियाल	चतुर्थ श्रेणी	29200—92300	5

18—जनपद कार्यालय बागेश्वरः—

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री नितिन काकेरवाल	जिला कमाण्डेन्ट	56100—177500	10
2.	श्री प्रमोद सिंह	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	05
3.	श्री रिन्कू सिंह	वरिष्ठ सहायक	29200—92300	05
4.	श्री विजय तिवारी	कनिष्ठ सहायक	21700—69100	03
5.	श्री देवकीनन्दन	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	29200—92300	05

नागरिक सुरक्षा

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

(क) नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान निम्न प्रकार है:-

1	उपनियंत्रक	:	वेतनमान रू0 15600—39100/—	5400
2—	सहायक उपनियंत्रक (वरिष्ठ वेतनमान)	:	वेतनमान रू0 9300—34800/—	4200
3—	सहायक उपनियंत्रक	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	2800
4—	स्टोर अधीक्षक	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	2400
5—	आशुलिपिक	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	2400
6—	वायरलैस ऑपरेटर	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	2000
7—	लेखा लिपिक	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	2000
8—	कनिष्ठ सहायक	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	2000
9—	स्टोरमेन	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	1900
10—	चालक	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	1900
11—	डिस्पेच राइडर	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	1900
12—	अर्दली	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	1800
13—	चौकीदार	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	1800
14—	संदेशवाहक	:	वेतनमान रू0 5200—20200/—	1800

नागरिक सुरक्षा देहरादून।

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	सातवां वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार स्वीकृत	लेवल
1.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	सहायक उपनियन्त्रक	29200—92300	5
2.	श्री राजेश कुमार सोनकर	सहायक उपनियन्त्रक	29200—92300	5
3.	श्री अब्दुल हमीद	आशुलिपिक	25500—81100	4
4.	श्रीमती रेनू यादव	कनिष्ठ सहायक	21700—69100	3
5.	श्री हरीश कुमार	स्टोर मैन	21700—69100	3
6.	श्रीमती हिमानी मिश्रा	स्टोर मैन	21700—69100	3
7.	श्रीमती लक्ष्मी बोथ्याल	कनिष्ठ सहायक	21700—69100	3
8.	श्री अमर सिंह नेगी	चतुर्थ श्रेणी	25500—81100	4

मैनुअल—11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितार्णों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

होमगार्ड्स

सभी योजनाओं, व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

होमगार्ड्स विभाग को अनुदान संख्या 06 लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाये 107–होमगार्ड्स के 03–सामान्य अधिष्ठान वाला व्यय, 04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय, 05–लोक सभा निर्वाचन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन से बजट आवंटित हुआ है, जिनकी मदें, आवंटित धनराशि निम्न प्रकार हैः–

वर्ष 2024–25

03–सामान्य अधिष्ठान वाला व्ययः–

2	0	7	0	0	0	1	0	7	0	3	0	0

क्र. सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024–25 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2024–25 का समर्पण
1	02–मजदूरी	1697800000	1662015750	35784250
2	04–यात्रा भत्ता	700000	696743	3257
3	07–मानदेय	0	0	0
4	08–पारिश्रमिक	13500000	13039189	460811
5	20–लेखन सामग्री	620000	619805	195
6	21–कार्यालय फर्नीचर	430000	418659	11341
7	22–कार्यालय व्यय	1550000	1547904	2096
8	23– किराया, उपशुल्क एवं कर	1170000	1061913	108087
9	24– विज्ञापन, बिक्री, और विख्यापन	100000	34749	65251
10	26– कम्प्यूटर हार्डवेयर	200000	199568	432
11	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	1000000	669844	330156
12	29–गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईधन	3800000	3778416	21584
13	30–आतिथ्य व्यय	150000	141447	8553
14	31–गुप्त सेवा व्यय	200000	200000	0
15	52–लघु निर्माण	5000000	5971786	28214
योग		**1726220000**	1690395773	36824227

04–भारत सरकार से आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय :–

2	0	7	0	0	0	1	0	7	0	4	0	0

क्र. सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024–25 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2024–25 का समर्पण
1	01–वेतन	57300000	50884939	6415061
2	03–महंगाई भत्ता	32088000	26636739	5451261
3	04– यात्रा भत्ता	1200000	1186680	13320
4	06– अन्य भत्ते	6303000	6182379	120621
5	08– पारिश्रमिक	7000000	3485298	3514702
6	09– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1510000	1228799	281201
7	10–प्रशिक्षण व्यय	5000000	4992565	7435
8	11–अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	100000	0	100000
9	20–लेखन सामग्री, छपाई	1000000	998597	1403
10	21–कार्यालय फर्नीचर	600000	587765	12235
11	22–कार्यालय व्यय	2500000	2497566	2434
12	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	1850000	1849852	148
13	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर	500000	499759	241
14	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए	750000	748337	1663
15	28–कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	2000000	1901712	98288
16	29–गाड़ियों का अनुरक्षण	2800000	2776825	23175
17	40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	1000000	998735	1265
18	42–अन्य विभागीय व्यय	500000	493385	6615
19	44–सामग्री एवं सम्पूर्ति	40000000	39843160	156840
20	45–छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	25000	0	25000
21	51–अनुरक्षण	1600000	1582316	17684
22	68– इन्शोरेन्स पॉलीसी	0	0	0
कुल योग		**165626000**	**149375408**	16250592

05—लोक सभा निर्वाचन :—

2	0	7	0	0	0	1	0	7	0	5	0	0

क्र. सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024—25 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024—25 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2024—25 का समर्पण
1	02—मजदूरी	65000000	55773348	9226652
2	04—यात्रा व्यय	1500000	179136	1320864
3	20—लेखन सामग्री, छपाई	500000	371930	128070
4	21—कार्यालय फर्नीचर	700000	676800	23200
5	22—कार्यालय व्यय	4000000	3871486	128514
6	26—कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर	500000	476922	23078
7	29—गाड़ियों का अनुरक्षण	4000000	2056399	1943601
8	40—मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	1000000	958100	41900
9	42—अन्य विभागीय व्यय	1000000	973490	26510
10	44—सामग्री एवं सम्पूर्ति	10000000	9967700	32300
कुल योग		**88200000**	**75305311**	12894689

09—कल्याण कोषः—

2	0	7	0	0	0	1	0	7	0	9	0	0

	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024—25 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024—25 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2024—25 का समर्पण
1	56—सहायक अनुदान	0	0	0
योग		**0**	**0**	**0**

4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्ययः—

4	0	5	9	6	0	0	5	1	1	2	0	0

क्र. सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024—25 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024—25 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2024—25 का समर्पण
1	53—वृहत निर्माण कार्य	30000000	30000000	0
योग		**30000000**	**30000000**	**0**

सभी योजनाओं, व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

होमगार्ड्स विभाग को अनुदान संख्या 06 लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाये 107–होमगार्ड्स के 03–सामान्य अधिष्ठान वाला व्यय, 04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन से बजट आवंटित हुआ है, जिनकी मदें, आवंटित धनराशि निम्न प्रकार हैः–

वर्ष 2025–26

03–सामान्य अधिष्ठान वाला व्ययः–

2	0	7	0	0	0	1	0	7	0	3	0	0

क्र. सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025–26 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2025–26 का समर्पण
1	02–मजदूरी	1700000000	-	-
2	04–यात्रा भत्ता	700000	-	-
3	07–मानदेय	0	-	-
4	08–पारिश्रमिक	13500000	-	-
5	20–लेखन सामग्री	600000	-	-
6	21–कार्यालय फर्नीचर	450000	-	-
7	22–कार्यालय व्यय	1200000	-	-
8	23– किराया, उपशुल्क एवं कर	1100000	-	-
9	24– विज्ञापन, बिक्री, और विख्यापन	200000	-	-
10	26– कम्प्यूटर हार्डवेयर	200000	-	-
11	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	850000	-	-
12	29–गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईधन	2600000	-	-
13	30–आतिथ्य व्यय	200000	-	-
14	31–गुप्त सेवा व्यय	350000	-	-
15	42–अन्य विभागीय व्यय	10000000	-	-
16	52–लघु निर्माण	4000000	-	-
योग		**1735950000**	-	-

04–भारत सरकार से आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय :–

2	0	7	0	0	0	1	0	7	0	4	0	0

क्र. सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025–26 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2025–26 का समर्पण
1	01–वेतन	57300000	-	-
2	03–महंगाई भत्ता	34953000	-	-
3	04– यात्रा भत्ता	1200000	-	-
4	06– अन्य भत्ते	6876000	-	-
5	08– पारिश्रमिक	5000000	-	-
6	09– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	-	-
7	10–प्रशिक्षण व्यय	6000000	-	-
8	11–अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	100000	-	-
9	20–लेखन सामग्री, छपाई	1000000	-	-
10	21–कार्यालय फर्नीचर	600000	-	-
11	22–कार्यालय व्यय	2500000	-	-
12	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	1850000	-	-
13	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर	200000	-	-
14	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए	1000000	-	-
15	28–कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	0	-	-
16	29–गाड़ियों का अनुरक्षण	3000000	-	-
17	40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	1000000	-	-
18	42–अन्य विभागीय व्यय	500000	-	-
19	44–सामग्री एवं सम्पूर्ति	45000000	-	-
20	45–छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	25000	-	-
21	51–अनुरक्षण	1600000	-	-
22	68– इन्शोरेन्स पॉलीसी	0	-	-
कुल योग		**170204000**	-	-

09—कल्याण कोषः—

2	0	7	0	0	0	1	0	7	0	9	0	0

	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2025—26 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025—26 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2025—26 का समर्पण
1	56—सहायक अनुदान	36700000	0	0
योग		36700000	**0**	**0**

नागरिक सुरक्षा

सभी योजनाओं, व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

नागरिक सुरक्षा विभाग को अनुदान संख्या 06 लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाये 00–आयोजनेत्तर के 106–सिविल रक्षा–03–स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–0301–सामान्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन से बजट आवंटित हुआ है, जिनकी मदें, आवंटित धनराशि निम्न प्रकार हैः–

वर्ष 2024–25

106–सिविल रक्षा वाला व्ययः–

2	0	7	0	0	0	1	0	6	0	3	0	1

क्र. सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024–25 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2024–25 का समर्पण
1	01–वेतन	4000000	3032956	967044
2	02–मजदूरी	24000	24000	0
3	03–महंगाई भत्ता	2240000	1572066	667934
4	04–यात्रा भत्ता	100000	72529	27471
5	06–अन्य भत्ते	440000	258420	181580
6	08–पारिश्रमिक	1700000	1347385	352615
7	09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	10000	0	10000
8	10–प्रशिक्षण व्यय	100000	19998	80002
9	20–लेखन सामग्री	200000	199200	800
10	21–कार्यालय फर्नीचर	150000	109986	40014
11	22–कार्यालय व्यय	150000	149894	106
12	23–किराया, उपशुल्क एवं कर	480000	437124	42876
13	24–विज्ञापन,बिक्री, विख्यापन	50000	49843	157
14	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	850000	557718	292282
15	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं	100000	100000	0
16	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए	200000	199861	139
18	29–गाड़ियों का अनुरक्षण	200000	195191	4809
19	30–आतिथ्य व्यय	25000	25000	0
20	31–गुप्त सेवा व्यय	50000	50000	0
21	40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	100000	64918	35082
22	42–अन्य विभागीय व्यय	20000	20000	0
23	44–सामग्री एवं सम्पूर्ति	500000	496275	3725
24	51– अनुरक्षण	350000	317473	32527
कुल योग		**12039000**	**9299837**	2739163

सभी योजनाओं, व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

नागरिक सुरक्षा विभाग को अनुदान संख्या 06 लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाये 00–आयोजनेत्तर के 106–सिविल रक्षा–03–स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–0301–सामान्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन से बजट आवंटित हुआ है, जिनकी मदें, आवंटित धनराशि निम्न प्रकार हैः–

वर्ष 2025–26

106–सिविल रक्षा वाला व्ययः–

2	0	7	0	0	0	1	0	6	0	3	0	1

क्र. सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025–26 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2025–26 का समर्पण
1	01–वेतन	4000000	-	-
2	02–मजदूरी	24000	-	-
3	03–महंगाई भत्ता	2440000	-	-
4	04–यात्रा भत्ता	100000	-	-
5	06–अन्य भत्ते	480000	-	-
6	08–पारिश्रमिक	1500000	-	-
7	09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	-	-
8	10–प्रशिक्षण व्यय	100000	-	-
9	20–लेखन सामग्री	300000	-	-
10	21–कार्यालय फर्नीचर	150000	-	-
11	22–कार्यालय व्यय	200000	-	-
12	23–किराया, उपशुल्क एवं कर	500000	-	-
13	24–विज्ञापन,बिक्री, विख्यापन	50000	-	-
14	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	500000	-	-
15	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं	100000	-	-
16	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए	300000	-	-
18	29–गाड़ियों का अनुरक्षण	300000	-	-
19	30–आतिथ्य व्यय	25000	-	-
20	31–गुप्त सेवा व्यय	50000	-	-
21	40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	100000	-	-
22	42–अन्य विभागीय व्यय	50000	-	-
23	44–सामग्री एवं सम्पूर्ति	700000	-	-
24	51– अनुरक्षण	400000	-	-
कुल योग		**12369000**	-	-

मैनुअल–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

होमगार्ड्स

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

होमगार्ड्स विभाग में उक्त प्रक्रिया प्रचलित नहीं है।

नागरिक सुरक्षा

<u>सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं</u>

नागरिक सुरक्षा विभाग में उक्त प्रक्रिया प्रचलित नहीं है।

मैनुअल–13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

होमगार्ड्स

<u>अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां</u>

विभाग में इसकी सूचना शून्य है।

नागरिक सुरक्षा

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

विभाग में इसकी सूचना शून्य है।

मैनुअल—14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

होमगार्ड्स

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

विभाग में इसकी सूचना शून्य है।

नागरिक सुरक्षा

<u>किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों</u>

विभाग में इसकी सूचना शून्य है।

मैनुअल–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

होमगार्ड्स

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

विभाग का कार्य सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिये सार्वजनिक उपयोग के लिये बनायी गयी सुविधाओं की सूची तथा अलग से पुस्तकालय की सुविधा नहीं है।

नागरिक सुरक्षा

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

विभाग का कार्य सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिये सार्वजनिक उपयोग के लिये बनायी गयी सुविधाओं की सूची तथा अलग से पुस्तकालय की सुविधा नहीं है।

मैनुअल–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

होमगार्ड्स

लोक सूचना अधिकारियों /विभागीय अपीलीय अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers) के नाम, पदनाम व अन्य समस्त विवरण :–

विभाग के लोक सूचना अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रशासकीय स्तर	लोक सूचना अधिकारी			विभागीय अपील अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0नं0/ ई–मेल	पद नाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0नं0/ ई–मेल
(अ) मुख्यालय होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा	वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी, होमगार्ड्स, मुख्यालय।	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा रायपुर देहरादून	0135–2784473 cghgcduk@gmail.com	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा रायपुर देहरादून	0135–2784472 cghgcduk@gmail.com
(ब) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड्स थानों	1. कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, थानों।	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा थानों देहरादून।	0135–2488400 ctihgthano@gmail.com	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा रायपुर देहरादून	0135–2784472 cghgcduk@gmail.com
(स) मंडल कार्यालय	2. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, गढ़वाल मंडल, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।	श्रीकोट, गंगानाली श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)	01346–244137 div.hg.garhwal@gmail.com	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा रायपुर देहरादून	0135–2784472 cghgcduk@gmail.com
	3. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, कुमांऊ मंडल, हल्द्वानी।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–293121 divcomntl.@gmail.com	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा रायपुर देहरादून।	0135–2784472 cghgcduk@gmail.com
(द) जिला कार्यालय	1. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, देहरादून।	नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून।	0135–2979977 dchgdehradun@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल मण्डल श्रीनगर।	गंगानाली,श्रीकोट, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)।	01346–244137 div.hg.garhwal@gmail.com
	2. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, हरिद्वार।	निकट आर.टी.ओ. कार्यालय, रोशनाबाद हरिद्वार।	01334–225637 dchg.hdr@gmail.com	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा रायपुर देहरादून।	0135–2784472 cghgcduk@gmail.com
	3. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, रूद्रप्रयाग।	कार्यालय मेन बाजार, रूद्रप्रयाग।	01364–233064 dchgrpg@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल मण्डल श्रीनगर।	गंगानाली श्रीकोट, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	01346–244137 div.hg.garhwal@gmail.com
	4. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, पौड़ी गढ़वाल।	विकास खण्ड पौड़ी परिसर के एस0 जी0एस0वाई विपणन केन्द्र का प्रथम तल जनपद पौड़ी।	01368–222458 dchgpauri666@gmail.com	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा रायपुर देहरादून।	0135–2784472 cghgcduk@gmail.com

	5. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, टिहरी गढ़वाल।	मुख्य चिकित्साधिकारी आवास/कार्यालय परिसर, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।	01378–227270 dchgtehrigarhwal@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल मण्डल श्रीनगर।	गंगानाली श्रीकोट, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	01346–244137 div.hg.garhwal@gmail.com
	6. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, चमोली।	निकट मण्डल रोड, जंगलात गेट, गोपेश्वर, चमोली।	01372–252231 homeguardgopeshwar@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल मण्डल श्रीनगर।	गंगानाली श्रीकोट, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	01346–244137 div.hg.garhwal@gmail.com
	7. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तरकाशी।	पुरानी एस.एस.बी. कालोनी, तेखला, उत्तरकाशी।	01374–222318 dchguttarkashi@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल मण्डल श्रीनगर।	गंगानाली श्रीकोट, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	01346–244137 div.hg.garhwal@gmail.com
	8. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, नैनीताल।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–284034 dchghld@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स कुमांऊ मण्डल हल्द्वानी।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–220491 divcomntl.@gmail.com
	9. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उधमसिंहनगर।	निकट मुख्य कोषागार रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।	05944–297134 dchg.us.uk@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स कुमांऊ मण्डल हल्द्वानी।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–220491 divcomntl.@gmail.com
	10. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, पिथौरागढ़।	कलेक्ट्रेट परिसर, टकाना रोड़, पिथौरागढ़	05964–297556 dchg.pth.uk1@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स कुमांऊ मण्डल हल्द्वानी।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–220491 divcomntl.@gmail.com
	11. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, अल्मोड़ा।	जेल रोड़ पूर्व पोखरखाली, अल्मोड़ा	05962–298481 dchgalm@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स कुमांऊ मण्डल हल्द्वानी।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–220491 divcomntl.@gmail.com
	12 .जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, बागेश्वर।	तहसील परिसर बागेश्वर।	05963–297165 dchgbageshwar@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स कुमांऊ मण्डल हल्द्वानी।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–220491 divcomntl.@gmail.com
	13. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, चम्पावत।	निकट गोरल चौड मैदान, पुरानी जजी, चम्पावत।	05965–297515 uk.dchg.cmp@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स कुमांऊ मण्डल हल्द्वानी।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–220491 divcomntl.@gmail.com

(स) अन्य स्तर के कार्यालय (यदि कोई हो) यथा सब–डिवीजन/ तहसील/विकास खण्ड/अन्य निम्न स्तर						
1.	कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, श्रीनगर, गढ़वाल मण्डल	गंगानाली श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल।	01346–244612 commandantdtc@gmail.com	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा रायपुर देहरादून।	0135–2784472 cghgcduk@gmail.com
2.	कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, हल्द्वानी, कुमायूं मण्डल।	निकट मुख्य कोषागार रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर।	05946–264188 comdtdtchg2017@gmail.com	मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स कुमायूं मण्डल हल्द्वानी	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–220491 divcomntl.@gmail.com

क्र.स.	लोक प्राधिकारी का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी		
		पद नाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0नं0/ई0–मेल
1.	कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा	वरिष्ठ सहायक, होमगार्ड्स मुख्यालय, देहरादून।	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा रायपुर देहरादून।	0135–2784473 cghgcduk@gmail.com
2.	–तदैव–	प्रधान सहायक, होमगार्ड्स थानों देहरादून।	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा थानों देहरादून।	0135–2488400 ctihgthano@gmail.com
3.	–तदैव–	वैतनिक निरीक्षक, होमगार्ड्स, देहरादून।	नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून।	0135–2668922 dchgdehradun@gmail.com
4.	–तदैव–	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, होमगार्ड्स, हरिद्वार।	निकट आर.टी.ओ. कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।	0133–4225637 dchg.hdr@gmail.com
5.	–तदैव–	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, होमगार्ड्स, नैनीताल।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–293350 dchghld@gmail.com
6.	–तदैव–	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स, उधमसिंहनगर।	निकट मुख्य कोषागार रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।	05944–297134 dchg.us.uk@g mail.com
7.	–तदैव–	वैतनिक निरीक्षक, होमगार्ड्स, पौड़ी गढ़वाल।	विकास खण्ड पौड़ी परिसर के एस0जी0एस0वाई विपणन केन्द्र का प्रथम तल जनपद पौड़ी गढ़वाल।	01368–222458 dchgpauri666@gmail.com
8.	–तदैव–	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स, टिहरी गढ़वाल।	मुख्य चिकित्साधिकारी आवास/कार्यालय नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।	01378–227270 dchgtehrigarhwal@gmail.com
9.	–तदैव–	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स, चमोली।	निकट मण्डल रोड, जंगलात गेट, गोपेश्वर, चमोली।	01372–252231 homeguardgopeshwar@gmail.com
10.	–तदैव–	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स, उत्तरकाशी।	पुरानी एस.एस.बी. कालोनी, तेखला, उत्तरकाशी।	01374–222318 dchguttarkashi@gmail.com
11.	–तदैव–	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स, रूद्रप्रयाग।	सच्चिदानन्द नगर, मेन बाजार, रूद्रप्रयाग।	01364–233064 dchgrpg@gmail.com
12.	–तदैव–	वैतनिक निरीक्षक, होमगार्ड्स, अल्मोड़ा।	जेल रोड़ पूर्व पोखरखाली, अल्मोड़ा।	05962–298481 dchgalm@gmail.com
13.	–तदैव–	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स, पिथौरागढ़।	कलेक्ट्रेट परिसर, टकाना रोड, पिथौरागढ़।	05964–297556 dchg.pth.uk1@

				gmail.com
14.	–तदैव–	वरिष्ठ सहायक, होमगार्ड्स, बागेश्वर।	तहसील परिसर, बागेश्वर।	05963–297165 dchgbageshwar@gmail.com
15.	–तदैव–	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स, चम्पावत।	निकट गोरल चौड मैदान, पुरानी जजी, चम्पावत।	05965–297515 uk.dchg.cmp@gmail.com
16.	–तदैव–	वैतनिक निरीक्षक, होमगार्ड्स, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीनगर।	गंगानाली श्रीकोट, श्रीनगर, गढ़वाल मण्डल।	01346–244612 commandantdtc@gmail.com
17.	–तदैव–	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।	निकट मुख्य कोषागार, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।	05946–264188 comdtchg12345.2019@gmail.com
18.	–तदैव–	आशुलिपिक, होमगार्ड्स, मण्डलीय कमाण्डेन्ट, श्रीनगर।	गंगानाली श्रीकोट, श्रीनगर, गढ़वाल मण्डल।	01346–244137 div.hg.garhwal@gmail.com
19	–तदैव–	कनिष्ठ सहायक, होमगार्ड्स, मण्डलीय कमाण्डेन्ट, हल्द्वानी।	महेश नगर, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	05946–293350 dchghld@gmail.com

नागरिक सुरक्षा

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम व अन्य विशिष्टियां

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	टेलीफोन नं0	अधिकारी
1.	श्री सविन बंसल, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी / नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, देहरादून।	जिला मजिस्ट्रेट / नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा	कलक्ट्रेट, देहरादून।	2623503	अपीलीय अधिकारी
2.	श्री श्यामेन्द्र कुमार शाहू, उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, देहरादून।	उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, देहरादून	ई–ब्लॉक, सरस्वती बिहार, देहरादून	2532105	लोक सूचना अधिकारी
3.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सहायक उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, देहरादून।	सहायक उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, देहरादून	ई–ब्लॉक, सरस्वती बिहार, देहरादून	2532105	सहायक लोक सूचना अधिकारी

मैनुअल–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

होमगार्ड्स

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

इस प्रकार की भी व्यवस्था पूर्व में नहीं है।

नागरिक सुरक्षा

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए।

इस प्रकार की भी व्यवस्था पूर्व में नहीं है।

भाग ... 2 ...

सूचना के अधिकार

अधिनियम 2005

धारा 4(i)ख के अन्तर्गत

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स
एवं
नागरिक सुरक्षा मुख्यालय

लोक प्राधिकारी	–	डॉ पी0वी0के0 प्रसाद, (दिनांकः 03.08.2024 से)
कार्यालय का पता	–	तपोवन रोड़, ननूर खेड़ा, रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड, फोन नं0 –0135–2784473

मैनुअल 5

अद्यावधिक/अपडेट दिनांक जून, 2025

प्राक्कथन (होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग)

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयं सेवी संगठन है जिसका आधार निष्काम सेवा एवं राष्ट्र प्रेम है। यह संगठन उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में स्थापित है, जिसमें होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की कुल संख्या–6411 है, जो आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्यरत रहते है। प्रदेश में होमगार्ड्स के कार्यकलापों की गौरवशाली परम्परा रही है। शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने में इस संगठन द्वारा शासन/प्रशासन को अत्यंत उपयोगी सहयोग प्रदान किया जाता है। कानून व्यवस्था की अक्षुण्णता हेतु होमगार्ड्स द्वारा व्यवस्था के साथ–साथ यातायात, मेले, विभिन्न परीक्षाओं, सचिवालय, विधान सभा, आपदा, विभिन्न चुनाव, यात्रा–सीजन, मा0 उच्च न्यायालय, अन्य संस्थानों, निगमों, उपक्रमों आदि पर शांति व्यवस्था आदि के कार्यों को अत्यन्त कुशलता से सम्पादित किया जाता है। इन अवसरों पर औसतन 5300 से अधिक होमगार्ड्स प्रतिदिन ड्यूटियों पर नियोजित रहते हैं।

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित कार्यों नियमावलियों, विभागीय अधिनियमों व शासनादेशों का संग्रह करते हुये उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' के 17 मैनुअल जून, 2025 तक अद्यतन कर तैयार किये गये है।

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का अद्यावधिक मैनुअल–2025 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा तथा जनता को निःशुल्क विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी होती रहेगी।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अत्यन्त कमी के फलस्वरूप निदेशालय के कार्यों में पूर्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने पर होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय के पृथक से सृजित कराने पर अपना अनमोल व अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो अत्यन्त सराहनीय है, जिसकी भूरि–भूरि प्रशंसा की जाती है।

मुझे आशा है कि विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा होमगार्ड्स पूर्व की भांति अत्यन्त मेहनत, लगन व पारदर्शिता से कार्य करेंगे और विभाग की छवि शासन व प्रशासन में अच्छी बनाये रखेंगे।

डॉ पी0वी0के0 प्रसाद
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स एवं
निदेशक, नागरिक सुरक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून

अनुक्रमणिका

मैनुअल–5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	1–262

1.	विभागीय ढांचा	1–29
2.	नियमावलियां (होमगार्ड्स विभाग) समूह ''ग'' मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ समूह ''ग'' वर्दी धारी स्टाफ समूह ''क'' और ''ख''	30–132
3.	होमगार्ड्स अधिनियम	133–211
4.	नियमावलियां (नागरिक सुरक्षा विभाग) समूह ''ग'' मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ समूह ''ख''	213–243
5.	जन सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुंच	245–262

मैनुअल–5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

होमगार्ड्स

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसको होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने अपने नियमों में अंगीकृत कर लिया है।

(क) विभागीय ढांचा :–

उत्तरांचल शासन,

गृह अनुभाग–3,

संख्या – 459 / गृह–3–06 / हो0गा0 / 2003

देहरादून : दिनांकः 05 : मार्च , 2004

अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कानून एवं व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में पुलिस को सहायता प्रदान करने के उद्देशय से, सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय प्रदेश में एक स्वतंत्र होमगार्ड्स / नागरिक सुरक्षा निदेशालय, जो कि गृह विभाग के नियंत्रण में राज्य की राजधानी में स्थापित होगा, की स्थापना की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– महामहिम राज्यपाल महोदय निदेशालय के मुख्यालय हेतु अनुलग्नक–1 मण्डलीय कार्यालय हेतु अनुलग्नक–2, जनपदीय कार्यालयों के लिये अनुलग्नक–3, नवसृजित जनपद (रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत) में होमगार्ड्स कार्यालय की स्थापना हेतु अनुलग्नक–4, होमगार्ड्स प्रशिक्षण केन्द्र श्रीनगर गढ़वाल एवं हल्द्वानी हेतु अनुलग्नक–5, नागरिक सुरक्षा हेतु अनुलग्नक–6 में उल्लिखित कुल 283 स्थायी / अस्थायी पदों को, उसके सम्मुख निर्दिष्ट वेतनमानों में सृजित किये जाने की स्वीकृति उत्तरांचल राज्य गठन के दिनांक से प्रदान करते हैं। स्वीकृत पदों के धारकों को अपने पद के वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई व अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3– कम्पनी कमाण्डेन्ट, सहायक कम्पनी कमाण्डेन्ट, प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का स्वीकृत नियतन अनुलग्नक–7 में उल्लिखित है।

4– महासमादेष्टा, होमगार्ड्स / नागरिक सुरक्षा, उत्तरांचल का पद विभागाध्यक्ष स्तर का पद होगा और उन्हें वह सभी प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे जो सामान्यतः एक विभागाध्यक्ष में प्रतिनिहित होते हैं। इस पद पर भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

5– महासमादेष्टा, होमगार्ड्स / नागरिक सुरक्षा, उत्तरांचल के पद पर नियुक्ति अधिकारी सीधे गृह विभाग के अधीन होगें तथा पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

6– उप महासमादेष्टा तथा स्टाफ अधिकारी के पदों पर नियुक्ति विभागीय पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

7– मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स का अपने मण्डल के जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स पर नियंत्रण रखेंगे तथा समय–समय पर उनके कार्य दायित्वों का निरीक्षण करेंगे। जनपद में प्रत्येक जनपद स्तरीय होमगार्ड्स कार्यालय के नियंत्रक अधिकारी जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स होंगे। मण्डलीय कमाण्डेन्ट तथा जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स एवं अन्य सहवर्ती स्टाफ के कर्तव्यों एवं दायित्व सुनिश्चित सेवा नियमावली के अधीन होंगे।

8– नागरिक सुरक्षा की एक मात्र इकाई देहरादून में स्थापित है, जिसके नियंत्रक अधिकारी उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा होंगे तथा महासमादेष्टा, होमगार्ड्स के अधीन रहेंगें।

9– होमगार्ड्स/नागरिक सुरक्षा निदेशालय की स्थापना, अधिकारी/कर्मचारी वर्ग के वेतन भत्तों आदि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–106–सिविल रक्षा एवं 107–होमगार्ड्स अधिष्ठान की सुसंगत इकाईयों के आय–व्ययक से व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष अतिरिक्त धनराशि या अन्य प्रस्तावों पर प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग से की जायेगी।

10– साज–सज्जा उपकरण, फर्नीचर, स्टाफ कार/वाहन आदि का क्रय महासमादेष्टा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं भण्डार क्रय नियमावली के नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय/उपयोग की गयी वस्तुओं/धनराशि के विवरण से शासन को यथासमय अवगत कराया जायेगा तथा उसका विधिवत् लेखांकन किया जायेगा।

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव !

संख्या–459/1/गृह–3–06/हो0गा0/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तरांचल शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
6 अपर महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उत्तरांचल, देहरादून।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की, जनपद हरिद्वार।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
13. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, श्रीनगर गढ़वाल।
14. उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, देहरादून।
15. गोपन (मंत्रि परिषद्) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एस0के0 लाम्बा)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–1

<u>होमगार्ड्स/नागरिक सुरक्षा निदेशालय हेतु प्रस्तावित पदों का विवरण।</u>

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	प्रस्तावित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	महासमादेष्टा	अपने संवर्ग के अनुसार	01	वरिष्ठ आई0पी0एस0 संवर्ग से।
2.	उप महासमादेष्टा	14,300–18,300/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी	10,000–15,200/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	वैयक्तिक सहायक	5,500–9,000/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
5.	अधीक्षक	5,000–8,000/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
6.	आशुलिपिक	4,500–7,000/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
7.	वरिष्ठ लिपिक	4,000–6,000/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
8.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590/–	04	सीधी भर्ती द्वारा
9.	चालक	3,050–4,590/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
10.	चपरासी	2,550–3,200/–	04	सीधी भर्ती द्वारा
		योग	19 पद	

शासनादेश संख्या – 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003 दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–2

होमगार्ड्स हेतु मण्डल स्तर के पूर्व सृजित पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	मण्डलीय कमाण्डेन्ट	10,000–15,200/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
2.	आशुलिपिक	4,000–6,000/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
3.	चालक	3,050–4,590/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
4.	चतुर्थ श्रेणी	2,550–3,200/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
		योग :–	08 पद	

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–3

होमगार्ड्स हेतु जिला स्तर के पूर्व से सृजित पदों का विवरण।

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	जिला कमाण्डेन्ट	8,000–13,500/–	10	सीधी भर्ती द्वारा
2.	जिला कमाण्डेन्ट के सहायक	4,500–7,000/–	10	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	प्लाटून कमाण्डर	4,500–7,000/–	11	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	ब्लाक आर्गनाईजर	3,200–4,900/–	13	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
5.	वरिष्ठ लिपिक	4,000–6,000/–	04	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
6.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590/–	21	सीधी भर्ती द्वारा
7.	हवलदार प्रशिक्षक	3,050–4,590/–	04	सीधी भर्ती द्वारा
8.	चालक	3,050–4,590/–	10	सीधी भर्ती द्वारा
9.	चतुर्थ श्रेणी	2,550–3,200/–	41	सीधी भर्ती द्वारा
		योग :–	124 पद	

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–4

<u>नव सृजित जनपद (रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत) में होमगार्ड्स के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु प्रस्तावित पदों का विवरण।</u>

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	जिला कमाण्डेन्ट	8,000–13,500/–	03	सीधी भर्ती द्वारा
2.	जिला कमाण्डेन्ट के सहायक	4,500–7,000/–	03	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	प्लाटून कमाण्डर	4,500–7,000/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590/–	03	सीधी भर्ती द्वारा
5.	चालक	3,050–4,590/–	03	सीधी भर्ती द्वारा
6.	चतुर्थ श्रेणी	2,550–3,200/–	03	सीधी भर्ती द्वारा
		योग :–	17 पद	

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–5

होमगार्ड्स प्रशिक्षण केन्द्र श्रीनगर गढ़वाल एवं हल्द्वानी हेतु पूर्व से सृजित पदों का विवरण।

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	कमाण्डेन्ट	8,000–13,500/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
2.	प्रशासकीय निरीक्षक	5,000–8,000/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	क्वाटर मास्टर	5,000–8,000/–	02	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	प्लाटून कमाण्डर	4,500–7,000/–	06	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
5.	हवलदार प्रशिक्षक	3,050–4,590/–	34	सीधी भर्ती द्वारा
6.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590/–	08	सीधी भर्ती द्वारा
7.	चालक	3,050–4,590/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
8.	चतुर्थ श्रेणी	2,550–3,200/–	38	सीधी भर्ती द्वारा
		योग :–	94 पद	

शासनादेश संख्या – 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003 दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–6

नागरिक सुरक्षा हेतु पूर्व से सृजित पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	उप नियंत्रक	8,000–13,500/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
2.	सहायक उप नियंत्रक (वरिष्ठ वेतनमान में)	5,000–8,000/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
3.	सहायक उप नियंत्रक	4,500–7,250/–	03	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
4.	स्टोर अधीक्षक	4,000–6,000/–	01	विभागीय, प्रोन्नति द्वारा
5.	वायरलेस आपरेटर	3,200–4,900/–	01	सीधी भर्ती द्वारा
6.	आशुलिपिक	4,000–6,000/–	01	सीधी भर्ती द्वारा
7.	लेखा लिपिक	3,050–4,590/–	01	सीधी भर्ती द्वारा
8.	कनिष्ठ लिपिक	3,050–4,590/–	03	सीधी भर्ती द्वारा
9.	स्टोरमैन	3,050–4,590/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
10.	चालक	3,050–4,590/–	01	सीधी भर्ती द्वारा
11.	डिस्पेच राईडर	3,050–4,590/–	01	सीधी भर्ती द्वारा
12.	अर्दली	2,550–3,200/–	01	सीधी भर्ती द्वारा
13.	चौकीदार	2,550–3,200/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
14.	संदेशवाहक	2,550–3,200/–	02	सीधी भर्ती द्वारा
		योग :–	21 पद	

शासनादेश संख्या– 459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांकः 05 मार्च, 2004 का संलग्नक

अनुलग्नक–7

होमगार्ड्स हेतु जिला स्तर के पूर्व से सृजित अवैतनिक पदों का विवरण।

क्र.सं.	जनपद इकाई का नाम	कम्पनी कमाण्डर	सहायक कम्पनी कमाण्डर	प्लाटून कमाण्डर	होमगार्ड्स स्वयं सेवक	योग
1.	हरिद्वार	10	10	30	980	1030
2.	देहरादून	08	08	32	1040	1088
3.	पौड़ी	0	0	19	608	627
4.	चमोली + रूद्रप्रयाग	0	0	15	480	495
5.	टिहरी	0	0	14	448	462
6.	उत्तरकाशी	0	0	07	224	231
7.	नैनीताल	04	04	22	712	742
8.	उधमसिंहनगर	05	05	18	586	614
9.	अल्मोड़ा + बागेश्वर	0	0	20	640	660
10.	पिथौरागढ़ + चम्पावत	0	0	14	448	462
	योग	**27**	**27**	**191**	**6166**	**6411**

6

संख्याः– 666 /XX(5)/15–06(हो0गा0)/2003

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स/**निदेशक,** नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 21 अगस्त, 2015

विषयः–होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के विभागीय ढांचे का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्या–सीजी–86/होगा/2014/565, दिनांक–03.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के ढांचे को पुनर्गठित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, पूर्व में अधिसूचना संख्या–459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांक–05.03.2004 द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के ढांचे में सृजित पदों के अतिरिक्त निम्नांकित 19 पदों के सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:–

निदेशालय स्तर

क्र.स.	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	वेतनमान
1.	उप महासमादेष्टा	01	37400–67000 ग्रेड पे–8700
2	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी	02	15600–39100 ग्रेड पे–7600
3.	सहायक उप महासमादेष्टा होमगार्ड्स	02	15600–39100 ग्रेड पे–6600
4.	सहायक उप महासमादेष्टा नागरिक सुरक्षा	01	15600–39100 ग्रेड पे–6600
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	9300–34800 ग्रेड पे–4800
6.	प्रशासनिक अधिकारी	02	9300–34800 ग्रेड पे–4600
	योग	**10**	–

जनपद स्तर

क्र.स.	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	वेतनमान
1.	वैतनिक निरीक्षक	05	9300–34800 ग्रेड पे–4200
2	वरिष्ठ सहायक	02	5200–20200 ग्रेड पे–2800
3.	कनिष्ठ सहायक	02	5200–20200 ग्रेड पे–2000
	योग	**09**	–

क्रमशः–2

Rawat............letter..2015............doc

3– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–199/XX(5)/10–08(हो0गा0)/2010, दिनांक–24.06.2010, संख्या–438/XX(5)/08–25(हो0गा0)/2008, दिनांक–29.08.2008, संख्या–713/XX(5)/06–48(हो0गा0)/2005, दिनांक–21.09.2006 एवं संख्या–769/XX(5)/05–06(हो0गा0)/2005, दिनांक–23.12.2005 के प्राविधान यथावत प्रभावी रहेगें।

4– उक्त पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति, तद्सम्बन्धी विभागीय सेवा नियमावली के प्रख्यापन/संशोधन के उपरान्त निहित प्रावधान के अनुरूप की जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदान संख्या–06/07 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–106–सिविल रक्षा/–107–होमगार्ड्स–03 स्थापना/सामान्य अधिष्ठान–04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–69 NP/XXVII(5)/2015–16, दिनांक–01.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– /XX(5)/15–06(हो0गा0)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

Rawat............letter..2015............doc

CGHG-3515/017
03/01/2017

(22)

संख्याः– 03 /XX(5)/17–20(ना0सु0)/2010

प्रेषक,

डॉ उमाकांत पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स/**निदेशक,** नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 03 जनवरी, 2017

विषयः–होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पद स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्या–सीजी–97/होगा/2012/321, दिनांक–18.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पद स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, पूर्व में अधिसूचना संख्या–459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांक–05.03.2004 एवं शासनादेश संख्या–666/XX(5)/15–06(हो0गा0)/2003 दिनांक–21.08.2015 द्वारा होमगार्ड्स अधिसूचना संख्या–459/गृह–03–06/हो0गा0/2003, दिनांक–05.03.2004 द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग के ढांचे में सृजित पदों के अतिरिक्त निम्नांकित विवरणानुसार पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:–

SSO Adm
Comprate
3/1/2
(Ashok Kumar)
IPS
Commandant General Home Guard
& Director. Civil Defence.
Uttarakhand. Dehradun

क्र.स.	पदनाम	सृजित पदों की संख्या		वेतनमान	अभ्युक्ति
		हो0गा0	ना0सु		
1.	कमाण्डेण्ट	01	–	(रू0 37400–67000 ग्रेड पे–8700)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
2.	डिप्टी कमाण्डेण्ट, नागरिक सुरक्षा	–	01	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–6600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
3.	सहायक समादेष्टा (मिनिस्ट्रीयल)	01		(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
4.	चिकित्सा अधिकारी	01		–(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति
5.	फार्मासिस्ट	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4600)	सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति
6.	प्रशासकीय निरीक्षक	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
7.	वैतनिक निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
8.	क्वार्टर मास्टर	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा

vat——letter—2017——doc

9.	वरिष्ठ प्रशिक्षक	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
10.	कनिष्ठ प्रशिक्षक	02		(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
11.	हवलदार प्रशिक्षक	01		(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
12.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01		(रू0–15600–39100 ग्रेड पे–5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
13.	मुख्य सहायक	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
14.	वरिष्ठ सहायक	01		(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2800)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
15.	कनिष्ठ सहायक/स्टोर कीपर	02	01	(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
16.	वैयक्तिक सहायक	01		(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2800)	सीधी भर्ती
17.	आरमोरर/वायरलेस आपरेटर	01	01	(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
18.	ड्राईवर (हल्की गाड़ी व भारी गाड़ी)	02	02	(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2000)	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती
19.	माली, धोबी, नाई, कारपेन्टर, जमादार, वाटर मैन, कुक–2	02	02	–	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती

3– संस्थान में अग्निशमन से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु केवल प्रशिक्षण अवधि के लिये अग्निशमन अधिकारी के कार्य आउटसोर्स अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी के माध्यम से कराये जायेगे।

4– उक्त पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संवर्ग की सम्बन्धित पदों के लिये भर्ती हेतु संगत विभागीय सेवा नियमावली के अनुरूप की जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अनुदान संख्या–06/07 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–106–सिविल रक्षा/–107–होमगार्ड्स–03 स्थापना/सामान्य अधिष्ठान–04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–204NP/XXVII(5)/2015, दिनांक–03.01 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः–2

Rawal------letter--2017------doc

संख्याः–03 /XX(5)/17–20(ना0सु0)/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–05 एवं 07 उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स उत्तराखण्ड।
5. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।

Rawat——letter—2017——doc

148

संख्याः 371/XXVII(7)27(2)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः16 जनवरी, 2013

विषयः– उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3		4
1	कनिष्ठ सहायक	₹ 5200–20200 ग्रेड पे ₹1900	कनिष्ठ सहायक	₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2000
2	प्रवर सहायक	₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2400	वरिष्ठ सहायक	₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800
3	मुख्य सहायक	₹5200–20200 ग्रेड पे ₹2800	प्रधान सहायक	₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200
4	प्रशासनिक अधिकारी	₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4200	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹4600
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4600	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300–34800 ग्रेड पे ₹4800
6	–	–	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	₹15600–39100 ग्रेड पे ₹5400

2– कलेक्ट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय, तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान ₹67000–3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर–79000 के स्तर के पद हैं, वहां लिपिकीय संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड ₹15600–39100 एवं ग्रेड वेतन ₹5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से पद रखा जायेगा।

3– लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं तथा पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की अर्हता के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से नियमों में संशोधन किये जायेंगे।

4– उक्तानुसार संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01–04–2013 से अनुमन्य होगा।

भवदीया,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 373 (1)/ xxvii(7)27(2)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या 438 /XX(5)/08–25–होगा0/2008

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 29 अगस्त, 2008

विषयः होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के ढ़ाचें के पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव–सीजी–40/होगा/2004/303, दिनांक 02 जुलाई, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल होमगार्ड्स प्रबन्ध निदेशालय के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के ढ़ाचें 32 पदों का विभाजन निम्नानुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	स्वीकृत पद	अब मात्राकृत पद
1	मुख्य सहायक	4500–7000	–	08
2	प्रवर सहायक	4000–6000	09	14
3	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	32	19
	योग		41	41

2– उपरोक्तानुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्वीकृत ग्रेड़ों के पदों के नाम, वेतनमान एवं संख्या का उल्लेख संबंधित सेवा नियमों में भी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या 1300/XXVII(7)/2008, दिनांक 28, अगस्त, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /XX(5)/08–25–होगा0/2008, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2– संबंधित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

3– समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।

4– जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।

5– गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

महावीर सिंह चौहान
अनुसचिव।

संख्या 199 / xx(5)10–08 / हो0गा0 / 2010

प्रेषक,

जे0पी0जोशी
संयुक्त सचिव।
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस,
एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक २५ जून, 2010

विषयः– होमगार्डस विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग हेतु संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या सीजी–11 / होम0गा0 / 2007 / 160 दिनांक 11–05–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183 / XXX(2) दिनांक 2–10–2010 में किये गये प्राविधानानुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के ढ़ांचे में कुल 42 पदों का विभाजन निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क0सं0	पदनाम	मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में पूर्व में स्वीकृत पद	कार्मिक विभाग के शासनादेशानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	कर्मिक विभाग के शासनादेशानुसार स्टाफिंग पेटर्न लागू करने के उपरान्त पद
01	कनिष्ठ सहायक	19	32%	13
02	प्रवर सहायक	14	30%	13
03	मुख्य सहायक	08	18%	08
04	प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय अधीक्षक)	01	20%	08
	योग	42		42

2– विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के सम्बंध में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए उपरोक्तानुसार नियमावली में संशोधन किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया सुनिश्चित करें

3– यह आदेश कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः–११७(01)/XX(5)10–08 हो0गा0/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–1/5
4– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान,)
अनुसचिव,

निदेशालय होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या : सीजी–40 / होगा / 2004 / 328 दिनांकः जून 29, 2010

1– जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, देहरादून / हरिद्वार / टिहरी / उत्तरकाशी / चमोली / पौड़ी / रूद्रप्रयाग / अल्मोड़ा / बागेश्वर / चम्पावत / नैनीताल / पिथौरागढ़ / ऊधम सिंह नगर।

2– कमाण्डेन्ट,
जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स
श्रीनगर / हल्द्वानी।

कृपया शासन के गृह अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 199/XX(5)/10-08/होगा / 2010 दिनांक 24–06–2010 के कम में होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का विभाजन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क. स.	जनपद / इकाई	गृह अनुभाग के शासनादेश संख्या 199/XX(5)/10-08/होगा / 2010 दिनांक 24–06–2010 लागू करने के उपरान्त स्वीकृत पदों का विभाजन				कुल स्वीकृत
		प्रशासनिक अधिकारी स्वीकृत	मुख्य सहायक स्वीकृत	प्रवर सहायक स्वीकृत	कनिष्ठ सहायक स्वीकृत	
1	होमगार्ड्स निदेशालय	2	2	2	2	8
2	नैनीताल	1	1	1	1	4
3	ऊधमसिंहनगर	1	1	1	0	3
4	अल्मोड़ा	1	0	1	0	2
5	पिथौरागढ	0	0	1	1	2
6	जि0 प्र0 के0 हल्द्वानी	0	1	0	1	2
7	पौडी गढ़वाल	1	0	1	0	2
8	टिहरी	0	0	1	1	2
9	देहरादून	1	1	1	1	4
10	हरिद्वार	1	1	1	1	4
11	उत्तरकाशी	0	0	1	1	2
12	चमोली	0	0	1	1	2
13	रूद्रप्रयाग	0	0	1	0	1
14	बागेश्वर	0	0	0	1	1
15	चम्पावत	0	0	0	1	1
16	जि0 प्र0 के0 श्रीनगर	0	1	0	1	2
	योग	8	8	13	13	42

(राकेश मित्तल)
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून
29/6/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स श्रीनगर / हल्द्वानी।

2– मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार / टिहरी / उत्तरकाशी / चमोली / पौड़ी / रूद्रप्रयाग / अल्मोड़ा / बागेश्वर / चम्पावत / नैनीताल / पिथौरागढ़ / ऊधम सिंह नगर।

(राकेश मित्तल)
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून
29/6/10

C:\A_Current\All District

उत्तरांचल शासन

अधिसूचना

02 नवम्बर, 2002 ई0

सं0 27/187/गृह–1/2002–चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1–संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2–''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना–

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 में जहां–जहां पर शब्द ''उत्तर प्रदेश'' के रूप में आया है वहां–वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(एस0 के0. दास)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 27/187/Home-1/2002,** dated November 02, 2002 for general information :

NOTIFICATION

November 02, 2002

No. 27/187/Home-1/2002--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient;

AND, WHEREAS, the Uttar Pradesh Homeguards Act, 1963 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Homeguards Act, 1963 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :—

UTTARANCHAL (UTTAR PRADESH HOMEGUARDS AC [redacted] AN
MODIFICATION ORDER, 20 [redacted]

1—Short title and Commencement—

(1) This order may be called Uttaranchal (Uttar Pradesh Hom [redacted] odification Order, 2002.

(2) It shall come into force at once.

2—The word "Uttar Pradesh" to be read "Uttaranchal"—

In Uttar Pradesh Homeguards Act, 1963 wherever the expressio [redacted] as "Uttaranchal".

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 16—11—2002, भाग—1 में प्रकाशित।
प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित।
पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) 40 गृह/614 30—12—2002—300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

'238868/2024

संख्या–238868/XX–2/2024–20(ना0सु0)/2010

प्रेषक,

रिधिम अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 10 सितम्बर, 2024

विषय– होमागार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु सृजित पदों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–03/xx(5)/17–20 (ना0सु0)/2010, दिनांक 03 जनवरी, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन सम्बंधी शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 में सृजित कतिपय पदों का वेतनमान, विभागीय ढॉचे में सम्मिलित समकक्ष पदों से उच्चीकृत होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पदों के सृजन सम्बंधी शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 को अतिक्रमित करते हुए, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के ढॉचें में पूर्व में अधिसूचना सं0–459/गृह–3–06/हो0गा0/2003, दिनांक 05 मार्च, 2004 एवं शासनादेश सं0–666/XX(5)/15–06(हो0गा0)/2003, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा सृजित पदों के अतिरिक्त, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु निम्न विवरणानुसार पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.स.	पदनाम	सृजित पदों की संख्या		वेतनमान	अभ्युक्ति
		हो0गा0	ना0सु0		
1.	कमाण्डेण्ट	01	–	(रू0 37400–67000 ग्रेड पे–8700)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
2	डिप्टी कमाण्डेण्ट, नागरिक सुरक्षा	–	01	(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–6600)	विभागीय पदोन्नति द्वारा

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 04:45 PM

'238868/2024

3.	सहायक समादेष्टा (मिनिस्ट्रीयल)	01		(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
4.	चिकित्सा अधिकारी	01		–(रू0 15600–39100 ग्रेड पे–5400)	सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति
5.	फार्मासिस्ट	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4600)	सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति
6.	प्रशासनिक निरीक्षक	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
7.	वैतनिक निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर	02		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
8.	क्वार्टर मास्टर	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
9.	हवलदार प्रशिक्षक	03		(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
10.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01		(रू0–15600–39100 ग्रेड पे–5400)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
11.	मुख्य सहायक	01		(रू0–9300–34800 ग्रेड पे–4200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
12.	वरिष्ठ सहायक	01		(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2800)	विभागीय पदोन्नति द्वारा
13.	कनिष्ठ सहायक/स्टोर कीपर	02	01	(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
14.	वैयक्तिक सहायक	01		(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2800)	सीधी भर्ती
15.	आरमोरर/वायरलेस आपरेटर	01	01	(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2000)	सीधी भर्ती
16.	ड्राईवर (हल्की गाड़ी व भारी गाड़ी)	02	02	(रू0–5200–20200 ग्रेड पे–2000)	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती
17.	माली, धोबी, नाई, कारपेन्टर, जमादार, वाटर मैन, कुक–2	02	02	–	आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 04:45 PM

3— संस्थान में अग्निशमन से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु केवल प्रशिक्षण अवधि के लिए अग्निशमन अधिकारी के कार्य सक्षम स्तर से कराये जाने सुनिश्चित किये जायेंगे।

4— वर्णित पदों पर यथा विहित नियमावली के अनुरूप नियुक्ति की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या–06 व 07 के सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

Signed by Ridhim Aggarwal
Date: 10-09-2024 14:22:35

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव

पृ0सं0 238868/XX–2/2024–20(ना0सु0)/2010, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–5।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Chandra Bahadur
Date: 10-09-2024 14:36:38
(चन्द्र बहादुर)
उप सचिव

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 04:45 PM

(ख) विभागीय नियमावलियां :–

समूह "ग" मिनिस्टीरियल स्टाफ

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5,
संख्याः–706/xx(5)/16–24(हो0गा0)/2006
देहरादूनः दिनांकः 2 अगस्त, 2016

प्रदेश के होमगार्ड्स लिपिक संवर्गीय पदों की सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु, गृह अनुभाग–05, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–669/XX(5)/16–24(हो0गा0)/2006, दिनांक–02.08.2016 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2016"** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
4. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां गृह अनुभाग–05 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

संलग्नः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

Rawat--------letter—2016--------doc

उत्तराखण्ड सरकार
गृह अनुभाग–5
संख्या– 669 XX(5)/16–24(हो0गा0)/2006
देहरादून दिनांक– 02 अगस्त 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा नियमावली में भर्ती व पदोन्नति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2016

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड, होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा में समूह 'ख' व 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई, प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य परिशिष्ट 'क' में इस रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ.) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग कर्मचारी सेवा से है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग–दो
संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4\. (1) मुख्यालय एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयों में समान वेतनमान के विभिन्न श्रेणियों के पदों का एक समान संवर्ग होगा। इसी प्रकार डिवीजनल कमाण्डेन्ट कार्यालयों, जिला कमाण्डेन्ट कार्यालयों एवं कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यालयों में समान वेतनमान के पदों का एक पृथक् समान संवर्ग होगा।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(3) जब तक कि पदों की संख्या में शासन द्वारा परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गई है :

परन्तु––

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थागित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग–तीन
भर्ती

भर्ती का स्रोत

5\. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

(क) मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय कमाण्डेन्ट, जिला कमाण्डेन्ट एवं जिला प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय

(1) कनिष्ठ सहायक

कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती)(संशोधन) नियमावली, 2013 के अनुसार की जायेगी।

(2) वरिष्ठ सहायक

वरिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

(3) प्रधान सहायक

प्रधान सहायक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

(4) प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

(5) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

(6) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय, लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती)(संशोधन) नियमावली 2013, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 तथा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न 2010, (संशोधन) 2015 लागू है, उपर्युक्त में जब भी समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा संशोधन किया जायेगा, वह संशोधन तथा प्रक्रिया होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में यथावत लागू रहेगी।

भाग–चार
अर्हताएं

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रयुक्त सरकारी आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–
(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश–केन्या, उगान्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो–

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो–

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले–

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हतायें

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो :–

योग्यताएं

क–कनिष्ठ सहायक

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उतीर्ण की हो तथा कम्प्यूटर टंकण में 4000 KDPH की गति होनी चाहिये।

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –
प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थी की स्थिति में, उच्चत्तर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निकाय या निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अंतिम रुप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूलनियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।
परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग—पांच
भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की आधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया

15. मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय कमाण्डेन्ट, जिला कमाण्डेन्ट, एवं जिला प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती की परीक्षा का पाठ्यक्रम व प्रकिया ऐसी होगी जैसी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जाय। अधीनस्थ चयन सेवा अयोग के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' के पदो के लिये चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली— 2003 में निहित की गयी हो।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16. (1) मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय कमाण्डेन्ट कार्यालयों, जिला कमाण्डेन्ट कार्यालयों एवं जिला प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालयों के पदों के लिये पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :—

(क)	कमाण्डेन्ट जंनरल, होमगार्ड्स,	अध्यक्ष
(ख)	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स अथवा मण्डलीय कमाण्डेन्ट / समकक्ष	सदस्य
(ग)	स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स अथवा कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स द्वारा नाम निर्दिष्ट जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स / कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स	सदस्य

(2) समिति के सदस्य अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगी।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति हेतु विचार करेगी।

उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किए जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2003 के प्रावधान लागू होंगे।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग –छः
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उस कम में करेंगे जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 अथवा 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों।

(2) यदि किसी वर्ष नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक की दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूचियाँ तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार में उस कम में यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय कम में कमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर, किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति, नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे।

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि––

(क) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,
(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय, और
(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में कमांकित किये जाते है :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति का आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी, जो नियम 18 के उप नियम (02) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथा स्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्त्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चकीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(1) जहाँ किसी स्त्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(2) जहाँ किसी स्त्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चकीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहाँ नियमों या विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्त्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्त्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी हैं।

भाग—सात
वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त विभिन्न श्रेणियों के पदों का वेतनमान परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों (फण्डामेन्टल रूल्स) में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान वेतनमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा–अवधि पूर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत (फण्डामेन्टल रूल्स) नियमों द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग– आठ
अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लियें अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों पर विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलों में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए, जो आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

(डॉ उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट–क

देखिये नियम 4(2)

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग
कर्मचारी सेवा नियमावली, 2015

क्र. सं.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या		योग	वेतनमान (रू0 में)	ग्रेड पे (रू0 में)	नियुक्ति प्राधिकारी	
		स्थायी	अस्थायी				मुख्यालय	जनपद/इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कनिष्ठ सहायक	16	–	16	5200–20200	2000	स्टाफ अधिकारी	जिला कमाण्डेन्ट/कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र
2	वरिष्ठ सहायक	14	–	14	5200–20200	2800	तदैव	तदैव
3	प्रधान सहायक	9	–	9	9300–34800	4200	तदैव	तदैव
4	प्रशासनिक अधिकारी	5	–	5	9300–34800	4600	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल	तदैव
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	5	–	5	9300–34800	4800	तदैव	–
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	1	–	1	15600–39100	5400	तदैव	–
	योग	50	–	50				

(डॉ उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **'the constitution of India'**, the Governor pleased to order the publication of the following English translation of notification No. -------/------ Dated: for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
HOME SECTION-5

No. ~~2016~~ 669 XX(5)/16-24(H.G.)2016
Dated 02, Aug , *2016*

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Home Guards Ministerial Grade Cadre Service.

THE UTTARAKHAND HOME GUARDS MINISTERIAL GRADE CADRE SERVICE RULES, 2016

Part –I
General

Short title and commencement 1. (1)These Rules may be called The Uttarakhand Home Guards Ministerial Grade Cadre Rules, 2016

(2) It shall come into force at once.

Status of the service. 2. The Uttarakhand Home Guards Ministerial Grade Cadre comprises Group "B" and "C" posts.

Definitions. 3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context.

(a) **"Appointing Authority"** means the authority specified as such in Appendix 'A';

(b) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(d) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(e) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(f) **"Member of the service"** means a person substantively appointed to a post in the cadre of the Service under these Rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules;

(g) **"Service"** means the Uttarakhand Home Guards Assistants (Ministerial Staff) Service;

(h) "Substantive Appointment" means an Appointment, not being an *ad hoc* Appointment, made after selection in accordance with the Rules, and if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(i) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART - II – CADRE

Cadre of service 4. (1) There shall be a common cadre of the various categories of posts in identical scales of pay in the Directorate and Central Training Institute Offices. Similary posts in identical scales of pay in the offices of Divisional Commandants, District Commandants, Commandants District Training Centers shall constitute a separate common cadre.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government of Uttarakhand time to time.

(3) The strength of Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (2), be as given in Appendix 'A' :

Provided that -

(i) the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III – RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources :

(A)- DIRECTORATE, CENTRAL TRAINIG INSTITUE, OFFICES OF DIVISIONAL COMMANDANTS, DISTRICT COMMANDANTS AND DISTRICT TRAINING CENTRES

(1) Junior Assistant	Recruitment to the post of junior assistant shall be made according to uttrakhand subordinate office ministerial staff (direct recruitment) (Amendment) rules-2013.
(2) Senior Assistant	Recruitment to the post of senior assistant shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.
(3) Head Assistant	Recruitment to the post of head assistant shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.
(4)Administrative officer	Recruitment to the post of administrative officer shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.
(5)Senior Administrative officer	Recruitment to the post of senior administrative officer shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.
(6) Chief Administrative officer	Recruitment to the post of chief administrative officer shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.

Subordinate offices ministerial staff service (direct recruitment) rules 2013, uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015 and staffing pattern when amended by uttarakhand government shall also remain in force in homeguards and civil defence department.

PART IV - QUALIFICATIONS

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be:

(a) a Citizen of India ; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before I[st] January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka (formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided further that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed, subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualifications 8.For the purpose of direct recruitment to the various posts in the Service, a candidate must have the following qualifications :

Post	Qualifications
1.(a) Junior Assistant (Junior Clerk)	(i) Must have passed the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or Uttarakhand or an examination recognised as equivalent there to by the Government and must have a computer typing speed of 4,000 KDPH.

Preferential qualifications 9. A candidate who has :

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) Obtained a 'B'/'C' Certificate of National Cadet Corps,

(iii) Registration in regional employment office, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age 10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 42 years on January 1 in the year in which the recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period from January 1 to June 30 and on 1st July if the posts are advertised during the period from 1st July to December 31 :

Provided that the upper age limit in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government, from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

Character 11. The Character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point.

Note - A person dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status 12. A male candidate who has more than one wife living, or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness 13. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he/she shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the Rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III :

Provided that a Medical Certificate of Fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies 14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories, under Rule 6, and will inform to subordinate selection commission.

Procedure for direct recruitment 15. Directorate, Central Training Institute, Divisional Commandant, District Commandant, and in the offices of the Commandant district training center recruitment to the post of junior assistant the syllabus and procedure will be determined by the Government of Uttarakhand from time to time. The selection procedure to group 'C' posts which to be field by subordinate selection commission will be like the posts of group 'C' which are outside the purview of Uttarakhand Public Service Commission direct recruitment Procedure rules 2003.

Procedure for recruitment by promotion 16. (1) For the vacancies of directorate, Central Training Institute, divisional commandant offices, district commandant offices and commandant district training centre offices the recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, through the Selection Committee constituted as under:-

(a) Commandant General, Home Guards	Chairman
(b) Deputy Commandant General Home Guards or Divisional Commandant/equivalent	Member
(c) Staff Officer, Home Guards and Civil Defense Or District commandant/commandant district training centre nominated by commandant general home guards	Member

(2) The members of committee will prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, and will place before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered necessary.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of promotion of candidates subject to the rejection of unfit on the basis of records referred to in sub-rule (2).

For the above posts for promotion 'Uttarakhand (outside the scope of the Public Service Commission) services under government subject to rejection of unfit and on the basis of seniority and merit selections made by the Rules of Procedure to be adopted, the 2009 provision will apply.

Combind selection list

17. If in a year is appointment is done by both direct recruitment and by promotion,then a combine selection list will be made by taking names from the relevant lists so that the prescribed percentage will be present. The first name on the list will be from appointed by promotion.

Appointment

18. (1)The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15 or 16, or 17as the case may be,

(2) If in a year recruitment is to be done by both direct recruitment and promotion, regular recruitment will not be done until the selection is done from both sources and until a combined selection list is made under Rule 17 .

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one Selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in the order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood is the cadre from which they were promoted. If appointment is made from direct recruitment and by promotion then the list will be under rule 17 in a circular fashion.

Probation

19. (1) A person on appointment to a post in the Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. The probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :

(a) he has successfully undergone the prescribed training, if any;

(b) his integrity is certified;

(c) his work and conduct are found to be satisfactory; and

(d) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of posts shall be determined by the uttarakhand government servant (determination of seniority) rules 2002. And if two or more persons are appointed together, their seniority will be decided by the order in which their names are arranged in the appointment order.

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order :

Provided further that if more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, the seniority shall be the same as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (2) of rule 18.

(2) The inter se seniority of the persons appointed directly on account of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The inter se seniority of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4)where the appointment was made from promotion or by direct recruitment or by a single source and there is separate quota fixed for sources then the seniority will be decided so mutually combined seniority list drawn up in accordance with Rule -17 cyclical names are numbered in the order thus determined the prescribed percentage will be made.

Provided that-

(1) Where from a source appointments are made greater than the fixed quota, the seniority of such appointed persons will be fixed lower in the forth coming year/years in which appointment is done according to the quota fixed.

(2) Where the appointment is made lesser than the fixed quota of a source and if the appointments are made against such vacant posts in the forthcoming year/years, such appointed persons will get the seniority of the year in which their appointment is made but not of the previous year/years. And their name will be placed on the top of that year's combined selection list (list made under this rule) in which names are place in circular fashion.

(3) where the appointment are made from a source by following rules and procedures and such vacant posts can be filled from other source by following corresponding rules, and appointments is done more than the prescribed quota, then the so appointed person will get the seniority of that particular year supposing that his appointment is done against his quota of vacant posts.

PART VII PAY ETC.

Scale of pay 22. (1)The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay of various categories of post at the time of the commencement of these Rules are as mentioned in Appendix 'A'.

Pay during probation 23. (1)Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2)The pay during probation of person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3)The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII OTHER PROVISIONS

Canvassing 24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service 26. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules, applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving. 27. Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

By order

(Principal Secretary, Home)
Uttrakhand dehradun

APPENDIX 'A'
(See Rules 4(2)
The Uttarakhand Home Guards Assistants (Ministerial) Service

Sl. No.	Designation of the post included in the Service	No of posts			Pay scale	Grade pay	Appointing Authority	
		Permanent	Temporary	Total			Directorate	District/ Unit
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Junior Assistant	16	-	16	5200-20200	2400	Staff Officer	District Commandant/ Commandant, District Training Centre
2	Senior Assistant	14	-	14	5200-20200	2400	do	do
2	Head Assistant	9	-	9	9300-34800	4200	do	do
4	Administrative Officer	5	-	5	9300-34800	4600	Deputy commandant general	do
5	Senior Administrative Officer (Gazetted)	5	-	5	9300-34800	4800	do	-
6	Chief Administrative Officer	1	-	1	15600-39100	5400	do	-
	Total	**50**		**50**				

By order

(Principal Secretary, Home)
Uttarakhand, dehradun

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग--2
संख्या– 892/XXX(2)/2013 55(42)2004
देहरादूनः 13 अगस्त, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

''उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013

''

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का प्रतिस्थापन 2. ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 के नियम 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,	6. भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,
(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर जारी	(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों

LIPIK WORGIY NIYMAWALI.doc

किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;	के अनुसार उस कार्यालय के समूह घ के ऐसे कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;
परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।	परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।
(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीण हों, में से पदोन्नति द्वारा।	परन्तु यह और कि चयन वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक के लिये अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 25 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 20 प्रतिशत जो इण्टमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा निर्धारित चयन प्रकिया से भरा जा सकता है ।
	(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीण हों, में से पदोन्नति द्वारा।
टिप्पणी– लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए,आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य	**टिप्पणी–** लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित

अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। जहां टंकक संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबंध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये 02 अंक दिये जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिये अधिकतम 50 अंक निर्धाति किये जायेंगे । इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

जहां टंकक संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबंध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

क्रम संख्या–211 (क)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बुधवार, 01 अक्टूबर, 2008 ई०
आश्विन 09, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 863/XXX(2)/2008
देहरादून, 01 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा०प०नि०–06

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 के अग्रत्तेर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) (संशोधन)
नियमावली, 2008

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008 है।

(2) यह दिनांक 14 जून, 2004 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. संक्षिप्त शीर्षक का संशोधन--

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के शीर्षक में हिन्दी भाग में शब्द "वर्ग" के स्थान पर शब्द "सेवा" और अंग्रेजी भाग में शब्द "Staff" के पश्चात् शब्द "Service" रख दिया जायेगा।

3. नियम 6 के अन्त में टिप्पणी का अन्तःस्थापन--

मूल नियमावली के नियम 6 के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्--

"टिप्पणी--लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हों उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' के नियमित कर्मचारी ही पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर व्यक्तियों के लिए चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्न--पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 50 अंक की होगी तथा मात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 20 अंक होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त 20 अंकों की टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी तथा कम्प्यूटर व्यवहारिक ज्ञान हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।"

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 863/XXX(2)/2008, dated October 01, 2008 for general information :

No.863/XXX(2)/2008
Dated Dehradun, October 01, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 2004 :--

SUBORDINATE OFFICES MINISTERIAL STAFF SERVICE (DIRECT RECRUITMENT) (AMENDMENT) RULES, 2008

1--Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called the Subordinate Offices Ministerial Staff Service (Direct Recruitment) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force from 14th June, 2004.

2--Amendment of Short Title--

In the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 2004 (hereinafter referred to as Principal Rules) in the title The Word "Cadre" shall be replaced by The Word "Service" in Hindi part and The Word "Service" shall be substituted after The Word "Staff" in English part.

3--Insertion of Note in the end of Rule 6--

In the Principal Rules a 'Note' shall be inserted in the end of Rule 6, namely--

"Note--Only those regular Group 'D' employees, who are working in the office, in which the recruitment to the ministerial staff posts is to be made, shall come within the ambit of eligibility. Selection of the persons against the vacancies reserved for recruitment to the ministerial posts by promotion from Group 'D' shall be made on the basis of merit by taking a simple test. The test shall consist of a single question-paper, which will include objective type questions on General Hindi, General Knowledge and General Studies. The written examination shall carry maximum 50 marks and 20 marks shall be for the annual character roll of the eligible candidate. In addition to the above, typing test on Computer carrying 20 marks and 10 marks shall be for practical knowledge of computer operations shall also be taken Hence the total marks for the selection shall be 100:

Provided that the provisions of "The Uttarakhand Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004 shall not apply to the promotion to be made under these rules."

By Order,

SUBHASH KUMAR,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 कार्मिक/742–2008–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या—540 / XX(5) / 12—17(हो0गा0) / 11

प्रेषक,

जे0पी0जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड़ शासन,

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स एवं निदेशक,
नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड़।

गृह अनुभाग--5 देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2012

विषयः—कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती नियमावली 2004) होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः— सीजी—10 / हो0गा0 / 2006 / 353 दिनांक 06.07.2011 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती नियमावली 2004) को होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में भी लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स नियमावली में सीधी भर्ती की प्रकिया अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली के अनुसार किये जाने का प्राविधान है। अतः उत्तराखण्ड राज्य में निर्गत अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती नियमावली 2004) होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में भी यथावत लागू होगी।

3. यह आदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–540 / XX(5) / 11–17(हो0गा0) / 11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स कुमाऊँ मण्डल / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)
अनु सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–716/xxx–(2)/2004–55 (42)/2004
दिनांक: 14 जून 2004

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, राज्य में अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004

भाग–एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. सेवा नियमावली का लागू होना– (1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों से भिन्न निम्नवत् श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हो) नियंत्रित होगी, किन्तु इसके द्वारा उत्तरांचल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों,

Secretariat Service Rule 1

महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान के पद नियंत्रित नहीं होंगे।

(2) ऐसे लिपिक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

3. अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव– इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमावली के बीच कोई असंगति होने की दशा में–

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों, और

(दो) विशिष्ट नियमों के उपबन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात बनाये जायें।

4. परिभाषायें– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय पद के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है,

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है,

(ङ) 'उच्च न्यायालय' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है,

(च) 'कार्यालय अध्यक्ष' का तात्पर्य किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है,

(छ) 'लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग' का तात्पर्य अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक कर्मचारियों से होगा जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो,

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियन्त्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तरांचल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय,उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं,

(झ) "छंटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है–

(एक) जो राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया गया हो,

किन्तु, इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

5. सेवा की सदस्य संख्या– किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये–

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा–

परन्तु, यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय–समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाये।

भाग –दो

भर्ती

6. भर्ती का स्रोत – किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में भर्ती नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी, परन्तु, किसी विशिष्ट अधीनस्थ कार्यालय मे 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार, उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो, पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती है।

Negi/class-3 Service Rule/III

भाग— तीन

अर्हताएं

7. आरक्षण— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रीयता— इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश—केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो—

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो—

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले—

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. शैक्षिक अर्हताएं– सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

10. अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

(तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

11. आयु– सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

12. भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिये छूट–भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

13. चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रास्थिति – सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो।

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. शारीरिक स्वस्थता– किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूलनियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

भाग– चार

भर्ती की प्रक्रिया

16. एक जिले में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती एक ही साथ होगी–एक जिले में, समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती समूह "ग" के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एक ही साथ की जायेगी।

17. चयन समिति का गठन– किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी,

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो

तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई एक अधिकारी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसे उपयुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

18. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी-- इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो किया जायेगा।

19. चयन का आधार-- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्यतः अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। तदनुसार सेवायोजन अधिकारी अभ्यर्थियों के नाम भेजते समय, अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों विशेष रूप से, नियम 9 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखेगा।

20. सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की सूचना भेजना-- नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-7 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियो से भी जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराया हो आवेदन-पत्र सीधे आमन्त्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी सूचना पट्ट पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

21. चयन प्रक्रिया-- विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" के पदों के लिये चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2003 में विहित की गयी है।

22. फीस-- चयन के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो राज्यपाल द्वारा समय-समय पर विहित की जाये। फीस की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भाग पांच

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

23. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति– नियम 23 के उपनियम (6) और (7) में निर्दिष्ट चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में कमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी कम में किया जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में कमबद्ध किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

24. परिवीक्षा– (1) जहां किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों से अन्यथा उपबन्धित हो, उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में, किसी स्थायी रिक्ति में, किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा,

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये,

परन्तु, यह और कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

25. स्थायीकरण– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी

कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाये, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

26. ज्येष्ठता– (1) एतद्‌पश्चात यथाउपबन्धित के सिवाय इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस कम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी।

परन्तु, यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो,

परन्तु, सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग छः
वेतन इत्यादि

27. वेतनमान– (1) विभाग/कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों, या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान 3050–75–3950–80–4590 रु० है।

28. परिवीक्षा अवधि में वेतन– (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की

सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु, यदि सन्तोष न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग सात
अन्य उपबन्ध

29. पक्ष समर्थन- पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से, अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

30. अन्य विषयों का विनियमन-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

31. सेवा की शर्तों में शिथिलता-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में

न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

32. व्यावृत्ति– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Uttaranchal Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.716/XXX(2)/2004-55(42)/04 dated 14 Jun, 2004.

Government of Uttaranchal
Karmic Anubhag-2
No 716 /XXX(2)/2004-55(42)/04
Dehradun dated 14 Jun, 2004.

THE SUBORDINATE OFFICES MINISTERIAL STAFF (DIRECT RECRUTIMENT) RULES, 2004

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment of ministerial staff in the Subordinate Government Offices in the State:

PART I
GENERAL

1- **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Uttaranchal Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 2004

(2) These rules shall be deemed to have come into force at once.

2- **Application of these rules.**(1) These rules shall govern recruitment to all the ministerial posts of the lowest grade, other than the posts of Stenographer (which are required to be filled by direct recruitment and which are outside the purview of the Pubic Service Commission), in all subordinate offices under the control of the Government excluding the Uttaranchal Secretariat, of the offices of the State Legislature, Lok Ayukt, Public Service Commission, High Court, the Subordinate Courts under the control and superintendence of the High Court, the Advocate-General, Uttaranchal, and of the establishments under the control of the Advocate- General.

(2) Recruitment against all the vacancies of ministerial posts to which these rules apply shall be made in accordance with the provisions of these rules.

3. **Effect of inconsistency with other rules** In the event of any inconsistency between these rules and any specific service rules-

(i) the provisions contained in these rules shall prevail to the extent of the inconsistency in case the specific rules were made prior to the commencement of these rules; and

(ii) the provisions contained in the specific rules shall prevail in case they are made after the commencement of these rules.

4. **Definitioins**- In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Appointing Authority" means to a ministerial post in a subordinate office refers to the authority empowered under the relevant rules of orders to make appointments on that post;

(b) "Constitution" means the Constitution of India;

(c) "Governor" means the Governor of Uttaranchal.

(d) "Government" means the Government of Uttaranchal

(e) "Head of office" means the highest Gazetted Officer of an office;

(f) "High Court" means the High Court of Judicature at Nainital;

(g) "Ministerial staff" shall refer to the clerical staff of the subordinate offices which is required to be appointed by direct recruitment;

(h) "Subordinate Offices" means all the offices under the control of the Government excluding Uttaranchal and of the establishment under the control of the Advocate- General;

(i) "Retrenched employee" means a person-

i. who was employed on a post under the rule making power of the Governor, in permanent, temporary or officiating capacity for a total minimum period of one year, out of which at least three months' service must have been continuous service;

ii. whose services were or may be dispensed with due to reduction in or winding up of the establishment; and

iii. in respect of whom a certificate of being retrenched employee has been issued by the Appointing Authority;

but does not include a person employed on ad hoc basis only.

(j) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

5. **Strength of Service.**- The strength of ministerial staff in a particular Department/ Office and of each category of posts herein shall be such as may be determined by Government from time to time:

Provided that the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any post or class of posts without thereby entitling any person to compensation:

Provided further that the Government in the Administrative Department may, in consultation with the Personnel Department and Finance Department, create such permanent or temporary posts in any Department/ office from time to time as may be found necessary.

PART II
RECRUITMENT

6- **Source of Recruitment-** Recruitment to the lowest grade of the ministerial staff in a subordinate office shall be made by direct recruitment through the Selection Committee referred in Rule 17 on the basis of academic and other attainments as provided in Rule 9:

Provided that up to 25 percent of the vacancies in a particular subordinate office may be filled by the Appointing Authority by promotion amongst 15 percent from amongst High School pass and 10 percent from Intermediate pass Group D employees of that office in accordance with the orders of Government issued from time to time.

PART III
QUALIFICATIONS

7- **Reservation** – Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Note- The Scheduled cast and Scheduled tribes candidates can only be appointed on the post reserved for Scheduled cast / Scheduled tribes. The general candidates are not eligible for that.

8- **Nationality-** A candidate for direct recruitment under the provisions of these rules must be-

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganykika and Zanizibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligences Branch, Uttaranchal.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

9- **Academic Qualifications-** A candidate for direct recruitment must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttaranchal, or an examination declared by the Governor as equivalent thereto.

10- **Preferential qualifications-** A candidate who has –

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' Certificate of National Cadet Crops, shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

(iii) obtained bachelor degree /post graduate.

11- **Age-** A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the year of recruitment:

Provided that the upper age limit shall, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, be greater by such number of years as may be specified.

12- **Relaxation for ex-servicemen and certain other categories.-** Relaxation if any, in maximum age- limit, educational qualifications or in any procedural requirements or recruitment in favour of ex-servicemen, disabled military personnel, dependents of military personnel dying in action, dependents of Uttaranchal Government servants dying in harness, Sportsmen, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and other categories shall be in accordance with the general rules or order of the Government in this behalf in force at the time of recruitment.

13- **Character.-** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note- Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

14- **Marital status-** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

15- **Physical fitness-** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of

fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, part III.

PART IV
PROCEDURE FOR RECRUITMENT

16- **Recruitment in all the subordinate offices within a district to be common.-** There shall be common recruitment of the ministerial staff in all the subordinate offices within a district, to be made in accordance with the procedure laid down in these rules.

17- **Constitution of Selection Committee.-** For the purpose of recruitment to any post, there shall be constituted a Selection Committee as follows:

(1) Appointing Authority.

(2) An officer belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, nominated by the District Magistrate, if the Appointing Authority does not belong to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes. If the appointing authority belongs to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, an officer other than belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Minority Community and Backward Class to be nominated by the District Magistrate.

(3) Two officers nominated by the appointing authority, one of whom shall be an officer belonging to minority community and the other Backward Class. If such suitable officers are not available in his department or organization, such suitable officer shall, on the request of the appointing authority, be nominated by the District Magistrate and on his failure to do so, by reason of non-availability of suitable officers, such officers shall be nominated by the Divisional Commissioner.

18- **Recruitment to be made every year.** Selection for recruitment under these rules shall be made every year or whenever it is necessary.

19- **Basis of selection.-** Selection of candidates shall be made by the Selection Committee essentially on the basis of academic attainments of the candidates. Accordingly, in forwarding the names of the candidates the Employment Officer shall have regard to the academic attainment of the candidates particularly their attainment at the minimum qualifying examination referred to in Rule 9.

20- **Notification of vacancies to the Employment Exchange.-** The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the vacancies to be reserved under Rule 7. The vacancies shall be notified to the Employment Exchange. The appointing authority may also invite application directly from the persons who have their names registered in the Employment Exchange. For this purpose, the Appointing Authority shall issue an advertisement in a local daily newspaper besides pasting a notice for the same on the Notice Board. All such applications shall be placed before the Selection Committee.

21- **Procedure of Selection.** (1) Selection through Departmental Selection Committee shall be as provided in Uttaranchal Group C (out side the purview of Public Service Commission) Recruitment Rules, 2003.

22- **Fee-** Candidates for selection shall be required to pay to the 'Selection Committee such fee as may, from time to time, be prescribed by the Government. No claim for the refund of the fee shall be entertained.

PART V
APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

23- **Appointment by Appointing Authority** .- The select list referred to in sub-rules (6) and (7) of Rule 23 shall be forwarded by the Selection Committee to the Appointing Authority mentioning the aggregate marks obtained at the selection by each candidates. The name of general and reserve candidates shall be arranged by the Appointing Authority in a common list according to the merit of the candidates and the appointment shall be offered in the order in which the names are arranged in the list. The select list shall hold good for a period of one year from the date of selection.

24- **Probation-** (1) Except where otherwise provided in the rules applicable to any particular service or post person on appointment to a post in the Department/ Office in a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of one year:

Provided that the Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended:

Provided further that the period of probation shall not be extended beyond one year.

(2) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post in the cadre to be taken into account for computing the period of probation for the post.

25- **Confirmation-** A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct have been found to be satisfactory, his integrity is certified and the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

26- **Seniority-** (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons appointed under these rules shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the

date of order substantive appointment, and in other cases, it will mean the date of issue of the order.

(2) The seniority inter se of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee:

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

PART VI
PAY, ETC.

27- Scale of pay (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Department/ Office whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules is Rs. 3050-75-3950- 80-4590.

28- Pay during probation- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary , person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his increment in the time sale when he has completed one year of satisfactory service, and the second increment after he is confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VII
OTHER PROVISIONS

29- Canvassing- No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempts on the part of a candidate to enlist support, directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

30- **Regulation of other matters.**- In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to posts in various Departments/ Offices shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servant serving in connection with the affairs of the State.

31- **Relaxation from the conditions of service**- Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to posts in various Departments/ Offices causes undue hardship in any particular case it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

32- **Saving**- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

(Nrip Singh Napalchyal)
Principal Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–44/XXX(2)/2013–3(2)2010
देहरादूनः 10 जनवरी, 2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011" में संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4(3) का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 के नियम 4 के उपनियम (3) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(3)– मुख्य सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	(3)– मुख्य सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत),
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या– 44 /XXX(2)/2013
देहरादूनः 10 जनवरी, 2013

अधिसूचना संख्या 44/XXX(2)/2013–3 (2)/2010, दिनांक 10 जनवरी, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
9. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
10. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कूमायूं मण्डल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 170/XXX(2)/2011
देहरादूनः दिनांकः 01 जून, 2011

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 विषयक अधिसूचना संख्या 170/XXX(2)/2011 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियॉ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संलग्नः यथोक्त

H.G. Sec

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 170 /XXX(2)/2010
देहरादूनः 01 जून, 2010

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "**भारत का संविधान**" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता की अवधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए यह नियमावली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हता (जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो) और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, आच्छादित होंगी, किन्तु इसके उपबन्ध उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान सभा, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय और उसके नियंत्रण में अधिष्ठान के पद आच्छादित नहीं होंगे।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियामवली में–

(क) "**संविधान**" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ख) "**राज्यपाल**" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "**लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग**" से राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनरथ कार्यालयों में ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक, प्रवर सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्त हो;

(ङ) **"अधीनस्थ पदों"** से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण।

4.(1) **वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी–**
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) **प्रशासनिक अधिकारी–**
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) **मुख्य सहायक–**
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(4) **प्रवर सहायक–**
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पदनाम परिवर्तन

5. नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ–जहाँ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक/ मुख्य लिपिक–1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ–वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह),
प्रमुख सचिव।

समूह ''ग'' वर्दीधारी :–

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5,
संख्या– 661/XX(5)/10–20(हो0गा0)/06
देहरादून: दिनांक ~~दिसम्बर, 2010~~
05 जनवरी 2011

दिनांक 27–12–2010 को अनुमोदित प्रदेश के होमगार्ड्स विभाग अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समूह 'ग' की पदों की सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु ''उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली 2010'' को प्रख्यापित करते हुए निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

5– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।

6– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

7– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे 'असाधारण गजट' के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियाँ गृह अनुभाग–5 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. dated , 2010 for general information :

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
HOME SECTION-5

No.661xx5/2010
Dated 05-01-, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Home Guards Subordinate Service

THE UTTARAKHAND DEPARTMENT OF HOME GUARDS SUBORDINATE SERVICE RULES, 2010

Short title and commencement (1)These Rules may be called The Uttarakhand Department of Home Guards Subordinate Service Rules, 2010.

(2)They shall come into force at once.

Status of the service. 2- The Uttarakhand Department of Home Guards Subordinate Service comprises Group "C" posts.

Definitions. 3- In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context.

(a) **"Appointing Authority"** means the authority specified as such in Appendix and who is empowered to appoint the members of various categories of the Service;

(b) **"Block Organiser"** means the Block Organiser, Home Guards, Uttarakhand;

(c)**"Commandant General"** means the Commandant General, Home Guards, Uttarakhand;

(d) **"Administrative Inspector" means the Administrative Inspector, Home Guards, Uttrakhand. including Administrative Inspection Officer, Administrative officer, Senior Instructor, Centre Commander (District Training Centre, Category 'C'), Administrative Subedar and Quarter Master , Home Guards, Uttrakhand;**

(e) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(f) **"Deputy Commandant General"** means the Deputy Commandant General, Home Guards, Uttarakhand;

(g) **"Divisional Commandant"** means the Divisional Commandant of a Division of Home Guards, Uttarakhand;

(h) **"Government"** means the state Government of Uttarakhand;

(i) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(j) **"Havildar Instructor"** means the Havildar Instructor ;

(k) **"Home Guards"** means the Home Guards of Uttarakhand;

(m) **"Platoon Commander"** means the Platoon Commander including Assistant to District Commandant;

(n) **"Staff Officer"** means the Staff Officer of the Directortate, Home Guards and Civil Defence, Uttarakhand;

(o) **"Service"** means the Uttarakhand Department Home Guards Subordinate Service;

(p) **"Substantive appointment"** means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, made after selection in accordance with the Rules, and if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(q) **"Year of recruitment"** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART - II - CADRE

Cadre of Service 4- (1)The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2)The strength of Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix :

Provided that -

(i) the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) Governor may create such additional permanent or temporary posts as he/she may consider proper.

PART III - RECRUITMENT

Source of recruitment 5- Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources :

(1)Havildar Instructor		100 % posts in the cadre by direct recruitment.
(2)Block Organiser	(a)	50% posts in the cadre by direct recruitment,
	(b)	50% posts in the cadre by promotion from amongst permanent Havildar Instructors, who have completed minimum 05 years continuous service on the post.
(3) Platoon Commander	(a)	50% posts in the cadre by direct recruitment,
	(b)	50% posts in the cadre by promotion from amongst permanent Block Organisers, who have completed minimum 05 years continuous service on the post.
(4)Administrative Inspector/Company Commander		By promotion from amongst permanent Platoon Commanders, who have completed minimum 05 years continuous service on the post.

Reservation 6- Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories belonging to the state of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV - QUALIFICATIONS

Nationality 7.A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be:

(a)a Citizen of India ; or

(b)a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(c)a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka (formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility issued by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility in necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualifications 8- For the purpose of direct recruitment to the various posts in the Service, a candidate must have the following qualifications :

Post	Qualifications
(i) Platoon Commander	Must be a Graduate from recognized university (Intermediate for departmental honorary volunteers)
(ii) Block Organiser	Must be a Graduate from recognized university (Intermediate for departmental honorary volunteers)
(iii) Havildar Instructor	Intermediate from a recognized Board or Institute (High School for departmental honorary volunteers)

Preferential qualifications 9- A candidate who has :

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) Obtained a 'B' Certificate of National Cadet Corps,

(iii) Has worked for minimum period of three years in the Home Guards Organisation. **shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.**

Age 10- A candidate for direct recruitment must have not attained less than the minimum and not more than the maximum age on January 1, if the posts are advertised during the period from January 1 to June 30 and on 1st July if the posts are advertised during the period from 1st July to Decembe 31, as mentioned below :

	Minimum age	Maximum age
(1) Havildar Instructor	18	35
(2) Block Organiser	21	35
(3) Platoon Commander	21	35

Provided that the upper age limit in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories belonging to the state Uttarakhand as may be notified by the Government, from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

Provided further that in case of the candidates belonging to the category of honorary Home Guard Volunteers the upper age limit shall be 38 years, if they have worked, as such, for a minimum period of three years.

Character 11- The Character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such

as to render him suitable in all respects for employment in Government in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself /herself on this point.

Note - A person dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to a post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status 12- A male candidate who has more than one wife living, or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness 13- No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he/she shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the Rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III :

Provided that no male candidate shall be appointed to a post in the Service if his height and chest measurements are less than the following prescribed minimum :-

	Persons belonging to Hilly Regions	**Scheduled Tribes Candidates**	**Other Candidates**
(1) Height	160 Cms.	157.5 Cms.	165 Cms.
(2) Chest			
(Unexpanded chest)	76.3 Cms.	76.3 Cms	78.8 Cms
(Expanded chest)	81.3 Cms.	81.3 Cms.	83.8 Cms.

Prescribed measurements for the women candidates shall be as follows :-

Height for the candidates belonging to hilly region and Scheduled Tribes	**Other Candidates**
147 Cms.	152 Cms.

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies 14- The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 6 and notify the same in accordance with the rules and orders in force, for the time being to the Employment Exchange.

Procedure for direct recruitment 15- (1) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a Selection Committee comprising the following :-

(i) For the post of Platoon Commander and Block Organiser :-

(a) Deputy Commandant General, Home Guards ;	Chairperson
(b) Staff Officer, Home Guards and Civil Defence ;	Member
(c) District Commandant, Home Guards.	Member

(i) An Officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Chairperson if the Chairperson does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairperson belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes an Officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairperson.

(ii) An Officer belonging to other Backward Classes, Shall be nominated by the Chairperson, if the Chairperson does not belong to Others Backward Classes. If the Chairperson belongs to other Backward Classes, an Officer other than other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairperson.

(ii) For the post of Havildar Instructor :-

(a) Deputy Commandant General, Home Guards ;	Chairperson
(b) Staff Officer, Home Guards and Civil Defence ;	Member
(c) Divisional Commandant, Home Guards (to be nominated by the Commandant General)	Member

(i) An Officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Chairperson if the Chairperson does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairperson belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes an Officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairperson.

(ii) An Officer belonging to the Other Backward Classes, Shall be nominated by the the Chairperson, if the Chairperson does not belong to Others Backward Classes. If the Chairperson belong to Other Backward Classes, an Officer other than Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairperson.

(2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear for the competitive examination.

Note:- The syllabus of the competitive examination shall be such as may be prescribed by the Appointing Authority and the following process shall he adopted for direct recruitment:-

(1) For direct recruitment, the Appointing Authority shall publish the application form in not less than two daily newspapers having wide circulation,

(2) For the purpose of direct recruitment, the Appointing Authority shall invite the applications in the form published under sub rule (1) and notify the vacancies :-

(i) By issuing advertisement in daily newspapers having wide circulation;

(ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through radio/television and other employment newspaper;

(iii) by notifying the vacancies to the Employment Exchange.

(3) The application form shall not be published again while notifying the vacancies under sub rule (2).

(4) (i) There shall be a written examination of 100 marks for the selection. The merit list shall be prepared on the basis of the aggregate of the marks obtained in the written examination and other evaluations.

(ii) (a) There shall be an objective type written examination consisting of single question paper which will include General Hindi, General Knowledge and General Studies. While evaluating the question paper one mark shall be awarded for each correct answer and 1/4 negative mark for each incorrect answer.

(b) After the examination is over the candidates shall be allowed to carry back the Question Booklet of the written examination with them.

(c) The Answer Sheet of the written examination shall be in duplicate (including the carbon copy) and the candidates shall be permitted to carry back the duplicate copy with him/her.

(d) After the written examination the Answer Key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website WWW.ua.nic.in or published in the daily newspaper having wide circulation.

Provided that the posts for which some physical standards have been prescribed as an essential qualification or as mode of recruitment, the candidate shall be required to undergo

prescribed physical test before the written examination and only those candidates shall be allowed to appear in the test for selection who come up to the minimum standard prescribed for the post.

(5) The merit list (Final Selection List) shall be prepared in order of proficiency as disclosed by the aggregate of the marks obtained in the written examination and other evaluations including the preferential marks. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate, the candidates obtaining more marks in the written examination shall be placed higher in the selection list. In case two or more candidates obtained equal marks in the written examination also, the candidates senior in age shall be placed higher in the selection list. The number of names in the list shall be more (but not more than 25 percent) than the number of vacancies.

Procedure for recruitment by promotion

16- (1)Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit through selection committees comprising the following members :-

(a)For the post of Administrative Inspector ;-

(i) Commandant General, Home Guards ; Chairperson
(ii) Deputy Commandant General, Home Guards ; Member
(iii) Staff Officer, Home Guards and Civil Defence. Member

An Officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the chairperson if the Chairperson does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairperson belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes an Officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairperson.

(b)Promotion to the posts of Platoon Commanders, Block Organisers and Havildar Instructors shall be made on the basis of seniority subject to rejection or unfit by the Selection Committees constituted under rule 15(1)

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, and place before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered necessary.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in sub-rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in the order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

Combined Selection List

17- If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined selection list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such a manner that the prescribed percentage in maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Part -VI APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18- (1)The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15, 16 or 17, as the case may be,

(2)Where in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3)If more than one order of appointment are issued in respect of any one Selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in the order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they were promoted. If appointments are made both by direct recruitment and by promotion the names shall be placed in the order as specified in rule 17.

(4)The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the lists prepared under sub-rule (1). If no candidate, borne on these lists, is available, he/she may make appointments in such vacancies from persons eligible for appointment under these Rules. Such appointment shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these Rules whichever be earlier.

Probation 19- (1)A person on appointment to a post in the Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his/her opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he/she may be reverted to his substantive post, if any, and if he/she does not hold a lien on any post, his/her services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation 20- The probationer shall be confirmed in his/her appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if :

(a)he /she has successfully undergone the prescribed training, if any;

(b)his/her work and conduct are found to be satisfactory; and

(c)his/her integrity is certified;

(d)the Appointing Authority is satisfied that he/she is otherwise fit for confirmation.

Seniority 21 (1) The seniority of persons in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants seniority rules 2002 from the date of their substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment, and in other cases it will mean the date of issue of the order :

Provided further that if more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, the seniority shall be the same as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (3) of rule 18.

(2) The inter se seniority of the persons appointed directly on account of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The inter se seniority of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the respective sources is prescribed the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in the combined list,

prepared in accordance with rule 17, in such a manner that the prescribed percentage is maintained :

Provided that -

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies in accordance with the quota.

PART VII PAY etc.

Scale of pay 22- (1)The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these Rules, are as follows :-

Designation of the Posts	Scale of Pay	Grade Pay
(1) Administrative Inspector/ (Company Comander)	9300-34800	4200
(2) Platoon Commander	5200-34800	2800
(3) Block Organiser	5200-20200	2000
(4) Havildar Instructor	5200-20200	1900

Pay during probation 23- (1)Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he/she is not already in permanent Government Service, shall be allowed his/her first increment in the time scale when he/she has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment after two years service when he/she has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII OTHER PROVISIONS

Canvassing — 24- No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his/her candidature will disqualify him/her for appointment.

Regulation of other matters — 25- .In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

elaxation in the conditions of service — 26-.Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules, applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving. — 27- Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons beonging to the state of Uttarakhand in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Principal Secretary, Home

APPENDIX 'A'
See Rules 4 (2)
The Uttarakhand Department of Home Guards Subordinate Service
Strength of Service

Sl.No.	Designation of the Post included in the service	No of posts Permanent	Temporary	Total	Appointing Authority
1.	(a) Administrative Inspector	2	-	2	Deputy Commandant General.
	(b) Quarter Master	2	-	2	Deputy Commandant General.
	Total	**4**	-	**4**	
2.	(a) Assistant to District Commandant	13	-	13	Deputy Commandant General.
	(b) Platoon Commander	19	-	19	Deputy Commandant General.
	Total	**32**	-	**32**	
3.	(a) Block Organiser	13	-	13	Deputy Commandant General.
	(b) Havildar Instructor	38	-	38	Divisional Commandant
	Total	**51**	-	**51**	
	Grand Total	**87**	-	**87**	

Principal Secretary, Home

1

उत्तराखण्ड सरकार

गृह अनुभाग–5

संख्या:–661/XX5/2010

देहरादून, दिनांक: 05-01-2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड होमगार्ड विभाग अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड होमगार्ड विभाग अधीनस्थ सेवा निमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड होमगार्ड विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2010 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड होमगार्ड विभाग अधीनस्थ सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई, प्रतिकूल बात न हो, इस सेवा नियमावली में –

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे परिशिष्ट में इस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा सेवा की विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों को नियुक्त करने के लिये शक्ति प्रदान की गई हो,

(ख) "ब्लाक ऑर्गनाइजर" से ब्लाक ऑर्गनाइजर होमगार्ड, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ग) "महासमादेष्टा" से महासमादेष्टा होमगार्ड, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(घ) "प्रशासकीय निरीक्षक" से प्रशासकीय निरीक्षक, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है, और इसमें प्रशासकीय निरीक्षण अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, वरिष्ठ अनुदेशक, केन्द्रीय कमाण्डर, (जिला प्रशिक्षण संस्थान श्रेणी 'ग'), प्रशासकीय सूबेदार एवं क्वार्टर मास्टर, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड भी सम्मिलित हैं;

(ङ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(च) "डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल" से डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल (उप महासमादेष्टा), होमगार्ड, उत्तराखण्ड अभिप्रेत हैं,

(छ) "डिविजनल कमाण्डेन्ट" से उत्तराखण्ड होमगार्ड्स के किसी डिवीजन का डिवीजनल कमाण्डेन्ट अभिप्रेत है,

(ज) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(झ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(ञ) "हवलदार प्रशिक्षक" से हवलदार प्रशिक्षक अभिप्रेत है,

(ट) "होमगार्ड" से उत्तराखण्ड के होमगार्ड अभिप्रेत है,

(ठ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ड) "प्लाटून कमाण्डर" से प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जिला समादेष्टा(कमाण्डेन्ट) के सहायक भी हैं,

(ढ) "स्टाफ अधिकारी" से "स्टाफ अधिकारी," होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, निदेशालय उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ण) "सेवा" से उत्तराखण्ड होमगार्ड विभाग अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है,

(त) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,

(थ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो – संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा के सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट में दी गयी है :

परन्तु यह कि-----

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, अथवा

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग तीन –भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) हवलदार प्रशिक्षक	संवर्ग में शत् प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।
(2) ब्लॉक ऑर्गनाइजर	(क) संवर्ग में 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (ख) संवर्ग में 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई हवलदार प्रशिक्षकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(3) प्लाटून कमाण्डर	(क) संवर्ग में 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (ख) संवर्ग में 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई ब्लॉक ऑर्गनाइजरों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(4) प्रशासकीय निरीक्षक /कम्पनी कमाण्डर	(क)स्थाई मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्लाटून कमाण्डरों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हों, पदोन्नति द्वारा।

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार — अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका (पूर्ववर्ती सीलोन) या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश — केन्या, उगाण्डा या युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण —पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:— ऐसे अभ्यर्थी का जिसके मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिये :

	पद	अर्हतायें
(एक)	प्लाटून कमाण्डर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (अवैतनिक विभागीय कर्मचारीवर्ग के लिये इन्टरमीडिएट)।
(दो)	ब्लाक ऑर्गनाइजर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (अवैतनिक विभागीय कर्मचारीवर्ग के लिये इन्टरमीडिएट)।
(तीन)	हवलदार प्रशिक्षक	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इण्टरमीडिएट (अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग के लिये हाईस्कूल)।

अधिमानी अर्हताएं — 9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा; जिसने :—

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) होमगार्ड संगठन में निरन्तर तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो।

आयु — 10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें नीचे उल्लिखित न्यूनतम आयु से कम और अधिकतम आयु से अधिक आयु नहीं होनी चाहिये :

	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
(1) हवलदार प्रशिक्षक	18	35
(2) ब्लॉक ऑर्गनाइजर	21	35
(3) प्लाटून कमाण्डर	21	35

परन्तु यह की उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चत्तर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय :

परन्तु यह भी कि होमगार्ड्स के अवैतनिक कर्मचारीवर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष होगी, यदि उन्होंने इस रूप में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो।

चरित्र — 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति — 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ही ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता — 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी

शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिनसे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका (फाइनेन्शियल हैण्डबुक) खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे;

परन्तु यह कि सेवा में किसी पद पर कोई पुरुष अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसकी ऊंचाई और सीने की नाप विहित न्यूनतम से कम हो:

	पर्वतीय व्यक्ति	अनुसूचित जनजाति	अन्य अभ्यर्थी
	से0मी0	से0मी0	से0मी0
(1) ऊंचाई	160	157.5	165
(2) सीना	76.3	76.3	78.8
(बिना फुलाये)			
(फुलाने पर)	81.3	81.3	83.8

महिला अभ्यर्थियों के लिये निम्नलिखित माप होगी:

ऊंचाई	
पर्वतीय व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति	अन्य अभ्यर्थी
147 सेमी0	152 से0मी0

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती के लिए चयन समितियों का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) प्लाटून कमाण्डर और ब्लॉक ऑर्गनाइजर के पद के लिये–

(एक) उपमहासमादेष्टा (डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल), होमगार्ड – अध्यक्ष

(दो) स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय-- सदस्य

(तीन) महासमादेष्टा द्वारा नाम निर्दिष्ट जिला समादेष्टा (कमाण्डेन्ट), होमगार्ड / समादेष्टा (कमाण्डेन्ट),जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स – सदस्य

(अ) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ब) अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य

पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) हवलदार इन्स्ट्रक्टर के पद के लिये---

(एक) उपमहासमादेष्टा (डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल), होमगार्ड-- अध्यक्ष

(दो) स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय सदस्य अथवा समकक्ष--

(तीन) महासमादेष्टा द्वारा नाम निर्दिष्ट मण्डलीय समादेष्टा (डिविजनल कमाण्डेन्ट)/समादेष्टा (कमाण्डेन्ट), जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड-- सदस्य

(अ) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ब) अध्यक्ष द्वारा निदिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का/की न हो। यदि अध्यक्ष पिछड़े वर्गो का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।

टिप्पणीः-- प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय तथा सीधी भर्ती के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :--

(1) सीधी भर्ती करने के लिये आवेदन--पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिये आवेदन--पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियॉ अधिसूचित करेगा।

(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियॉ अधिसूचित करके।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियॉ अधिसूचित करते समय आवेदन-पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4) (एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो)(क) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न-पत्र होगा। प्रश्न-पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर

हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख). लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट (Question Booklet)परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग). लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (**Answer Sheet**) की कार्बन प्रति सहित दो प्रतियां होंगी तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ). लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तर माला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट **WWW.ua.nic.in** पर प्रदर्शित किया जायेगा या दैनिक समाचार–पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे पद, जिनके लिये कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढ़ंग के रूप में विहित किये गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

(5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, हेतु अधिमान अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थीयों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16. 1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्तों की अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समितियों के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क) प्रशासकीय निरीक्षक (कम्पनी कमाण्डर) के पद के लिये

(एक) महासमादेष्टा (कमाण्डेन्ट जनरल), होमगार्ड्स – अक्ष्यक्ष

(दो) उपमहासमादेष्टा (डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल), होमगार्ड्स अथवा मण्डलीय समादेष्टा (डिविजनल कमाण्डेन्ट) – सदस्य

(तीन) स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय अथवा जिला समादेष्टा (कमाण्डेन्ट) / समादेष्टा (कमाण्डेन्ट), जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड– सदस्य

(अ) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) प्लाटून कमाण्डरों और ब्लॉक ऑर्गनाइजरों के पदों पर पदोन्नति के नियम 15 (1) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए

ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता कम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा, और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता कम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

टिप्पणी– सेवा मे विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया नियमावली, 2009 के प्राविधान लागू होंगे।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1)उपनियम(2)के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी कम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में, नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथावधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता कम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट कम के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति, नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक

विनिर्दिष्ट किया जायगा कि जब तक अवधि बढ़ायी गयी है।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा–अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा–अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि——

(क) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. (1) किसी भी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक जयेष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी। और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी:

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उप नियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाए:

परन्तु यह कि सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है,

यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह वैध कारणों के बिना कार्य–भार ग्रहण, करने में विफल रहे। कारण की वैधता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जायं और स्रोतों का अलग–अलग कोटा विहित हो वहां परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में, चकानुकम में उनके नाम रख कर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

परन्तु–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिये अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे रखा जायगा।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम हों और ऐसी भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष में की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे जिसके बाद नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के नाम चकानुकम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां किसी स्रोत से न भरी गयी रिक्तियां सुसंगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में नियम या विहित प्रक्रिया के अनुसार अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और कोटे से अधिक इस प्रकार नियुक्तियां की जायें, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की ज्येष्ठता दी जायेगी मानों उन्हें उनके कोटे की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया हो।

भाग सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 22 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नलिखित हैं:–

	पद का नाम	वेतनमान (रूपये)	ग्रेड वेतन(रूपये)
(1)	कम्पनी कमाण्डर / प्रशासकीय निरीक्षक	9300–34800	4200
(2)	प्लाटून कमाण्डर	5200–20200	2800
(3)	ब्लाक ऑर्गनाइजर	5200–20200	2000
(4)	हवलदार इन्स्ट्रक्टर	5200–20200	1900

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो और जहां विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर

लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा–अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वे राज्य कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन — 24. सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों पर विनियमन — 25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता — 26. जहां सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति — 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और व्यक्तियों को अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

परिशिष्ट

[देखिए नियम 4 (2)]

सेवा की सदस्य संख्या

क्रम सं0	सेवा में सम्मिलित पदों के पदनाम	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	योग	नियुक्ति प्राधिकारी
1	(क) प्रशासकीय निरीक्षक (कम्पनी कमाण्डर)	2		2	उपमहासमादेष्टा(डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल)
	(ख) क्वार्टर मास्टर	2	..	2	तदैव
	योग	4	..	4	
2	(क) जिला समादेष्टा (कमाण्डेन्ट) के सहायक	13		13	उपमहासमादेष्टा(डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल)
	(ख) प्लाटून कमाण्डर	19	..	19	तदैव
	योग	32		32	
3	(क) ब्लाक ऑर्गनाइजर	13		13	उपमहासमादेष्टा(डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल)
	(ख) हवलदार प्रशिक्षक	38		38	मण्डलीय समादेष्टा (डिविजनल कमाण्डेन्ट)
	योग	51		51	
	कुल योग	87		87	

प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

समूह ''क'' और ''ख'' :–

उत्तर प्रदेश सरकार

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

——————

संख्या 4925 / सत्ताइस–43 प्रकीर्ण–1972

लखनऊ, 23 अक्टूबर, 1972

——————

अधिसूचना

——————

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों का और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा निमावली, 1982

भाग एक–सामान्य

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली, 1982 कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह ''ख'' के पद समाविष्ट हैं। सेवा की प्रास्थिति

3– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में – परिभाषायें:

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) ''कमाण्डेन्ट'' के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट, कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, कमाण्डेन्ट नगर होमगार्ड और कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी भी है;

(घ) ''कमाण्डेन्ट जनरल'' का तात्पर्य कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश से है;

(ड) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) ''होमगार्ड'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश होमगार्डों से है;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा से है;

(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,

(ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो – संवर्ग

4– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। सेवा का संवर्ग

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :–

कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी	. .	2
जिला कमाण्डेन्ट	. .	50

कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र . .
(श्रेणी ''क'' और ''ख'') 8
कमाण्डेन्ट, नगर होमगार्ड . . 4

भाग–तीन–भर्ती

5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी :– भर्ती का स्रोत

(एक) आयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) अधीनस्थ होमगार्ड सेवा (समूह ''ग'') के जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, ज्येष्ठ इन्सट्रक्टर, निरीक्षण अधिकारी, कम्पनी कमाण्डर, कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र ''(श्रेणी ग और घ)'' प्रशासनिक सूबेदार और क्वार्टर मास्टर के पद भी समाविष्ट है, स्थायी सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु सेवा में पदों पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथा सम्भव 50 प्रतिशत पद पदोन्नत किये गये व्यक्तियों और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा भरी जायें किन्तु जहां किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, वहां पदोन्नति के लिये पदोन्नति के लिये भरी न गयी आरक्षित रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी।

6– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

भाग–चार–अर्हतायें

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :– राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुर्क्क्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8– सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि होनी चाहिये। शैक्षिक अर्हतायें

9– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने– अधिमानी अर्हतायें

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10–सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, आयु

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चत्तर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। चरित्र

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

12–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो : वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम में प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा ली गयी स्वास्थ्य परीक्षा में सफल पाया जाय। शारीरिक स्वस्थता

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14–नियुक्ति प्राधिकारी किसी भर्ती के वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा। रिक्तियों का अवधारण

15–(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिये आवेदन–पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जिसे आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है। सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

<u>टिप्पणी</u>– प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जैसे आयोग द्वारा समय–समय पर राज्यपाल के अनुमोदन से विहित किये जायें।

16– सेवा में पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी। पदोन्नति द्वारा भर्ती

17– यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से अनुकूलतः इस प्रकार लिये जायेंगे कि सीधे भर्ती किये और पदोन्नति किये गये व्यक्तियों का विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा। संयुक्त चयन सूची

भाग –छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18–(1) उपनियम (2) के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियो की नियुक्तियां उसी क्रम मे करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16, या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो, (2) जहां, भर्ती के किसी वर्ष मे, नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हों वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नही की जायेंगी जब तक कि दोनो स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय। नियुक्ति

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्त के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस सम्वर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठताक्रम में किया जायगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची के अनुसार रखें जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप मे भी उप नियम (1) मे निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले, से अधिक नहीं चलेगी। और प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनिमय, 1954 के विनियम 5(क) के उपबन्ध लागू होंगे।

19–(1) सेवा मे किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति, नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा–अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढायी जायः

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परीवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्त प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20– परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्त्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय। प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा

21– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा–अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदिः – स्थायीकरण

(एक) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय,

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

22– (1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी : ज्येष्ठता

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई भी विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगाः

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उप नियम (3) अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन का परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य–भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी थी।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक श्रोतों से की जाये और श्रोतों का अलग–अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में, उनके नाम रख कर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

परन्तु जहां, किसी श्रोत से भरी न गयी रिक्तियां, सुसंगत नियम में उल्लिखित परिस्थितियों में इस नियमावली के अनुसार अन्य श्रोतों से भरी जायें, और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जायें, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की ज्येष्ठता दी जायेगी मानों उन्हें उनके कोटे की रिक्तियों के प्रति ही नियुक्त किया गया हो।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

23– (1) सेवा में किसी पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतन–मान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। वेतन–मान

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान,
रू0 850–40–1050–30रो0–50–1300–60–220–उ0रो0–60–1720 रूपया है।

24–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उर्तीण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा–अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो : परिवीक्षा अवधि में वेतन

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :–

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25– किसी व्यक्ति को– दक्षता रोक–पार करना

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय;

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करने में पूर्ण रूप से सक्षम न पाया जाय, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

26– नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लियें अनर्ह कर देगा। पक्ष समर्थन

27–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। अन्य विषयों पर विनियमन

28– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती हैः परन्तु जहां कोई नियम–आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा। सेवा की शर्तो में शिथिलता

29–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो। व्यावृत्ति

आज्ञा से
रामचन्द्र टकरू,
गृह सचिव।

सं0 4925/सत्ताइस–43 प्रकीर्ण/1972 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

(2) महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, भारत सरकार गृह मंत्रालय, एक्सप्रेस भवन, नई दिल्ली।

(3) कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नियमावली की प्रतियां मुद्रित कराकर समस्त कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स में प्रचलित करायें तथा 100 प्रतियां शासन को भी उपलब्ध करायें।

(4) कार्मिक (नियमावली सेल) अनुभाग (10 प्रतियां सहित)/गोपन अनुभाग–1 (5 प्रतियों सहित)।

(5) कार्मिक अनुभाग–1 (10 प्रतियां सहित)।

(6) प्रशासनिक सुधार अनुभाग (5 प्रतियां)/गृह (कारागार) अनुभाग–3 ।

(7) अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रतियां) उत्तर प्रदेश गजट में छापने हेतु।

अज्ञा से
डॉ0 **हरिशचन्द्र**
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6पुलिस 21–12–82 (2902)–1983–300(मैक0)।

उत्तर प्रदेश सरकार

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

संख्याः 292/27–88–137एचजी–86

लखनऊ 25 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्रारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल होमगार्ड सेवा नियमावली, 1982 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित बनाते हैं :– उत्तर प्रदेश नियमावली

उत्तर प्रदेश होमगार्डस सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 1988

1– (1) यह नियमावली उ0प्र0 होमगार्ड्स सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 1988 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2–उ0प्र0 होमगार्ड्स सेवा नियमावली, 1982 के, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम–2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायगा, अर्थात् –– नियम–2 का संशोधन

''सेवा की 2–उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें प्रास्थिति समूह ''क'' और ''ख'' के पद समाविष्ट हैं''

3– उक्त नियमावली के नियम–3 में, उप–नियम (ग) के पश्चात् निम्न लिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात –– नियम–3 का संशोधन

''(ग–1) ''प्रभागीय कमाण्डेन्ट का तात्पर्य प्रभांगीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड से है और इसके अन्तर्गत ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी और कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी है,''

4 उक्त नियमावली में, नियम 4 के उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायगा अर्थात–– नयम–4 का संशोधन

''4(2) जब तक कि ''उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी क पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी हैः

समूह ''क''

(1) प्रभागीय कमाण्डेन्ट	12	
(2) ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी	1	
(3) कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	1	
योग		**14**

समूह ''ख''

(1) जिला कमाण्डेन्ट		56
(2) नगर कमाण्डेन्ट	4	
(3) कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी	2	
(4) कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी ''क'' और ''ख'')	12	
योग		**74**

परन्तु –

(एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगाः या

(दो) वह ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।''

उक्त नियमावली में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः– नियम 5 का संशोधन

''5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगीः–

(1) प्रभागीय कमाण्डेन्ट	ऐसे स्थायी कमाण्डेन्ट में से जिन्होंने इस रूप में आठ वर्ष की निरन्तर सेवा की हो पदोन्नति द्वारा;
(2) कमाण्डेन्ट	(एक) आयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) अधीनस्थ होमगार्ड सेवा (समूह ''ग'') के जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, ज्येष्ठ इन्सट्रक्टर निरीक्षण अधिकारी, कम्पनी कमाण्डर, कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी ''ग'' और ''घ''), प्रशासनिक सूबेदार और क्वार्टर मास्टर के पद समाविष्ट है, स्थायी सदस्यों में से पदोन्नति द्वाराः

परन्तु कमाण्डेन्ट के पदों पर भर्ती इस प्रकार से की जायगी कि यथासंभव 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरी जायें:

परन्तु यह और है कि यदि किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पदोन्नति के लिए न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायगा।'

6—उक्त नियमावली के नियम 10 में, अंक ''28'' के स्थान पर ''30'' रख दिया जायगा। — नियम 10 का संशोधन

7—उक्त नियमावली में, नियम 13 के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात—— — नियम 13 का संशोधन

''परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी के मामले में चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।''

8—उक्त नियमावली के नियम 14 में आये हुए शब्द ''भरी जाने वाली'' और ''रिक्तियों की संख्या'' के बीच में शब्द ''कमाण्डेन्ट के पदों पर'' बढ़ा दिये जायेंगे। — नियम 14 का संशोधन

9—उक्त नियमावली के नियम 16 में, शब्द ''सेवा में'' और ''पदों पर'' के बीच में शब्द ''कमाण्डेन्ट के'' बढ़ा दिये जायेंगे। — नियम 16 का संशोधन

10—उक्त नियमावली में, नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात— — नया नियम 16—क का बढ़ाया जाना

''16 क (1) प्रभागीय कमाण्डेन्ट के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगें:—

(एक) सचिव, नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, और

(दो) सचिव, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, और

(तीन) कमाण्डेन्ट जनरल।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों को, ज्येष्ठता—क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। ''

11— उक्त नियमावली में, नियम 18 के उप—नियम (1) में, अंक ''16'' और शब्द ''या'' के बीच में कामा, अंक और अक्षर '',16—क'' बढ़ा दिये जायेंगे। — नियम 18 का संशोधन

12— उक्त नियमावली के नियम 23 के उप—नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात्— — नियम 23 का संशोधन

''(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नलिखित हैं:—

(एक) कमाण्डेन्ट के पद के लिये	850—40—1050—द0रो0—50—1300—60 1420—द0रो0—60—1720 रूपया।
(दो) प्रभागीय कमाण्डेन्ट के पद के लिये	1250—50—1300—60—1660—द0रो0 1900—75—2050 रूपया।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र मोहन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 292/27-88-137 HG. 861.dated November 25, 1988 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
CIVIL DEFENCE SECTION
NOTIFICATION

Miscellaneous
No. 292/77-88-137-HGI-88
***Dated Lucknow, November* 25, 1988**

In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to mark the following rules to amend "The Uttar Pradesh Home Guards Service Rules, 1982".

THE UTTAR PRADESH HOME GUARDS SERVICE
(First Amendment) Rules, 1988

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Home Guards Service (First Amendment) Rules 1988. — Short title and commencement

(2) They shall come into force atonce.

2. In the Uttar Pradesh Home Guards Services Rules 1982, here-in-after referred to as the said rules, for rule 2, the following rule shall *substituted* namely- — Amendment of rule 2

"*2. Status of service-* The Uttar Pradesh Home Guards Service is State Service comprising group 'A' and 'B' posts". — Definitions.

3. In rule 3 of the said rules, after sub-rule (c) the following sub-rule shall be inserted namely-

"(c-1) "Divisional Commandant" means the Divisional Home Guards and includes Senior Staff officer and Commandant Central Training Institution.

4- In the said rules for sub-rule (2) of rule 4 the following sub-rule shall be *substituted* namely-

"4(2) The strength of the service and of each category of posts therin until orders varying the same are passed under sub-rule (1) shall be as follows-

	GROUP 'A'		
(1)	Divisional Commandant		12
(2)	Senior Staff Officer		1
(3)	Commandant Central Training Institute		1
		Total	**14**
	GROUP 'B'		
(1)	District Commandant		56
(2)	City Commandant		4
(3)	Junior Staff Officer		2
(4)	Commandant District Training Centre		12
		Total	**74**

Provided that-

(i) the Governor may leave unfilled or held in abeyance any vacant post without thereby entitlling any persons to compensation : or

(ii) he may create such additional permanent or temporary posts as the may consider proper".

5. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be *substituted*, namely- Amendment of rule 5

"5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources--

(1) *Divisional Commandant*

By promotion from amongst permanent Commandants having put in eight years Continuous service as such.

(2) *Commandant*

(i) By direct recruitment though the comined State Services Examination conducted by the Commission.

(ii) By promotion from amongst permanent members of the subordinate Home Guards Service (Group C) comprising the posts of Administrative Officer Senior Instructor Inspecting Officer, Company Commander, Commandant, District Training Centre (Categories C and D) Administrative Subedar and Quartermaster:

Provided that recruitment to the posts of Commandant shall be so arranged that as far as may be, 50 percent by direct recruits:

Provided further that were suitable candidates are not available for promotion in any category of posts the unfilled vacancies reserved for promotion shall be filled by direct recruitment".

6. In rule 10 of the said rules, for the figure "28", the figure "30" shall be *substituted.* Amendment of rule-10

7 In the said rules, after rule 13, the following provision shall be inserted, namely- Amendment of rule-13

"Provided that such examination by Medical Board shall not be necessary in case of candidate recruited by promotion".

8 In rule 14 of the said rules, the words" in the posts of Commandant" shall be inserted in between the words number of vacancies" and "to be filled".

9 In rule 16 of the said rules, the words "of Commandant' shall be inserted in between the words" to the posts" and "in the service. Amendment of rule-16

10 In the said rules, after rule 16, the following rule shall be inserted, namely- Insertion of new rule 16A

"16-A(1) Recruitment by promotion to the posts of Divisional Commandant, shall be made on the basis of Seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee comprising-

(i) the Secretary to Government, Civil Defence Department;

(ii) the Secretary to Government, Personnel Department; and

(iii) the Commandant General.

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of candidates arranged in order of seniority and place it before the Selection Committee alongwith their Character Rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in sub-rule (2) and if it consider necessary it may interview the candidates also.

(4) Tee Selection committee shal prepare a list of Selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority".

11 In the said rules, in sub rule (1) of rule 18, the comma, the figure and the letter, "16-A" shall be inserted in between the figure "16" and the word "or" Ammendment of rule-18

12- For sub rule (2), of rule 23, of the said rules, the following sub rule shall be *substituted*, namely- Amendment of rule 23

"(2) The scales of pay in force at the time of Commencement of these rules are as under-

(i) For the post of Commandant	850-40-1050-E.B.-50-1300-60-1420-E.B.-60-1740
(ii) For the post of Divisional Commandant	1250-50-1300-60-1660-E.B.-60-1900-75-2050"

By order,

SURENDRA MOHAN,
Principal Secretary.

सं0 292(1)/27–28 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

(2) महानिदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

(3) कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नियमावली की 2000 प्रतियां मुद्रित कराकर समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी एवं जिला कमाण्डेन्ट संवर्ग के समस्त अधिकारियों में परिचालित करायें तथा 200 प्रतियां शासन को भी उपलब्ध करा दें।

(4) कार्मिक (नियमावली सेल) (अनुभाग) 10 प्रतियों सहित।

(5) गोपन अनुभाग–1

(6) कार्मिक अनुभाग–1 (10 प्रतियों सहित)।

(7) प्रशासनिक सुधार अनुभाग (5 प्रतियों सहित)

(8) गृह (कारागार) अनुभाग–3

(9) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को (5 प्रतियों सहित) उत्तर प्रदेश गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ। अधिसूचना की गजट प्रतियां सभी सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र भेज दी जाये।

अज्ञा से

एस0ए0 रिजवी
उप सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 पुलिस 3–5–89 (466)–1989–2000(मैग0)।

उत्तर प्रदेश सरकार

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

12 मार्च, 1996 ई0
लखनऊ दिनांक

सं0 3380/छःनासु–95 सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली, 1982 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनात है :
उत्तर प्रदेश होमगार्डस सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1996 :

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली; 1996 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रदत होगी।

2– नियम–3 संशोधन – उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली, 1982, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है; में नियम–3 में खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :
(ड) ''डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल'' का तात्पर्य डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश से है।

3– नियम–4 का संशोधन – उक्त नियमावली में, नियम–4 में, वर्तमान उपय नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–
(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है :

समूह ''क'' के पद

(1)	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल	1
(2)	प्रभागीय कमाण्डेन्ट	13
(3)	ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी	1
(4)	कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	1
	योग	**16**

समूह ''ख'' के पद

(1)	जिला कमाण्डेन्ट	63
(2)	नगर कमाण्डेन्ट	3
(3)	कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी	2
(4)	कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र **(श्रेणी ''क'' और ''ख'')**	12
	योग	<u>80</u>

परन्तु –
(एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

4– नियम–5 का संशोधन – उक्त नियमावली में नियम 5 में, खण्ड (2) के पश्चात,; निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

(3) डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल–
मौलिक रूप से नियुक्त प्रभागीय कमाण्डेन्ट, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ''इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।''

5– नियम–13 का संशोधन – उक्त नियमावली में; नियम 13 में वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

''परन्तु यह और कि सेवा में किसी पद पर किसी पुरूष अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जायगा, यदि उसकी ऊंचाई और सीने की माप नीचे विहित न्यूनतम से कम न हो :

	ऊंचाई	सीना (बिना फुलाए)	सीना (फुलाने पर)
1– पुरूष अभ्यर्थी	165 से0मी0	84 से0मी0	89 से0मी0
2– महिला अभ्यर्थी	150 से0मी0	79 से0मी0	84 से0मी0
3– पुरूष अभ्यर्थी कुमायूं और गढ़वाल मण्डलों और अनुसूचित जनजाति के	160 से0मी0	84 से0मी0	89 से0मी0

6– नियम 16–क का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली में वर्तमान नियम–16–क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :

''16–क (1) डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल और प्रभागीय कमाण्डेन्ट के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधन उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिए गए मापदण्ड के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(एक) सचिव, नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(दो) सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से अनिम्न स्तर का हो।

(तीन) कमाण्डेन्ट जनरल

टिप्पणी :– ज्येष्ठ सचिव समिति का अध्यक्ष होगा :–

परन्तु यदि इस प्रकार गठित समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछले वर्षो के प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्षों के, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो; एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से अनिम्न स्तर का हो, को चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायगा।

स्पष्टीकरण :– ''पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए; आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप–नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किए गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।''

7– नियम–23 का संशोधन – उक्त नियमावली में नियम 23 में, वर्तमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :

''(2) उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1996 के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिए गए है :

पद का नाम	**वेतनमान**
(1) कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट/नगर कमाण्डेन्ट/कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी/कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी ''क'' और ''ख'')	2200–4000
(2) प्रभागीय कमाण्डेन्ट/ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी/कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	3000–4500
(3) डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल	4100–5300

आज्ञा से
(नृपेन्द्र मिश्र)
प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3380/VI-N.A.S.U.-95.dated March 12, 1996:

No. 3380/VI-N.A.S.U.-95.
March 12, 1996:

In exercise of the powers conferred by the Provison to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to mark the following rules with a view to amendnding "The Uttar Pradesh Home Guards Service Rules, 1982".

THE UTTAR PRADESH HOME GUARDS SERVICE
(SECOND AMENDMENT) RULES, 1996

1. **Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Home Guards Service (Second Amendment) Rules, 1996.

   (2)They shall come into force at once.

2. **Amendment of rule 3. -** In the Uttar Pradesh Home Guards Services Rules 1982, hereinafter referred to as the said rules, in rule-3 after clause (e) the following clause shall be inserted, namely:

   "(e.e.) Deputy Commadant General" means the "Deputy Commandant General of Home Guards, Uttar Pradesh".

3. **Amendment of rule 4**.- In the said rules, in rules 4, for the existing sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:

   (2) The strength of the Service and of each catagory of posts therein, untill orders varying the same are passed under sub-rule (1) shall be as follows :-

	GROUP "A" Posts	
(1)	Deputy Commandant General	1
(2)	Divisional Commandant	13
(2)	Senior Staff Officer	1
(3)	Commandant Central Training Institute	1
	Total	**16**
	GROUP 'B' Posts	
(1)	District Commandant	63
(2)	City Commandant	3
(3)	Junior Staff Officer	2
(4)	Commandant District Training Centre (Catagories "A" and "B"	12
	Total	**80**

   Provided that :-

   (i) the Governor may leave unfilled or held in abeyance any vacant post without thereby entitlling any persons to compensation; or

   (ii) the Governor may create such additional parmanent or temporary posts as he may consider proper..

4. **Amendment of rule 5. -** In the said rules, in rule 5, after clause (2), the following clause shall be inserted, namely:

(3) Deputy Commandant General - By promotion from amongst substantively appointed Divisional Commandants, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

5- **Amendment of rule-13-** In the said rules, in rule 13, after the existing proviso the following proviso shall be inserted, namely-

"Provided further that normal candidate or female candidate shall be appointed to a post in the service if his or her height and chest measurements are less than the minimum prescribed below:

		Height	Chest (Unexpanded)	Chest (expanded)
		cms.	cms.	cms.
1.	Male candidate	165	84	89
2.	Female candidate	150	79	84
3.	Male candidate belonging to Kumaun and Garhwal Divisions and Scheduled Tribes.	160	84	89

6. substitution of Rule 16-A. - In the said rules, for the existing rule 16-A the following rule shall be substituted namely:

"16-A (1) Recruitment by promotion to the posts of Deputy Commandant General and Divisional Cmmandant shall be made on the basis of criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time through the Selection Committee comprising-

(i) Secretary to the Government in Civil Defence Department;

(ii) Secretary to Government in Personnel Department or any officer nominated by him not below the rank of Joint Secretary to the Government.

(iii) The Commandant General.

NOTE- The Senior Secretary shall be the Chairman of the Committee:

Provided if the Selection Committee so constituted does not include persons such belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Backward classes then an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such castes/tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated as a member of the Selection committee.

Explanation (1)- "Backward classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes) Act, 1994, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates arranged in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rule, 1986 as amended from time to time and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the record referred to in sub-rule (2) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a lists of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority".

7 **Ammendment of rule-23 -** In the said rules, in rules 23, for the existing sub-rule (2), the following sub-rule shall be substitute, namely:

"(2) The scales of pay in force at the time of Commencement of the Uttar Pradesh Home Guards Service (Second Amendment) Rules, 1996 are as under:

Name of Posts	Scale of Pay Rs.
(1) Commandant/District Commandant/City Commandant /Junior Staff Officer/ Commandant, District Training Centres. (Catagories "A" and "B").	2200-4000
(2) Divisional Commandant/Senior Staff Officer/Commandant, Central Training Institute.	3000-4500
(3) Deputy Commandant General	4100-5300

By order,

NRIPENDRA MISRA
Principal Secretary.

क्रम संख्या–88 (ञ) पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 02 जून, 2016 ई०
ज्येष्ठ 12, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–5
संख्या 515 / XX / 5 / प्रकीर्ण–2016
देहरादून, 02 जून, 2016

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड होमगार्ड्स सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2016

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड होमगार्ड्स सेवा नियमावली, 2016 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति
2. उत्तराखण्ड होमगार्ड्स सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" और "ख" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं
3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत है ;
(ख) "भारत का नागरिक" ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए ;
(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है ;

(ड़) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है ;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड होमगार्ड्स सेवा अभिप्रेत है ;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ; तथा

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं, सेवा की अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है–

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

भाग–तीन –भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1)उप महासमादेष्टा,	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ राजपत्रित पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ;
(2)वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी,	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्टाफ अधिकारी, सहायक उप महासमादेष्टा होमगार्ड्स, मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ;
(3)स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स /कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ;

(4)सहायक उप महासमादेष्टा होमगार्ड्स	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, /कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा :
(5) मण्डलीय कमाण्डेन्ट	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स/ कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ;
(6) जिला कमाण्डेन्ट/ कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र,	(एक) आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा ; (दो) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त होमगार्ड्स सेवा (समूह "ग") के ऐसे स्थायी वैतनिक कम्पनी कमाण्डर, वैतनिक निरीक्षक/प्रशासकीय निरीक्षक/क्वार्टर मास्टर में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ;

आरक्षण — 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता — 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षिक अर्हताएं — 8. सेवा में जिला कमाण्डेन्ट/कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अधिमानी अर्हताएं 9. अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो ; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की 1 जनवरी को, यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाएं और 1 जुलाई को, यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाएं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये सिद्ध–दोष व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो;

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक योग्यता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से यथा Color Blindness, Vericose veins से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा ली गयी स्वास्थ्य परीक्षा में सफल पाया जाए ;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी के मामले में चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी ;

परन्तु यह और कि सेवा में किसी पद पर किसी पुरुष अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जायगा, यदि उसकी ऊंचाई और सीने की माप निम्नलिखित मानकों के अनुसार न हो :–

	ऊंचाई	सीना (बिना फुलाए)	सीना (फुलाने पर)
1. पुरुष अभ्यर्थी	165 से0मी0	84 से0मी0	89 से0मी0
2. महिला अभ्यर्थी	150 से0मी0	–	–
3. पुरुष अभ्यर्थी (उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए)	160 से0मी0	84 से0मी0	89 से0मी0

भाग पाँच–भर्ती प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन–पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाएंगे जिसे आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

<u>टिप्पणी</u>– प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्यकम और नियम ऐसे होंगे जैसे आयोग द्वारा समय–समय पर राज्यपाल के अनुमोदन से विहित किये जाएं।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती

16. सेवा में जिला कमाण्डेन्ट/कमाण्डेन्ट के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 2003 के अनुसार अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

17. (1) उप महासमादेष्टा के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :–

(2) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी/स्टाफ अधिकारी/सहायक उप महासमादेष्टा होमगार्ड्स/मण्डलीय कमाण्डेन्ट के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :–

चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष।

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन, या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन से निम्न स्तर का न हो – सदस्य।

(तीन) कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड – सदस्य।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचीयां समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोनति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जाएं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम 17(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–कम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से बारी–बारी से इस प्रकार लिये जायेंगे कि सीधे भर्ती किये गये और पदोन्नति किये गये व्यक्तियों का विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

भाग – छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियो की नियुक्तियाँ उसी कम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16, 17, या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों मे हो,

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों वहां नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाए और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाए।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाए, विद्यमान ज्येष्ठताकम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नतियाँ दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम, नियम–14 में निर्दिष्ट चकीय कम में कमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी। और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5(क) के उपबन्ध लागू होंगे।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाए ;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा–अवधि 1 वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 2 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवायें समाप्त की जाएं वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा–अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदिः –

(एक) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो,
(दो) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,
(तीन) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाए,
(चार) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए, और
(पाँच) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

22. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाएं तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी ;

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएं तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ;

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 19 के उप नियम (3) अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो ;

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य–भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी थी।

(4) जहां नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या किसी एक स्रोत से की जाएं और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित हो, वहां परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गयी सूची के नामों को चकीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे ;

परन्तु उपबन्ध यह है कि –

(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती है, वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हो, नीचे कर दी जायेगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती है, और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहां नियमों व विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां, सुसंगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जाएं, और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की ज्येष्ठता दी जायेगी मानों उन्हें उनके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध ही नियुक्त किया गया हो।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

23. (1) सेवा में किसी पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतन–मान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा–अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन 25. नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों में शिथिलता 27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ;

परन्तु जहां कोई नियम–आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

समूह–'क'

क0सं0	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	वेतनमान–ग्रेडपे
1.	उप महासमादेष्टा	02	–	37400–67000–8700
2.	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी	02	–	15600–39100–7600
3.	स्टाफ अधिकारी	01	–	15600–39100–6600
4.	सहायक उप महासमादेष्टा होमगार्ड्स	02	–	15600–39100–6600
5.	मण्डलीय कमाण्डेन्ट	02	–	15600–39100–6600
	योग	09		

समूह–'ख'

क0सं0	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	वेतनमान–ग्रेडपे
1.	जिला कमाण्डेन्ट	13	–	15600–39100–5400
2.	कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र	02	–	15600–39100–5400
	योग	15		
	समूह 'क' व 'ख' कुल योग	24		

आज्ञा से,

डॉ उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या–165/XXVII(7)30(7)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक :12 सितम्बर, 2017

विषय : दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के कम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन रू0 8700/– के लिए तालिका लेवल–13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2017 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 8700/–के लिए निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल–13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2017 के कम में अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा जारी उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700/– के लिए संलग्नक की तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल–13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ–3 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची–1 में उल्लिखित वेतन मैट्रिक्स उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

कमश:..............2

संख्या– /XXVII(7)30(7)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं पेंशन सेवायें, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-165 /XXVII(7)30(7)/2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

क्र0 सं0	शासनादेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये निर्धारित मैट्रिक्स लेवल-13	ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये प्रतिस्थापित मैट्रिक्स लेवल-13
(1)	(2)	(3)
1	118500	123100
2	122100	126800
3	125800	130600
4	129600	134500
5	133500	138500
6	137500	142700
7	141600	147000
8	145800	151400
9	150200	155900
10	154700	160600
11	159300	165400
12	164100	170400
13	169000	175500
14	174100	180800
15	179300	186200
16	184700	191800
17	190200	197600
18	195900	203500
19	201800	209600
20	207900	215900
21	214100	

(ग) होमगार्ड्स अधिनियम :—

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम सं0 29)

जैसा कि सन् 1972 के संशोधन अधिनियम (अधिनियम 4, 1972) द्वारा संशोधित।

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स के संघटन की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के नाम से एक दल के संघटन की व्यवस्था की जाय जिसकी सेवाओं का उपयोग आपातकाल में विभिन्न कर्तव्यों के लिये किया जा सके और जो शांति और जो शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल के सहायक के रूप में भी काम कर सके :—

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार और प्रारम्भ

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम 1963 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में —

(क) जिला कमाण्डेन्ट का तात्पर्य किसी जिले में होमगार्ड्स के समावेशाधिकारी (Officer Commanding) से है, *

(ख) होमगार्ड्स के रूप में ''कर्तव्य'' या ''सेवा'' के अन्तर्गत इस रूप में प्रशिक्षण लेना भी है;

(ग) असार्वजनिक सेवा के संबन्ध में ''सेवायोजक'' का तात्पर्य नियोजक से है, और इसके अन्तर्गत उसका अधिकृत एजेन्ट या प्रबन्ध भी है, और निगम, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (association) की दशा में, इस के अन्तर्गत उसका निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव या अन्य व्यक्ति भी हैं जो किसी निर्दिष्ट समय में उसके कारोबार के संचालन के लिये प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो;

(घ) ''अत्यावश्यक सेवाओं'' का तात्पर्य मोटर परिवहन, अग्रगामी एवं अभियंत्रण दल (pioneer and engineering corps), अग्निशामक दल (fire brigades) उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, जल एवं विद्युत सम्भरण अधिष्ठान का परिचालन और ऐसी अन्य सेवओं से है जो राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक जीवन के लिये अत्यावश्यक विज्ञापित की जायें ;

---

* संशोधित अधिनियम 4, 1972 द्वारा

(ड.) ''होम—गार्ड'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस रूप में भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी भी हो;

(च) ''पुलिस'' का वही तात्पर्य होगा जो पुलिस ऐक्ट, 1861 में शब्द "police" के लिये दिया गया हो; — ऐक्ट संख्या 5,1861

(छ) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ज) ''असार्वजनिक सेवा'' का तात्पर्य राज्य के अधीन सेवा से, और भिन्न किसी सेवा से है;

(झ) *

(ञ) ''राज्य के अधीन सेवा'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 12 में यथापारिभाषित ''राज्य'' के अधीन सेवा से है और इसके अन्तर्गत परिनियत निगमों के अधीन सेवा भी है ;

(ट) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है और

(ठ) *

होमगार्ड्स का संगठन

3—उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स नाम से जिसे आगे ''होमगार्ड्स'' कहा गया है, एक स्वयं सेवकक दल का निर्माण और अनुरक्षण किया जायगा और ऐसी रिति से संगठित किया जायगा जो नियत की जाय।

कृत्य

4— होमगार्ड्स के निम्नलिखित कृत्य होंगे —

(क) वे पुलिस दल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे ;

(ख) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपतों के समय लोक—समाज की सहायता करेंगे ;

(ग) वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिये, जो नियत किये जायें, आपातकालीन दल के रूप में कार्य करेंगे;

(घ) वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिये कार्यात्मक इकाईयों की व्यवस्था करेंगे; और

(ङ.) वे लोक—कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायें।

कमाण्डेन्ट जनरल और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

5— राज्य सरकार, होमगार्ड्स के कमाण्डेन्ट जनरल, जिसे आगे '' कमाण्डेन्ट जनरल'' कहा गया है, और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी जो नियत की जाये।

होमगार्ड्स का अधीक्षण और प्रशासन

6— (1) होमगार्ड्स का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा।

(*) संशोधित अधिनियम 1972 द्वारा निरसित

(2) सम्पूर्ण राज्य में होमगार्ड्स का प्रशासन कमाण्डेन्ट जनरल में निहित होगा, सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा अपवर्जित कर दे, और इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होमगार्ड्स का प्रशासन करने के लिये नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के संबंध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनका कमाण्डेन्ट जनरल, राज्य के शेष भाग में करें ।

* (3) जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुए किसी जिले में होमगार्ड्स का प्रशासन जिला कमाण्डेन्ट में निहित होगा जिले में होमगार्ड्स का और उसके द्वारा किया जायगा।

भर्ती आदि

7— (1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, कोई व्यक्ति जो होमगार्ड्स के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र में प्रार्थना—पत्र देगा। यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना—पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा में हो तो, उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे दल में सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिये सक्षम हों।

(2) होमगार्ड को औपचारिक रूप से भर्ती किया जायगा और भर्ती हो जाने पर वह प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा करेगा और द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में नियुक्ति का प्रमाण—पत्र पायेगा, जिस पर ऐसे अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे, जो नियत किया जाये और जिसके आधार पर उसे होमगार्ड के अधिकारियों तथा विशेषाधिकारियों से निहित किया जायगा तथा उसे होमगार्ड के कर्तव्यों का पालन करना होगा।

(3) होमगार्ड्स के अधिकारी और अन्य सदस्य ऐसी वर्दी पहनेंगे जो नियत की जाय।

होमगार्ड्स को बुलाना

8— इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए——

(क) जिला मजिस्ट्रेट (या जिला कमाण्डेन्ट) ** आदेश द्वारा जिले में तैनात किसी इकाई से सम्बद्ध किसी होमगार्ड को जिले के भीतर किसी क्षेत्र में काम के लिये बुला सकता है,

(ख) होमगार्ड्स का कमाण्डेन्ट जनरल या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया जाय, किसी होमगार्ड को राज्य के किसी भाग में अथवा राज्य के बाहर काम के लिये बुला सकता है।

होमगार्ड्स के अधिकार, विशेषाधिकार, और संरक्षण

9— (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब कोई होमगार्ड धारा 8 के अन्तर्गत पुलिस के सहायक के रूप में काम करे के लिये या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिये बुलाया जाय, तो उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हों, और ऐसे अनुमेलनों तथा परिस्कारों के अधीन रहते हुए जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उसमें करे, उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक लागू होंगे मानों ऐसा होमगार्ड पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण किये था जो वह तत्समय होमगार्ड में किये हुए हैं।

ऐक्ट संख्या 5, 1961

* संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा संशोधित।

** संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा जोड़ा गया।

(2) होमगार्ड के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में उसके द्वारा किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी होमगार्ड के विरूद्ध कोई अभियोजन तब तक न चलाया जायगा जब तक कि उस क्षेत्र पर, जहां होमगार्ड भर्ती किया गया हो या जहां उक्त कार्य किया गया हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति न ले ली जाये।

ऐक्ट संख्या 45, 1860

10— इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाला होमगार्ड इंडियन पीनल कोर्ट की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझा जायगा। हामगार्ड्स लोक सेवक होंगे, किन्तु असैनिक सेवक नहीं होंगे

स्पष्टीकरण – होमगार्ड के रूप में अपनी भर्ती होने के ही कारण होमगार्ड असैनिक पद धारण करने वाला न समझा जायगा।

11— (1) होमगार्ड, एतदर्थ बनाये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक होमगार्ड्स की किसी ऐसी इकाई में सेवा करने के लिये बाध्य होगा जिसमें वह तत्समय सम्बद्ध हो। सेवा करने का दायित्व

(2) आरम्भिक अवधि, जिसमें होमगार्ड्स से सेवा करने की अपेक्षा की जा सकती है, उसकी भर्ती के दिनांक से तीन वर्ष होगी। यह अवधि उसकी नियत रीति से लेखबद्ध सहमति से बढ़ायी जा सकती है।

(3) प्रत्येक होमगार्ड, जब वह नियत रीति से काम के लिये बुलाया जाय, राज्य के किसी भाग में सेवा करने के लिये बाध्य होगा। किसी भी होमगार्ड से राज्य के बाहर सेवा करने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि उसने ऐसी सेवा के लिये नियत रीति से अपनी सहमति न दे दी हो।

(4) काम के लिये बुलाये गये होमगार्डों को ऐसा दैनिक भत्ता दिया जायेगा। जो नियत किया जाय।

(5) होमगार्डों को सहाधारणतया उन क्षेत्रों में जहां वे भर्ती किये गये हों सेवा करने के लिये और केवल अंशकालिक काम के लिये बुलाया जायगा।

12— (1) कमाण्डेन्ट जनरल या एतदर्थ नियत कोई अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होमगार्ड्स के किसी सदस्य को सेवोन्मुक्ति या निलम्बित करने का अधिकार होगा। कोई होमगार्ड ऐसे अधिकारी को, जो नियत किय जाय, एक मास का नोटिस देकर दल से त्याग–पत्र दे सकता है। सेवोन्मुक्ति, निलम्बन और त्याग–पत्र

(2) अन्तिम पूर्वगत उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक होमगार्ड धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर होमगार्ड्स से अपनी सेवोन्मुक्ति पाने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण से होमगार्ड्स का सदस्य न रह जाय, कमाण्डेन्ट जनरल को या ऐसे अधिकारी को ऐसे स्थान पर जो नियत किया जाय या जिन्हें कमाण्डेन्ट जनरल निदेशित करें, अपनी नियुक्ति का प्रमाण–पत्र और शस्त्रास्त्र, साज–सज्जा (accoutrements) वस्त्र और अन्य वस्तुएं, जो उसे ऐसे सदस्य के रूप में दिये गये हों, तुरन्त लौटा देगा।

ऐक्ट संख्या 5, 1898

(4) कोई मजिस्ट्रेट, इस प्रकार न लौटाये गये किसी प्रमाण–पत्र, शस्त्रास्त्र, साज–सज्जा, वस्त्र या अन्य वस्तुओं की, जहां–जहां भी वे पाये जायें, तलाशी लेने और उन्हें अधिगृहीत करने के लिये वारंट जारी कर सकता है। इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारंट कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबन्धों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा, अथवा यदि वारंट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, निष्पादित किया जायगा।

(5) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू न समझी जायगी जो कमाण्डेन्ट जनरल के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन उस व्यक्ति की सम्पत्ति हो गयी हो जिसे वह दी गयी थी।

13– (1) यदि कोई होमगार्ड ––

(क) धारा 8 के अधीन काम पर बुलाये जाने पर उपस्थित न हो ; या

(ख) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी (superior officer) या अन्य सक्षम अधिकारी के किसी वैध आदेश या निदेश का बिना पर्याप्त कारण के पालन करने में उपेक्षा करें या इन्कार करें या जब वह काम पर हो तो होमगार्ड्स के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन न करें ; या

(ग) अपना पद अभित्यक्त कर दे ; या

(घ) कायरता का दोषी हो ; या

(ड.) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ अननुमत शारीरिक बल प्रयोग (unwarranted personal violence) करें ;

तो वह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध–दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास की अवधि तक का हो सकता है या अर्थ–दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर धारा 12 की उपधारा (3) का पालन करने में उपेक्षा करें या उसका पालन न करें, तो वह सिद्ध–दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन मास तक का हो सकता है या अर्थ–दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा।

(3) कमाण्डेन्ट जनरल या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो एतदर्थ नियत किया जाय, पूर्व स्वीकृति के बिना, उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई अभियोजन न चलाया जायगा।

(4) (जिला कमाण्डेन्ट)* के प्रतिवेदन पर, पुलिस अधिकारी किसी वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उपधारा (1) या (2) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त हो।

(5) जब अधिकारी से भिन्न होमगार्ड्स का सदस्य उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, तो (जिला कमाण्डेन्ट)* या ऐसा अन्य अधिकारी, जो नियत किया जाय, जिसके अधीन उक्त सदस्य तत्समय काम कर रहा हो, यह निवेश दे सकता है कि दोषारोपण पर औपचारिक सुनवाई के बिना कार्यवाही की जायेगी

* संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

और तदुपरान्त उक्त कमाण्डेन्ट या अन्य अधिकारी उसे निम्नलिखित कोई एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात :—

(क) दो दिन से अनधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर अवरोध जो उपयुक्त समझा जाय ;

(ख) सात दिन से अनधिक अवधि के लिये क्वार्टरों में अवरोध सहित या अवरोध रहित दण्ड—स्वरूप कवायद (ड्रिल), अतिरिक्त काय, कठोर परिश्रम (फेटींग) या अन्य काम ; और

(ग) भत्तों की जब्ती।

होमगार्ड को कार्य ग्रहण करने की अनुमति देने पर सेवायोजक की आपत्ति

14— (1) उस स्थिति के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय प्रत्येक सेवायोजक ऐसे होमगार्ड को जो तत्समय उसके द्वारा या उसके अधीन सेवायोजित किया जा रहा हो, होमगार्ड के रूप में अपना कार्य ग्रहण करने की अनुमति देगा और किसी प्रचलित विधि या ऐसे अनुबन्ध में जो उसके और ऐसे होमगार्ड के बीच हो, किसी बात के होते हुए भी उसकी कार्य अवधि, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जायें, ऐसे सेवायोजन में व्यतीत की गयी अवधि समझी जायगी।

(2) कोई भी सेवायोजक किसी भी कर्मचारी को उसके होमगार्ड्स का सदस्य होने के कारण न तो पदच्युत करेगा, न हटायेगा, न उसे निलम्बित करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जो ऐसे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(3) जो कोई उपधारा (1) या (2) के उपबन्धों का उल्लंधन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायगा जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकता है और जिस न्यायालय द्वारा सेवायोजक इस धारा के अधीन सिद्ध—दोष ठहराया जाय वह सेवायोजक को यह भी आदेश दे सकता है कि वह उक्त कर्मचारी को उस दर पर, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक सेवायोजक द्वारा उसे देय था या तीन मास से अनधिक के पारिश्रमिक का भुगतान कर और भुगतान किये जाने के लिये न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिये गये आदेश की कोई धनराशि उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थ—दण्ड हो।

(4) इस धारा की कोई बात किसी सेवायोजक पर तब तक लागू न होगी जब तक उसने कि सम्बद्ध कर्मचारी का होमगार्ड्स के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिये प्रार्थना—पत्र आगे न बढ़ाया हो, या कर्मचारी ने उसको सेवायोजन के लिये प्रार्थना—पत्र देते समय होमगार्ड्स का सदस्य होने की सूचना न दे दी हो।

नियम और विनियम बनाने का अधिकार

15—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये और इसके उपबन्धों को सामान्यतया प्रभावी बनाने के लिये नियम बना सकता है।

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है या उन्हें विनियमित किया जा सकता है, अर्थात् ——

(क) होमगार्डों का संघटन, उनकी अर्हतायें, भर्ती की रीति, स्वास्थ्य परीक्षा, कृत्य, अनुशासन, शस्त्रास्त्र, साज—सज्जा, वस्त्र और वर्दी और रीति जिसके अनुसार वे सेवा के लिये बुलाये जायें या उनसे प्रशिक्षण की अपेक्षा की जाय ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये होमगार्डों द्वारा पुलिस अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करना और होमगार्डों तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच पदों की अनुरूपता ;

(ग) शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके किसी विशेष उपबन्धों के अधीन किसी आभार या दायित्व से मुक्त किया जा सकता है ;

(घ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों और कृत्यों का कमाण्डेन्ट जनरल और अन्य प्राधिकारियों को प्रतिनिधान ; और

(ङ.) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो वधिान मण्डल के सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्य न सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

प्रथम अनुसूची

धारा7, (2)

घोषण का, प्रपत्र

मैं ....आत्मज ....निवासी .... एतद् द्वारा सत्यानिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञा न करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के सदस्य के रूप में जिसके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को मैने पूरी जानकारी से ग्रहण किया है भर्ती किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गयी अवधि भी है (यह अवधि मेरी सहमति से राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी जा सकती है), वस्तुतः सेवा करूंगा और मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बढ़ाई गयी अवधि में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के सदस्य के रूप में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर सेवा करूंगा यदि मुझे ऐसी अवधि में काम पर बुलाया गया। मैं होमगार्ड्स के सदस्य के कर्तव्यों का पालन पूरी दक्षता और जानकारी से करूंगा और अपने जीवन का जोखिम होते हुए भी सदैव भारतीय संविधान तथा राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा के लिये उद्यत रहूंगा।

....

हस्ताक्षर

पता ———

....

....

....

द्वितीय अनुसूची

धारा 7, (2)

नियुक्ति के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

नाम ....आत्मज ....निवासी .... को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 7(2) के अधीन उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। जब वह वैधतः काम पर हो तो पुलिस के सहायक के रूप में सेवा करने या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिये बुलाये जाने पर, उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस के तदनुरूप पद के किसी अधिकारी को प्राप्त हो और ऐसे अनुकूलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार उसमें करे उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

नियुक्ति का दिनांक ....

स्थान ....

दिनांक ....   नियत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1जनरल (पी0 आर0 डी0) –– 1973 –1,000 (मे0)

होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली–2024

236530/2024

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–2
संख्या-236530/XX(2)24–13(हो0गा0)/2002
देहरादून: दिनांक: 04 सितम्बर 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, "उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ	1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2024 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 3 का संशोधन	2. उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली–2002 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 3 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
3 (क) होमगार्ड्स संगठन के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से किया गया दान।	3 (क) कोष को चलाये रखने हेतु होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के वेतन/मानदेय से रू0 30/– एवं अराजपत्रित कर्मचारियों एवं होमगार्ड्स स्वयंसेवकों से प्रति माह रू0 10/– की कटौती की जायेगी।

नियम 4 का संशोधन	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम, 4 के विद्यमान खण्ड (क) 3 तथा खण्ड (ग) 1, (ग) 2, (ग) 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 (विद्यमान खण्ड)		स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)	
4(क) कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना :–		4(क) होमगार्ड्स संगठन के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना :–	
4(क)3 सामान्य ड्यूटी के समय ड्यूटी स्थल पर आने जाने के 24 घंटे के अन्तर्गत मृत्यु होने पर (दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)	रू0 200000/–	4(क–3) सामान्य ड्यूटी/प्रशिक्षण के समय ड्यूटी स्थल पर आने जाने के 24 घंटे के अन्तर्गत मृत्यु/दुर्घटना से मृत्यु होने पर एवं ड्यूटी/प्रशिक्षण से सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने पर ईलाज के दौरान मृत्यु/दुर्घटना से मृत्यु होने पर।	रू0 200000/–
4(ग)1 हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से योग्यता के आधार पर 05 छात्रों का चयन कर रू0 250/– प्रति छात्र प्रति माह की दर से वर्ष में एक बार एक–मुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी।	रू0 3000/– प्रति वर्ष	4(ग–1) हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से योग्यता के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में से 30 छात्रों का चयन कर एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी:– प्रतिशत — धनराशि 80% से अधिक — रू0 3,000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष	

1

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 03/09/2024 05:13 PM

'237498/2024

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–2
संख्याः237498/XX-(2)24–13(हो0गा0)/2002
देहरादूनः दिनांकः 05 सितम्बर,2024

अधिसूचना संख्याः 236530/ **XX-(2)**24–13(हो0गा0)/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली ,2024" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4. कमाण्डेंट जनरल,होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
7. समस्त मण्डलीय कमाण्डेंट होमगार्ड्स एवं जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, रूड़की हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां गृह अनुभाग–02 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से
Signed by Chandra Bahadur
Date: 04-09-2024 18:27:20

(चन्द्र बहादुर)
उप सचिव

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 05/09/2024 02:03 PM

'236530/2024

			70% से अधिक तथा 80% तक रू0 2,500/- प्रति छात्र प्रति वर्ष 60% से अधिक तथा 70% तक रू0 2,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
4(ग)2	ऐसे छात्र जो इन्टरमिडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक कक्षा अध्ययन करेगें, उनमें से योग्यता के आधार पर 05 छात्रों का चयन कर रू0 1000/- प्रति छात्र प्रति माह की दर से वर्ष में एक बार एक-मुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी।	रू0 5000/- प्रति वर्ष	4(ग-2) ऐसे छात्र जो इन्टरमिडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक कक्षा में अध्ययन करेगें, उनमें से योग्यता के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में से 30 छात्रों का चयन कर एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी:- प्रतिशत — धनराशि 80% से अधिक — रू0 12,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष 70% से अधिक तथा 80% तक — रू0 10,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष 60% से अधिक तथा 70% तक — रू0 8,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
4(ग)3	ऐसे छात्र जो एमबीबीएस या इन्जीनियरिंग कॉलेज जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी सम्मीलित होगा, अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यकम में प्रवेश लेंगे को रू0 2000/- प्रति माह की दर से वर्ष में एक बार एक मुश्त छात्रवृत्ति देना। छात्रवृत्ति आगे तभी दी जायेगी जब छात्र प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहें अन्यथा अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति वर्ष में दो बार देय होगी। प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या का चयन कोष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर होगा।	रू0 10000/- प्रति वर्ष	4(ग-3) ऐसे 20 छात्र जो एमबीबीएस या इन्जीनियरिंग कॉलेज जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी सम्मिलित होगा, अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यकम में प्रवेश लेंगे को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी। प्रतिशत — धनराशि 80% से अधिक — रू0 24,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष 70% से अधिक तथा 80% तक — रू0 22,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष 60% से अधिक तथा 70% तक — रू0 20,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष छात्रवृत्ति आगे तभी दी जायेगी जब छात्र प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहे अन्यथा छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या का चयन कल्याण कोष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर होगा:-

नियम 5 का संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम, 5 के विद्यमान खण्ड 'ख' के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
5(ख) राज्य सरकार द्वारा कोष हेतु एक मुश्त प्राविधानित धनराशि दस लाख रू0 (रू0 1000000/-) मात्र को राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि योजना अथवा सरकारी प्रतिभूतियों अथवा डाकघर की जो सबसे लाभकारी योजना हो, में प्रबन्ध समिति द्वारा निवेश किया जायेगा तथा उक्त निवेश से होने वाली आय से व्यय करते हुए मूलधन को सुरक्षित रखा जायेगा। प्रबन्ध समिति नियमावली में निर्धारित	5(ख) प्रबन्ध समिति राज्य सरकार द्वारा कोष हेतु प्रदान की गयी धनराशि एक करोड़ रू0 (रू0 10000000/-) मात्र को राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि योजना अथवा सराकारी प्रतिभूतियों अथवा डाकघर की जो सबसे लाभकारी योजना हो, में निवेश करेगी। उक्त निवेश से होने वाली आय से लाभार्थियों के छात्रवृत्ति के प्रकरण निस्तारित करते हुए न्यूनतम मूलधन एक करोड़ रू0 (रू0 10000000/-) मात्र को सुरक्षित रखा जायेगा। कोष की निरन्तरता बनाये रखने हेतु राज्य सरकार प्रति वर्ष

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 03/09/2024 05:13 PM

'236530/2024

सीमा के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगी। परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में सीमा से अधिक सहायता भी स्वीकृत की जा सकेगी। अन्य मामले जहाँ नियम नहीं बने हैं का निस्तारण प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

एकमुश्त धनराशि अनुदान देती रहेगी, इस अनुदान से मृतक, सेवापृथक, बीमार तथा घायल लाभार्थियों के प्रकरण निस्तारित किये जायेंगे। प्रबन्ध समिति निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगी :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में सीमा से अधिक आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की जा सकेगी। अन्य मामले जहाँ नियम नहीं बने हैं का निस्तारण प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 02-09-2024 09:51:08

(शैलेश बगौली)
सचिव, गृह

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 03/09/2024 05:13 PM

होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली–2017

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–05
संख्याः–07 /xx(5)/17–13(हो0गा0)/2002
देहरादूनः दिनांकः 03 जनवरी, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, "उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है; अर्थात–

उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2017 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का संशोधन	2	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम, 4 के प्रस्तर क, ख, ग, घ के स्थान पर स्तम्भ–2 दिये गये नियम रख दिये जायेंगे।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम उत्तराखण्ड होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002			स्तम्भ–2 एतत्द्वारा प्रतिस्थापित नियम उत्तराखण्ड होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 में प्रस्तावित संशोधन		
(4)(क)–	कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना :–		4 (क)–	कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना :–	
(1)	साम्प्रदायिक दंगों के समय मृत्यु होने की दशा में –	रू0 50000	(1)	साम्प्रदायिक दंगों/आतंकवाद निरोधी कार्यवाही में सक्रियच ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में जो दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो–	रू0 200000
(2)	विशेष जोखिम ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में –	रू0 20000	(2)	विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में, जो दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो (इसके अन्तर्गत चुनाव, कानून व्यवस्था तथा दैवीय आपदा सम्बन्धित ड्यूटी सम्मिलित होंगी)	रू0 200000
(3)	सामान्य ड्यूटी के समय ड्यूटी स्थल पर आने जाने के 24 घंटे के अन्तर्गत मृत्यु होने पर (दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)	रू0 100000	(3)	सामान्य ड्यूटी के समय ड्यूटी स्थल पर आने जाने के 24 घंटे के अन्तर्गत मृत्यु होने पर (दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)	रू0 200000
(4)	(क) सामान्य ड्यूटी में स्थायी अपंगता होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रति हस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो) (ख) सामान्य ड्यूटी में घायल होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रति हस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो) (ग) गम्भीर एवं असाध्य बीमारी होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)–	रू0 75000 रू0 50000	(4)	होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारियों को सामान्य ड्यूटी में स्थायी अपंगता/घायल होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रति हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत किये जाने पर पूर्व से दी जा रही सहायता धनराशि क्रमशः रू0 75,000/– एवं रू0 50,000/– को चिकित्सक से प्रदत्त स्टीमेट के आधार पर अग्रिम के रूप में प्रदान किया जायेगा। (दुर्घटना बीमा से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर)। यदि होमगार्ड्स ड्यूटी अवधि में घायल हुआ है और अत्यन्त गरीब है, उसके पास ईलाज कराने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है तब कल्याण कोष समिति, चिकित्सक से प्रदत्त स्टीमेट के आधार पर प्रकरण की स्थिति के दृष्टिगत अग्रिम धनराशि अधिकतम रू0 200000/ –स्वीकृत की जायेगी, जिसके मूल व्यय वाउचर बाद में लिये जायेंगे।	–
		–	(5)	होमगार्ड्स संगठन की सक्रिय सदस्यों की उपरोक्त बिन्दु 1, 2 व 3 में वर्णित दशा में मृत्यु पर दाह संस्कार हेतु।	रू0 10000
(4) ख–1	होमगार्ड्स एवं अवैतनिक अधिकारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवापृथक के दौरान न्यूनतम 10 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पर–	रू0 50000	(4) (ख–1)	होमगार्ड्स एवं अवैतनिक अधिकारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवापृथक के दौरान न्यूनतम 10 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पर–	रू0 100000

Rawat——letter—2017——doc

(4) ग–1	हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से योग्यता सूची के आधार पर 5 छात्रों का चयन कर रू0 1,000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। यह छात्रवृत्ति प्रारम्भ में दो वर्ष के लिये दी जायेगी।	–	(4) (ग– 1)	हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से योग्यता के आधार पर 05 छात्रों का चयन कर रू0 250/– प्रति छात्र प्रति माह की दर से वर्ष में एक बार एक–मुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी।	3000 प्रतिवर्ष
(4) ग–2	ऐसे छात्र जो इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक कक्षा में अध्ययन करेंगे उनमें से 5 छात्र योग्यता सूची के आधार पर चयन किये जायेंगे, जिन्हें रू0 1,500/– प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से स्नातक कक्षाओं हेतु जो अवधि निर्धारित हो (02 वर्ष या 03 वर्ष) के लिए छात्रवृत्ति देना, छात्रवृत्ति वर्ष में दो बार देय होगी।	–	(4) (ग–2)	ऐसे छात्र जो इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक कक्षा में अध्ययन करेंगे, उनमें से योग्यता के आधार पर 05 छात्रों का चयन कर रू0 1,000/– प्रति छात्र प्रति माह की दर से वर्ष में एक बार एक–मुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी।	5000 प्रतिवर्ष
(4) ग–3	ऐसे छात्र जो एमबीबीएस या इन्जीनियरिंग कॉलेज जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी सम्मिलित होगा, अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी एवं व्यवसायिक पाद्यकम में प्रवेश लेंगे को रू0 250/– प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देना। छात्रवृत्ति आगे तभी दी जायेगी जब छात्र प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होते रहें अन्यथा अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति वर्ष में दो बार देय होगी। प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या का चयन कोष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर होगा।	–	(4) (ग–3)	ऐसे छात्र जो एमबीबीएस या इन्जीनियरिंग कॉलेज जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी सम्मिलित होगा, अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यकम में प्रवेश लेंगे को रू0 2000/– प्रति माह की दर से वर्ष में एक बार एक मुश्त छात्रवृत्ति देना। छात्रवृत्ति आगे तभी दी जायेगी जब छात्र प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहें अन्यथा अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति वर्ष में दो बार देय होगी। प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या का चयन कोष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर होगा।	10000 प्रतिवर्ष
(4) घ–1	खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यकम, शैक्षिक तथा मंनोरंजन कार्यक्रम जिसमें होमगार्ड्स मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय एवं जिला कार्यालय, जिला प्रशिक्षण केन्द्र में सूचना/मनोरंजन कक्षों, आफिर्सस मैस सुसज्जित करना तथा पुस्तकालय की स्थापना करना शामिल है, के लिये वित्तीय सहायता देना जिसमें प्रशिक्षणरत जयानों व कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सामूहिक रूप से त्यौहार मनाने हेतु होली, दीपावली, ईद, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि के त्यौहारों पर अधिकतम रू0 1000/– की वित्तीय सहायता सम्मिलित होगी। अखिल भारतीय खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीनों को अभ्यास के दौरान विशेष भोजन दिये जाने पर अधिकतम रू0 1000/– की वित्तीय सहायता तथा विजयी टीम के उत्साहवर्धन के लिएये रू0 3000/– की अधिकतम वित्तीय सहायता।	–	(4) (घ–1)	(क) खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यकम, शैक्षिक तथा मंनोरंजन कार्यकम जिसमें होमगार्ड्स मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में सूचना/मनोरंजन कक्षों/ पुस्तकालय की स्थापना/सुसज्जित करने हेतु धनराशि रू0 20000/– तथा सभी जिला इकाईयों में सूचना/ मनोरंजन कक्षों/पुस्तकालय की स्थापना/ सुसज्जित करने हेतु धनराशि रू0 5000/– दी जायेगी। (ख) 26 जनवरी, 1 5 अगस्त, 2 अक्टूबर पर (तीनों आयोजनों हेतु) होमगार्ड्स मुख्यालय एवं जिला कार्यालय के लिये एक मुश्त मात्र रू0 20000/–। (ग) अखिल भारतीय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम के सभी सदस्यों को अभ्यास के दौरान विशेष भोजन दिये जाने पर अधिकतम राशि रू0 20000/– की वित्तीय सहायता। (ड़) होमगार्ड्स दिवस वार्षिक समारोह एवं सेरीमोनियल परेड के अवसर पर सम्मिलित सभी सदस्यों को अभ्यास के दौरान विशेष भोजन हेतु अधिकतम रू0 50000/– होमगार्ड्स विभाग के सभी प्रतिभागियों के बड़े खाने के समय विशेष भोजन पर अधिकतम रू0 150000/– की सहायता। (च) गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होमगार्ड्स मुख्यालय पर आयोजित अभ्यास परेड के दौरान सम्मिलित अवैतनिक जवानों के उत्साहवर्धन हेतु विशेष भोजन हेतु अधिकतम रू0 20000/– हजार की सहायता।	प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन रू0 100 /–

(डॉ0 उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव।

Rawat------letter--2017-------doc

होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली–2014 :–

54

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5,
संख्या–265/XX(5)/14–13(हो0गा0)/2003
देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2014

'उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2014' प्रख्यापित करते हुये निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स एवं जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. महानिदेशक, सूचना देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली–2014 का प्रकाशन दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा शासकीय वेबसाईट के माध्यम से कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की हरिद्वार को उक्त संशोधित नियमावली–2014 की हिन्दी प्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां गृह अनुभाग–5 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5,
संख्या–265/XX(5)/14–13(हो0गा0)/2002
देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, "उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष (संशोधन) नियमावली, 2014 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का संशोधन	2	उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 2002 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है)में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम, 4 के प्रस्तर–क 3, ख तथा (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायंगे, अर्थात –

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम
क 3 सामान्य ड्यूटी के समय मृत्यु होने की दशा में– रूपये दस हजार मात्र	"**क 3** सामान्य ड्यूटी के समय ड्यूटी स्थल पर आने–जाने के 24 घण्टे के अन्तर्गत मृत्यु होने पर (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये एक लाख मात्र।
–	**(ख)** ड्यूटी/प्रशिक्षण से सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने पर चिकित्सालय में इलाज करने के दौरान मृत्यु होने पर (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये एक लाख मात्र।"
(4) उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों की स्थायी अपंगता की दशा में उक्त श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई धनराशि सहायता के रूप में दी जायेगी। **ख आपदा हेतु–** होमगार्ड्स अवैतनिक सदस्यों तथा अराजपत्रित वैतनिक सदस्यों की ड्यूटी/ प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की विपत्ति (आपदा) की दशा में	"**(4) (क)** सामान्य ड्यूटी में स्थायी अपंगता होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये पिचहत्तर हजार मात्र।" "**(ख)** सामान्य ड्यूटी में घायल होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र।" "**(ग)** गम्भीर एवं असाध्य बीमारी होने पर वास्तविक व्यय वाउचर चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त (यदि दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो)– अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र।" " **ख** प्राकृतिक आपदा होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति व आकलन के आधार पर अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र।"

एक बार की एकमुश्त सहायता जो अधिकतम रू0 1,000/– होगी।

नये नियम का जोडा जाना	3	मूल नियमावली के नियम, ख के पश्चात एक नया नियम ख 1 जोड दिया जायेगा, अर्थात– "**ख 1** अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृति के दौरान न्यूनतम 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा– अधिकतम रूपये पचास हजार मात्र"

(मंजुल कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या–83 / 3होगा0 / 02

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस,
उत्तरांचल,देहरादून ।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 29 सितम्बर,2006

विषयः– **उत्तरांचल प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 में संशोधन ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सीजी–27 / होगा / 2001 / 318,दिनांक 20–7–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से शासनादेश संख्या–1646(2) / हो0गा0 / गृह–3 / 2003,दिनांक 26 फरवरी,2003 द्वारा निर्गत की गयी **उत्तरांचल प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क** में संशोधन करते हुए निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–1 के स्थान स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क में वर्तमान प्राविधान	**प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली 2002 के नियम 4 क में संशोधित प्राविधान**
1	2
क–कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना:–	क–कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना:–
(1) विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु– **पच्चीस रूपये से 10 हजार** (इसके अन्तर्गत चुनाव, कानून व्यवस्था तथा दैवीय आपदा सम्बन्धित ड्यूटी सम्मिलित होगी)	(1) साम्प्रदायिक दंगों के समय मृत्यु होने की दशा में– **रू0–50000 / –**
(2) मृत्यु तथा स्थाई अपंगता ड्यूटी के समय हुई दुर्घटना– **रू0 02 हजार**	(2) विशेष जोखिम ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में– **रू0–20000 / –**
(3) सामान्य ड्यूटी के समय मृत्यु होने पर– **रू0 10 हजार**	(3) सामान्य ड्यूटी के समय मृत्यु होने की दशा में– **रू0–10000 / –**
	(4) उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों की स्थायी अपंगता की दशा में उक्त श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घालय होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई धनराशि सहायता के रूप में दी जायेगी।

कमशः 2 / –

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–973 / XXVII(1) / 2006, दिनांक 25 सितम्बर,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या–837(1) / XX(5) / 06–13हो0गा0 / 02,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल,ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून ।
2– समस्त,जिला मजिस्ट्रेट,उत्तरांचल ।
3– समस्त जिला कमाण्डेन्ट,होमगार्ड्स,उत्तरांचल।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
5– वित्त अनुभाग–1
6– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून ।
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

उत्तरॉचल शासन
गृह विभाग
संख्याः1646(2)/हो0गा0/गृह–3/2003
देहरादूनः दिनॉकः फरवरी 26 2003

उत्तरांचल प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली वर्ष 2002

शीर्षकः– यह कोष उत्तरांचल राज्य होमगार्ड कल्याण कोष के नाम से जाना जायेगा ।
परिभाषायेः– इन नियमों के लिये जब तक की अन्यथा व्यवस्था न की गयी हों।

क– **कोष** का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य होमगार्ड्स कल्याण कोष से होगा।
ख– **लाभार्थी** का तात्पर्य होमगार्ड संगठन के वैतनिक अराजपत्रित, अवैतनिक सदस्यों से होगा जो इस कोष से सहायता पाने के अधिकारी है, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैः–

1– **आश्रित जैसा कि आगे परिभाषित किया गया हैं।**
2– **होमगार्ड्स संगठन का ऐसा सदस्य जो होमगार्ड ड्यूटी के प्रशिक्षण के दौरान घटना के फलस्वरूप चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।**
ग– आश्रित का तात्पर्य होमगार्ड्स संगठन के ऐसे सदस्य की पत्नी तथा 21 वर्ष तक की आयु के ऐसे पुत्र और अविवाहित पुत्रियों और पूर्णतयाः आश्रित माता–पिता जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। जिनका अपना कोई अन्य आय का साधन नहीं हो।
घ– ड्यूटी का तात्पर्य होमगार्ड्स संगठन के ऐसे सदस्य से होगा, जो शासन के या होमगार्ड्स संगठन के समक्ष अधिकारी के आदेशों द्वारा ड्यूटी(प्रशिक्षण सहित) के लिये बुलवाया गया हो।
च– दैवीय आपदा से तात्पर्य बाढ़, सूखा,भूकम्प या आग से हुई क्षति से होगा।
3– **कोष के श्रोतः– कोष में निम्नलिखित सम्मिलित होगें।**
क– होमगार्ड्स संगडन के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से किया गया दान।
ख– केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपकमों, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्वेच्छा से प्राप्त धन
ग– **राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान ।**
घ– प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित दर पर सदस्यों द्वारा कोष में स्वेच्छा से दिया गया दान।
4– कोष का उद्‌देश्यः–होमगार्ड्स कल्याण कोष के उद्‌देशय निम्नवत हैः–
क– कोष के सदस्यों को निम्नलिखित उद्‌देश्यों के लिये वित्तिय सहायता उपलब्ध कराना
1– विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान (इसके अन्तर्गत चुनाव,कानून व्यवस्था तथा दैवीय आपदा सम्बन्धित ड्यूटी सम्मिलित होगी) पच्चीस रूपये से 10 हजार

2— मृत्यु तथा स्थाई अपंगता ड्यूटी के समय हुई दुर्घटना — रु0 02 हजार

3— सामान्य ड्यूटी के समय मृत्यु होने पर — रू0 10 हजार

ख— **आपदा हेतु**—होमगार्ड्स अवेतनिक सदस्यों तथा अराजपत्रित वैतनिक सदस्यों की ड्यूटी/प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की विपत्ति (आपदा) की दशा में एक बार की एकमुश्त सहायता जो अधिकतम रू01000/—होगी ।

ग— **छात्रवृत्तियां:**— होमगार्ड्स संगठन के अराजपत्रित वैतनिक सदस्यों व अवैतनिक सदस्यों के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी, परन्तु यदि छात्र को किसी अन्य श्रोत से वित्तीय सहायता मिलती हैं तो उस दशा में एवं उस सीमा तक छात्रवृत्ति की धनराशि कम हो जायेगी।

ग—1 हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उततीर्ण होने वाले छात्रों में से योग्यता सूची के आधार पर 5 छात्रों का चयन कर रू0 1,000/— प्रति छात्र प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। यह छात्रवृत्ति प्रारम्भ में दो वर्ष के लिये दी जायेगी।

ग—2 ऐसे छात्र जो इण्टरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक कक्षा में अध्ययन करेंगे उनमें से 5 छात्र योग्यता सूची के आधार पर चयन किये जायेगें जिन्हें रू0 1500/— प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से स्नातक कक्षाओं हेतु जो अवधि निर्धारित हो (2 वर्ष या 3 वर्ष)के लिये छात्रवृत्ति देना, छात्रवृत्ति वर्ष में 2 बार देय होगी।

ग—3 ऐसे छात्र जो एमबीबीएस या इन्जीनियरिंग कॉलेज जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी सम्मिलित होगा,अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगें को रू0 250/— प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देना छात्रवृत्ति आगे तभी दी जायेगी जब छात्र प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होता रहें अन्यथा अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति वर्ष में दो बार देय होगी। प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या का चयन कोष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर होगा।

घ— होमगार्ड्स इकाईयों/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान/जिला प्रशिक्षण केन्द्र पर कल्याण केन्द्र एवं अन्य कल्याणकारी कार्यो हेतु कोष के वित्तिय सहायता उपलब्ध कराना ।

घ—1 खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम शैक्षिक तथा मनोरंजन कार्यक्रम जिनमें होमगार्ड्स इकाईयों/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला प्रशिक्षण केन्द्र में सूचना/मनोरंजन कक्षों/ऑफिसर्स मेस का सुसज्जित करना तथा पुस्तकालय की स्थापना करना शामिल हैं, के लिये वित्तीय सहायता देना जिसमें प्रशिक्षणरत जवानों व कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सामूहिक रूप से त्यौहार मनाने हेतु होली,दीपावली,ईद,जन्माष्टमी,तथा शिवरात्रि के त्योहारों पर अधिकतम रू0 1000/— की वित्तीय सहायता सम्मिलित होगी। अखिल भारतीय खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों को अभ्यास के दौरान विशेष भोजन दिये जाने पर अधिकतम रू0 1000/— की वित्तीय सहायता

तथा विजयी टीम के उत्साहबर्धन के लिये रू0 3000/– की अधिकतम वित्तीय सहायता।

घ–2 होमगार्ड्स दिवस वार्षिक समारोह एवं सेरीमोनियल परेड के अवसर पर कर्मचारियों/अधिकारियों को अभ्यास के दौरान विशेष भोजन हेतु अधिकतम रू0 1,000/– वित्तीय सहायता तथा परेड में सम्मिलित स्वयंसेवकों एवं कर्मचारियों के बड़े खाने के समय विशेष भोजन पर अधिकतम रू0 2,000/– की सहायता।

5– **कोष की व्यवस्थाः–**

कोष की व्यवस्था प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी। प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा।

1–	कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव गृह, द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
3–	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स	सदस्य
4–	लेखाधिकारी,होमगार्ड्स,मुख्यालय	सदस्य एवं कोषाध्यक्ष
5–	कमाण्डेन्ट जनरल,होमगार्ड्स द्वारा नामित एक अधिकारी जो कल्याण कोष का काम देख रहा हो ।	सदस्य सचिव
6–	कमाण्डेन्ट जनरल,होमगार्ड्स द्वारा नामित एक वरिष्ठ अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर ।	सदस्य

प्रबन्ध समिति की बैठक हेतु अध्यक्ष के अतिरिक्त तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वर्ष में कम से कम 2 बार प्रबन्ध समिति की बैठक अवश्य की जायेगी।

5–ख राज्य सरकार द्वारा कोष हेतु एक मुश्त प्राविधानित धनराशि दस लाख रू0 (रू01000000/–) मात्र को राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि योजना अथवा सरकारी प्रतिभूतियों अथवा डाकघर की जो सबसे लाभकारी योजना हो,में प्रबन्ध समिति द्वारा निवेश किया जायेगा तथा उक्त निवेश से होने वाली आय से व्यय करते हुए मूलधन को सुरक्षित रखा जायेगा। प्रबन्ध समिति नियमावली में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगी। परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में सीमा से अधिक सहायता भी स्वीकृत की जा सकेगी । अन्य मामले जहॉ नियम नहीं बने हुए हैं का निस्तारण प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

6– **कार्य निस्तारण –**

क– प्रबन्ध समिति आवश्यक मामलों में निस्तारण हेतु जब भी आवश्यकता हो बैठक कर सकती है।

ख– प्रबन्ध समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा कोषाध्यक्ष।

ग– सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना के आच्छादित मामलों में कोष से आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

7— **प्रबन्ध समिति के सदस्यों को देय धनराशि:—**

प्रबन्ध समिति के सदस्य समिति के अधिकारी होने के नाते किसी पारिश्रमिक पर पुरूस्कार के रूप में किसी धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

8— **कर्मचारियों का प्राविधान:—**

प्रबन्ध समिति के लिपिकीय कार्यो हेतु आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स द्वारा की जायेगी।

9— **लेखा एवं लेखा परिक्षण:—**

कोष का सभी धनराशी का नियमित लेखा रखा जायेगा, जिसका लेखा परीक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक यह प्रमाण पत्र देगा कि कोष निधि के व्यय कोष के उद्देश्यों के अनुसार सही ढंग से किया जायेगा।

10— **समय समय पर भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स:—**

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट दी जायेगी, जिसमें निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं और प्रत्येक योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों की संख्या तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा हुआ लेखों का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

एस0 के0दास
प्रमुख सचिव,गृह

cam. 2461
16/11/17

संख्याः–1131 /XX(5)/17–01(हो0गा0)/2014

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 15 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2017

विषयः–होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण/परेड भत्तों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–सीजी–65/हो0गा0/2002/296, दिनांक–22.06.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शासनादेश संख्या–563/लेखा/तीन–139/1996, दिनांक–10.02.1997 एवं गृह अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–277/XX(5)/10–37/हो0गा0/2004, दिनांक–16.12.2010 द्वारा होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण/परेड भत्तों की निर्धारित दरों को पुनरीक्षित करते हुये निम्न विवरणानुसार निर्धारित भत्ते अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

व्यय की मद	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1–प्रशिक्षण अवधि में जेब खर्च ग्रामीण/शहरी होमगार्ड्स	रू0–80/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन	रू0–120/प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन
2–शिविर प्रशिक्षण अवधि में शहरी/ग्रामीण होमगार्ड्स के लिए भोजन भत्ते	रू0–60/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन	रू0–100/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन

व्यय की मद	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1–शहरी/ग्रामीण होमगार्ड्स को 02 से 2½ घण्टे परेड	रू0–14/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन	रू0–100/प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन
2– 2½ घण्टे से अधिक परेड	रू0–28/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन	रू0–150/प्रति होमगार्ड प्रतिदिन

Hh Sec

Kam C.G.
14-11-17

HWear

EAW
A-Dir(HL(F)

2– उपर्युक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक "2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) की उप मद 21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन/44–प्रशिक्षण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–85 मतदेय/XXVII(5)/2010, दिनांक–04.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः–2

Rawat-------letter---2017--------doc

संख्याः– 1131/XX(5)/17–01(हो0गा0)/14, तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, नागारिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स, गढ़वाल/कुमाऊं।
5. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–01/05, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
अनु सचिव।

Rawat--------letter---2017--------doc

cgHG-1583/016
05/08/2016

(3)

संख्याः–713 /XX(5)/16–15(हो0गा0)/2016

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 03 अगस्त, 2016

विषयः–घोषणा संख्या–79/2016 "होमगार्ड्स अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रू0 900/– से बढ़ाकर रू0 1500/– सहायक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रू0 700/– से बढ़ाकर रू0 1200/– अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का मानदेय रू0 600/– से बढ़ाकर रू0 1000/– प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, होमगार्ड्स विभाग के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर, अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर के मानदेय को निम्नवत् पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

	वर्तमान मानदेय	पुनरीक्षित मानदेय
(I) अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	रू0 900/– प्रतिमाह	रू0 1500/–
(II) सहायक कम्पनी कमाण्डर	रू0 700/– प्रतिमाह	रू0 1200/–
(III) अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	रू0 600/– प्रतिमाह	रू0 1000/–

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4– उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक–01.08.2016 से प्रभावी होगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–86NP/XXVII(5)/2016, दिनांक–02.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विनोद शर्मा) 2/8
सचिव।

Hq. See

C.G.

क्रमशः–2

संख्याः– /XX(5)16–15(हो0गा0)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
3– समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–5/1, उत्तराखण्ड शासन।
6– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।

फैक्स/आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

तपोवन रोड, ननूर खेड़ा, रायपुर, देहरादून। टेलीफैक्स नं0–0135–2784473

पत्र संख्या : सीजी–80/हो.गा./2016/859 दिनांकः अगस्त 08, 2016

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, देहरादून/टिहरी/चमोली/पौड़ी/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/हरिद्वार/नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत।

2– कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी।

3– मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी।

शासनादेश संख्याः 713/XX(5)/16-15(हो.गा.)/2016 दिनांकः 03–08–2016 द्वारा अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर, अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का मानदेय पुनरीक्षित किया गया है। अतः उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

08.08.16

(आर0 एस0 मीना)
आई.पी.एस.
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Rawat--------letter--2016--------doc C:\A_Current\All District

संख्याः– 793 /XX(5)13–27(हो0गा0)/2013

प्रेषक,

विम्मी सचदेवा रमन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स/नागरिक सुरक्षा
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2013

विषयः–होमगार्ड्स संगठन के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं प्लाटून कमाण्डर होमगार्ड्स के मानदेय/आनरेरियम में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सीजी–60/होगा/2008/806, दिनांक 31.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय होमगार्ड्स विभाग के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर तथा अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर के मानदेय को निम्नवत् पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

	वर्तमान मानदेय	पुनरीक्षित मानदेय
(I) अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	₹ 350/–प्रतिमाह	₹ 900/–प्रतिमाह
(II) अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर	₹ 250/–प्रतिमाह	₹ 700/–प्रतिमाह
(III) अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	₹ 200/–प्रतिमाह	₹ 600/–प्रतिमाह

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के सुसंगत मानक के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त पुनरीक्षित दरें तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0-176NP/XXVII(5)/2013-14, दिनांकः 24.12.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
26/12
(विम्मी सचदेवा रमन)
अपर सचिव।

संख्याः– /XX(5)13–27(हो0गा0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3– समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विम्मी सचदेवा रमन)
अपर सचिव।

फैक्स

निदेशालय होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून

दून हिल्स कालोनी, रिंग रोड, देहरादून।

पत्र संख्या : सीजी–60/होगा/2008/347 दिनांकः जुलाई 01, 2013

1– जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी/उत्तरकाशी/चमोली/पौड़ी/रूद्रप्रयाग
अल्मोड़ा/बागेश्वर/चम्पावत/नैनीताल/पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।

2– कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र,
होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी।

3– मण्डलीय कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी।

शासनादेश संख्याः 397/XX(5)/13-11(होगा)/2002 दिनांकः 27–06–2013 द्वारा होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते की दर रू0 200/– प्रति होमगार्ड प्रतिदिन से रू0 250/– प्रतिदिन दिनांकः 27–06–2013 से पुनरीक्षित किया गया है।

2– इस क्रम में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा अन्य प्रतिष्ठानों में भी होमगार्ड्स को ड्यूटियों पर तैनात किया जाता है।

3– अन्य प्रतिष्ठानों पर तैनात होमगार्ड्स हेतु दिनांकः 27–06–2013 से वर्तमान ड्यूटी भत्ता रू0 250/– में रू0 15/– बढ़ाकर रू0 265/– प्रति दिन प्रति होमगार्ड भुगतान देय होगा।

4– अतः दिनांकः 27–06–2013 से रू0 265/– प्रति होमगार्ड की दर से अन्य प्रतिष्ठानों से ड्यूटी भत्ता वसूल किया जाना सुनिश्चित करें।

08-07-13

(आर0 एस0 मीना)
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तराखण्ड, देहरादून।

1/7/13 1/7/13

संख्याः–397/XX(5)/13–11 (हो0गा0)/02

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 27 ,जून, 2013

विषयः–उत्तराखण्ड होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सीजी–60/होगा/2008/191, दिनांक 16.06.2012 एवं शासनादेश संख्या–33/XX(5)/11–11(हो0गा0)/2002, दिनांक 27.04.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के मानदेय की धनराशि को रू0 200/– (रू0 दो सौ मात्र) प्रतिदिन से बढ़ाकर रू0 250/– (रू0 दो सौ पचास मात्र) प्रतिदिन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र.स.		वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1.	जनपदीय/अर्न्तजनपदीय ड्यूटी के लिए	रू0 200/–प्रतिदिन प्रति होमगार्ड	रू0 250/–प्रतिदिन प्रति होमगार्ड्स

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–48 NP/XXVVII(5)/2011, दिनांक 25.06.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

Sec

28/6/2013

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः–397/XX(5)/13–11 (हो0गा0)/02 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरार्य मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 मंत्री, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
4– मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, गढ़वाल/कुमायूं–पौड़ी/नैनीताल।

5– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

6– समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।

7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8– वित्त अनुभाग–1/5

9– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह बिष्ट
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

संख्या–277 XXVII / (7) 2007

देहरादून: दिनांक:24अक्टूबर, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराँचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(3)उत्तराँचल सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियमावली, 2006 में जहाँ–जहाँ शब्द 'उत्तराँचल' आया है वहाँ वह शब्द 'उत्तराखण्ड' पढ़ा जाएगा।

नियम 13 (1), 13 (4) (दो) का परन्तुक तथा नियम–16 (1) का प्रतिस्थापन

2. (1) उत्तराँचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जाएंगे।

	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
निधि से अग्रिम नियम–13(1)	श्रेणी 'घ' के लिए कार्यालयाध्यक्ष तथा शेष के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर,उपनियम–(2),(3),(4),(5),(6)या	नियम 13 (1) श्रेणी 'घ' के लिए कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ग 'ग' के मामले में जिले में विभाग का सर्वोच्च

	(7) में उल्लिखित शर्तो के अधीन रहते हुए, किसी अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा धनराशि से अस्थायी अग्रिम (पूर्ण रुपये में) दिया जा सकता है।	अधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी, यदि ऐसा न हो तो मण्डल स्तरीय अधिकारी तथा ऐसी भी स्थिति न होने पर राज्य स्तरीय अधिकारी तथा मुख्यालय के समूह 'घ' तथा 'ग' के प्रकरण में विभागाध्यक्ष द्वारा नामित उक्त स्तर के अधिकारी, वर्ग 'ख' तथा 'क' के लिए विभागाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष या जिसकी रिपोर्टिंग सीधे शासन स्तर पर है, शासन के प्रशासनिक विभाग, जहां ऐसे अधिकारियों का अधिष्ठान देखा जाता है के द्वारा उप-नियम (2),(3),(4),(5),(6) या (7) में उल्लिखित शर्तो के अधीन रहते हुए, किसी अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा धनराशि से अस्थायी अग्रिम (पूर्ण रुपये में) दिया जा सकता है।
नियम-13 (4)(दो) का परन्तुक	परन्तु जब तक पहले से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि तथा आवेदित नयी अग्रिम धनराशि	नियम-13 (4)(दो) का परन्तुक-- परन्तु, जब तक पहले से दी

का योग प्रथम अग्रिम देने के समय खण्ड–(एक) के अधीन अनुमन्य धनराशि से अधिक न हो तब तक द्वितीय अग्रिम या अनुवर्ती अग्रिमों की स्वीकृति के लिए विशेष कारणों की अपेक्षा नही की जाएगी और ऐसे अग्रिम श्रेणी 'घ' के लिए कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, वर्ग 'ग' के प्रकरण में जिले में विभाग का सर्वोच्च अधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी, यदि ऐसा न हो तो मण्डल स्तरीय अधिकारी तथा ऐसी स्थिति न होने पर राज्य स्तरीय अधिकारी, वर्ग 'ख' एवं 'क' के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा तथा विभागाध्यक्ष या जिसकी रिपोर्टिंग सीधे शासन स्तर पर है शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा जहां ऐसे अधिकारियों का अधिष्ठान देखा जाता है द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं भले ही खण्ड (दो) में उल्लिखित शर्त की पूर्ति न होती हो।	गयी किसी अग्रिम धनराशि तथा आवेदित नयी अग्रिम धनराशि का योग प्रथम अग्रिम देने के समय खण्ड–(एक) के अधीन अनुमन्य धनराशि से अधिक न हो तब तक द्वितीय अग्रिम या अनुवर्ती अग्रिमों की स्वीकृति के लिए विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसे अग्रिम श्रेणी 'घ' के लिए कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, वर्ग 'ग' के प्रकरण में जिले में विभाग का सर्वोच्च अधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी, यदि ऐसा न हो तो मण्डल स्तरीय अधिकारी तथा मुख्यालय के समूह 'घ' तथा 'ग' के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष द्वारा नामित उक्त स्तर के अधिकारी, वर्ग 'ख' तथा 'क' के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा तथा विभागाध्यक्ष या जिनकी रिपोर्टिंग सीधे शासन स्तर पर है, शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा जहां ऐसे अधिकारियों का अधिष्ठान

	4	देखा जाता है द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं भले ही खण्ड (दो) में उल्लिखित शर्त की पूर्ति न होती हो।
निधि से अन्तिम प्रत्याहरण नियम–16(1)	इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नहीं होगा, विभागाध्यक्ष द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है।	नियम 16 (1)– इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नही होगा, श्रेणी 'घ' के लिए कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ग 'ग' के प्रकरण में जिले में विभाग का सर्वोच्च अधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी, यदि ऐसा न हो तो मण्डल स्तरीय अधिकारी तथा ऐसी स्थिति न होने पर राज्य स्तरीय अधिकारी, मुख्यालय में समूह 'घ' तथा 'ग' के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष द्वारा नामित उक्त स्तर के अधिकारी, वर्ग 'ख' तथा 'क' के लिए विभागाध्यक्ष, तथा विभागाध्यक्ष या जिनकी रिपोर्टिंग सीधे शासन स्तर पर है, शासन

	5	के प्रशासनिक विभाग जहाँ ऐसे अधिकारियों का अधिष्ठान देखा जाता है,द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या:297(1)xxvii(7)/2007 तद्‌दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महालेखाकार,उत्तरांचल, ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून।
8. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
9. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10. उप–निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे नियमावली की 500 प्रतियाँ अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
11. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः–747 / XX(5) / 16–16(हो0गा0) / 2016

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 19 अगस्त, 2016

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक–06.12.2015 को की गयी घोषणा संख्या–81 / 2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्ता एवं अनुरक्षण भत्ता निम्नवत् पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	राजपत्रित अधिकारी		अराजपत्रित अधिकारी	
	वर्दी भत्ता प्रति 03 वर्ष	अनुरक्षण भत्ता प्रति माह	वर्दी भत्ता प्रति 03 वर्ष	अनुरक्षण भत्ता प्रतिमाह
1	3750 / –रू0	120 / –रू0	3000 / –रू0	150 / –रू0

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) के अन्तर्गत–06 अन्य भत्ते की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–98NP / XXVII(5) / 2016, दिनांक–19.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
19.8.2016
(विनोद शर्मा)
सचिव।

क्रमशः-

Camdt-1706/11
19/8/16

संख्याः–746 /XX(5)/16–14(हो0गा0)/2016

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 19 अगस्त, 2016

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक–06.12.2015 को की गयी घोषणा संख्या–80/2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, होमगार्ड्स विभाग के चतुर्थ श्रेणी, बी0ओ0 हवलदार प्रशिक्षक, मिनिस्ट्रीयल सवर्ग तथा चालक एवं वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक, जिला कमाण्डेन्ट, मण्डलीय कमाण्डेन्ट अथवा समकक्ष पदधारकों का पौष्टिक आहार भत्ता निम्नवत् लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–चतुर्थ श्रेणी	–रू0 1350/–प्रतिमाह
2–बी0ओ0/हवलदार प्रशिक्षक/मिनिस्ट्रीयल संवर्ग तथा चालक	–रू0 1500/–प्रतिमाह
3–वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक, जिला कमाण्डेन्ट, मण्डलीय कमाण्डेन्ट अथवा समकक्ष पदधारक	–रू0 1275/–प्रतिमाह

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) के अन्तर्गत–06 अन्य भत्ते की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–99NP/XXVII(5)/2016, दिनांक–19.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विनोद शर्मा) 19.8.2016
सचिव।

HGs Sec.

क्रमशः–2

संख्या– 64 /XX(5)/12–49(हो0गा0)/2005

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5

देहरादूनः दिनांक 02 मार्च, 2012

विषयः–होमगार्ड्स विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्टॉफ को प्रारम्भिक वर्दी/वर्दी धुलाई भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सी0जी0/40/हो0गा0/2004/675 दिनांक 21.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय होमगार्ड्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वैतनिक अराजपत्रित अधिकारियों को पुलिस संवर्ग के अराजपत्रित अधिकारियों के समान प्रारम्भिक वर्दी भत्ता रू0–500/–(रूपये पांच सौ मात्र) प्रति पांच वर्ष तथा वर्दी अनुरक्षण भत्ता रू0 20/–(रूपये बीस मात्र) प्रतिमाह की दर से तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2012–13 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखार्शीषक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107–होमगार्डस–00–आयोजनेत्तर, 04–भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) के अन्तर्गत–06 अन्य भत्ते की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– व्यय के निर्धारित अंश की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से नियमित रूप से प्राप्त की जाती रहेगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–01/XXVII(7)/2011-12, दिनांक 27 फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
अपर सचिव।

संख्या– /XX(5)/12–49(हो0गा0)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

2–उप महानिदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–VI–21021/1/2008–DGCD(HG) दिनांक 02.12.2008 के संदर्भ में।

3–निदेशक, लेखा एवं हकदारी लक्ष्मी रोड़ देहरादून।

4–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

5–महानिदेशक, सर्तकता/अभियोजन/सी0बी0सी0आई0डी0, उत्तराखण्ड देहरादून।

6–महानिदेशक, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड देहरादून।

7–अपर पुलिस महानिदेशक, इण्ट मुख्यालय, देहरादून।

8–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

9–वित्त अधिकारी, 23–लक्ष्मी रोड़ देहरादून।

10–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।

11–मण्डलीय कमाण्डेन्ट, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।

12–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

13–समस्त जिला कमाण्डेन्ट, उत्तराखण्ड।

14–जिला प्रशिक्षण कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, श्रीनगर/हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

15–वित्त अनुभाग–7/5/1

16–एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर।

17–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)

अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः737 / XXvii(7) / 2010
देहरादून, दिनांकः27 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्याः–सा–4–392 / दस–99–203–86 दिनांक 4 जुलाई,1999 द्वारा कुल उपार्जित अवकाश 300 दिन निर्धारित किया गया है ।

2– इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात् भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को कमशः16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश का प्रथम छमाही के अंतिम माह 30 जून एवं द्वितीय छमाही के अंतिम माह 31 दिसम्बर, तक उपभोग कर सकते हैं। उक्त अर्जित किये गये अवकाश को पूर्व में अर्जित कुल 300 दिनों के अवकाश में से घटाया नहीं जाएगा। कलैण्डर वर्ष के 01 जनवरी से 30 जून तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक अनुमन्य 16 दिन एवं 15 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग संबंधित छमाही में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जाएगा अर्थात प्रत्येक छः माह में माहवार अर्जित अवकाश का उपभोग संगत छमाही में ही किया जा सकेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।
3. संबंधित अवकाश नियमों मे आवश्यक संशोधन यथा समय पृथक से किया जाएगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संख्या : 737 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. सचिव,राज्य सम्पत्ति विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या: 126942/XXVII(7)/ ई0–19943/2022
देहरादून: दिनांक 01 जून मई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश तथा राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों, जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं, को संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु बाल्य देखभाल अवकाश के रूप में सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किये जाने संबंधी वित विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–11/XXVII(7)/34/2011 दिनांक 30 मई, 2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–207/XXVII(7) /34/2011 दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनमुन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

i. बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।

ii. एकल अभिभावक में अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा पुरूष सरकारी सेवक तथा अविवाहित महिला सरकारी सेवक को भी सम्मिलित किया जायेगा।

iii. बाल्य देखभाल अवकाश के प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग/निःशक्त बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

iv. बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भाँति स्वीकृत किया जायेगा तथा उपार्जित अवकाश की भाँति बाल्य देखभाल अवकाश खाता रखा जाएगा। बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

Generated from eOffice by DINESH RAM, RO-FINANCE-DR, RO-FINANCE, Finance Department on 01/06/2023 04:40 PM

I/126942/2023

v. जनहित एवं कार्यालय के प्रशासकीय कार्यो के सुचारू सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कार्मिक को बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में 05 दिनों से कम अवधि एवं 120 दिनों से अधिक अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

vi. एकल महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 6 बार तथा अन्य पात्र महिला/पुरूष सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 03 बार अनुमन्य होगा।

vii. बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा। बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर जाने तथा निर्दिष्ट प्रयोजनों के इतर अन्य कार्यो हेतु बाल्य देखभाल अवकाश लिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी नियम/आदेश लागू होंगे।

viii. बाल्य देखभाल अवकाश में रहते हुए कार्मिक को पहले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 100 प्रतिशत तथा अगले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 80 प्रतिशत वेतन दिया जायेगा। जिन महिला सरकारी सेवकों द्वारा पूर्व से बाल्य देखभाल अवकाश लिया जा रहा है, के संबंध में यह प्रावधान अवकाश लेखे में बचे हुए अवकाशों पर ही नियमानुसार लागू होगा।

ix. परिवीक्षाकाल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं। सेवा नियमावली में निर्धारित परिवीक्षा काल अवधि में बाल्य देखभाल अवकाश तीन माह से अधिक अनुमन्य नहीं होगा।

x. उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पात्र महिला/पुरूष सरकारी शिक्षकों (UGC, CSIR, एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर पात्र महिला/पुरूष कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 01-06-2023 15:34:51

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

<u>संख्या: 126942/XXVII(7)/ ई0–19943/2022 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

संख्या:– 199 /XX-2/2022-02(16)/2021

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्डस उत्तराखण्ड,
देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2022

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06.12.2021 को जनपद देहरादून में की गयी घोषणा संख्या 1706/2021 "कोविड ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को रू0 6000/– (रूपये छह हजार मात्र) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सीजी–206/हो.गा./2015/1425, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 को जनपद देहरादून में की गयी घोषणा संख्या 1706/2021 "कोविड ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को रू0 6000/– (रूपये छह हजार मात्र) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी" के क्रियान्वयन हेतु राज्य में कोविड डूयटी करने वाले कुल 5518 होमगार्डस को रू0 6000/–' प्रति होमागार्डस की दर से प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में होमगार्डस विभाग के अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107–होमगार्डस–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद–02 मजदूरी में अवशेष रही धनराशि के सापेक्ष कुल आगणित धनराशि रू० 33108000/– (रूपये तीन करोड़ इकत्तीस लाख आठ हजार मात्र) वहन किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–423/9(150)2019/XXVII(1)/2021, दिनांक 31.03.2021 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत मानक मद में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने वाले पूर्व शासनादेशों में प्रदत्त/वर्णित दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 पत्र संख्या–503/XXVII(5)/ 2021, दिनांक 16 मार्च, 2022 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– ( )/XX-2/2022-02(16)/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–5), उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
उप सचिव।

संख्या–1033 /XX–2/2022–5(5)/2022

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक10 जून, 2022

विषय– होमगार्ड स्वयंसेवकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–31954, 31955, 31956 में मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1173/XX(5)/19–11(रिट)/2018, दिनांक 24.12.2019 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर रू0 600/– (रू0 छः सौ मात्र) प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का पूर्णत अनुपालन न किये जाने के सम्बंध में मा0 उच्चतम न्ययालय, नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या 125/2022 विरेन्द्र सिंह रावत बनाम श्री सुखबीर संधू व अन्य में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त् मा0 उच्चतम् न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालनार्थ होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को दिनांक 25.04.2017 से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को शासनादेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा अनुमन्य ड्यूटी भत्ता रू0 600/– (रू0 छः सौ मात्र) के साथ दिनांक 25.04.2017 से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने एवं दिनांक 25.04.2017 से वर्तमान तक समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते के अनुसार एरियर का भुगतान करते हुए भविष्य में राज्य सरकार द्वारा डी0ए0 में अग्रेत्तर वृद्धि के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के डी0ए0 में भी वृद्धि किये जाने की निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के समादर में राज्य के राजकीय कार्मिक को समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन की गणना करते हुए तद्नुसार मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

2–यातयात/यात्रा सीजन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की मांग पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की जो ड्यूटी लगाई जाय, वह अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की संस्तुति पर लगाई जायेगी।

3–नये होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग के उपरान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल पर ड्यूटी देने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी। कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने स्तर से होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी आवंटित की जायेगी।

4–सार्वजनिक/राजकीय अवकाश के दिनों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी नहीं लगायी जायेगी। मात्र कानून व्यवस्था/दैवीय आपदा/यात्रा सीजन एवं सुरक्षा

सम्बन्धी कार्यो हेतु जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर ही ड्यूटी लगायी जायेगी।

5–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की यह वैयक्तिक जिम्मेदारी होगी कि वे होमगार्ड्स स्वयंसेवक द्वारा सम्पादित वास्तविक ड्यूटी अवधि का ही सत्यापन/भुगतान करेंगे।

6–कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभागीय बजटीय सीमा के अन्तर्गत ही होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर रखा जाय। ड्यूटी वेतन के सम्बन्ध में किसी भी वित्तीय वर्ष की देयताएं आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

7–होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को होमगार्ड्स अधिनियम में वर्णित कार्य/आपातकालीन ड्यूटी/कानून व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/यातायात/दैवीय आपदा से इतर ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा। उक्त कार्यो से इतर कार्यो में सम्बद्ध होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को हटाया जायेगा। नियमों से इतर ड्यूटी दिये जाने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 02–मजदूरी के नाम डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या–I/41973 /2022, दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– /XX–2/2022–5(5)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, उत्तराखण्ड।
7– बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधान निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
8– साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संख्या– 1102 /XX–2/2022–5(5)/2022

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 28 जून, 2022

विषय– **होमगार्ड स्वयंसेवकों को धुलाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–31954, 31955, 31956 में मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1173/XX(5)/19–11(रिट)/2018, दिनांक 24.12.2019 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर रू0 600/– (रू0 छः सौ मात्र) प्रतिदिन मात्र ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किये जाने के अनुक्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या 125/2022 विरेन्द्र सिंह रावत बनाम डा0 सुखबीर सिंह संधू व अन्य में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त् मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को दिनांक 25.04.2017 से धुलाई भत्ता भी अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2017 के अनुक्रम में दिनांक 25 अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2019 तक वर्दी धुलाई भत्ता रू0 150/– एवं दिनांक 08 नवम्बर, 2019 से पुनरीक्षित धुलाई भत्ता रू0 200/– प्रतिमाह ड्यूटी दिवस के अनुपात में अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 02–मजदूरी के नाम डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या–I/45822/2022 2022, दिनांक 27 जून, 2022 में प्रदत्त सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–   /XX–2/2022–5(5)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, उत्तराखण्ड।
7– बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधान निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
8– साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव

File No. HS2-HGD/5/2022-XX-2-Home Department (Computer No. 40823)

2022

2022

संख्या–85286/XX–2/2022–1(हो0गा0)/2014

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

महोदय,

कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 22 दिसम्बर, 2022

विषय–**होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को पुनरावृत्ति प्रशिक्षण (Refresher Training) के दौरान ड्यूटी पर मानते हुए ड्यूटी भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक : सीजी–65/हो.गा./2022/3372, दिनांक 11–10–2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराते हुए कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को पुनरावृत्ति (Refresher Training) एवं अन्य प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर उन्हे ड्यूटी भत्ता के स्थान पर मात्र प्रशिक्षण भत्ता (जेब खर्च रू0 120/– तथा भोजन भत्ता रू0 100/– प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन) दिये जाने की व्यवस्था के दृष्टिगत होमगार्ड्स स्वंयसेवकों द्वारा पुनरावृत्ति/अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रूचि नहीं ली जाती है, के क्रम में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को पुनरावृत्ति/अन्य प्रशिक्षणों में भी ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को देय ड्यूटी भत्ते के समान ही धनराशि दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 – इस सम्बन्ध में होमगार्ड्स स्वंयसेवका को टर्नआउट, शारीरिक उपयुक्तता एवं डयूटी के प्रति अभ्यास में सुधार हेतु प्रशिक्षण की अपरिहार्यता के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त् मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1131/XX(5)/17–1/हो0गा0/2014, दिनांक 14–11–2017 के द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण (Basic Training) हेतु स्वीकृत जेब खर्च रू0 120/– तथा भोजन भत्ता रू0 100/– प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन से इतर होमगार्ड्स स्वंय सेवकों के पुनरावृत्ति (Refresher Training) एवं अन्य प्रशिक्षण में प्रतिभाग किये जाने पर इन्हें डयूटी पर मानते हुए प्रशिक्षण भत्ता एवं भोजन भत्ते के स्थान पर प्रतिदिन के आधार पर देय ड्यूटी भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– होमगार्ड्स स्वंयसेवकों के आधारभूत प्रशिक्षण (Basic Training) में वर्णित शासनादेश दिनांक 14–11–2017 द्वारा निर्धारित व्यवस्था यथावत् प्रभावी रहेगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Signed by Radha Raturi
Date: 21-12-2022 14:55:29
(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, HOME Department on 22/12/2022

File No. HS2-HGD/5/2022-XX-2-Home Department (Computer No. 40823)

संख्या– /XX–2/2022–1(हो0गा0)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा सुरक्षा एवं होमगार्ड्स, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

3– मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।

4– समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।

5– वित्त अनुभाग–01/05, उत्तराखण्ड शासन।

6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 22/12/2022 10:21 AM

File No. HS2-HGD/9/2022-XX-2-Home Department (Computer No. 42793)
2023
/2023

। संख्या–91743/XX–2/4/2022–2(10)/2022

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

महोदय,

कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 17 जनवरी, 2023

विषय– होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने पर सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने पर उक्त अवधि में ड्यूटी भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पंत्राक : सीजी–60/हो.गा./2008/4072, दिनांक 11–11–2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स स्वंयसेवकों के ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने पर सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने से अधिकतम 06 माह की अवधि तक का ड्यूटी भत्ता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त् मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने तक की अवधि (जो पूर्ण सेवाकाल में 6 माह से अधिक नहीं होगी) पर डयूटी पर मानते हुए डयूटी भत्ता अनुमन्य किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– इस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 02–मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुकम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Radha Raturi
Date: 17-01-2023 13:06:39

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– /XX–2/4/2022–2(10)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4–समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
5–वित्त अनुभाग–1, 5 व 7
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव

1

संख्याः102806/XX(2)/23-02(05)/2023

प्रेषक,

रिधिम अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक फरवरी, 2023

विषयः–होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अवैतनिक अधिकारियों (प्लाटून कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं कम्पनी कमाण्डर) प्रतिमाह देय मानदेय के पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–04/2023 **"अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का मानदेय रू0 1,000/– से रू0 1,500/– प्रतिमाह, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर कमाण्डर का मानदेय रू0 1,200/– से रू0 1,700/– प्रतिमाह एवं अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रू0 1,500/– से रू0 2,000/– प्रतिमाह किया जायेगा"** के सम्बंध में होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्या–सीजी–206/हो0गा0/2015/5632 दिनांक–26.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त् मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु होमगार्ड्स विभाग के अवैतनिक अधिकारियों का प्रतिमाह मानदेय निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क0सं0	पदनाम	पुनरीक्षित मानदेय (रू0 में)
1.	अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	1,500/–
2.	अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर	1,700/–
3.	अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	2,000/–

2– इस सम्बंध में होने वाला आय–व्ययक के अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3– उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक–01.03.2023 से प्रभावी होंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के उपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Ridhim Aggarwal
Date: 27-02-2023 15:36:09

भवदीया,

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्याः-310 /XX(2)/23-14(हो0गा0)/2018

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-2 **देहरादूनः दिनांकः 26 मई, 2023**

विषयः- उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत होमगार्ड्स स्वयंसेवको के पुर्न बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सीजी-15/हो0गा0 /2017/869, दिनांक-11.09.2017, सीजी-130/हो0गा0/2017/1137, दिनांक-11.06.2018, सीजी-130 /हो0गा0/2017/3426, दिनांक-31.10.2018, सीजी-69(II)/हो0 गा0/2017/1450, दिनांक-25.06.2019, सीजी-69(II)/हो0गा0/2017/1320, दिनांक-27.07.2020 एवं सीजी-69 /हो0गा0/2017/4970, दिनांक-11.02.2021, का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के पुर्न बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये, प्रकिया निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में होमगार्ड्स अधिनियम 1963 की धारा 6(1) में दिये गये प्राविधानों एवं धारा 13(1) के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के पुर्न बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रकिया लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की पुनः बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया

(1) भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेन्ट द्वारा सकारण लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा। जहां पर दोनो अधिकारी तैनात हों उक्त स्थान पर सक्षम निर्णय डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल का होगा।

(2) भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष के पश्चात एवं 04 वर्षों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों व डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेन्ट के निर्णय के विरूद्ध अपील का निस्तारण कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड द्वारा पुलिस विभाग के डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल स्तर के अधिकारी/डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल (विभागीय) से अनिम्न की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अधिकृत स्तर के अनुमोदनोपरान्त गुण–दोष के आधार पर सकारण लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा।

(3) भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 04 वर्षों के पश्चात एवं 06 वर्षों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए प्रत्यावेदनों तथा प्रत्यावेदन समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।

(4) भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवकों द्वारा अपना निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 06 वर्षों के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों अथवा 50 वर्ष की आयु से अधिक भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवक के प्रत्यावेदनों पर किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(5) बहाली के समय प्रचलित होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की बहाली पर ही विचार किया जायेगा। साथ ही यह भी देखा जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य न हो। चिकित्सा प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र लिया जायेगा।

(6) बहाल किये जाने के पश्चात ग्रामीण होमगार्ड्स को 13 दिवसीय पुनरावृत्ति प्रशिक्षण एवं शहरी होमगार्ड्स को 08 दिवसीय पुनरावृत्ति कैम्प प्रशिक्षण कराये जाने के उपरान्त ही ड्यूटी/परेड पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। महिला होमगार्ड्स को बहाल किये जाने के पश्चात रिफ्रेशर प्रशिक्षण (कमाण्डेन्ट जनरल द्वारा निर्धारित) के उपरान्त ही ड्यूटी/परेड पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। बहाली के पश्चात् 01 वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।

(7) बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर तभी विचार किया जायेगा जब भूतपूर्व होमगार्ड्स से सम्बन्धित ब्लॉक/कम्पनी/प्लाटून में स्थान रिक्त हो।

(8) एक बार बहाल किये जाने के उपरान्त पुनः निष्कासित किये जाने वाले होमगार्ड्स के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) निम्नलिखित कारणों से निष्कासित किये गये होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क– अपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल होने पर मुकदमा मा0 न्यायालय में लम्बित होने की स्थिति में।

ख– मा0 न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता प्रकरणों में।

ग– होमगार्ड्स अधिनियम की धारा 13(1) के अन्तर्गत अनुशासनहीनता का आरोप जांच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

घ– भ्रष्टाचार का आरोप जांच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

ड़– अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्तता/दुराचरण/नैतिक अधमता का आरोप सिद्ध होने की स्थिति में।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः– /xx(2)/23–14(हो0गा0)/2018

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः–309 /XX(2)/23–14(हो०गा०)/2018

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 26 मई, 2023

विषयः– **उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवैतनिक अधिकारियों के पुर्न बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–सीजी–15/हो0गा0/2017/869, दिनांक–11.09.2017, सीजी–130/हो0गा0/2017/1137, दिनांक–11.06.2018, सीजी–130/हो0गा0/2017/3426, दिनांक–31.10.2018, सीजी–69(II)/हो0गा0/2017/1450, दिनांक–25.06.2019, सीजी–69(II)/हो0गा0/2017/1320, दिनांक–27.07.2020 एवं सीजी–69/हो0गा0/2017/4970, दिनांक–11.02.2021, का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवैतनिक अधिकारियों के पुर्न बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये, प्रक्रिया निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में होमगार्ड्स अधिनियम 1963 की धारा 6(1) में दिये गये प्राविधान एवं धारा 13(1) के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त होमगार्ड्स विभाग के अवैतनिक अधिकारियों (स्वयं सेवक) के पुर्न बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने हेतु निम्नवत् प्रकिया लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>अवैतनिक अधिकारियों की बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रकिया</u>

(1) भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्षों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड द्वारा डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल से अनिम्न की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अधिकृत स्तर के अनुमोदनोपरान्त गुण–दोष के आधार पर सकारण लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा।

(2) भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्षों के पश्चात एवं 06 वर्षों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गये प्रत्यावेदनों तथा प्रत्यावेदन समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।

(3) भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 05 वर्षों के पश्चात के उपरान्त प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों अथवा 50 वर्ष की आयु से अधिक भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों के प्रत्यावेदन पर किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(4) बहाली के समय अवैतनिक अधिकारियों के पद पर भर्ती हेतु प्रचलित निर्धारित शैक्षिक एवं शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों की बहाली पर ही विचार किया जायेगा। साथ ही यह भी देखा जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य दृष्टिगत न हो। चिकित्सा प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र लिया जायेगा।

(5) बहाल किये जाने के पश्चात अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर/अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर का 30 दिवसीय तथा अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का 21 दिवसीय प्रशिक्षण कराये जाने के उपरान्त ही ड्यूटी/परेड पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। महिला अवैतनिक अधिकारियों को बहाल किये जाने के पश्चात रिफ्रेशर प्रशिक्षण (कमाण्डेन्ट जनरल द्वारा निर्धारित) के उपरान्त ही ड्यूटी/परेड पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। बहाली के पश्चात् 01 वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।

(6) बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर तभी विचार किया जायेगा जब भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों से सम्बन्धी ब्लॉक/कम्पनी/प्लाटून में स्थान रिक्त हो।

(7) एक बार बहाल किये जाने के उपरान्त पुनः निष्कासित किये जाने वाले अवैतनिक अधिकारियों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) निम्नलिखित कारणों से निष्कासित किये गये अवैतनिक अधिकारियों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क– अपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल होने पर मुकदमा मा0 न्यायालय में लम्बित होने की स्थिति में।

ख– मा0 न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता प्रकरणों में।

ग– होमगार्ड्स अधिनियम की धारा 13(1) के अन्तर्गत अनुशासनहीनता का आरोप जांच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

घ– भ्रष्टाचार का आरोप जांच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

ङ– अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्तता/दुराचरण/नैतिक अधमता का आरोप सिद्ध होने की स्थिति में।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः– /XX(2)/23–14(हो0गा0)/2018

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

I/140946/2023

संख्या/140946 / XX(2) / 23–25(हो0गा0) / 2014

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 26 जुलाई, 2023

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य के होमगार्ड्स स्वयंसेवको की संशोधित भर्ती प्रकिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–69(II) / हो0गा0 / 2017 / 1758, दिनांक–05.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के होमगार्ड्स स्वयंसेवको की संशोधित भर्ती प्रकिया निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये, शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती से सम्बन्धित पूर्ववर्ती राज्य उत्तर–प्रदेश के आदेश कमशः शासनादेश संख्या–693 / स्था0 / एक–411 / 1992, दिनांक–16.10.1992 संख्या–3379 / स्था0 / एक– 141 / 1973, दिनांक–14.09.1994 संख्या–3146 / स्था0 / एक–141 / 1973 (3), दिनांक–29.06.1996 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–119238 / XX(2) / 2023–25(हो0गा0) / 2014, दिनांक–04.05.2023 के आलोक में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की संशोधित भर्ती प्रकिया निम्नवत् लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(1) <u>शैक्षिक योग्यता</u>:– होमगार्ड्स स्वयं सेवक पद के लिए अभ्यर्थियों के लिये उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(2) <u>आयु</u>:– अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना, प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर सम्बन्धित वर्ष की 01 जनवरी से तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर 01 जुलाई से की जायेगी।

I/140946/2023

होमगार्ड्स की भर्ती सम्बन्धित जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र से की जायेगी। अधिवास प्रमाण–पत्र हेतु नियमानुसार सम्बन्धित जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या–1399 दिनांक–21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यार्थियों के लिये शासनादेश संख्या–1244 दिनांक–21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या–6/1/72 कार्मिक–2 दिनांक–25.04.1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिको को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) **आरक्षण रोस्टर:–** जनपद स्तर पर सभी कम्पनी/प्लाटून का एकीकृत रोस्टर रखा जायेगा। आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(4) <u>अभ्यर्थियों की शारीरिक माप–तोल</u>– अभ्यर्थियों की माप–तोल चयन समिति द्वारा की जायेगी। शारीरिक माप–तोल में चयन समिति की सहायता हेतु जिले के जिला कमाण्डेन्ट सम्बन्धित मण्डलीय कमाण्डेन्ट से वैतनिक निरीक्षक/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, ब्लॉक ऑर्गनाइजर व हवलदार प्रशिक्षक नामित करने हेतु अनुरोध करेंगें।

<u>पुरूष अभ्यर्थी</u>

मानक	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम
ऊंचाई	165 से0मी0	157.50 से0मी0	160 से0मी0
सीना बिना फुलाएं	78.8 से0मी0	76.3 से0मी0	76.3 से0मी0
सीना फुलाने पर	83.8 से0मी0	81.3 से0मी0	81.3 से0मी0

<u>नोट</u>:–सीने में कम से कम 5 सेमी0 का फुलाव होना आवश्यक है।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 26/07/2023 03:30 PM

I/140946/2023

<u>महिला अभ्यर्थी</u>

मानक	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम
ऊंचाई	152 से0मी0	147 से0मी0	147 से0मी0

<u>वजनः</u>–महिला अभ्यर्थी का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है।
<u>नोटः</u>–शारीरिक मानकों में छूट के लिये अनुमन्यता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र यथा (अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण–पत्र) धारित होना चाहिये।

(5) <u>पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारणः</u> – शासनादेश संख्या 256/18–प्रा0 शि0–2–88–20(एस0बी0)/82 दिनांकः 16.01.1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। देहरादूनः सम्पूर्ण चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपरी गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र। नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी के संपूर्ण भाग।

नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

(6) **सीधी भर्ती की प्रक्रियाः**–होमगार्ड्स स्वयंसेवको की भर्ती के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगें तथा उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप न्यूनतम 2 दैनिक समाचार–पत्रों, जिनका व्यापक परिचालन हो में प्रकाशित किया जायेगा।

(7) चयन **समितिः**–होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की भर्ती हेतु निम्नलिखित चयन समिति निर्धारित की जाती हैः–

अ – भर्ती से सम्बन्धित जिले का जिला कमाण्डेन्ट	**अध्यक्ष**
ब – जिलाधिकारी द्वारा नामित एक उपजिलाधिकारी	**सदस्य**
स – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस उपाधीक्षक	**सदस्य**

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 26/07/2023 03:30 PM

I/140946/2023

चयन समिति द्वारा की जाने वाली भर्ती हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स पर्यवेक्षक अधिकारी होंगे।

चयन समिति में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

(8) **शारीरिक दक्षता परीक्षा**:–शारीरिक परीक्षा के अंक अन्तिम मैरिट सूची में जोड़े जायेंगे तथा शारीरिक परीक्षा हेतु निम्नलिखित आईटम क्रमवार कराये जायेगें:–

पुरूष अभ्यर्थी :–

क्र0सं0	ईवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
01.	दौड़ व चाल 02 किमी (पूर्णांक–10)	9.1–10 मिनट	05
		8.1–09 मिनट	07
		7.1–08 मिनट	08
		6.1–07 मिनट	09
		06 मिनट तक	10
02.	क्रिकेट बॉल थ्रो (पूर्णांक–10)	50 मीटर	05
		55 मीटर	06
		60 मीटर	07
		65 मीटर	08
		70 मीटर	10
03.	लम्बी कूद (पूर्णांक–10)	12 फिट	05
		13 फिट	06
		14 फिट	07
		15 फिट	08
		16 फिट	10

महिला अभ्यर्थी :–

क्र0सं.	ईवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
01.	दौड़ व चाल 500 मीटर (पूर्णांक–10)	3.6–04 मिनट	05
		3.1–3.5 मिनट	06
		2.6–03 मिनट	08
		2.5 मिनट तक	10
02.	क्रिकेट बॉल थ्रो (पूर्णांक–10)	15 मीटर	05
		20 मीटर	06
		25 मीटर	07
		30 मीटर	08

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 26/07/2023 03:30 PM

I/140946/2023

		35 मीटर	10
03.	लम्बी कूद (पूर्णांक–10)	08 फिट	05
		09 फिट	06
		10 फिट	07
		11 फिट	08
		12 फिट	10

उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड–तालिका में उल्लिखित आईटम कमवार कराये जायेगें तथा किसी भी आईटम में न्यूनतम अर्हता (Un-Qualifying) प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी को वहीं से अनर्ह घोषित करते हुये चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा।

(9) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाईड के प्रमाण पत्र धारक/ उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग के वैतनिक/अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति (जैसी स्थिति हो) के लिये निर्धारित अंकः–

एन0सी0सी0–बी/एन0एस0एस0/स्काउट गाईड – 03 अंक।

एन0सी0सी0–सी प्रमाण–पत्र – 05 अंक।

होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवा निवृत्त/कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, पति के लिए – 05 अंक।

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स के उन्हीं वैतनिक/अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति को उक्तानुसार निर्धारित अंक इस दशा में ही प्रदान किये जायेंगे, जबकि सम्बन्धित के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग में पूर्ण की गयी हो।

(10) **शैक्षिक योग्यताः**–अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल रखी जाय एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायें:–

हाईस्कूल	08 अंक
इण्टरमीडिएट	08+01 अंक
स्नातक	08+02 अंक

(11) **खेलकूदः**–खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 05 अंक निर्धारित हैं, जो निम्नानुसार दिये जायेंगेः–

जिला/महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी – 02 अंक
मण्डल/विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी – 03 अंक
राज्य स्तर का खिलाड़ी – 05 अंक

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 26/07/2023 03:30 PM

I/140946/2023

जिला/महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी को सम्बन्धित कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिला स्तर के खिलाड़ी हेतु जिला कीड़ा अधिकारी अथवा मण्डल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय कीड़ा अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डीविजनल स्पोर्टस एसोसिएशन, विश्व विद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कीड़ा अधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित स्पोर्टस के राज्य स्पोर्टस एसोसिएशन अथवा उत्तराखण्ड खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

(12) वाहन चालकः–वाहनों के वैद्य ड्राइविंग लाईसेंस धारक को 05 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे, किन्तु यह आवश्यक होगा कि ड्राइविंग लाईसेंस भर्ती की विज्ञापन तिथि से 01 वर्ष पूर्व का होः–

क– भारी वाहन चालक – 05 अंक

ख– हल्का वाहन चालक – 03 अंक

(13) परीक्षाफलः– शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों तथा सम्बन्धित श्रेणी के लिए नियत अधिमान अंको के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत रिक्ति के सापेक्ष अन्तिम मैरिट सूची बनाई जायेगी। रिक्तियों के सापेक्ष परीक्षा मे सफल घोषित अभ्योर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता, एवं अधिमान अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों, वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, का चयन किया जायेगा। यदि 02 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी।

योग्यता	अधिकतम देय अंक
शारीरिक दक्षता	30
शैक्षिक योग्यता	10
एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड	05
होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवा निवृत्त/कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी,पति के लिए	05
खेलकूद	05
वाहन चालक	05
कुल योग	60

(14) आरक्षणः– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 26/07/2023 03:30 PM

I/140946/2023

आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य है जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। क्षैतिज आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आरक्षण का लाभ सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिये सबसे लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(15) **स्वास्थ्य परीक्षणः**–चयनित अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी फार्म उसी दिन अथवा अनिवार्यतः अगले दिन तक भरा लिया जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यथाशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाये। अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि एक ऑख में 6/6 और दूसरी ऑख में 6/9 के कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिनी हाथ से काम करने वाले अभ्यार्थियों के लिए दाहिनी ऑख के लिए 6/6 तथा बॉयें हाथ से काम करने वाले अभ्यार्थियों की बॉयी ऑख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण–अधंता से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, बो–लेग, वेरी कोस वेन, दिव्यांगता और अन्य विकृतियॉ जो ड्यूटी में बाधा पैदा करे को अयोग्यता माना जायेगा। अनुपयुक्त पाये गये अभ्यार्थियों का चयन निरस्त किया जायेगा। किसी भी संशय की स्थिति में प्रकरण को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा

(16) **चरित्र सत्यापनः**–अन्तिम रूप से चयनित किये गये एवं चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का पुलिस प्रमाणीकरण जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स द्वारा कराया जायेगा।

(17) **अन्यः**–अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन होमगार्ड्स विभाग द्वारा करवाया जायेगा तथा सत्यापन में सही पाये जाने की दशा में ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

चयन समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य निर्णय लिया जाता है तो उसकी लिखित अनुमति कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स से ली जानी आवश्यक होगी। अन्य वांछित आवश्यक कार्यकारी निर्देश कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्तानुसार निर्धारित होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की संशोधित चयन प्रकिया को तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा तथा राज्य में मृतक होमगार्ड्स/अवैतनिक अधिकारियों

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 26/07/2023 03:30 PM

I/140946/2023

के स्थान पर उनके आश्रितों को होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के रूप में सेवायोजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1177, दिनांक–26.12.2016 में भी चयन प्रक्रिया को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाय।

Signed by Radha Raturi भवदीया,
Date: 26-07-2023 10:24:45

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्याः– /XX(2)/23–25(हो0गा0)/2014</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SD-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 26/07/2023 03:30 PM

I/166982/2023

I/166982/2023

संख्या/166982/XX(2)/23–25(हो0गा0)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 06 नवम्बर 2023

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु प्रकिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–सीजी–87/हो0गा0/2017/977, दिनांक–16.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु चयन प्रकिया निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये, शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– सूच्य है कि शासनादेश संख्या 1447/गृह/होमगार्ड्स/2001 दिनांक 22 दिसम्बर 2001 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों हेतु होमगार्ड्स स्वयेसेवको के कुल 6411 पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ववर्ती राज्य उत्तर–प्रदेश होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्या 693/स्था0/एक–411/1992 (स्थाई आदेश समादेष्टा)/15/1992 दिनांक 16.10.92, पत्र संख्या 3779/स्था0/एक–141/73, दिनांक 14.09.94 एवं पत्र संख्या 3146/स्था0/एक–141/1973(3) दिनांक 29 जून, 1996 में निहित निर्देशों के अनुसार चयन किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

3– उत्तराखण्ड राज्य में समूह –'ग' के पदों पर साक्षात्कार की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अवैतनिक अधिकारियों के चयन के सम्बध में निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या सीजी–21/हो0गा0/2006 /972 दिनांक–08.01.2008 द्वारा

निर्धारित चयन प्रकिया के सम्बंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत अवैतनिक अधिकारियों के चयन प्रकिया निम्नवत् लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

4 – **शैक्षिक योग्यता** :–अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से निम्नानुसार उतीर्ण होना अनिवार्य होगाः–

1. कम्पनी कमाण्डर – इण्टरमीडिएट
2. सहायक कम्पनी कमाण्डर – इण्टरमीडिएट
3. प्लाटून कमाण्डर – हाईस्कूल

पूर्व से कार्यरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों व प्लाटून कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर व कम्पनी कमाण्डर के लिये शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उतीर्ण।

5– **आयु सीमाः–** अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना, प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर सम्बन्धित वर्ष की एक जनवरी से तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर एक जुलाई से की जायेगी।

6– **आरक्षण एवं रोस्टरः–** उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या–1399 दिनांक–21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयू में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिये शासनादेश संख्या–1244 दिनांक–21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या–6/1/72 कार्मिक–2 दिनांक–25.04.1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिको को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी।

शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य आयु सीमा में छूट सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगी।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 06/11/2023 03:20 PM

I/166982/2023

7— शारीरिक मापदण्ड:—

<u>पुरूष अभ्यर्थी</u>

मानक	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम
ऊंचाई	165 से0मी0	157.5 से0मी0	160 से0मी0
सीना बिना फुलाये	78.8 से0मी0	76.3 से0मी0	76.3 से0मी0
सीना फुलाने पर	83.8 से0मी0	81.3 से0मी0	81.3 से0मी0

नोट—सीने में कम से कम 5 से0मी0 का फुलाव होना अनिवार्य है।

<u>महिला अभ्यर्थी</u>

मानक	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम
ऊंचाई	152 से0मी0	147. से0मी0	147 से0मी0

नोट—महिला अभ्यर्थी का वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।

8— <u>चयन समिति</u> :—

(क) सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स — अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी — सदस्य
(ग) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी — सदस्य
(घ) सम्बन्धित जनपद जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स — सदस्य/सचिव

नोट:— चयन समिति में ऐसे मण्डलीय कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट को नही रखा जायेगा, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अभियोजन अथवा सतर्कता भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच प्रचलित होगी। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स अन्य समकक्ष/संवर्गीय अधिकारी को चयन समिति

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 06/11/2023 03:20 PM

I/166982/2023

में नामित करने हेतु अधिकृत होंगे। यदि मण्डलीय कमाण्डेन्ट के पास सम्बन्धित जनपद का अतिरिक्त प्रभार है तो कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स चयन समिति के बिन्दु–घ पर दूसरे जनपद के जिला कमाण्डेन्ट को नामित करेंगे। चयन समिति/बोर्ड मे प्रचलित शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। चयन समिति की बैठक के लिये अध्यक्ष सहित कम से कम तीन की संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। चयन प्रकिया की समस्त स्तर पर विडियोग्राफी करायी जायेगी।

9– **विभागीय अभ्यर्थियों के लिये अंकों का निर्धारणः**–उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग में पूर्व से कार्यरत सदस्यों के अभ्यर्थी होने के स्थिति में 05 अंक दिये जायेंगे।

10– **एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र धारकों हेतु निर्धारित अंकः–**

एन0सी0सी0–बी – 03 अंक
एन0सी0सी0–सी – 05 अंक

11– **शारीरिक दक्षता परीक्षाः–**

(1) पुरूष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 03 कि0मी0 की दौड़ करायी जायेगी। दौड़ हेतु अभ्यर्थी को दिये जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगेः–

20 मिनट	05 अंक
18 मिनट	07 अंक
15 मिनट	10 अंक

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए 01 कि0मी0 की दौड़ करायी जायेगी, जिसमें निम्नानुसार अंक दिये जायेंगेः–

10 मिनट	05 अंक
07 मिनट	07 अंक
06 मिनट	10 अंक

शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम न्यूनतम अंक न पाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जायेगा तथा उसे चयन की अगली प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

12– **लिखित परीक्षा** :–लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी, जिसकी अवधि 60 मिनट होगी। जिसमें हाईस्कूल स्तर तक के हिन्दी, अंक गणित, सामान्य ज्ञान एवं उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 06/11/2023 03:20 PM

I/166982/2023

न्यूनतम 17 अंक पाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित होंगे। लिखित परीक्षा प्रश्न–पत्र मूल्यांकन पर सही उत्तर पर 01 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। परीक्षा प्रश्न–पत्र समिति द्वारा तैयार किया जायेगा। सभी पदों के लिये एक ही प्रश्न–पत्र तैयार किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को 02 कार्बन प्रतियों पर प्रश्न–पत्र दिया जायेगा। प्रश्न–पत्र में ही सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगायेंगे काटकर सही किये गये उत्तर पर शून्य अंक दिये जायेंगे। अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकेंगे।

13– **प्रतीक्षा सूचीः–** कोई प्रतीक्षा सूची नही बनायी जायेगी।

14– **अन्तिम चयन सूची :–** अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची चयन बोर्ड द्वारा वर्गवार आरक्षण प्रावधानों के अन्तर्गत तथा रिक्तियों के अनुसार तैयार की जायेगी। वर्गवार ज्येष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। सभी परीक्षाओं के प्राप्ताकों तथा सम्बन्धित श्रेणी के लिये नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत रिक्ति के सापेक्ष अन्तिम मैरिट सूची बनायी जायेगी। रिक्तियों के सापेक्षा में परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों, वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, का चयन किया जायेगा। यदि 02 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंको के आधार पर चयन किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने एक से अधिक पदों के लिये आवेदन किया है उनके लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही आवेदित पदों की मैरिट बनाने हेतु उपयोग में लिया जायेगा।

वर्गवार चयनित सूची का प्रकाशन उसी दिन किया जाये और उसकी एक–एक प्रति होमगार्ड्स कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय एवं रोजगार कार्यालय के सूचना पटों पर अवश्य चस्पा की जाये।

तैयार की गई सूची में चयन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

चयन सूची की एक प्रति होमगार्ड्स मुख्यालय, एक मण्डलीय कमाण्डेन्ट को तथा एक प्रति कमाण्डेन्ट, केन्द्रिय प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य उपलब्ध करायी जाये। होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा चयन सूची को विभाग की वेबसाइट पर डाला जायेगा

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 06/11/2023 03:20 PM

नोटः– उपरोक्त प्रकिया से चयन मात्र तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्कीनिंग बोर्ड की अनुशंसा पर अगले प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनः अभ्यर्थी की इस हेतु लिखित स्वीकृति, उसकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति, उसके द्वारा पिछले तीन वर्षों में की गयी अवैतनिक सेवाओं, उसके चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय मन्तव्य, उसकी व्यक्तिगत पत्रावली के परीक्षण तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी को स्कीनिंग के समय व्यक्तिगत रूप से स्कीनिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। स्कीनिंग बोर्ड चयन बोर्ड के समान ही नामित अधिकारियों का तथा उसी के अनुरूप होगा।

15– **स्वास्थ्य परीक्षणः**–चयनित अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी फार्म उसी दिन अथवा अनिवार्यतः अगले दिन तक भरा लिया जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यथाशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाये। अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिनी हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिये दाहिनी आंख के लिये 6/6 तथा बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बांयी आंख के लिये 6/6 होनी चाहिए। वर्ण–अंधता से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, बो–लेग, वेरी कोस वेन, दिव्यांगता, विकलांगता, और अन्य विकृतियां जो ड्यूटी में बाधा पैदा करे को अयोग्य माना जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जायेगा। अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जायेगा। किसी भी संशय की स्थिति में प्रकरण को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

16– **चरित्र सत्यापनः**–अन्तिम रूप से चयनित किये गये एवं चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन तथा पूर्ववृत्त पुलिस अथवा राजस्व क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण जिला कमाण्डेनट, होमगार्ड्स द्वारा कराया जायेगा। पुलिस प्रमाणीकरण/चरित्र सत्यापन प्रतिकूल पाये जाने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

17– **अन्यः**–अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन होमगार्ड्स विभाग द्वारा करवाया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस प्रमाणीकरण/चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने पर तथा उनके समस्त प्रमाण–पत्र सत्यापित में सही पाये जाने पर जिला कमाण्डेन्ट द्वारा प्रशिक्षणोंपरान्त नियुक्ति पत्र निर्गत

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 06/11/2023 03:20 PM

किया जायेगा।

चयन समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य निर्णय लिया जाता है तो उसकी लिखित अनुमति कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स से ली जानी आवश्यक होगी। अन्य वांछित आवश्यक कार्यकारी निर्देश कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

भवदीया,
Signed by Radha Raturi
Date: 06-11-2023 14:36:34
(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः- /XX(2)/23-25(हो0गा0)/2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अतर सिंह)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 06/11/2023 03:20 PM

संख्या-170984 /xx(2)/23–02(10)/2022

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 28 नवम्बर, 2023

विषयः–होमगार्ड्स विभाग में ड्यूटीरत महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–सीजी–132/हो0गा0/2023/2379, दिनांक–07.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से होमगार्ड्स विभाग में ड्यूटीरत महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2023 द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन अधिनियम में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार प्रसूति/मातृत्व अवकाश की सुविधा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश समस्त विभागों में समान रूप से लागू है।"

अतः वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–153174/XXVII(7)/E-41734/2022, दिनांक–11.09.2023(प्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्थानुसार विभागान्तर्गत ड्यूटीरत महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को प्रसूति अवकाश प्रदान किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्नः– यथोक्त।

Signed by Radha Raturi भवदीया,
Date: 24-11-2023 15:28:37
(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 28/11/2023 11:47 AM

'238851/2024

संख्याः238851 /XX(2)/24–02(13)/2023–E–66978

प्रेषक,

रिधिम अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 10 सितम्बर, 2024

विषयः– 'होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को वर्षभर में 12 आकस्मिक अवकाश (भुगतान सहित) प्रदान किया जाना।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–631/2023 **"होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को वर्षभर में 12 आकस्मिक अवकाश दिए जाएगें"** के कियान्वयन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को वर्ष भर में 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए अवकाश स्वीकृति हेतु निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) निर्धारित की जाती हैः–

1. उक्त आकस्मिक अवकाश होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को "सशुल्क विश्राम अवकाश (Paid Rest)" के रूप में देय होगा।
2. किसी माह में न्यूनतम 20 दिवस की ड्यूटी उपस्थिति पर विभाग/जिले के Immediate Officer, प्लाटून कमाण्डर/कम्पनी कमाण्डर द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवक को 01 आकस्मिक अवकाश उस माह में स्वीकृत किया जा सकेगा।
3. किसी माह में आकस्मिक अवकाश को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।
4. होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 12 आकस्मिक अवकाश दिये जायेंगे।
5. किसी होमगार्ड्स स्वयंसेवक के डयूटी/परेड से प्रतिबन्धित होने के दौरान आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. आकस्मिक अवकाश का अंकन सम्बन्धित होमगार्ड्स की व्यक्तिगत पत्रावली में चस्पा किया जायेगा।
7. किसी कंपनी/प्लाटून में एक साथ अधिकतम 10 जवानों को ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 05:12 PM

'238851/2024

8. होमगार्ड्स स्वयंसेवक के अवकाश स्वीकृति हेतु अनुरोध पत्र के आधार पर अनुमन्य किया जायेगा।
9. महत्वपूर्ण अवसरों जैसे–चुनाव, कुम्भ मेला, रैतिक परेड आदि पर अपरिहार्य परिस्थितियों में ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जायेगें।
10. आकस्मिकता की स्थिति अथवा विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किये जा सकेंगें।
11. आकस्मिक अवकाश को चिकित्सीय अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकेगा। आकस्मिक अवकाश के ठीक उपरान्त यदि चिकित्सीय अवकाश लिया जाता है तो उसे ड्यूटी से अनुपस्थित मानते हुये चिकित्सीय अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा।
12. होमगार्ड्स स्वयंसेवक के किसी माह अनुपस्थित/ड्यूटी ब्रेक होने पर आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
13. होमगार्ड्स स्वयंसेवक को आकस्मिक अवकाश के दिन के दैनिक वेतन/भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Signed by Ridhim Aggarwal
Date: 10-09-2024 13:57:02

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या:238851 /XX(2)/24–02(13)/2023– E–66978, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–5 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
5. उप सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उनके सन्दर्भ संख्या–869(1)/XXXV-4 घो0/2023, दिनांक–22.12.2023 के क्रम में।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Monika Garbyal
Date: 10-09-2024 15:46:54

(मोनिका गर्ब्याल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, SO-DK, SECTION OFFICER, Home Department on 10/09/2024 05:12 PM

संख्याः– 293137 / XX(2) / 25–2(14) / 2023–67444

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 29 अप्रैल, 2025

विषय– 9000 फिट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को रू0 200/– प्रतिदिन प्रति जवान अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 9000 फिट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी अवधि में दिये जा रहे प्रति दिवस मानदेय के अतिरिक्त रू0 200/– प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–06–लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान–02–मजदूरी की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश 01 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के कम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 28-04-2025
18:03:53

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः– /XX(2)25–02(14)/2023–67444, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
3— समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
4— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
7— गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Chandra Bahadur
Date: 29-04-2025
10:24:43

आज्ञा से,

(चन्द्र बहादुर)
उप सचिव।

नागरिक सुरक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 1983

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संख्या 89/सताइस–59 (प्रकीर्ण)–73–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1983

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1983 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति परिभाषायें–

2––उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा में समूह ''ग'' के पद समाविष्ट है।

3––जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में––

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा से है;

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है;

(घ) ''नियन्त्रक'' का तात्पर्य नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(ड) ''उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा'' और ''स्टाफ अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारियों से है;

(च) ''उप निदेशक'' का तात्पर्य राज्य सराकर द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(छ) ''निदेशक, नागरिक सुरक्षा'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(ज) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(झ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ञ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के सन्दर्भ में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) ''प्राचार्य/कमाण्डेन्ट, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र'' का तात्पर्य सराकर द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(ठ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा से है;

(ड) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो;

(ढ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग–––

4––(1) सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) क अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट ''क'' में दी गई है।

परन्तु––

(एक) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पर को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी; पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत––

5––सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

1– प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा डिवीजन (ज्येष्ठ समय–मान)	प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा डिवीजन (साधारण श्रेणी) में से पदोन्नति द्वारा।
2– प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा डिवीजन (साधारण श्रेणी)	(एक) स्टोर अधीक्षक, श्रेणी दो में से पदोन्नति द्वारा और
3– स्टोर अधीक्षक, श्रेणी एक	(दो) सीधी भर्ती द्वारा।
4– स्टोर अधीक्षक, श्रेणी दो	(एक) स्टोरमैनों में से पदोन्नति द्वारा और (दो) सीधी भर्ती द्वारा।

परन्तु भर्ती इस प्रकार की जायगी यथासम्भव संवर्ग में 50 प्रतिशत पद प्रोन्नत किये गये और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत किये जायेंगें।

आरक्षण––

6––अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता ––

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा या युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तेजानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी का जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

7–सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो।

8–सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो।

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जो नागरिक सुरक्षा संगठन कार्य का अनुभव हो या जो खेलकूद में प्रवीण हो।

9– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायगा

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

आयु ——

10—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से, 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष तक हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाये। अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र—

11— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष—सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति ——

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम में प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता——

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्श्यिल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण—पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) शारीरिक स्तर निम्नलिखित होना चाहिए :—

(क) लम्बाई	168 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहिये।
(ख) सीना	बिना फलाये 81 सेन्टीमीटर फुलाने पर न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर और होनी चाहिए।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का आरक्षण——

14— नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवत्त नियमों और आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा।

सीधी भर्ती ——

15——(1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगें:—

(एक) उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा (अध्यक्ष)।

(दो) प्राचार्य/कमाण्डेन्ट, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र।

(तीन) उप नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा (जिसे निदेशक, नागरिक सुरक्षा द्वारा प्रत्येक चयन के लिए नाम निर्दिष्ट किया जायगा)।

(2) चयन समिति आवेदन—पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

टिप्पणी:— प्रतियोगिता परीक्षा का पाठयक्रम और उसकी प्रक्रिया परिशिष्ट ''ख'' में दी गयी है।

(3) चयन समिति परिशिष्ट ''ख'' के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध करने के पश्चात्, नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का

सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिये उतने अभ्यर्थियों को बुलायेगी जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिय जायेंगे।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की, योग्यताक्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा (सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक) नहीं होगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती :— 16——(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को ज्येष्ठताक्रम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनके चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जिसे उचित समझा जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किए गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताक्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची——

17— यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रशित बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

भाग —छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथा स्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष मे नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नही की जायेगी जब तक कि दोनां स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामो का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस सवर्ग मे जिससे उन्हे पदोन्नति किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठताक्रम मे किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जाय तो नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उप नियम (स) में उल्लिखित सूचियों से अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या नियमावली के अधीन अगला चयन किए जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी।

प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा डिवीजन के पद पर चयन श्रेणी से नियुक्ति की प्रक्रिया——

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा डिवीजन के पद के ज्येष्ठ समयमान में नियुक्तियां, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के परामर्श से की जायेगी।

परिवीक्षा 19—(1) किसी पद पर किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणो से जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग—अलग मामलो मे परिवीक्षा—अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा तब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थियो में सिवाय, परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थितियों मे दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या वढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो,

प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित कया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रक्रिया का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्त प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण ——

20— किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षाधीन अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि——

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसका विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक, बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यानिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ड.) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता——

21— (1) एतद् पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई भी विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्टि किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उप नियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया।

भाग सात——वेतन आदि

वेतनमान

22——(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

2—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नलिखित हैः—

पद का नाम	वेतनमान
1—प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा डिवीजन (30 प्रतिशत पदों के लिये ज्येष्ठ समयमान)	625—30—835—द0रो0—30—925—35—1,065—द0 रो0—35—1,240 ।
2—प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा डिवीजन (साधारण श्रेणी)	550—18—640—208—880—द0रो0—20—740—25—865—द0 रो0—25—940 ।
3—स्टोर अधीक्षक श्रेणी—एक	515—15—590—18—626—द0रो0—18—680—20—780—द0 रो0—20—860 ।
4—स्टोर अधीक्षक श्रेणी—दो	430—12—490—15—520—द0रो0—15—640—द0 रो0—15—685 ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन ––

23–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन–वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा–अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय जो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षता रोक–पार करने का मानदण्ड –

24– किसी व्यक्ति को :–

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने को अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन –

25– किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लियें अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियम ––

26–ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता ––

27– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले, में अनुसूचित कठिनायी होती है, वहां वह मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति –

28–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा जिनका, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट ''क''

[नियम 4(2) देखिये]

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा सेवा की सदस्य संख्या

	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1–प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा डिवीजन (30 प्रतिशत पदों के लिये ज्येष्ठ वेतनमान)	35	..	35
2–प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा डिवीजन (साधारण श्रेणी)	61	20	81
3–स्टोर अधीक्षक (श्रेणी एक)	..	7	7
4–स्टोर अधीक्षक (श्रेणी दो)	..	14	14

परिशिष्ट ''ख''

प्रतियोगित परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रतियोगिता परीक्षा निम्नलिखित प्रश्न–पत्रों में ली जायेगी जिनके अंक प्रत्येक के सामने दर्शाये गये हैः–

लिखित परीक्षा––

1–सामान्य हिन्दी	100
2–हिन्दी विषय और सार लेखन	100
3–सामान्य ज्ञान	100
4–साक्षात्कार	100

सामान्य हिन्दी––

हिन्दी की जानकारी का परीक्षण करने के लिए प्रश्न होंगे। इसमें हिन्दी कविता का गद्य में अर्थ लिखने के लिए एक पद्यांश भी होगा।

2–हिन्दी निबन्ध और सार लेखन–

अभ्यर्थियों से हिन्दी में एक निबन्ध लिखने और दिये गये पैराग्राफ का हिन्दी में सार लेखन लिखने की अपेक्षा की जायेगी।

3–सामान्य ज्ञान––

साम्प्रतिक घटनाओं और प्रतिदिन के सम्प्रेषण और अनुभव के ऐसे विषयों का ज्ञान जिसकी किसी शिक्षित व्यक्ति से बिना किसी विशेष अध्ययन के आशा की जा सकती है।

4–साक्षात्कार––

यह परीक्षा सामान्य और शैक्षिक रूचि के विषयों में होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, चरित्र शारीरिक गठन और सेवा के लिये सामान्य उपयुक्तता के लिये अंक दिये जायेंगें

टिप्पणी–1 प्रभारी अधिकारी और स्टोर अधीक्षक, श्रेणी एक के पदों के लिये अर्हकारी अंक प्रत्येक प्रपत्र पत्र में 40 प्रतिशत और कुल योग में 60 प्रतिशत होंगे। अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और उनके अश्रितों और आपात् कमीशन के नियुक्त अधिकारियों और अल्प कालिक सेवा कमीशन के अधिकारियों के लिये कुल योग में अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होगा।

टिप्पणी–2– स्टोर अधीक्षक श्रेणी दो के पद के लिये अर्हकारी अंक प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 33 प्रतिशत और कुल योग में 50 प्रतिशत होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों और आपात कमीशन के नियुक्त अधिकारियों और अल्प कालिक सेवा कमीशन के अधिकारियों के लिये कुल योग में अर्हकारी अंक 40 प्रतिशत होगा।

राम चन्द्र टकरू,

गृह सचिव।

संख्या 89(1)/सत्ताइस–59 प्रकीर्ण/73/तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से भी कि वे कृपया संलग्न सेवा नियमावलियों को पर्याप्त संख्या में मुद्रित करा कर सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दें तथा 25 मुद्रित प्रतियों नागरिक सुरक्षा अनुभाग को भी भेंजें।

2– जिला मजिस्ट्रेट एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, देहरादून, सहारनपुर, मथुरा, झांसी।

3– महा निदेशक, नागरिक सुरक्षा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

4– गोपन अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

5– सेवा नियमावली सेल/कार्मिक अनुभाग–1, गृह (कारागार) अनुभाग–3 ।

6– संयुक्त अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को उत्तर प्रदेश शासन के राज–पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से
(डा0 हीरा चन्द्र),
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–375 आदेय (पीडी0)

रजिस्टर्ड नं0 ए0डी0–4

लाइसेन्स सं0 डबल्यू0 पी0–41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 15 मई, 1993 ई0 (वैशाख 25, 1915 शक संवत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिष्द् ने जारी किया।

गृह विभाग

(नागरिक सुरक्षा)

27 नवम्बर, 1992 ई0

सं0 03846/6–नासु–92–11सी0डी0–92–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा नियमावली,

1992

भाग एक–सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा नियमावली, 1992 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– सेवा की प्रास्थिति––उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह (ख) के पद समाविष्ट है।

3– परिभाषायें––जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस सेवा नियमावली में :–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ख)''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है;

(ड) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा से है;

(झ) मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के सम्वर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गई हो।

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

4– सेवा का संवर्ग– (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।
(2) जब तक कि उपनियम (1) क अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या निम्न प्रकार होगी :–

पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	योग
उप नियंत्रक	–	12	12

परन्तु :

(एक) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हे वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5– भर्ती का स्रोत– सेवा में पदों पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उपनियंत्रक (ज्येष्ठ वेतनमान) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायगी।

6– आरक्षण – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार –भर्ती की प्रक्रिया

7– रिक्तियों का अवधारण – नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थिंयों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

8– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :– (1) सेवा में किसी पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझा जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किए गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताक्रम में, जैसा उस सम्वर्ग में हो, जिससे उनकी पदोननति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग –पांच – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9– नियुक्ति – (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।
(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठताक्रम में किया जायगा जैसी कि उस सम्वर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय।

10— परिवीक्षा — (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा—अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जायः

परन्तु अपवादिक परिस्थियों में सिवाय, परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थितीं मे दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या वढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रक्रिया का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्त प्राधिकारी सम्वर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

11— स्थायीकरण — (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि——

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक, बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यानिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

12— ज्येष्ठता — सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग छः——वेतन इत्यादि

13— वेतनमान — (1) सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान 2200—75—2800—द0रो0—100—4000 रूपये है।

14 —दक्षता —रोक पार करने का मानदण्ड — किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परता पूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—सात — अन्य उपबन्ध

15— पक्ष समर्थन — किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

16— अन्य विषयों का विनियमन — ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य—कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

17— सेवा की शर्तों में शिथिलता — जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुसूचित कठिनाई होती है, वहां वह मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्ति या शिथिल कर सकती है।

18– व्यावृत्ति – इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा जिनका, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

स्वर्ण दास,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3846/6-Nasu-92-11CD-92 dated November 27, 1992:

No. 3846/6-Nasu.-92-11C-D-92.
November 27, 1992:

In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to mark the following rules regulating reepuitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controller Service.

THE UTTAR PRADESH CIVIL DEFENCE DEPUTY CONTROLLER SERVICE RULES, 1992

PART I *General*

1. **Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controller Service Rules, 1992.

   (2) They shall come into force at once.

2. **4tatus of the Service. -** The Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controller Service is a State Service comprising Group 'B' posts.

3. **Definitions. -** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

   (a) "Appointing authority" means the Governor;
   (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part -II of the constitution;
   (c) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;
   (d) "Constitution" means the constitution of India;
   (e) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
   (f) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
   (g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
   (h) " Service" means the Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controller Service;
   (i) "Substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
   (j) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II *Cadre*

4. **Cadre of service -** (1) The strength of the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

   (2) The strength of the Service shall, until orders varying the same are passed under subrule (1), is as follows:

Name of post	Permanent	Temporary	Total
Deputy Controller	--	12	12

Provided that -

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

or

(ii) the Governor may create such additional, temporary or permanent posts as he may consider proper.

PART III *Recruitment.*

5- **Source of recruitment. -** Recruitment to the posts in the service shall be made by promotion from amongst substantively appointed Assistant Deputy Controllers (Senior Scale) who have completed eight years service, as such on the first day of the year of recruitment.

6- **Reservation. -** Reservation for the candidate, belonging to scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders or the Government in force at the time of recruitment.

PART IV *Procedure for recruitment.*

7- **Determination of Vacancies. -** The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the scheduled castes, scheduled Tribes and other categories under rule 6.

8- **Procedure for recruitment by promotion. -** (1) Recruitment by promotion to a post in the Service shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit though a Selection Committee to be constituted in accordance with the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee (for post outside the purview of the service Commissions Rules, 1992.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh promotion by selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986 and place the same before the selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted, and forward the same to the appointing authority.

PART V *Appointment, probation, confirmation and seniority.*

9- **Appointment -** (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 8.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

10- Probation - (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a pericd of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction, ho may be reverted to the substantive post.

(4) A probationer who is reverted under subrule (3) shall not be entitle to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in all officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalation or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

11- Confirmation - (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the and of the period of probation or the extended period of probation, if --

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is other wise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provision of the Uttar Pradesh State Government Servant's Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary the order under sub-rule (3) of rule 5 of those Rules, declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

12- Seniority - The seniority of persons substantively appointed in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART VI *Pay etc.*

13- Scales of pay - (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time of the commencement of these rules is Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.

14- Criteria for crossing efficiency bar - No person shall be allowed to cross the efficiency bar unless he has worked diligently and to the best of his ability, his work and conduct are found to be satisfactory and his integrity is certified.

PART VII *Other provisions.*

15- Canvassing - No recommendation either written or oral, other than there required under the rules applicable to post of Service will be taken into constitutional. Any attempt on the part of a candidate to anlist support directly or indirectly, fact his candidature will disqualify him for appointment.

16- Regulation of other matters - In regard to the matters not specifically covered by these rules or special persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants saving in connection with the affairs of the State.

17- Relaxation from the conditions of service - Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case it may, not with standing anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

18- Savings - Nothing in these rule shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Seheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order :
SWARNA DAS
Secretary, Civil Defence.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 750/VI- CD-11CD/1992 dated July 17, 1996;

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
HOME (CIVIL DEFENCE) SECTION

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

No. 750/VI-CD-11CD/1992.
Dated : Lucknow : July 17, 1996

In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controler Service Rules, 1992.

THE UTTAR PRADESH CIVIL DEFENCE DEPUTY CONTROLLER SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 1996

Short title and commencement

1. These rules may be called the Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controller Service (first Amendment) rules, 1996.
2. They shall come into force at once.

Substitution of rule-5

3. In the Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controller Service rules, 1992 for existing rule-5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely :

	Column -1 Existing rule	Column -2 Rule as here by substituted Source of recruitment
Source of recruitment	Recruitment to the posts in the service shall be made by promotion from amongst substantively appointed assistant, Deputy Controllers (Senior Scale) who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.	Recruitment to the posts in the service shall be made by promotion from amongst substantively appointed Assistant Deputy Controllers (Senior Scale) who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment. Provided that if eligible and suitable persons are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include substantively appointed Assistant Deputy Controllers (Senior Scale) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

BY ORDER

V.K. MITTAL
PRINCIPAL SECRETARY

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (नागरिक सुरक्षा) अनुभाग

संख्या – 750 / छः नासु–96–11सीडी / 92

लखनऊ : दिनांकः , जुलाई 17, 1996 ।

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा, उपनियंत्रक सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उपनियंत्रक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 1996.

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उपनियंत्रक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996 कही जाएगी।

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 का प्रतिस्थापन

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उपनियंत्रक सेवा नियमावली, 1992 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ –2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात :–

स्तम्भ –1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का श्रोत :– सेवा में पदों पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उपनियन्त्रक (ज्येष्ठ वेतनमान) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जाएगी।	भर्ती का श्रोतः– सेवा में पदों पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उपनियंत्रक (ज्येष्ठ वेतनमान) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जाएगी। परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पात्र और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उपनियंत्रक (ज्येष्ठ वेतनमान) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

आज्ञा से

विनोद कुमार मित्तल
प्रमुख सचिव
नागरिक सुरक्षा

<u>पृ0संख्याः— 750(1)/छःनासु—96—11बीस—1992, तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, एक्सप्रेस—बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

(2) निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को उ0प्र0 शासन के राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।

(4) गोपन अनुभाग—1 को।

(5) नियमावली सेल/कार्मिक अनुभाग—1

आज्ञा से

(प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव)
उप सचिव,

(17)

उत्तरॉचल सरकार

गृह अनुभाग-3

संख्या- 639 /XX (3)/04-06होगा0/2003

देहरादून: दिनांक 13 सितम्बर,2004

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

शासकीय अधिसूचना संख्या-459/गृह-3-06/हो0गा0/2003, दिनांक 05 मार्च,2004 के प्रस्तर-4 द्वारा महासमादेष्टा होमगार्ड्स/नागरिक सुरक्षा का पद अधिसूचित किया गया है, प्रस्तर-5 द्वारा महासमादेष्टा,होमगार्ड्स/नागरिक सुरक्षा,उत्तरॉचल को पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण में रखा गया है तथा प्रस्तर-8 में प्राविधानित है कि नागरिक सुरक्षा की इकाई,देहरादून, जिसके नियंत्रक अधिकारी उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा होंगे तथा महासमादेष्टा,होमगार्ड्स के अधीन रहेंगे ।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं:-

HS See

(1) महासमादेष्टा,होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा का पदनाम निदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं महासमादेष्टा होमगार्ड्स,उत्तरॉचल होगा ।

(2) महासमादेष्टा, होमगार्ड्स स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और इस पर पद नियुक्त अधिकारी सीधे गृह विभाग के अधीन होंगे ।

(3) नागरिक सुरक्षा की एकमात्र देहरादून ईकाई के रूप में जिलाधिकारी को नियंत्रक तथा उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, निदेशक, नागरिक सुरक्षा,उत्तरॉचल के अधीन कार्य करेंगे ।

एस0के0दास,

प्रमुख सचिव ।

क्रमश: 2-

संख्या- 639/XX (3)/04-06होगा0/2003तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओबराय मोटर्स, माजरा, देहरादून ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री,उत्तरॉचल शासन ।
3. प्रमुख सचिव,वित्त, उत्तरॉचल शासन ।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक,उत्तरॉचल शासन ।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तरॉचल,देहरादून ।
6. महासमादेष्टा,होमगार्ड्स, उत्तरॉचल,देहरादून ।
7. स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव,उत्तरॉचल शासन ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल ।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तरॉचल ।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तरॉचल,देहरादून ।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,उत्तरॉचल,रूडकी, हरिद्वार ।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तरॉचल ।
13. मण्डलीय कमाण्डेन्ट,होमगार्ड्स,श्रीनगर गढवाल ।
14. उप नियंत्रक,नागरिका सुरक्षा,देहरादून ।
15. गोपन(मंत्रिपरिषद) अनुभाग,उत्तरॉचल शासन ।
16. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)

अपर सचिव ।

संख्याः– 919 /XX(5)/16–13(ना0सु0)/2016

प्रेषक,

डॉ उमाकांत पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 29 सितम्बर, 2016

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा, दिनांक–06.12.2015 को जनपद–देहरादून में की गयी घोषणा संख्या–83/2016 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण भत्ता रू0 22/– से बढ़ाकर रू0 50/– पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान–06–लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–106–सिविल रक्षा 03–स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–123NP/XXVII(5)/2016, दिनांक–22.09.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
(डॉ उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– /XX(5)16–13(ना0सु0)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
3– समस्त जिला कमाण्डेण्ट,/कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अधिकारी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–5/1, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
8– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(रणजीत सिंह)
उप सचिव।

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

तपोवन रोड, ननूर खेड़ा, रायपुर, देहरादून। टेलीफैक्स नं0–0135–2784473

पत्र संख्या : सीजी–223/हो.गा./2015/1245 A दिनांकः अक्टूबर 1, 2016

प्रतिलिपिः– उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, देहरादून को उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01.10.16
(R. S. Meena)
IPS
Commandant General Home Guards &
Director, Civil Defence, Uttarakhand
Dehradun

क्रम संख्या–195 (क–9) पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर, 2016 ई०

पौष 01, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–5

संख्या 1176/XX(5)/16–06(ना०सु०)/2008

देहरादून, 22 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में––

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक, नागरिक सुरक्षा अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;

(ग) संविधान से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ) "आयोग" से 'अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के सन्दर्भ में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गई है ;

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी; पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझे।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

(1) सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)	"मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा (साधारण श्रेणी), में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा"।
(2)सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (साधारण श्रेणी)	**(क)** 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। **(ख)** 25 प्रतिशत पदों पर "मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्टोर अधीक्षक तथा 25 प्रतिशत पदों पर वायरलेस आपरेटर में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा"।
(3) स्टोर अधीक्षक	"मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी स्टोरमैन में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा"।
(4) वायरलेस ऑपरेटर	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यामांर (पूर्ववर्ती बर्मा) श्रीलंका (पूर्ववती सीलोन) या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा या युनाइटेड रिपब्लिक और तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक योग्यताएं 8 (1) सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता हो :–

सहायक उप नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त हो।
(साधारण श्रेणी) वायरलेस ऑपरेटर	माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण तथा आई0टी0आई0 से इलैक्ट्रॉनिक डिप्लोमा अथवा वायरलेस में डिप्लोमा।

अनिवार्य / वांछनीय अर्हता (2) सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की भर्ती के लिये अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के अनुसार अनिवार्य / वांछनीय अर्हता रखता हो तथा अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

अधिमानी अर्हतायें 9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष–सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई जीवित पत्नी रही हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 13 (1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बनाये गये स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे ;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी का शारीरिक स्तर निम्नलिखित होना चाहिएः–

		पर्वतीय क्षेत्र सें0मी0	अनुसूचित जनजाति सें0मी0	अन्य अभ्यर्थी सें0मी0
1–	**पुरूष अभ्यर्थी**			
	(1) ऊंचाई	160	157.5	165
	(2) सीना (बिना फुलाये)	76.3	76.3	78.8
	सीना (फुलाने पर)	81.3	81.3	83.8
2	**महिला अभ्यर्थी**			
	(1) ऊंचाई	147	147	152

भाग पांच —भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों,अन्य पिछडा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार अवधारित करेगा और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदो पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2008 के अनुसार की जायेगी तथा इन पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16 (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र बाहर के पदों के लिये) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(i) विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(ii) अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष अधिकारी — सदस्य

(iii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी जो सम्बन्धित पद के परिप्रेक्ष्य की हैसियत रखते हैं — सदस्य

(2) (i) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और अभ्यर्थियों के चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति को भेजेगा।

(ii) चयन समिति उपनियम (2) निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी।

(iii) चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग –छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस कम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के क्रिसी वर्ष मे नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नही की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथा स्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता कम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उप नियम (3) में उल्लिखित सूचियों से अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या नियमावली के अधीन अगला चयन किए जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी।

परिवीक्षा 19. (1) किसी पद पर किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा–अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा तब तक अवधि बढ़ायी जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20. परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ड) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 21. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तरांचल सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में कमांकित किये जाते हैं :

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्ति किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम–18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरुप सीधी नियुक्तियों की पररपर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जाय और स्रोतों का अलग–अलग कोटा विहित हो वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में, चकानुकम में उनके नाम रख कर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे। परन्तु यह कि–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जांय, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिये अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे रखा जायगा।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों और ऐसी भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाय, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे जिसके बाद नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के नाम चकानुकम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां किसी स्रोत से भरी न गयी रिक्तियां सुसंगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में नियम या विहित प्रक्रिया के अनुसार अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और कोटा से अधिक इस प्रकार नियुक्तियां की जायें, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की ज्येष्ठता दी जायेगी मानों उन्हें उनके कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया हो।

भाग सात—वेतन आदि

वेतनमान 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे, मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट 'ख' में दिए गए हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन–वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा–अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26. जहां सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका, इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"
[नियम 4(2) देखिये]

उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा सेवा की सदस्य संख्या

	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1–सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, (वरिष्ठ वेतनमान)	1	–	1
2–सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा	3	–	3
3–स्टोर अधीक्षक	1	–	1
4–वायरलेस ऑपरेटर	1	–	1

परिशिष्ट "ख"
[नियम 22(2) देखिये]

	पद का नाम	वेतनमान	ग्रेड पे
(1)	सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)	9300–34800/–	4200/–
(2)	सहायक उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (साधारण वेतनमान)	5200–20200/–	2800/–
(3)	स्टोर अधीक्षक	5200–20200/–	2400/–
(4)	वायरलेस ऑपरेटर	5200–20200/–	2000/–

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तराखण्ड शासन।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of **'the constitution of India',** the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 1176/ XX(5)/16-06(C.D.)/2008,** dated December 22, 2016 for general information.

No. 1176/XX(5)/16-06(C.D.)/2008
Dated Dehradun, December 22, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of india and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Civil Defence Subordinate Service.

THE UTTARAKHAND CIVIL DEFENCE SUBORDINATE SERVICE RULES, 2016

PART I *General*

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Civil Defence Subordinate Service Rules, 2016.

(2) It shall come into force at once.

जन–सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुंच

सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 (परिशिष्ट–I)		प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांकः 12 अक्टूबर, 2005 से अस्तित्व में है।
लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी (परिशिष्ट–II)	2.	होमार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय
सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजीकरण एवं निस्तारण	3.	नागरिकों से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्श्वांकित शासनादेश में दिये गये प्रारूप में किया जा रहा है। सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में, उसे लोक सूचना अधिकारी को शीघ्र अतिशीघ्र परन्तु विलम्बतः 5 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में अग्रेसित करेगा।
शासनादेश सं0 146/सु0/XXXI(3)G-/2006 दिनांकः 22 मार्च, 2006 (परिशिष्ट–III)	3.1	अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र आवेदन शुल्क की रसीद सहित दिया जायेगा। यदि अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
	3.2	अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासम्भव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यह समझा जायेगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।
सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियम) नियम, 2005 अधिसूचना ए0–266/XXII/2005–9(31) दिनांकः 13 अक्टूबर 2005 (परिशिष्ट––IV) एवं संशोधित अधिसूचना सं0 165/मू/XXXI(31)G-2/ 2006 दिनांकः 13 अक्टूबर 2005 (परिशिष्ट––IV)	4.	अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छायाप्रतियां अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्श्वाकित अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा।

पर व्यक्ति सूचना	5.	यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है तो तीसरे पक्षकार से सम्बंधित है और तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, तो ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिये या नही, लिखित रूप में या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिये तीसरे पक्षकार को आमंत्रित करेगा एवं सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा।
	5.1	तीसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्षकार से सम्बंधित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किये जाये या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्षकार को भी देगा। लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेगा कि उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है।
प्रथम अपील धारा 19(1)	6.	अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिये निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अथवा लोक सूचना अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी अपील की याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो वह उक्त समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।
	6.1	लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष, आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां अपील कर सकता है।
	6.2	विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा।
सूचना का स्वैच्छिक प्रकटन (उत्तरांचल सूचना आयोग परिपत्र सं0 65 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक: 6 दिसम्बर 2005 (परिशिष्ट––VI)	7.	अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन विभाग की सभी प्रशासनिक इकाईयॅा जो लोक प्राधिकारी घोषित हैं, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगे। उक्त सभी मैनुअल पर सी.डी. तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी।

	7.1	उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अद्यावधिक किये जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगे।
मासिक प्रगति प्रतिवेदन	8.	सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध (क) से (ड़) के सम्बंध में 5 बिन्दुओं पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। विभाग के निदेशालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन को संकलित कर उत्तरांचल सूचना आयोग को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा।
	8.1	सूचना आयोग इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेगा।
सूचना पट्‌टों को प्रदर्शित करना	9.	जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पदनाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्शित करते हुये सूचना पट्‌ट लगाये जायेंगे।
लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग स्तर से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही	10.	आयोग में धारा 18(1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक पृथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा। इस पंजिका में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गयी कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जयेगा।
द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 अधिसूचना सं0 305 / XXII / 2005–9 (33) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 (परिशिष्ट––VII)	11.	अधिनियम की धारा 19(3) में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जायेगा)

Annexure – I

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सारांश

विस्तार – अध्याय –1

भौगोलिक– इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत में है (जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा अपना सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2004 पारित किया गया है)

अधिकारिता– इसके अन्तर्गत ऐसे लोक प्राधिकार जो कि केन्द्रीय सरकार या संघ या राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित (जिसमें पंचायत नगर निगम तथा अन्य स्थानिक निकाय शामिल हैं) सम्मिलित होंगे। कोई ऐसा निकाय जो उपर्युक्त उल्लिखित सरकारों के स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन अथवा उसके द्वारा मुख्यतया (Substatinally) वित्तपोषित हो शामिल होगा। यह कानून सभी गैर सरकारी संगठनों पर भी लागू होगा जो कि उपर्युक्त उल्लिखित सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतः वित्त पोषित हों ।

अन्य निकाय–निजी संगठन अथवा निकाय जिनकी सूचना किसी प्रवृत विधि के अन्तर्गत किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच में हों पर भी यह अधिनियम लागू होगा।

प्रवृत्त धारा –1

इसके अधिकांश उपलब्ध इसके अधिनियम को एक सौ बीसवें दिन प्रवृत्त होंगे। कुछ उपलब्ध जैसे सूचना प्रकटीकरण का तात्कालिक दायित्व, लोक सूचना अधिकारियों तथा केन्द्र एवं राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 तत्काल प्रभाव से निरसित किया जायेगा।

सूचना का तात्पर्य धारा 2

रिकार्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने, मॉडल तथा सामग्री एवं आंकड़े जो इलैक्ट्रानिक रूप में रखे गये हों।

सूचना के अधिकार का तात्पर्य :

- कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार।
- दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेनें का अधिकार।
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार।
- इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गयी सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
- ऐसी सूचना का अधिकार जिसका प्रकटीकरण जनहित में हो।
- ऐसी सूचना जिसको यथास्थिति संसद अथवा किसी राज्य विधान मण्डल को दिये जाने में इन्कार नहीं किया जा सकता उसे किसी व्यक्ति को देने से इन्कार नहीं किया जायेगा।

सूचना कितनी पुरानी : धारा –8

कुछ अपवादों को छोड़कर किसी घटना या वृतान्त या विषय से सम्बन्धित सूचना जो अनुरोध किये जाने की तारीख से 20 वर्ष पूर्व तक की हों, मांगी जा सकती है।

किस–किस सूचना को प्रकट नहीं किया जायेगा – धारा 8

1. सूचना जो कि भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या अर्थिक हित तथा विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो।
2. सूचना जिससे कि किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है।
3. सूचना, जिसके प्रकटन से किसी न्यायलय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है।
4. सूचना जिसमें वाणिज्यक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित हो जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को जनहित में नुकसान होता हो।
5. सूचना जो किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदरी (Fiduciary Relation) में उपलब्ध है। यदि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित निहित है तो इस सूचना के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. सूचना जो कि किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हो।
7. यदि सूचना के प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिये खतरा पैदा हो सकता हो।
8. किसी सूचना के स्रोत अथवा सहायक स्रोत से संबंधित सूचना जो कि विधि के लागू किये जाने या सुरक्षा कारणो से उपलब्ध करायी गई हो।
9. यदि सूचना के प्रकट करने से अन्वेषण या अभियोजन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती हो।
10. मंत्रिमण्डल के कागज पत्र, जिसमें मंत्रिमण्डल के सदस्यों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं) परन्तु मंत्री परिषद के निर्णय तथा उनके कारण निर्णय करने के पश्चात सार्वजनिक किये जाने है।
11. व्यक्तिगत या निजी सूचना जो व्यापक जनहित में हो का निर्णय लोकसूचना अधिकारी द्वारा किया जाना हैं।

आंशिक प्रकटीकरण – धारा –10

अभिलेख के उस भाग तक आंशिक पहुंच अनुदत्त की जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अर्न्तदिष्ट नहीं है, जिसे इस अधिनियम के अधीन प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त है।

कौन सी संस्थायें अपवर्जित है ? – धारा –24 व अनुसूची।

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत स्थापित अभिसूचना और सुरक्षा संगठन जैसे कि अभिसूचना ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण खण्ड, राजस्व असूचना निदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक असूचना ब्यूरो, परिवर्तन निदेशालय, विशेष सीमान्त बल, सीमा सुरक्षाबल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा बल, केन्द्रीय

औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल, विशेष सेवा ब्यूरो, इसी प्रकार की इकाईयां जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई हों भी शामिल होंगी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में संस्थायें अधिसूचित की जायेंगी।

सक्षम प्राधिकारी : धारा 2

- केन्द्र मे लोकसभा का अध्यक्ष अथवा राज्यों में विधान सभा का अध्यक्ष।
- राज्य सभा के सभापति या विधान परिषद की दशा में उसका सभापति।
- भारत का मुख्य न्यायधीश और राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
- केन्द्र के स्तर पर राष्ट्रपति।
- राज्य के स्तर पर राज्यपाल।

लोक प्राधिकारी : धारा 2

- संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद अथवा राज्य विधान मण्डलों द्वारा स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय।
- केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय।
- केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियत्रंणाधीन निकाय।
- सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या मुख्यतया वित्तपोषित निकाय या संगठन।
- ऐसे गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) मुख्यतया वित्त पोषित हों।

तीसरा पक्षकार : धारा 2

सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति। इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी सम्मिलित है।

लोक प्राकधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन (Proactive Disclosure By Public Authority) धारा –4

1. संगठनक की विशिष्टियां, कृत्य और कृतव्य।
2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां ओर कर्तव्य।
3. निर्णय करने की प्रकिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)।
4. कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम।
5. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयेाग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना।
6. दस्तावेजों जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों के अनुसार विवरण।
7. नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना।

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों , समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

10. अपने प्रत्येक अधिकारी ओर कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।

11. प्रत्येक अभिकरण को आंबटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)।

12. अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के कियान्वयन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

13. रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकरों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण।

14. किसी इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में ब्यौरे।

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्ताकलय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी है तो उसका भी विवरण।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, अरैर अन्य विशिष्टियां।

17. अन्य कोई विशेष जो निर्धारित किया जाय।

उपर्युक्त सभी प्रकाशन तत्काल प्रकाशित किये जायेगें तथा किसी भी दशा में अधिनियम के एक सौ बीस दिन के भीतर प्रकाशन अनिवार्य है। इन प्रकाशनों को प्रतिवर्ष अपडेट किया जायेगा।

लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य : धारा 4

1. स्वतः (Suomoto) आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुकमणिकाबद्ध अपने सभी अभिलेखों को अनुरक्षित करेगा तथाा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समुचित समय में कम्प्यूटरीकृत करके सम्पूर्ण देश में नेटर्वक के माध्य से सूचना का सुलभ करायेगा।

2. अपनी नीति बनाते समय और निर्णय की घोषण के समय सभी सुंसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।

3. अपने प्रशासनिक या न्यायिकल्प निर्णयों के कारण उपलब्ध करायेगा।

4. किसी परियोजना को प्रारम्भ करने या किसी नीति या कार्ययोजना को तैयार करने या आम जनता के लिये कानून बनाने अथवा प्रभावित व्यक्ति को सामग्री के तात्कालिक प्रकटन के लिये यह ध्यान में रखेगा कि यह प्रकटन स्थानीय भाषा ओर क्षेत्र मे संसूचना की अत्यन्त प्रभावी प्रदत प्रपत्रों में भी उपलब्ध हों। समस्त सूचनायें निःशुल्क अथवा लागत मूल्य पर उपलब्ध करायी जायें।

लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) : धारा 5

1. लोक प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से लोक सूचना अधिकारियों को नामित करेगा।

2. लोक प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से सहायक अथवा लोक प्राधिकारियों को उपखण्डों अथवा उप जिला खण्डों के स्तर पर अभिहित करेगा।

लोक सूचना अधिकारियों के कर्तव्य : धारा 7 व 11

1. वे व्यक्ति जो प्रार्थना पत्र लिखने में असमर्थ हो पी.आईओ. उनकी सहायता करेगा।
2. समय सीमा, शुल्क तथा अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में अनुरोधकर्ता को अवगत करायेगा।
3. किसी को साधारणतया उसी रूप में सूचना उपलब्ध करायेगा जिसमें वह मांगी गई हो, जब तक वह उपलब्ध संसाधनों तथा प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण की दृष्टि से असंभव न हो।
4. किसी अनुरोध को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में ऐसी अस्वीकृति के कारणों को सूचित करेगा। साथ ही वह अविधि जिसके भीतर अस्वीकृति के विरूद्ध अपील की जा सकेगी और समुचित अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में संसूचित करेगा।
5. यदि सूचना जो कि प्रकट किये जाने हेतु आवेदित की गई है जो कि किसी तीसरे पक्षकार द्वारा प्रदाय की गई है अथवा तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है पी.आई.ओ. ऐसे तीसरे पक्षकार को पांच दिन के भीतर लिखित सूचना देगा। तृतीय पक्षकार को लोक सूचना अधिकारी के समक्ष नोटिस प्राप्ति के 10 दिन के भीतर प्रत्यावेदन (मौखिक या लिखित) दिये जाने का अवसर दिया जायगे। पी.आई.अ.ो तृतीय पक्षकार के पक्ष को विचार में लोने के पश्चात मूल आवेदक को सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के संबंध में निर्णय लेगा।

सूचना अभिप्राप्त के अनुरोध की प्रकिया : धारा 6

1. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी या क्षेत्र की राजभाषा में आवेदन करेगा।
2. सूचना मांगे जाने का कारण विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
3. ऐसा शुल्क जो विहित हो, दें (यदि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा हो तो कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा)

समय सीमा धारा : धारा 7

1. इच्छित सूचना आवेदन करने के 30 दिन के भीतर उपलब्ध होगी ।
2. सूचना यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह अनुरोध प्राप्ति के 48 घण्टे के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी।
3. सूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को इस धारा में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के संगणना करने के प्रयोजन के लिये आपवर्जित किया जाय।
4. यदि तीसरे पक्षाकर का हित निहित है तो सूचना न देने की अवधि 40 दिन होगी (30 दिन का समय तथा तीसरे पक्षकार को प्रत्योवदन के लिये दिया गया 10 दिन का समय)।
5. यदि 30 दिन के अवधि तक प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही न हो तो वह अस्वीकृत की तरह मान लिया जायेगा।

शुल्क धारा –7

1. विहित फीस युक्तियुक्त होगी.
2. यदि आगे और अधिक शुल्क (फीस) ली जाये तो उसका ब्यौरा लिखित में दिया जायेगा।
3. प्रार्थी पी.आई.ओ. द्वारा अवधारित फीस के पुनर्विलोकन की अपील समक्ष अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कर सकता है।

4. ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

5. यदि सूचना के प्रत्युत्तर समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होता है तो सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

पहुंच को अस्वीकृत करने के अन्य अधिकार : धारा 9

सूचना के किसी अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है जहां पहुंच उपलब्ध करवाने के ऐसे अनुरोध में राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिवयाधिकार का उल्लंघन अन्तवर्लित है.

अपीलीय प्राधिकारी : धारा 19

1 बाह्य अपील (प्रथम अपील) – ऐसा कोई व्यक्ति जो यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐस किसी विनिश्चय की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी से प्रथम अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठपंक्ति का है।

2. बाह्य अपील (द्वितीय अपील) दूसरी अपील प्रथम अपील के निर्णय के 90 दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को दी जायेगी।

3. अपील संबंधी अनुरोध को अस्वीकृत किये जाने की न्यायोचित ठहराने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की होगी।

4. अपील का निपटारा अपील की प्राप्ति के 30 दिने के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जायेगी, जो उसके फाईल किये जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक न हों।

5. आयोग का निर्णय आबद्धकर होगा, परन्तु विधि के किसी बिन्दु पर अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकेगी.

राज्य सूचना आयोग : धारा – 15

1. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस से अनाधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे रखे जायें।

2. राज्य मुख्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधान सभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जायेगी।

3. राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय संबंधित राज्य में कही भी हो सकता है तथा इसके अन्य कार्यालय राज्य के विभिन्न स्थानों में होंगे।

4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते निर्वाचन आयुक्त के समान होगा। राज्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगे।

केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों व कार्य धारा 15 व 16. केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें कि –

क. जो कि इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि लोक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है।

ख. जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई जानकारी तक पहुंच के लिये इन्कार कर लिया है ।

ग. जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिये या सूचना तक पहुंच के लिये अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है.

घ जिसमें ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है जो कि अनुचित समझता है।

ङ. जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रमण में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गयी है।

च कोई अन्य विषय जो कि विधि अनुसार सूचना प्राप्त करने से संबंधित हों।

2. यदि कोई युक्ति युक्त आधार हों तो जांच करने का अधिकार।

3. केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त /राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में सिविल न्यायालय की शक्तियों निम्न प्रकार निहित होंगी :

क. किन्ही व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देनें के लिये और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिये उनको विवश करना।

ख. दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।

ग. शपथ पत्र पर साक्षय का अभिग्रहण करना।

घ. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना।

ङ. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन जारी करना और

च. कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय।

4. इस अधिनियम के अंतर्गत जांच हेतु सभी अभिलेख केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को यथास्थिति उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें वे अभिलेख भी शामिल होंगें जिन्हों सूचना के प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त है।

5. लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबन्ध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :

क. किसी यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना. जहां वे नियुक्त न हों।

ख. सूचनाओं का प्रकाशन करना।

ग. अभिलेखों के रखे जाने के प्रबन्ध ओर उनके विनाश से संबंधित नियमों में आवश्यक परिवर्तन करना.

घ. सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के प्राविधानों में वृद्धि करना।

ङ. इस अधिनियम के अनुसरण में लोक प्राधिकारी के प्राविधानों में वृद्धि कराना।

च लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकासान के लिये प्रतिपूरित करना।

छ इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करना।

ज. अपील करना।

शास्ति या दण्ड धारा – 20

प्रत्येक लोकसूचना अधिकारी को निम्नलिखित कारणों से रू. 250 प्रतिदिन (रूपये पच्चीस हजार अधिकृत) के दण्ड का भुगतान करना होगा :–

क. सूचना हेतु आवेदन पत्र स्वीकार न करने पर.

प्रेषक संख्या 690/XXX(2)/2010

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3– आयुक्त,
कुमाऊ/गढ़वाल।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 23 जून, 2010

विषयः– समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती–पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय स्रोतो से शासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इनमें कुछ मा० सांसदों/विधायकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा कुछ अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त होती है। कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि शिकायत–पत्रों में अंकित शिकायतकर्ता का नाम फर्जी है तथा शिकायतें निराधार व तथ्यहीन हैं। कतिपय मामलों में किसी विशिष्ट व्यक्ति के पैड का दुरूपयोग करते हुए फर्जी हस्ताक्षर से शिकायती पत्र दिये जाते है।

2– अतः बेनामी अथवा फर्जी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायती–पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जायः–

1–विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के सम्बंध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व यदि शिकायती पत्र की सत्यता संदिग्ध प्रतीत होती हो और उसकी पुष्टि करना आवश्यक समझा जाय तो सम्बधित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि कर ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बंध में उनको सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

2–अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बंध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ–पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और इसके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

3– अतः आपसे यह अनुरोध है कि कृपया समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कामिकों के विरूद्ध विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती–पत्रों का उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1450 /xxx(2)/2010

प्रेषक,

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

3– मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 सितम्बर, 2010

विषयः– चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियां, सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रकिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1712/कार्मिक–2/2003, दिनांक 18 दिसम्बर,2003 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवकों की वार्षिक प्रविष्टियां अंकित किये जाने एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित किये जाने, प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करने और उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के सम्बंध में विरतृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– उक्त शासनादेश के प्रस्तर–9 में वार्षिक प्रविष्टियों में ग्रेडिंग के सम्बंध में यह व्यवस्था की गयी है कि वार्षिक प्रविष्टि के अन्त में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा सम्बंधित कार्मिक के सम्पूर्ण कार्य एवं आचरण के परिप्रेक्ष्य में उसकी ग्रेडिंग की जायेगी यह ग्रेडिंग निम्नवर्गीकरण के अन्तर्गत होगीः–

1–	उत्कृष्ट	(Outstanding)
2–	अति उत्तम	(Very Good)
3–	उत्तम	(Good)
4–	अच्छा/संतोषजनक	(Satisfactory)
5–	खराब/असंतोषजनक	(Bad/Unsatisfactory)

3– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये है कि वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करने वाले अधिकारियों द्वारा उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भली–भॉति नही किया जा रहा है तथा सरसरी तौर पर सम्बंधित कार्मिकों के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन करते हुये श्रेणी अंकित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप जिन कार्मिकों को अच्छा/संतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है,

उनके सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यों का संज्ञान नही लिया जाता है। ऐसी दशा में उच्चत्तर पदों पर पदोन्नति के समय अच्छा/संतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों को श्रेष्ठता के चयन में कोई भी अंक प्राप्त नही होते है तथा वे पदोन्नति से वंचित हो जाते है।

4— इस सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 में वर्गीकृत श्रेणियों को संशोधित करते हुए अब वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट अंकित हेतु निम्न श्रेणियों को रखा जायेगा:—

1—	उत्कृष्ट	(Outstanding)
2—	अति उत्तम	(Very Good)
3—	उत्तम	(Good)
4—	खराब/असंतोषजनक	(Bad/ Unsatisfactory)

5— भविष्य में कार्मिकों की श्रेणी का वर्गीकरण करते समय अच्छा/संतोषजनक श्रेणी अंकित नही की जायेगी। बल्कि जिन कार्मिकों का सम्बंधित वर्ष में कार्य एवं आचरण असंतोषजनक है तथा सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, उनका मूल्यांकन निष्पक्षता के आधार पर करते हुये उन्हें खराब/असंतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा तथा जिन कार्मिकों के कार्य एवं आचरण के सम्बंध में कोई प्रतिकूल तथ्य न हो, तो कार्य एवं आचरण के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें उत्तम श्रेणी अथवा उससे उच्चतर यथा अति उत्तम/उत्कृष्ठ श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

6— उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में प्रदत्त "अच्छा/संतोषजनक' श्रेणी को श्रेष्ठता के आधार पर चयन के मामले में मूल्यांकन हेतु 'उत्तम' के समतुल्य माना जायेगा ताकि ऐसे कार्मिक को मूल्यांकन/Marking को लेकर क्षति न हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 1650 (1)/XXX(2)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित कों सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3—निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4—सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,हरिद्वार।
5. कार्यकारी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

PVD2-AR/SR/7/2022-XXX-2-Personnel and Vigilance Department

I/128800/2023

प्रेषक,

डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल–पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 09 जून, 2023

विषयः उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–22 से 'ऑन लाईन' अंकित किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 78XXX(2)/2022-55(26)2002 दिनांक 11 फरवरी, 2022 द्वारा राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–22 से 'ऑन लाईन' अंकित किये जाने के संदर्भ में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 90/XXX(2)/2022-55(26)2002 दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–22 से 'ऑन लाईन' अंकित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में भी दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में समग्र ग्रेड (अंक 1 से 10 तक) अंकित किये जाने की व्यवस्था है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि समग्र ग्रेड अंक के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के मूल्यांकन में उत्कृष्ठ, अति उत्तम, उत्तम, अच्छा/संतोषजनक, खराब/असंतोषजनक प्रविष्टि के क्रम में समग्र ग्रेड अंक का निर्धारण किस प्रकार किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के मूल्यांकन में निम्नवत् अंक निर्धारित होंगे :–

उत्कृष्ठ	8.01–10.00 अंक
अति उत्तम	6.01–8.00 अंक
उत्तम	4.01–6.00 अंक
अच्छा/संतोषजनक	2.01–4.00 अंक
खराब/असंतोषजनक (प्रतिकूल)	0–2.00 अंक

अतः राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति द्वारा पात्रता में सम्मिलित कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–22 की ऑन लाईन ACR ही विचारण में ली जायेगी। कृपया वर्ष 2021–22 से 'ऑन लाईन' व्यवस्था के क्रम में विभागान्तर्गत वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का मूल्यांकन में उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

Signed by Sukhbir Singh
Sandhu
Date: 08-06-2023 19:47:00

(डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 09-06-2023 12:32:50

(शैलेश बगौली)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

संख्याः 186218/XXVII(7)/ई–60991/2023

देहरादून, दिनांकः 01 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2024

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

राज्य सरकार के कार्मिकों के अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 737/XXVII(7)/2010 दिनांकः 27.10.2010 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के कार्मिकों को 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित किये जाने के पश्चात अनुमन्य अर्जित अवकाश का निम्नानुसार उपभोग किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है–

> "राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात् भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को अर्जित क्रमशः 16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश (कुल 31 दिन) का सम्बन्धित वर्ष में 31 दिसम्बर तक उपभोग कर सकते हैं। कलैण्डर वर्ष में कुल अनुमन्य 31 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग सम्बन्धित वर्ष में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जाएगा।"

2. राजकीय कार्मिकों को अनुमन्य उपार्जित अवकाश के शेष नियम यथावत् रहेंगे। संबंधित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय पृथक से किया जायेगा।
3. यह आदेश दिनांकः 01 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगे।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 31-01-2024 14:25:58

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

<u>संख्याः 186218/XXVII(7)/ई–60991/2024, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन व हकदारी, उत्तराखण्ड, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 01-02-2024 10:29:59
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या—1/297414/ XXVII-7/ E-65846/2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—7 **देहरादून : दिनांक 14 मई, 2025**

विषय—सरकारी सेवकों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों/बिन्दुओं में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सुविधा को पुनःस्थापित किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या—1115/वि0अनु0—03/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003, सपठित शासनादेश संख्या—330/xxvii/(3)अ.या.सु./2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 एवं इसी कम में शासनादेश संख्या—67/xxvii(7)5(1)/2011 दिनांक 08 जून, 2011 द्वारा कतिपय प्रावधानों के संबंध में निर्गत स्पष्टीकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— बदलते परिदृश्य में सरकारी सेवकों की जरूरतों के अनुसार उन्हें बेहतर अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के उददेश्य से सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में शासनादेश संख्या—330/xxvii/(3)अ.या.सु./2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 एवं शासनादेश संख्या—67/xxvii(7)5(1)/2011 दिनांक 08 जून, 2011 को अधिकमित करते हुए शासनादेश संख्या—1115/वि0अनु0—03/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 एवं शासनादेश संख्या—330/xxvii/(3)अ.या.सु./2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा हेतु निर्धारित व्यवस्था के बिन्दु संख्या—9, 10, 11 एवं 12 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:—

(I) **बिन्दु संख्या— 9 अवकाश की प्रकृति—** इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 05 दिन अथवा वास्तविक यात्रा अवधि, जो अधिक हो, का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा।

(II) **बिन्दु संख्या— 10 सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए अधिकृत श्रेणी—** सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्य सरकारी सेवक के 'धारित पद' के वेतन स्तर के सापेक्ष निम्नलिखित तालिकानुसार वायुयान/रेल यात्रा के लिए अधिकृत होंगे:—

क.सं.	वेतन स्तर	अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1.	लेवल—14 एवं उससे उच्च	बिजनेस क्लास / ए0सी0 प्रथम श्रेणी रेल यात्रा एवं एक्जीक्यूटिव क्लास कुर्सीयान
2.	लेवल—10 से लेवल—13 (क) तक	इकोनॉमी श्रेणी वायुयान यात्रा/ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल यात्रा/ एक्जीक्यूटिव क्लॉस कुर्सीयान
3.	लेवल—6 से 9 तक	वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा/ वातानुकूलित कुर्सीयान
4.	लेवल—1 से 5 तक	वातानुकूलित तृतीय श्रेणी रेल यात्रा/ वातानुकूलित कुर्सीयान

सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल यात्रा की सुविधा डायनमिक –फ्लैक्सी फेयर के साथ भी अनुमन्य होगी। रेल की यात्रा भारत में चलने वाली समस्त प्रकार की ट्रेनों के लिए अनुमन्य होगी, सिवाय भारत में चलने वाली विशेष पर्यटक ट्रेनों यथा 'पैलेस ऑन व्हील्स', गोल्डन चैरियट आदि को छोड़कर। साथ ही धार्मिक यात्राओं के लिए प्रायोजित ट्रेनों के लिए भी रेल यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

वायुयान यात्रा के लिए न्यूनतम 15 दिन पूर्व टिकट लेना अनिवार्य होगा। यह अवधि 15 दिन से कम होने पर सरकारी सेवक को अनुमन्य रेल यात्रा की श्रेणी के अनुसार ही यात्रा भत्ता दावों में देय होगा। बिजनेस क्लास में वायुयान यात्रा किये जाने की स्थिति में देय वायुयान यात्रा भत्ता उस दूरी के लिए समान्य श्रेणी की ट्रेनों के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा के किराये से 06 गुना से अधिक नहीं होगा वहीं इकोनॉमी श्रेणी में वायुयान यात्रा किये जाने की स्थिति में देय वायुयान यात्रा भत्ता उस दूरी के लिए समान्य श्रेणी की ट्रेनों के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा के किराये से 03 गुना से अधिक नहीं होगा।

(III) **बिन्दु संख्या– 11 वायु मार्ग/रेल मार्ग के अतिरिक्त यात्रा–** ऐसे स्थान जो वायुमार्ग/रेल से न जुड़े हों, वहाँ राजकीय सेवक सड़क मार्ग/जलयान/नौका वाहन से यात्रा कर सकते हैं।

सड़क मार्ग से यात्रा करने पर कर्मचारी को अधिकतम ए0सी0/वोल्वो बस से यात्रा की अनुमन्यता होगी। सड़क मार्ग से यात्रा ऐसे स्थानों के लिए जो रेल मार्ग से न जुड़े हों अथवा केवल निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक। तत्पश्चात रेल मार्ग से गन्तव्य स्थान (यदि गतन्वय स्थान रेल मार्ग से न जुड़ा हो) के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक, संबंधित राज्य के परिवहन निगम या विभाग/प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियमित बस सेवा, जो निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर संचालित होती हो, से अनुमन्य होगी।

जलमार्ग से यात्रा किए जाने पर उक्त बिन्दु संख्या–10 की तालिकानुसार अनुमन्य रेल की श्रेणी के समतुल्य श्रेणी के अनुसार यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। यदि जलयान में मात्र दो श्रेणियां हैं तो लेवल–1 से 9 तक लोअर क्लास की अनुमन्यता होगी। इस हेतु कार्मिक द्वारा संबंधित क्षेत्र की सरकार/संस्था द्वारा निर्धारित जलयान की श्रेणी का विवरण उपलब्ध कराया जाना होगा।

वायुमार्ग/रेलमार्ग से भिन्न माध्यम से यात्रा करने की स्थिति में सम्बन्धित सरकारी सेवक के द्वारा लिखित रूप में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वहाँ वायुयान /रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है और अमुक सुविधा ही उपलब्ध थी।

(IV) **बिन्दु संख्या– 12 उच्चतर/निम्नतर श्रेणी में यात्रा–** यदि यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की जाती है तो उस स्थिति में सरकारी सेवक को अनुमन्य/अधिकृत श्रेणी का किराया/यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति देय होगी।

3– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1115/वि0अनु0–03/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर–7 के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सरकारी सेवक भारत वर्ष में यात्रा अवकाश सुविधा लेता है तब उसे यात्रा के स्थान से गन्तव्य स्थान तक आने–जाने के लिए न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी तथा गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसका परिवार रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रूकते है अथवा अवरस्थान करते हैं तब भी उन्हें किराया निर्धारित दूरी के सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

4– शासनादेश संख्या–1115 / वि0अनु0–03 / 2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त शासनादेश के शेष प्रावधान / शर्तें यथावत् बने रहेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 14-05-2025
12:2

(दिलीप जावलकर)
सचिव

<u>संख्या– / XXVII-7/E-65846/2023 तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी।
7. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 14-05-2025
13:30:25

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।